खण्ड-370, अंक-2
सोमवार, 24 आषाढ़, शक संवत् 1907
(15 जुलाई, 1985 ई0)

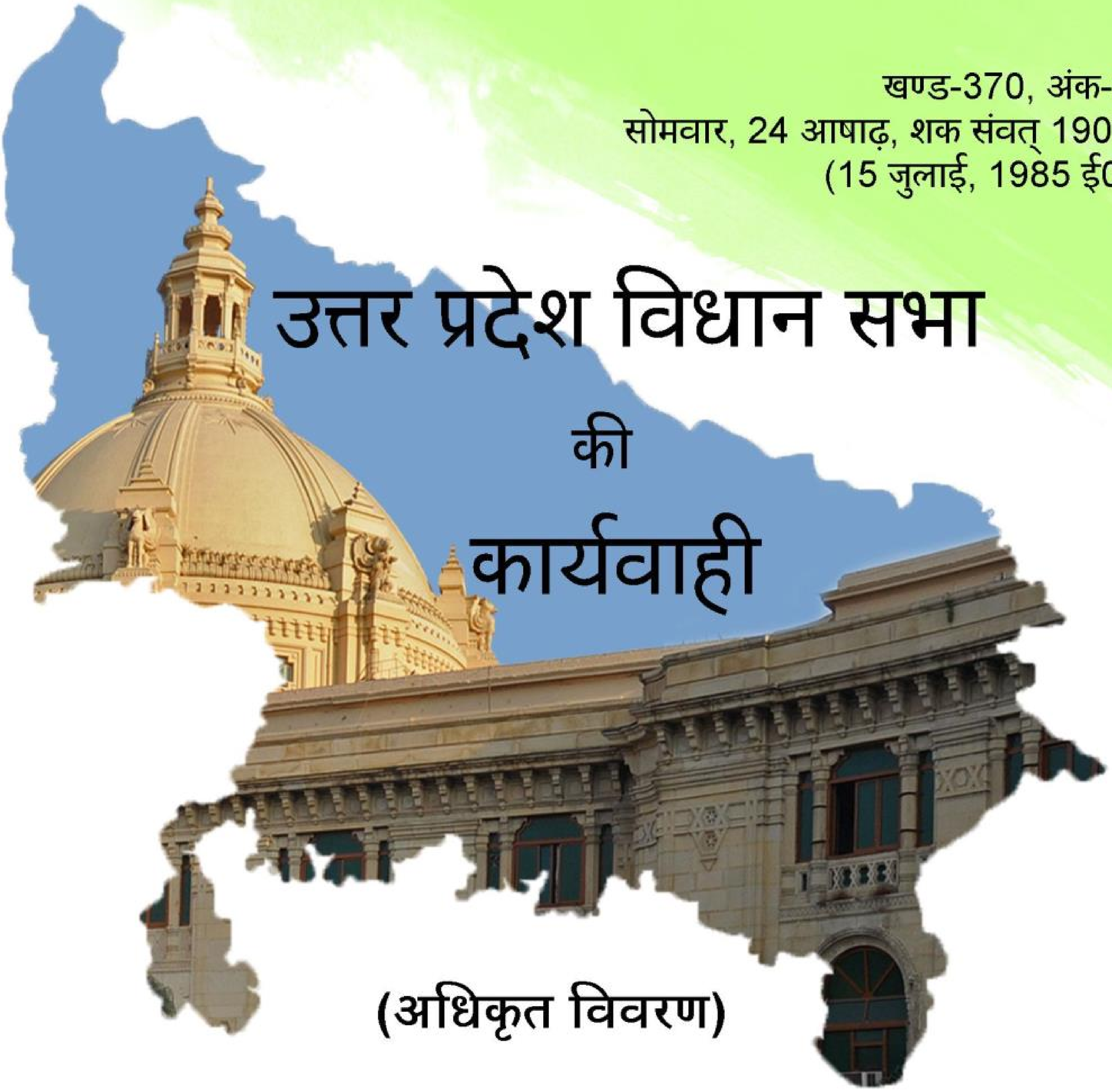

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 370 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1985

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	1–2
प्रश्नोत्तर	3–78
खाद्य तथा रसद मंत्री श्री वासुदेव सिंह द्वारा एक गोष्ठी में उर्दू के सम्बन्ध में दिये गये बयान के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	78–79
प्रश्नों के सुसंगत उत्तर न दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	79–82
जिला परिषद्, इटावा के अभियन्ता श्री द्विवेदी के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	82–83
माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद द्वारा हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट की परीक्षाओं के परीक्षाफल की घोषणा में विलम्ब के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	83
प्रदेश में गेहूं क्रय में व्याप्त व्यापक भ्रष्टाचार तथा किसानों को गेहूं के मूल्य का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	83–84
जनपद मिर्जापुर में अकाल की स्थिति के उत्पन्न होने से जनमानस में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	8
सम्पूर्ण प्रदेश के विश्वविद्यालयों में शिक्षणेत्तर कर्मचारियों द्वारा हड़ताल के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	84–85
उतरौला, गोंडा के पिपराघाट पर राप्ती नदी में हुई नाव दुर्घटना के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	85
शारदा सहायक फीडर चैनल इन्दिरा कैनाल के निर्माण के बाद, नहर में सिंचाई अव्यवस्था उत्पन्न होने से ग्रामवासियों में असंतोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	85
नीति विषयक घोषणायें सदन के बाहर करने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	85–87
तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा सैनिक स्कूल, लखनऊ के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश का शासन द्वारा पालन न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	87–90
नीति विषयक घोषणायें सदन से बाहर करने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न (क्रमागत)	90–92
श्री औलाद सिंह के साथ थानाध्यक्ष, बेला द्वारा किये गये दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देश पर शासन द्वारा कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	92–95

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश फलदार वृक्षों का सम्वर्धन और संरक्षण (हानिप्रद अधिष्ठान और आवास योजना विनियमन) अध्यादेश, 1985 (सदन के पटल पर रखा गया)	95
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1985 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	95
उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1985 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	96
उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) अध्यादेश, 1985 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	96
उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1985 (सदन के पटल पर रखा गया)	96
उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन और वैधीकरण) अध्यादेश, 1985 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	96
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1985 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	96
अध्यादेशों को सदन के पटल पर रखे जाने पर आपत्ति ..	96–97
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1985 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	97
उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन) अध्यादेश, 1985 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	97
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 1985 (सदन के पटल पर रखा गया)	97
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (पैंतीसवां संशोधन) नियमावली, 1985 (सदन के पटल पर रखी गयी)	97
पर्वतीय विकास कुमायूं मंडल विकास निगम लिमिटेड, नैनीताल की दशम वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण, 1980–81 (सदन के पटल पर रखा गया)	97
नगर महापालिका, कानपुर चुंगी (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1983 (सदन के पटल पर रखी गयी)	97–98
उत्तर प्रदेश केन्द्रीय बिक्रीकर (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1985 (सदन के पटल पर रखी गयी)	98
उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1985 (सदन के पटल पर रखी गयी)	98

विषय	पृष्ठ संख्या
लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश की कार्य प्रणाली का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1975–76 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	98
उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) नियमावली, 1985 (सदन के पटल पर रखी गयी)	98
उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की 8वीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण (सदन के पटल पर रखा गया)	98
उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के वर्ष 1982–83 के लेखा पर महा–लेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा परीक्षा प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	99
सदन द्वारा पारित श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर श्री राज्यपाल द्वारा धन्यवाद दिये जाने की सूचना ..	99
उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1985 (विधान परिषद् से प्राप्ति की सूचना)	99
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1985 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	99
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1985 (अधिनियम बन गया)	99
उत्तर प्रदेश विनियोग (1984–85 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1985 (अधिनियम बन गया)	99–100
उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1985 (अधिनियम बन गया)	100
पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1982 (अधिनियम बन गया)	100
उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) विधेयक, 1985 (अधिनियम बन गया)	100
उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1985 (अधिनियम बन गया)	100
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक अधिनियम, 1985 (अधिनियम बन गया)	100–101
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1985 (अधिनियम बन गया)	101
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1985 (अधिनियम बन गया)	101
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रोसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1985 (अधिनियम बन गया)	101

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1985 (अधिनियम बन गया)	101
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1985 (अधिनियम बन गया)	102
कार्यमंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	103
उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1985 (पुरःस्थापित किया गया)	103
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें	103-108
वित्तीय वर्ष 1985-86 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा ..	109-134
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	134
नस्थियां	135-140

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 15 जुलाई, 1985

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ म 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :

अमिताभ लवानियां, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
काजी कलीमुर रहमान, श्री (आजमगढ़)
किरन पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
कृष्ण कुमार शर्मा, श्री (गाजियाबाद)
कोकब हमीद, श्री (मेरठ)
खरपत राम, श्री (वाराणसी)
गोपाल दास यादव, श्री (इलाहाबाद)
चन्द्रभान मौर्य, श्री, (आगरा)
जफर अली नकवी, श्री (लखनऊ)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री (आजमगढ़)
नरेन्द्र सिंह, कुंवर (सहारनपुर)
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
निर्भय पाल शर्मा, श्री (सहारनपुर)
नेक चन्द्र पाण्डेय, श्री (कानपुर)
प्रेमीला बद्धवार मेहरा, श्रीमती (बदायूं)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तरकाशी)
महावीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महावीर सिंह राणा, श्री (सहारनपुर)
महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री (इलाहाबाद)
मैनेजर सिंह, श्री (बलिया)
रघुवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रजनीकान्त, श्री (वाराणसी)
रफीक अहमद, श्री (उर्फ रफ्फन) (बरेली)
राजा मोहम्मद अमीर मोहम्मद खां, श्री (सीतापुर)
राम रतन सिंह, श्री (सीतापुर)
राम लक्षन, श्री (गोरखपुर)
राम सजीवन, श्री (बांदा)
लोकपति त्रिपाठी, श्री (मिर्जापुर)
वीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र नाथ दीक्षित, श्री (कानपुर)
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (एटा)
शिव बालक पासी, श्री (रायबरेली)
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री (गोरखपुर)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
सुनील शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
हर नारायन सिंह, श्री (रायबरेली)
हरिशंकर तिवारी, श्री (गोरखपुर)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

सोमवार, दिनांक 15 जुलाई, 1985

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश की सप्तम पंचवर्षीय योजना हेतु प्रस्तावित वित्तीय संस्तुतियां

**1--श्री मित्रसेन तथा श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि केन्द्रीय योजना आयोग ने उत्तर प्रदेश की सप्तम पंचवर्षीय योजना हेतु प्रस्तावित वित्तीय संस्तुतियों को स्वीकार नहीं किया है ? यदि हां, तो वित्तीय संस्तुतियों की स्वीकृति के अभाव में सप्तम पंचवर्षीय योजना पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उस कमी की पूर्ति सरकार किन वित्तीय संसाधनों से पूरा करने पर विचार कर रही है ?

नियोजन मन्त्री (श्री जयराम वर्मा)—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

श्री मित्र सेन--

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सप्तम पंचवर्षीय योजना के लिये प्रदेश सरकार द्वारा कितनी धनराशि की संस्तुति की गयी थी और उनमें केन्द्रीय आयोग ने कितनी कटौती कर दी है ?

श्री जयराम वर्मा—

सप्तम पंचवर्षीय योजना के लिये केन्द्रीय आयोग के पास जो योजना का प्रारूप भेजा गया था, वह 16 हजार 8 सौ 42 करोड़ रु0 का था । विभिन्न कार्य दलों ने उस पर विचार किया विचारोपरांत उन्होंने 15,288,55 करोड़ रु0 की संस्तुति की थी । लेकिन, आयोग ने केवल 11 हजार करोड़ रुपये की योजना मंजूर की है ।

श्री मित्र सेन—

मान्यवर, जो केन्द्रीय आयोग ने 5 हजार करोड़ रु0 की कटौती कर दी है, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि उस कटौती के कारण प्रदेश सरकार ने विभिन्न मदों में धन की कमी कर दी है ?

श्री जयराम वर्मा--

यह बात तो सही है कि विभिन्न मदों को जितनी धनराशि 16,842 करोड़ रु0 की मंजूरी पर मिलती, उतनी धनराशि उनको नहीं मिल पायी । लेकिन, इसका अर्थ यह नहीं है कि इससे हमारी प्रगति की दर में, जो हमने लक्ष्य रखा था, उसमें कोई कमी होगी ।

श्री कल्यान सिंह--

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 16,842 करोड़ रुपये का आंकलन वहां पर प्रस्तावित किया गया था, लेकिन योजना आयोग ने कटौती कर 11 हजार करोड़ रु0 स्वीकृत किये हैं । इस तरह से 5 हजार करोड़ रु0 से ज्यादा की कमी रह गयी है । इसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि इस कमी से सप्तम पंचवर्षीय योजना पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इससे योजना की विकास की दर पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा अथवा नहीं ?

श्री जयराम वर्मा—

विकास की दर का जो लक्ष्य था, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । हम अपने प्रयासों से उसको पूरा करेंगे ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, इस आदरणीय सदन की भी भावना रही है कि प्रदेश की जनसंख्या

के आधार पर केन्द्र सरकार से पैसा मिलना चाहिये और प्रान्तीय सरकार ने भी जोर दिया है कि जनसंख्या के आधार पर ही हिस्सा मिलना चाहिये। इसमें क्या सिद्धांत है ?

श्री जयराम वर्मा—

अभी तक जो गाडगिल फार्मूला लागू है, उसके आधार पर 60 प्रतिशत हमको आवंटित होता है जनसंख्या के आधार पर और 20 प्रतिशत पिछड़े पन के आधार पर और 20 प्रतिशत दूसरे आधारों पर।

अभी तक यह आवंटन का आधार है। लेकिन, प्रदेश की तरफ से, हमारे माननीय मंत्री जी की तरफ से, यह कहा गया है कि 70 प्रतिशत तो आबादी के आधार पर आवंटित है, लेकिन 40 प्रतिशत केवल उन्हीं प्रदेशों को दिया जाय, जो पिछड़े हैं। लेकिन, अभी तक इसके ऊपर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक जो सितम्बर माह के आस-पास होगी, संभवतः उसमें इस पर निर्णय हो जायेगा।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में, माननीय मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि 5 हजार करोड़ रु0 की कमी होने के बाद भी प्रदेश की जो विकास योजनायें हैं, उसमें कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारी इस सूचना को सही मानकर कि जो डिस्ट्रिक्ट प्लान है जिसमें कि बजट का 33 फीसदी बन जाता है, सप्तम पंचवर्षीय योजना में 27 प्रतिशत की कमी कर दी है, तो ऐसा कौन सा सयंत्र है, जिससे विकास की दर में कोई कमी नहीं पड़ेगी। 27 फीसदी की कमी जिला योजना मे कर दी गयी है।

श्री जयराम वर्मा—

श्रीमन्, विकास दर को कायम रखने के लिये जो उपाय किये गये हैं, वे इस प्रकार हैं। जो उद्योग के कार्यक्रम हैं....

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, मेरा विनम्र निवेदन है। मेरा यह प्रश्न नहीं है। मैंने साफ-साफ पूछा था कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि विकास दर में कोई कमी नहीं आयेगी। डिस्ट्रिक्ट प्लान में जो पैसा दिया जाता है, उसमें टोटल बजट का 1/3 भाग दिया जाता है जो डी0 आर0 डी0 ए0 में जाता है लेकिन उस टोटल आवंटन में 27 फीसदी की कमी कर दी गई है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि शासन पक्ष के पास वह कौन सा पत्र है, जिसके आधार पर मंत्री जी ने कहा कि विकास दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। माननीय मंत्री जी की जानकारी के लिए एक बात और जोड़ दूं कि आज की तारीख तक जिला योजना के नाम पर एक भी नये पैसे की वित्तीय स्वीकृति किसी भी जिले में नहीं गई है। सारा विकास का कार्य अवरुद्ध हुआ है। मंत्री जी कहते हैं कि विकास की दर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कि विकास की दर पर प्रभाव कैसे नहीं पड़ेगा। इसका उत्तर आप दें।

श्री जयराम वर्मा—

माननीय सदस्य का जो मुख्य प्रश्न है, वह यह है कि बजट के प्रारूप में पैसे की कमी की गई है, उसके कारण हमारे विकास में कमी आयेगी कि नहीं। मैंने उत्तर दिया कि विकास के दर में

कमी नहीं आयेगी । हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इस कमी के कारण विकास पर कोई प्रभाव न पड़े ।

दूसरा प्रश्न माननीय सदस्य का यह है कि प्रभाव न पड़ने के लिये कौन से उपाय आपके पास हैं। हमारे जो उत्पादक कार्यक्रम हैं, उनके लिए रुपये की जो व्यवस्था है, उसमें हमने कमी नहीं की है । जसे कृषि उत्पादन का प्रश्न है, उसमें हमने कमी नहीं की है जो हमारा लक्ष्य है, उसकी पूर्ति की व्यवस्था हमने की है । उस लक्ष्य को हम पूरा करेंगे । हमारा लक्ष्य 425 लाख टन का था, उसमे केवल इतना फर्क आया है कि वह 424·5 लाख टन हो गया है ।

उद्योग में हमने जो विकास दर रखी थी 10 प्रतिशत की, वह अब भी 10 प्रतिशत है । विद्युत् उत्पादन का जो लक्ष्य था, उसमें हमने कोई कमी नहीं की है ।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी छठीं पंचवर्षीय योजना की तुलना सातवीं पंचवर्षीय योजना से कर रहे हैं, जो मेरे प्रश्न का कतई सही उत्तर नहीं है ।

(नियोजन मंत्री के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री कृपा करके आप बैठ जायें। माननीय श्री कल्याण सिंह जी को प्रश्न कर लेने दें।

श्री कल्यान सिंह--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी जो हिसाब-किताब समझा रहे थे, वह समझ में नहीं आ रहा था । दर्जा 2 का विद्यार्थी भी इस अंकगणित से सहमत नहीं होगा । एक बार हमने प्रस्ताव में पैसा मांगा 16842 करोड़ रुपये तो उस समय कोई विकास दर तय की गई होगी । लेकिन पैसा दिया 11 हजार करोड़ रुपये जो 5842 करोड़ रुपये कम है । इस पर भी माननीय मंत्री जी कहते हैं कि विकास दर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा । माननीय मंत्री जी इन दोनों के फर्क को समझा दें ।

श्री जयराम वर्मा--

जहां तक लक्ष्य का सवाल है, लक्ष्य तो विकास दर की वही रहेगी जो पहले थी ।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

पहले क्या थी ?

श्री जय राम वर्मा--

6 प्रतिशत ।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

नहीं 7 प्रतिशत ।

श्री जय राम वर्मा--

माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उस को अगर देख लें तो इसमें 6 प्रतिशत कहा गया है ।

श्री कल्यान सिंह--

मान्यवर, 16 हजार 842 करोड़ रुपया मांगा था और रह गया केवल 11 हजार करोड़ । तो अब क्या विकास की दर है ? आप प्रदेश की जनता को धोखा देना चाहते हैं....

(व्यवधान)

श्री जयराम वर्मा--

विकास की दर जो हमने रखी थी 6 प्रतिशत ही रखी थी और वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसमें भी 6 प्रतिशत ही रखी है । वह विकास की दर वैसी ही रहेगी । अब प्रश्न यह है कि जब रुपया कम है तो कैसे उस कमी को पूरा करेंगे । जो अनुत्पादक कार्यों में रुपया

हमने लगाने को सोचा था, उसमें हमने कटौती की है। जैसे 7 सौ करोड़ रुपये की मांग की गई थी विभागों के पुनर्गठन के लिए, उसको बिल्कुल काट दिया गया है। कहा गया कि पुनर्गठन तो किया जाय लेकिन उसमें कोई और खर्च न बढ़ाया जाये। जितने आदमी हैं, उसमें ही पुनर्गठन किया जाय।

(प्रश्न संख्या 2 पुकारे जाने पर)

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, मेरी प्रार्थना है कि इस प्रश्न को प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को सन्दर्भित कर दें। बिल्कुल गलत बयानी की है.....

(व्यवधान)

श्री राम नरेश--

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि गाडगिल फार्मूला, जिसके आधार पर माननीय नियोजन मंत्री जी ने कहा कि 60 प्रतिशत रुपया हुआ है, तो मैं कहना चाहता हूं कि गाडगिल फार्मूला, जिसके आधार पर छठी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई, विशेष रूप से चौथी और पांचवीं योजना में, पर कैपिटा जो पैसा मिलना चाहिए, एक व्यक्ति पर जो सहायता केन्द्र से मिलती है, वह पर कैपिटा मारकेटिंग बारोइंग, जिसके आधार पर हमारे प्रदेश को कम पैसा मिलता है, तो उस क्राइटरिया को चेंज करने पर हमारे प्रदेश का विकास होगा। तो मैं मंत्री जी से, माननीय मुख्य मंत्री जी, जो इस समय सदन में बैठे हैं, सदन के नेता की हैसियत से पूछना चाहता हूं कि उस गाडगिल फार्मूला में परिवर्तन करने के लिए कोई योजना, कोई सुझाव रखा था ?

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया अपना प्रश्न रखें।

मुख्य मंत्री (श्री नारायन दत्त)--

यह बड़े सन्तोष का विषय है कि माननीय प्रश्न कर्त्ता स्वयं मुख्य मंत्री रहे हैं और उन्हें जानकारी होगी कि पूरी योजनाओं का आधार और केन्द्रीय सहायता का आधार क्या है यह जो गाडगिल फार्मूले का प्रश्न है, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि स्वनाम धन्य डा० एन० बी० गाडगिल के नेतृत्व में एक कमेटी बनी थी, जिसने यह फार्मूला बनाया, जिसके आधार पर राज्यों को केन्द्रीय योजनागत सहायता बंटती है। यह बड़ा पेचीदा फार्मूला माना गया। यह 69-70 में पहली बार लागू हुआ और तब से अब तक बराबर विवाद बना हुआ है। इसका कारण यह भी है कि जो अधिक विकसित राज्य हैं, उनका भी प्रयास रहता है कि उनको भी योजना की सहायता मिले, इसलिए वे गाडगिल फार्मूले के संशोधन का विरोध करते रहे हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठकें होती हैं, पिछड़े राज्यों की ओर से मांग आती है कि संशोधित हो। लेकिन अधिक विकसित राज्य कहते हैं कि हमारे यहां भी पिछड़े हुये हिस्से हैं, इसलिये गाडगिल फार्मूले को संशोधित करना कठिन हो जाता है। पिछली बार नेशनल डेवलपमेण्ट काउन्सिल में मुझे भी सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जब मैं केन्द्र में था, पिछली नेशनल डेवलपमेण्ट काउन्सिल में गाडगिल फार्मूला में संशोधन हुआ तत्कालीन माननीया प्रधान मंत्री इन्दिरा जी के निर्णय से और श्री वेंकटरमण साहब के निर्णय से। उन्होंने इस सुझाव को स्वीकार किया कि 10 प्रतिशत ऐसे राज्यों का प्राविधान बढ़ाया जाय, जो पिछड़े हुये हैं। वर्ष 1980 में यह संशोधन हुआ और उसके आधार पर इस राज्य को भी अधिक पैसा मिला। अभी नेशनल डेवलपमेण्ट काउन्सिल की बैठक होनी शेष है। उसमें मेरा इस सदन की ओर से अवश्य प्रयास होगा कि फारमूले में संशोधन हो। जो माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये हैं, उससे मैं सहमत हूं। प्रयास करूंगा कि अधिक पैसा मिल सके।

जैसे माननीय सदस्य ने कहा कि "मार्केट बारोइंग" में अधिक रुपया मिले, तो 1980 में 1,000 करोड़ रु0 अधिक मिला मार्केट बारोइंग में। इस वर्ष भी केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के सहयोग से 1,100 करोड़ रु0 अधिक मार्केट बारोइंग का मिला। हम अपनी ओर से दो बातें रखेंगे। एक तो नेशनल सेविंग्स में से, जो 66.66 प्रतिशत मिलता है, उसके बजाय 75 प्रतिशत मिले। दूसरी यह चेष्टा होगी कि जितना क्रेडिट डिपोजिट रेशियो है, जो इस समय 43 प्रतिशत है और जितना एवरेज राज्य का है, जो 59 प्रतिशत है, तो यह जो गैप आता है 16 प्रतिशत का, इसको मार्केट बारोइंग से बढ़ायें, यह नेशनल डेवलपमेण्ट काउन्सिल के सामने प्रस्ताव रखेंगे। इसका स्वीकार होना दूसरे प्रदेशों की सहमति पर निर्भर है। हम दूसरे दलों को भी प्रेरित करेंगे ताकि इसके लिये एक राष्ट्रीय वातावरण बन सके।

प्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनाव

**2.—श्री कल्यान सिंह, श्री हरिश्चन्द्र, श्री सरदार सिंह, श्री शारदा प्रताप, श्री राम आसरे, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या सरकार कृपया बतायेंगे, कि प्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनाव कब तक करा दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगर विकास राज्य मंत्री (श्रीमती पद्मा सेठ)—

शासन प्रयत्नशील है कि स्थानीय निकायों के सामान्य निर्वाचन यथाशीघ्र सम्पन्न करा दिये जायं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री कल्यान सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी कृपया यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनाव दो चरणों में कराने का निर्णय लिया गया है। जिसमें पहले चरण में छोटी नगरपालिकाओं के चुनाव 31 दिसम्बर, 1985 तक और दूसरे चरण में जो बड़ी नगर-पालिकायें हैं उनका चुनाव मार्च, 1986 तक कराये जायेंगे ? ये चुनाव दो चरणों में कराये जाने के कारण क्या हैं और जिन तिथियों का अभी मैंने उल्लेख किया है, क्या वे तिथियां सही हैं ?

श्री नारायन दत्त—

मान्यवर, जैसे कि पिछले सत्र में यहां सदन में विचार व्यक्त किये गये थे, जैसे कि बजट भाषण में संकेत है कि चुनाव कराये जायेंगे, संशोधन विधेयक में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि विधान सभा की सहमति से यह कराये जायेंगे, यह बात उसमें भी कही गयी थी। अब यह चुनाव निदेशक की संस्तुति पर निर्भर करता है कि चुनाव की तिथियां क्या हों। लेकिन सदन के उठने के बाद ही यह सम्भव होंगे। इसमें यह विचार किया गया है कि एक लाख की आबादी वाली जो नगरपालिकायें हैं, टाउन एरिया हैं, उनके चुनाव पहले करा लिये जायं और बड़ी नगरपालिकाओं के बाद में कराये जायं। दूसरे प्रदेशों में भी ऐसा हुआ है, सुविधा के दृष्टिकोण से भी यह ठीक है तथा वार्डों के सीमांकन के दृष्टिकोण से ऐसा विचार किया गया है, लेकिन अभी इस पर निर्णय होना शेष है।

श्री कौशिक रमाशंकर—

मान्यवर, अभी जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा और जो अखबारों में बयान आया है दोनों में विरोधाभास है। उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक लाख से कम वाली नगर-पालिकाओं के चुनाव अक्तूबर तक कराके

जायेंगे और बड़ी नगरपालिकाओं के चुनाव दिसम्बर तक कराये जायेंगे । मैं जानना चाहता हूं कि दोनों बातों में सही बात क्या है और ये चुनाव कब तक करा दिये जायेंगे ?

श्री नारायन दत्त---

मान्यवर, सौभाग्य से या दुर्भाग्य से दोनों समय बयान देने वाला सेवक आपके सामने खड़ा है । जो वक्तव्य मैंने कल दिया था वही मैं आज भी कह रहा हूं । मैं यहां ऐसी कोई बात नहीं कह रहा हूं कि जो मैंने वहां कही, उससे वह विपरीत हो ।

[सोमवार, दिनांक 15 जुलाई हेतु निर्धारित

तारांकित प्रश्न]

ग्राम निजामुद्दीनपुर, तहसील व जिला लखनऊ की खसरा भूमि पर अवैध कब्जा

*1--श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

क्या मुस्लिम वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम निजामुद्दीनपुर, तहसील व जिला लखनऊ के खसरा भूमि संख्या 73, 74, 77, 78, 81 तथा 82 पर से मोहम्मद फारूक पुत्र श्री हारुन का अवैध कब्जा हटाने के सम्बन्ध में मुस्लिम वक्फ बोर्ड को शासन के निर्देश मार्च, 1985 में प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त अवैध कब्जा हटाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त कार्यवाही में विलम्ब का क्या कारण है ?

शिक्षा एवं मुस्लिम वक्फ मन्त्री (श्री सिब्ते रजी)--

राजस्व अभिलेखों में, ग्राम निजामुद्दीनपुर, तहसील व जिला लखनऊ की खसरा भूमि संख्या 73, 74, 77, 78 तथा 81 पर वक्फ खानदानी, मुतवल्ली श्री फरीउद्दीन पुत्र श्री नयासुद्दीन, दर्ज हैं । मुतवल्ली की मृत्यु लगभग दस वर्ष पूर्व हो गई बताई गई है । उल्लिखित भूखण्डों पर श्री फारुक पुत्र श्री हारून का अवैध कब्जा बताया गया है । जनवरी, 1985 में शासन द्वारा सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड से वह जानकारी मांगी गई थी । सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अवगत कराया है कि वह प्रकरण की जांच करके अनियमित कब्जा को हटाने की विधिक कार्यवाही करेंगे ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

श्रीमन्, इस प्रश्नगत भूमि पर पिछले दस वर्षों से अवैध कब्जा चला आ रहा है । इसके लिये कौन से लोग जिम्मेदार हैं । उत्तर में विधिक कार्यवाही करने का जो जिक्र किया गया है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह विधिक कार्यवाही कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री सिब्ते रजी--

कब्जा हटाने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड की नियम 8, धारा 57-क(1) के अनुसार सम्बन्धित वक्फ बोर्ड की ही है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, कब्जा हटाने की कार्यवाही तो शासन करेगा ?

श्री सिब्ते रजी--

मैंने अभी अर्ज किया कि नियम 8, धारा 57-क (1) के मुताबिक सम्बन्धित वक्फ बोर्ड की ही जिम्मेदारी है ।

श्री अध्यक्ष--

इसका वक्फ बोर्ड से ताल्लुक है, सरकार से नहीं ।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, हर जिले में एक एस0 डी0 एम0 वक्फ बोर्ड का कमिश्नर होता है और उसकी कोर्ट सक्षम है कि वह वक्फ के मुकदमें करे । होता यह है कि 20-20 और 25-25 साल तक मुकदमें चलते हैं और अगर एस0 डी0एम0

किसी के फेवर में कोई केस डिसाइड कर देता है तो उस दिन, जिस दिन फैसला होता है, या उसके 2-4 दिन में कब्जा नहीं मिलता है, और दूसरी पार्टी सिविल लिटीगेशन में चली जाती है, तो क्या मा0 मंत्री जी को यह मालूम है कि कोई एस0 डी0 एम0 वक्फ बोर्ड का कमिश्नर होता है, अगर नहीं मालूम है तो यह बड़े अफसोस की बात है और सरकार या वक्फ बोर्ड कौन सी व्यवस्था करने जा रहा है कि जिस दिन कमिश्नर फैसला दे उसी दिन उसका कब्जा हो जाये ।

श्री सिब्ते रजी—

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मा0 सदस्य ने अफसोस की जो बात कही है, तो अफसोस खुद मुझे भी है कि जो सवाल मा0 सदस्य ने किया है वह इस प्रश्न से सम्बन्धित है ही नहीं । सवाल एक ऐसे वक्फ से सम्बन्धित है जिस पर 10 साल से कब्जा चला आ रहा है, उसका जवाब मैंने दिया ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, मेरी जानकारी में है कि जो यह भूमि है, यह पहले बाग थी और लाखों रुपये के पेड़ कटवा लिये गये और इसमें वक्फ बोर्ड की भी साजिश है । क्या मा0 मंत्री बतायेंगे कि इसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

श्री सिब्ते रजी--

मान्यवर, जहां तक पेड़ कटवाने की बात है, उनकी सूचना शासन के पास नहीं है । वक्फ बोर्ड ने इस सिल-सिले में अपनी जांच का प्रकरण शुरू कर दिया है और इस सम्बन्ध में जो रूल है, नियम है वह बिल्कुल स्पष्ट है उसके अनुसार वक्फ बोर्ड को अपना इन्सपेक्टर भेजना होगा और उसकी प्रक्रिया पूरी होने पर कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । जो नियम है, उसको मैं आपकी आज्ञा से पढ़े देता हूं--"उस क्षेत्र में जहां वक्फ सम्पत्ति स्थित हो, निवास करने वाले किसी व्यक्ति से कोई प्रतिवेदन प्राप्त होने पर व अन्य प्रकार से यह सूचना प्राप्त होने पर कि वक्फ सम्पत्ति अप्राधिकृत अध्यासन में है, बोर्ड अपने किसी अधिकारी को उस क्षेत्र का दौरा करने और यथास्थिति, प्रतिवेदन या सूचना की प्रमाणिकता से सम्बन्धित तथ्यों को सुनिश्चित करने के लिये या अन्यथा प्रतिनियुक्ति कर सकता है । बोर्ड द्वारा प्रति नियुक्ति अधिकारी स्थानीय जांच करेगा और यथाशक्य शीघ्र बोर्ड को स्थानीय जांच के परिणाम जिसके अन्तर्गत प्रभावित सम्पत्ति का ब्योरा अप्राधिकृत अध्यासन की अवधि, यदि कोई हो, अध्याप्ति व्यक्ति या व्यक्तियों का विवरण, अप्राधिकृत अध्यासन के सम्बन्ध में प्राप्य साक्ष्य और ऐसे अन्य विवरण जिसे वह इस मामले में संगत समझे, भी हों, के सम्बन्ध में लिखित रूप से सूचित करेगा ।"

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

यह तो पूरा कानून ही पढ़े दे रहे हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड ने कब्जा हटाने की कौन सी कार्यवाही की है और थाने पर क्या कोई रिपोर्ट आदि लिखायी हैं और यदि हां, तो कब-कब लिखाई है ?

श्री सिब्ते रजी--

नियम 8 को मैंने पूरा पढ़ दिया है । सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपने 11 जुलाई, 1985 के पत्र द्वारा सूचित किया है कि उन्होंने जांच प्रारम्भ कर दिया है और उसके बाद विधिक कार्यवाही की जायेगी ।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

मान्यवर, यह बहुत ही अहम सवाल है ।

श्री अध्यक्ष—

जरा सुन लें । वक्फ बोर्ड अपनी जगह पर है ।

(व्यवधान)

श्री त्रिलोक चन्द्र--

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं। एक मामूली सी बात जो वर्मा जी ने पूछी थी कि 10 वर्ष से इस भूमि के पेड़ काटे जा रहे हैं और लाखों की सम्पत्ति नष्ट हो गई है, क्या इसकी आप जांच करायेंगे ? इसका जवाब दिला दें।

श्री सिब्ते रजी--

मान्यवर, मैंने शुरू में ही स्पष्ट कर दिया है कि शासन को जांच करने का अधिकार इस स्तर पर नहीं है। जब सुन्नी वक्फ बोर्ड से पूरा प्रकरण समाप्त हो जायेगा और शासन के समक्ष आयेगा, तब शासन कार्यवाही करेगा।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

क्या शासन ने बोर्ड को लिखा ?

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी, आप बोर्ड को कहें कि इस मामले को देखें और जो मुनासिब हो वह करें।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

इन्होंने अब तक कोई चिट्ठी लिखी ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी इस सिलसिले में बोर्ड को लिखें।

(व्यवधान)

माननीय राम सरन दास जी, कृपया बैठें, आप तो समझदार आदमी हैं।

श्री राम सरन--

मान्यवर, एक चीज पूछना चाहता हूं कि शासन के अधीन वक्फ बोर्ड है या वक्फ बोर्ड के अधीन शासन है ?

श्री सिब्ते रजी--

इस प्रजातांत्रिक प्रणाली के अन्दर कोई किसी के अधीन नहीं है।

(व्यवधान)

मान्यवर, मुझे स्पष्ट कर लेने दीजिये।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मेरा कहना यह है कि मंत्री जी ने मेरे सवाल के जवाब में कहा....

श्री अध्यक्ष--

आप सवाल कीजिये।

(व्यवधान)

आप ही सदन चलायें।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मंत्री जी का कहना यह था कि क्योंकि यह मामला अदालत में आया और मेरा कहना भी यह है कि अदालत में यह मामला डिस्प्यूटेड है और अदालत में चला गया है। मान्यवर, आप वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं वक्फ बोर्ड के पास ऐसा कौन सा अधिकार है कि वह शासन के निर्देश को न माने। सरकार से इसका प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। लिहाजा सरकार को और शासन को चाहिए कि वक्फ बोर्ड जो आज यतीम और यसीर की तरह हो गया है और यू0 पी0 का इस तरह से जो अरबों रुपया बरबाद हो रहा है, उसको नष्ट होने से बचाये।

(व्यवधान)

श्री सिब्ते रजी--

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाया था। जनतन्त्र के अन्दर जो भी अधिकार या कर्त्तव्य जुड़ते हैं वे अधिनियमों, परिनियमों, अध्यादेशों और विधि के अनुसार होते हैं। विधि के अनुसार वक्फ बोर्ड जो है, उसकी स्वायत्तता के ऊपर शासन अधिकार जमाना नहीं चाहता। इसलिये उसको पूरा प्रकरण देखने का अवसर दिया जाता है।

(व्यवधान)

तभी शासन यथाशक्ति उसकी सहायता करेगा।

(व्यवधान)

जनपद इलाहाबाद के अमिकिया गांव में देवी के मेले से आय तथा व्यय

*2—श्री रमाकान्त—

क्या पंचायतीराज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद की बारा तहसील के अमिकिया गांव में जो देवी का मेला लगता है उस मेले की नीलामी वहां के एक भूतपूर्व जमींदार द्वारा 2-3 लाख रुपये में की जाती है? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे महत्वपूर्ण मेले को अपने नियंत्रण में लेने पर विचार करेगी? यदि नहीं तो क्यों? यदि हां, तो कब तक?

ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)—

जी हां।

परन्तु यह कार्य निजी रूप से आयोजित किये जाने के कारण मेले से होने वाली आय के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।

जी नहीं।

मेले के आयोजन/प्रबन्ध के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। इसके अतिरिक्त मेले को विनियमित करने के लिए परिषद् द्वारा लाइसेन्स फीस भी ली जाती है। अतः फिलहाल शासकीय हस्तक्षेप का कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री रमाकान्त—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिला परिषद् को इस मेले से कितनी आय प्राप्त होती है और कितना व्यय इस मेले के आयोजन में करना होता है।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, जब मेला लगता है तो दुकानदारों से लाइसेन्स फीस ली जाती है। जितने दुकानदार आते हैं वहां पर जिला परिषद् के कर्मचारी रहते हैं उनसे वह फीस वसूल करते हैं। जिसकी उनको रसीद दी जाती है। कोई निश्चित धनराशि नहीं है कि इतनी फीस निश्चित रूप से वसूल की जाय।

श्री रमाकान्त—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कितनी धनराशि फीस के रूप में जिला परिषद् उनसे लेती है और कितनी राशि उनको प्राप्त हुई?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, मैंने बताया की कोई निश्चित रकम नहीं है कि इतनी रकम लाइसेन्स के रूप में ली जाय। जब मेला लगता है तो वहां पर जिला परिषद् के अधिकारी और कर्मचारी रहते हैं वे दुकानदारों से जितने भी आते हैं लाइसेन्स फीस के रूप में वसूल करते हैं। कभी ज्यादा दुकानदार आते हैं तो ज्यादा रकम आ जाती है और कम आने पर कम रुपया मिलता है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित मैं एक नीतिगत प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या वे इस बात का आश्वासन देंगे कि प्रदेश में कई जगह सार्वजनिक मेले लगते हैं जो पूजा स्थलों पर आयोजित होते हैं और उसमें पूंजीपति लोग बोली लगाते हैं और उस पैसे का वे लोग प्राइवेट रूप से उपयोग करते हैं। हमारे यहां गोरखपुर में भी पूजा स्थल में इस प्रकार के मेले लगते हैं। तो क्या माननीय मंत्री जी इन सार्वजनिक स्थलों और पूजा के स्थानों में लगने वाले मेलों को अपने नियंत्रण में लेकर उस पैसे को उन देवस्थानों के विकास में व्यय करेंगे?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, जो भी मेले लगते हैं उसको जिला परिषद् अपने नियम बनाकर विनियमित करती हैं। जो मेले लगते हैं उनको वह अपने उप-नियम बनाकर नियंत्रित करती हैं और वहां पर सफाई आदि का प्रबंध करती हैं। इस तरह से हर जिला परिषद् अपने नियम बना कर अपने-अपने क्षेत्र में मेलों को विनियमित करती हैं।

जिला परिषदों में कार्यरत आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों को स्थायी किये जाने की मांग

*3--श्री उदयवीर सिंह (अनुपस्थित)--

क्या पंचायत राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् में 10 वर्षों से अधिक कार्यरत आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी अभी तक स्थायी नहीं किये गये हैं? यदि हां, तो क्यों? उक्त चिकित्साधिकारियों को कब तक स्थायी कर दिया जायेगा?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

सूचना एकत्र की जा रही है।

राजकीय बालिका इण्टर कालेज, बाराबंकी में विद्यार्थियों हेतु विज्ञान की प्रयोगशाला के निर्माण की मांग

*4--श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद बाराबंकी के एक मात्र राजकीय बालिका इण्टर कालेज, बाराबंकी में विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए कोई प्रयोगशाला नहीं है? यदि हां, तो क्या शासन इस सम्बन्ध में प्रयोगशाला हेतु कोई कार्यवाही कर रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी--

जी हां।

जी नहीं।

धनाभाव के कारण प्रयोगशाला कक्ष का निर्माण कराया जाना सम्प्रति सम्भव नहीं है।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बाराबंकी जनपद में राजकीय बालिका इंटर कालेज केवल एक है जिसमें हाई-स्कूल और इंटर में विज्ञान की पढ़ाई होती है। तो जब वहां प्रयोगशाला नहीं है तो किस प्रकार प्रैक्टिकल बालिकाओं से कराये जाते हैं?

श्री सिब्ते रजी--

मान्यवर, मैंने जवाब में स्पष्ट कहा है कि कोई अलग से कक्ष नहीं है। कुछ काम जो है उन्हीं कक्षाओं में होता है, जहां लड़कियां पढ़ती हैं। प्रैक्टिकल की जो बात है वह कक्षाओं के बाहर की जाती है।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

मान्यवर, यह ही एक स्कूल है जहां पर हाईस्कूल और इंटर की पढ़ाई लड़कियों की विज्ञान के साथ होती है और माननीय मंत्री जी बता रहे हैं कि यहां पर प्रयोगशाला नहीं है और कक्षाओं से बाहर प्रैक्टिकल होते हैं। तो बगैर लेबोरेटरी के प्रैक्टिकल कैसे हो जायेंगे, पेड़ के नीचे प्रैक्टिकल कैसे हो सकते हैं? तो मैं जानना चाहता हूं कि या तो प्रैक्टिकल नहीं कराये जाते हैं, नहीं तो कहां कराये जाते हैं?

श्री अध्यक्ष--

कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर आप पहले माननीय मंत्री जी का उत्तर सुन लीजिये।

श्री सिब्ते रजी--

मान्यवर, जो स्थिति थी, वह मैंने बता दी क्योंकि मैं सदन को भ्रमित नहीं करना चाहता हूं। मान्यवर, इस विद्यालय को साइन्स की मान्यता 1979-80 में दी गयी थी। उसके पहले 1973 से कोशिश होती रही कि इस विद्यालय की भूमि और भवन जो कि जिला परिषद् का है वह शिक्षा विभाग को हस्तान्तरित कर दें, लेकिन शिक्षा विभाग के प्रयासों से 1980-81 में जिला परिषद् ने अपनी सम्पत्ति इस विभाग को हस्तान्तरित किया। मुझे अफसोस है कि 1980-85 में, छठी पंचवर्षीय योजना में प्रयास किया था कि इसके भवनों का निर्माण और विस्तार हो सके।

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, शिक्षा मंत्री जी को जवाब देना नहीं आता है। मुख्य मंत्री जी से जवाब दिलवायें।

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी, आप अपना उत्तर दे दें। आप लोग बैठ जायं।

श्री सिब्ते रजी--

मान्यवर, 1980-85 में इस विद्यालय के लिये आगणन भी भेजा था लेकिन संसाधनों की कमी के कारण नहीं लिया जा सका। 1985-90 में सातवीं पंचवर्षीय योजना में संसाधनों की कमी के कारणों पर यहां चर्चा हुई।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग मंत्री जी का जवाब सुनें। सभी लोग एक साथ बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा? आप लोग बैठ जायं।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

मान्यवर, मेरा सीधा सवाल है। 1979-80 से मंत्री जी स्वीकार करते हैं कि प्रयोगशाला नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि निश्चित् रूप से कब तक यहां प्रयोगशाला आप खुलवा देंगे, क्योंकि शतप्रतिशत रिजल्ट के बावजूद कोई फर्स्ट डिवीजन नहीं आती है?

श्री सिब्ते रजी--

मान्यवर, संसाधनों की कमी के बावजूद कोशिश करेंगे कि यथाशीघ्र कक्ष बनवा दें।

(व्यवधान)

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठ जायं, काफी प्रश्न हो चुके हैं। मंत्री जी ने यथाशीघ्र कक्ष बनाने के लिये कह दिया है।

(व्यवधान)

यदि आप लोग इनके जवाब से संतुष्ट नहीं हैं तो नियम 49 में चर्चा के लिये लिखकर दे सकते हैं।

मथुरा जनपद में बी0 टी0 सी0 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को रोजगार दिये जाने की मांग

*5--श्री सरदार सिंह तथा श्री कुशल पाल सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री की जानकारी में है कि मथुरा जनपद में वर्ष 1972 से बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षणार्थियों को अभी तक रोजगार नहीं मिला है और बराबर वे अनशन व प्रदर्शन करते आ रहे हैं? यदि हां, तो अभी तक रोजगार न मिलने के क्या कारण हैं? शासन कब तक इन बेरोजगार प्रशिक्षण प्राप्त युवकों को रोजगार दे देगा? यदि नहीं, तो क्यों?

शिक्षा राज्य मन्त्री (श्री संकठा प्रसाद शास्त्री) --

मथुरा जनपद में वर्ष 1972 के बी0 टी0 सी0 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से केवल 50 अभ्यर्थियों की नियुक्ति पद रिक्त न होने के कारण, नहीं की जा सकी है । प्रयास किया जा रहा है कि माह अगस्त, 1985 तक इन्हें नियुक्ति प्रदान कर दी जाये ।

श्री सरदार सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस प्रश्न पर आपका संरक्षण चाहूंगा, शासन के निकम्मेपन का इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं मिल सकता है कि सन् 1972 व 1973 से अब तक तमाम बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित अध्यापक पड़े हैं जिनको रोजगार नहीं मिला है, जबकि मथुरा जनपद के प्राइमरी स्कूलों में हर जगह अध्यापकों के स्थान रिक्त हैं । उनमें बी0 एस0 ए0 और दूसरे अधिकारी पैसा मांगते हैं । इससे विवश होकर प्रशिक्षित अध्यापक बी0एस0ए0 कार्यालय के सामने आमरण अनशन कर रहे हैं । अतः क्या हमारी जानकारी को सही मानते हुए शासन कब तक इन बेकार अध्यापकों को नियुक्ति प्रदान कर देगा ? और 72 से जो अब तक 14 साल में ओवरऐज हो गये हैं, उन्हें वह कब तक आयु की छूट दिला देंगे एवं कब तक उनको स्कूलों में नियुक्त कर देंगे ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

अनुसूचित जाति के लोगों में से 1973 तक के करीब-करीब हो चुके हैं । ज्यों-ज्यों स्थान रिक्त होते जाएंगे, जो भी प्रशिक्षित अध्यापक हैं, प्रशिक्षण किये हैं उनको अवसर दिया जाएगा।

(व्यवधान)

ज्यों-ज्यों स्थान रिक्त होंगे, त्यों-त्यों उन स्थानों पर जो बी0 टी0 सी0 शिक्षण प्राप्त लोग हैं उनको अवसर दिया जाएगा, क्योंकि बराबर नियुक्ति होती है । जितने रिटायर होते हैं, उसी हिसाब से नियुक्ति की जाएगी । जहां तक उम्र का सवाल है इसमें निदेशक द्वारा 40 वर्ष तक की छूट देने की व्यवस्था की गई है और शासन द्वारा 45 वर्ष तक की छूट देने की व्यवस्था की गई है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताएंगे कि पिछले 3 सालों में कितने प्रतिशत कोटा पूरा किया गया है ? वर्षवार आप बता दें ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

यह सवाल नहीं उठता है, इस सवाल से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री सरदार सिंह--

सन् 1972 से अब तक मथुरा जनपद में कितने प्रशिक्षित बेरोजगार नवयुवक हैं, जिनको रोजगार देना है ।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

यह सवाल नहीं बनता है, यदि आप चाहेंगे तो बाद में सूचना दी जा सकती है ।

श्री अध्यक्ष--

इस पर सूचना की आवश्यकता है ।

श्री कल्यान सिंह--

श्रीमन्, यह एक नीतिगत प्रश्न है, समस्या केवल मथुरा जनपद की ही नहीं है बल्कि पूरे प्रदेश की है, तो क्या सरकार के पास ऐसी कोई योजना है जो कि बैकलाग पड़ा हुआ है और प्रतिवर्ष जो प्रशिक्षण प्राप्त कर निकल रहे हैं, उनको यथाशीघ्र रोजगार दिया जा सके ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

फिलहाल शिक्षा विभाग में ऐसी कोई योजना नहीं है कि बी0 टी0 सी0

प्रशिक्षण प्राप्त लोगों को रोजगार दिलाया जाय । ऐसे उनकी योग्यता अनुसार जहां भी जगह होगी सरकार देगी ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद में बी0 टी0 सी0 के प्रशिक्षित जितने विद्यार्थी थे उनकी संख्या कितनी है और कितने दिनों में उन्हें आप सेवा में लगा लेंगे ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

मान्यवर, यह सवाल नहीं बनता है । केवल सन् 1972 तक का सवाल था ।

श्री सुखपाल पाण्डे--

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितने हरिजन प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति की गयी है और कितने पिछड़ी जाति के और सवर्ण लोग ऐसे हैं जिनकी नियुक्ति होना बाकी है ? इनको कब तक नियुक्त करने की कृपा करेंगे ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

आरक्षण के मुताबिक अनुसूचित जाति के जितने लोग थे सन् 1973 के उनको सेवा का अवसर उपलब्ध करा दिया गया है । यदि आप संख्या चाहते हैं तो आप लिखकर दीजियेगा मैं इसकी सूचना आपको भेज दूंगा ।

(ता0 प्र0 सं0 6 पुकारे जाने पर ।)

श्री सुखपाल पाण्डे--

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है ।

श्री अध्यक्ष--

जवाब हो गया है । आज आप अभी छठे प्रश्न पर ही अटके हुये हैं । अब आगे चलें ।

माध्यमिक शिक्षकों का विनियमितीकरण

*6- डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजाज्ञा संख्या 19-8-75 का-1/78, दिनांक 18 अप्रैल, 1978 एवं विनियमितीकरण नियमावली, 1979 संख्या 19-8-75-1-का-1, लखनऊ, दिनांक 14 मई, 1979 को शासन ने निर्गत किया था ? यदि हां, तो 5-6 वर्ष बीतने के बाद भी अभी तक माध्यमिक शिक्षकों का विनियमितीकरण क्यों नहीं हुआ और 15-20 वर्षों की सेवा के बाद भी अध्यापकों के नियुक्ति पत्र क्यों निर्गत नहीं हुए ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

मान्यवर, जो प्रश्न का उत्तर दिया गया है उसके सम्बन्ध में आपका संरक्षण चाहता हूं । माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--
यह बड़ी भारी बीमारी है ।

डाक्टर शिवानंद नौटियाल--

मान्यवर, मेरा प्रश्न था कि "क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजाज्ञा संख्या 19-8-75 का-1/78, दिनांक 18 अप्रैल, 1978 एवं विनियमितीकरण नियमावली, 1979 संख्या 19-8-75 ...1-का-1 लखनऊ, दिनांक 14 मई, 1979 को शासन ने निर्गत किया था ।"

मान्यवर, इसका उत्तर यह हो सकता था कि हां या न । लेकिन माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि सूचना एकत्र की जा रही है । मैं आपका संरक्षण चाहता हूं कि स्पष्ट जी0 ओ0 नम्बर देने के बाद भी शासन

कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री सिब्ते रजी--

जी हां । अनियमितताओं की जांच हेतु प्रशासक/जिलाधिकारी, हरदोई द्वारा जांच समिति गठित की गयी । समिति द्वारा जांच की जा रही है । प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम आसरे (हरदोई)--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि शिकायतें प्राप्त हुईं और उन शिकायतों की जांच करने के लिए एक जांच कमेटी नियुक्त की गयी है । मैं मान्यवर, यह जानना चाहता हूं कि जांच कमेटी के सदस्य कौन-कौन से हैं और ये कब नियुक्त की गयी थी और इस जांच के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

श्री सिब्ते रजी--

मान्यवर, इस जांच कमेटी की नियुक्ति, जिसको शिकायती पत्र लिखा गया था यानी प्रशासक/जिलाधिकारी, हरदोई ने इसको हाल ही में की है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठ जायं, माननीय मंत्री जी का जवाब तो सुन लें ।

(व्यवधान)

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न काल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता है ।

श्री सिब्ते रजी--

श्री सुशील कुमार, कोषाधिकारी की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की थी जिनमें निम्नलिखित सदस्य हैं :

(1) श्री ज्वाला प्रसाद मिश्र, जिला विद्यालय निरीक्षक, हरदोई ।

(2) श्री चन्द्रिका प्रसाद, वित्तीय परामर्शदाता, जिला परिषद्, हरदोई ।

श्री राम आसरे (हरदोई)--

मान्यवर, जो प्रश्न मैंने किया था, उसका जवाब नहीं आया ।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह शिकायतें जो मिली हैं यह कब मिलीं ? और यह जांच कमेटी कब गठित की गयी तथा जांच कमेटी को क्या-क्या बिन्दु संदर्भित किए गए हैं जांच के लिए ?

श्री सिब्ते रजी--

मान्यवर, आखिरी शिकायती पत्र 11 अप्रैल, 1985 का है । इसके अलावा 13 अगस्त, 1984, 12 सितम्बर, 1984 तथा 16 अक्तूबर, 1984 को शिकायती पत्र भेजे गए हैं ।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, जनता द्वारा भेजी गयी शिकायतें जितनी भी गम्भीर क्यों न हों उस पर कार्यवाही नहीं की जाती है । इसीलिए मैंने पूछा था कि जो शिकायती पत्र थे वह कब मिले ? मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किस तिथि को जांच कमेटी गठित की गई है ?

श्री सिब्ते रजी--

मान्यवर, तिथि के बारे में शासन के पास कोई सूचना नहीं है ?

(शोरगुल)

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, इस प्रश्न को स्थगित कर दें । अगर माननीय मंत्री जी के पास इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है

कि किस तिथि को जांच कमेटी गठित हुई ? तो मैं माननीय मंत्री जी पर गलतबयानी का आरोप लगाना चाहता हूं । मान्यवर, आप स्वयं मंत्री रहे हैं । यहां माननीय मंत्री जी के पास पत्रावली मौजूद है और यह उत्तर मिल रहा है कि कमेटी गठित कर दी गई । क्या पत्रावली में तिथि नहीं है ? यदि नहीं है तो माननीय मंत्री जी गलत बयानी कर रहे हैं । माननीय मंत्री जी जानबूझ कर शासन की निर्लज्जता को छिपाना चाहते हैं । मैं नियम-313 का हवाला देते हुए इस प्रश्न को स्थगित करने की मांग करता हूं । आप इस प्रश्न को स्थगित कर दें । मान्यवर, सरकार इस तरह से भ्रष्टाचारी व्यक्तियों को बचाने की चेष्टा कर रही है । हम समझते हैं शासन का हाल क्या है । मान्यवर, या तो आप इस प्रश्न को स्थगित कर दें या इसे प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सौंप दें ।

श्री सिब्ते रजी--

मान्यवर, मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं समिति नियुक्त करने का दायित्व शासन का नहीं था । सारे पत्र जिलाधिकारी के पास भेजे गये..

(शोर)

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, हम सारी जानकारी शासन से जानना चाहते हैं या तो आप जिलाधिकारी को यहां बुलायें ?

(व्यवधान)

(शोर)

श्री अध्यक्ष--

मैं इस प्रश्न को प्रश्न एवं संदर्भ समिति के सुपुर्द करता हूं ।

(विपक्षी सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

*8--श्री मैनेजर सिंह, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री सरदपाल सिंह---

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

शासन तथा अशासकीय महाविद्यालयों के बीच हुआ समझौता

*9--श्री विजय सिंह राणा--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 9 मार्च, 1984 को उ० प्र० शासन और उ० प्र० के अर्द्धशासकीय महाविद्यालयों में आन्दोलनकारियों के बीच कुछ मुद्दों पर समझौता हुआ था ? यदि हां, तो समझौते के मुख्य मुद्दे क्या हैं ? क्या उन मुद्दों में यह भी था कि 3-9-1984 को नियुक्त सारे तदर्थ प्रवक्ताओं को सेवा में विनियोजित कर लिया जायेगा ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में शासन ने अभी तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री सिब्ते रजी--

प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षक महासंघ के प्रतिनिधियों से दिनांक 7 मार्च, 1984 को वार्ता हुई थी ।

संलग्नक में दिये हुए हैं ।

जी नहीं । केवल ऐसे प्रवक्ताओं को, जिनकी नियुक्ति तदर्थ आधार पर दिनांक 3-1-84 तक विधिवत् गठित चयन समिति द्वारा चयनोपरान्त तथा कुलपति के अनुमोदन से की गयी है और जिन्होंने निरन्तर 6 मास की अवधि का शिक्षण कार्य कर लिया है, नियमित किये जाने का आश्वासन दिया गया था ।

इस सम्बन्ध में अध्यादेश 22 जून, 1985 को जारी किया जा चुका है ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 135 पर) ।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में 7 मार्च, 1984 को वार्ता हुई थी । मैं यह जानना चाहता हूं कि आन्दोलनकारियों के बीच कुछ मुद्दों पर समझौता

हुआ था या नहीं । इसका उत्तर मंत्री जी दें ।

श्री सिब्ते रजी--

तरीका यह होता है कि जब कोई वार्ता होती है तो उसके सम्बन्ध में एक पत्र विभागाध्यक्ष या मंत्री जी की तरफ से भेजा जाता है । जो वार्ता हुई थी उसके सम्बन्ध में 8 मार्च, 1984 को महासंघ के सचिव को एक पत्र भेजा गया था और उसमें वार्ता का जो निष्कर्ष निकला था उसका उल्लेख कर दिया गया था ।

श्री विजय सिंह राणा--

मेरा प्रश्न यह है कि जो वार्ता हुई थी उसमें कुछ मुद्दों पर समझौता हुआ था या नहीं । हां या न में उत्तर दें ।

श्री सिब्ते रजी--

मैंने स्थिति स्पष्ट कर दी ।

(व्यवधान)

(अगला प्रश्न पुकारे जाने पर)

(श्री विजय सिंह राणा सदन के फ्लोर पर आकर बैठ गये)

श्री अध्यक्ष--

में नेता विरोधी दल...

(घोर व्यवधान)

(श्री शतरुद्र प्रकाश के प्रयास से श्री विजय सिंह राणा वापस अपनी सीट पर चले गये) ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, माननीय राणा साहब ने एक सवाल पूछा कि समझौता हुआ या नहीं । जो प्रश्न पूछा गया उसका उत्तर नहीं आया । फिर माननीय सदस्य के पास रह क्या जाता है इस काम के अलावा ।

श्री अध्यक्ष --

प्रश्न का उत्तर मंत्री जी ने दे दिया ।

श्री विजय सिंह राणा--

उत्तर नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी अपना उत्तर दोहरा दें ।

श्री सिब्ते रजी--

मैंने अर्ज किया कि महासंघ के प्रतिनिधियों से 7 मार्च, 1984 को विचार-विमर्श हुआ था । इस बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार शिक्षा मंत्री के अनुमोदन से एक पत्र 8 मार्च, 1984 को महासंघ के सचिव को भेजा गया था ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

इससे ज्यादा जवाब नहीं आ सकता ।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा--

यह बिल्कुल गलत है ।

प्रदेश के जनपदों में ग्राम सभा प्रधानों के चुनाव कराये जाने की मांग

*10--श्री कल्यान सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश के किस-किस जिले में ग्राम सभा के प्रधानों के पद रिक्त पड़े हैं ? ऐसे रिक्त स्थानों के लिए प्रधान पद के चुनाव कब तक करा दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

प्रदेश के सभी जनपदों में ग्राम सभा प्रधानों के कतिपय पद रिक्त हैं ।

चुनाव शीघ्र कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है ।

श्री कल्यान सिंह--

क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि कोई ऐसा जी० ओ० शासन द्वारा निर्गत

किया गया है जिसके द्वारा जिलों को यह सूचना भेजी गई है कि ग्राम प्रधानों के चुनाव न कराये जायं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

ऐसा कोई नहीं है ।

श्री कल्यान सिंह--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश भर में हर जिले के अन्दर प्रधान के स्थान रिक्त हैं और बड़ी संख्या में रिक्त हैं, उन ग्राम सभाओं का काम रुका है । निर्माण का कार्य है, विकास का कार्य है । तो क्या कोई निश्चित अवधि बता पायेंगे कि किस समय तक यह चुनाव करा पायेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, प्रदेश में कुल 1809 प्रधानों के स्थान रिक्त हैं ।

श्री कल्यान सिंह--

1809 के लगभग स्थान रिक्त हैं । इसका मतलब यह है कि 1809 ग्रामों में विकास के कार्य रुके हुए हैं । इन ग्राम सभाओं के रिक्त स्थान में चुनाव कराने में क्या अड़चन है, कब चुनाव कराये जायेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, प्रधानों के स्थान रिक्त होने से ग्राम सभाओं के कार्य में कोई अड़चन नहीं है । प्रधान के न रहने पर उप प्रधान उसका चार्ज ले लेता है और उसका कार्य करता है । जो चुनाव कराने की बात है तो मान्यवर, शासन की यह मन्शा है कि जो प्रधान के पद रिक्त हैं, उनके चुनाव शीघ्र कराये जायं । एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मुख्य मंत्री जी ने बताया कि विभाग के चुनाव में वह निश्चित किया जायेगा कि किन पदों पर कब चुनाव कराये जायं । इस पर विचार-विमर्श करने के बाद कोई तिथि निश्चित की जायेगी ।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, कल्यान सिंह जी ने यह पूछा था कि कोई जिले को यह राजाज्ञा गई है, जिसमें कहा गया है कि चुनाव न कराये जायं । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं । इस सूचना को सही मानकर जिलाधिकारी को आपके विभाग से एक राजाज्ञा सन् 1984 में इस आशय की भेजी गयी है कि अगले आदेशों तक ग्राम प्रधानों का कोई उपचुनाव न कराया जाय । क्या माननीय मंत्री जी इस बात को दिखवा लेंगे कि अगर इस आशय की कोई राजाज्ञा जारी की गयी है तो क्या मंत्री जी उसको विदड्रा करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

इसको मान्यवर, दिखवा लेंगे । जब चुनाव की तिथि निश्चित कर देंगे तो अपने आप यह विदड्रा मान लिया जायेगा ।

शिव पति इन्टर कालेज, शोहरतगढ़ में छात्रों को परीक्षा में बैठने से अवरुद्ध किया जाना

*11--श्री सुखपाल पान्डे--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रधानाचार्य शिवपति इन्टर कालेज, शोहरतगढ़ ने 827 छात्रों में से केवल 55 छात्रों को नियमानुसार परीक्षा में बैठने से अवरुद्ध किया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि जिन छात्रों को परीक्षा में बैठने से रोका गया था उन छात्रों को परगनाधिकारी, नौगढ़ ने प्रधानाचार्य को आदेश दिया कि किसी छात्र को परीक्षा से न रोका जाय और उनका प्रवेश पत्र तत्काल दे दिया जाय ? यदि हां, तो क्या परगनाधिकारी, नौगढ़ ने परिषद् के नियम और प्रधानाचार्य के अधिकार का अपहरण करके अपने पद का दुरुपयोग करके छात्रों को गलत ढंग से परीक्षा में बैठाया है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा परगनाधिकारी, नौगढ़ के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री सुखपाल पान्डे—

माननीय अध्यक्ष जी आपके यह जो माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं यह सूचना एकत्र करने वाले ही मंत्री बन गये हैं । आप हमारे अधिकारों की रक्षा करें । ऐसे मंत्री माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने बना लिये हैं जैसे स्वरूप कुमारी बख्शी हैं जैसे रजी साहब हैं ।

श्री अध्यक्ष—

आप अपना प्रश्न करें ।

श्री सुखपाल पान्डे—

मान्यवर, मैंने प्रश्न दिया था और उस प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है कि सूचना एकत्र की जा रही है । चुनाव का भी उत्तर सूचना में देते हैं और कोई पूरा उत्तर नहीं देते हैं । उससे आप हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

कृपया प्रश्न करें ।

श्री सुखपाल पाडे—

इतना मैंने पूछा कि शोहरतगढ़ इन्टर कालेज के 827 छात्रों में से केवल 55 छात्र रोके गये थे । तो क्या यह नियम है कि उनको रोक सकते हैं । मंत्री जी कहते हैं कि सूचना एकत्र की जा रही है । इस प्रश्न को दिये डेढ़ मास हो गये, तो इस सूचना को एकत्र करने में अब और कितना समय लगेगा ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय पान्डे जी, 15 दिन के अन्दर उनको यह सूचना देनी ही है, यह नियम है ।

प्रधानों को क्षेत्र समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु भत्ता दिये जाने पर कथित विचार

*12—श्री पूरन सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रधानों को क्षेत्र समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु भत्ता देने का मामला शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो भत्ता किस रूप में कब से देय होगा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री पूरन सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि समाज में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति, चाहें माननीय सदन के सदस्य हों या और कोई, उनको बैठकों में भाग लेने के लिये भत्ता दिया जाता है । अभी-अभी सरकार ने घोषणा की है ब्लाक प्रमुखों को बैठकों में भाग लेने के लिये भत्ता देने की । ग्राम प्रधान भी विकास का काम करता है । डी0 आर0 डी0 ए0 में उसको बहुत काम करना पड़ेगा, तो क्षेत्र समितियों में काम करने के लिए उनको भत्ता देने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है कि नहीं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, कोई विचार नहीं है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि क्षेत्र समितियों की बैठक में ग्राम प्रधानों के हिस्सा लेने के लिये भत्ता नहीं देंगे तो क्या उसमें हिस्सा लेने के लिये आनुषांगिक व्यय देने पर विचार कर रहें हैं ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

नहीं मान्यवर, इस तरह का कोई विचार नहीं किया जा रहा है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, क्षेत्र समितियों में ब्लाक प्रमुखों को दिया जाता है। यह शासन की नीति है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम की नीति है। तो क्या शासन अपनी नीति को कारगर करने के लिये और लोगों को उनका हक मिले इसलिये क्या जिस प्रकार गन्ना सचिवों को भत्ता दिया जाता है, कोआपरेटिव डेलीगेटों को दिया जाता है, उसी प्रकार क्षेत्र समिति की बैठकों में ग्राम प्रधानों के जाने पर उनको भत्ता न देने का क्या औचित्य है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, ग्राम प्रधान अपने गांव के विकास के लिये चुने जाते हैं और उनका कार्य उनके गांवों तक ही सीमित है। क्षेत्र समितियों में वे अपने काम से, ताकि उनका काम हो जाय, स्वेच्छा से जाते हैं। वैसे भी कभी भी ग्राम प्रधानों की ओर से भत्ते की मांग नहीं की गयी, इसलिये भत्ता देने का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री पूरनसिंह--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ग्राम प्रधानों ने क्षेत्रीय भत्ते की मांग की है या नहीं, यह अलग है, लेकिन क्या वे ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये हर तीसरे माह क्षेत्रीय हेडक्वार्टर पर जाते हैं और उनका समय खर्च होता है, क्या इसको ध्यान में रखते हुए यात्रा भत्ता देने का विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

जवाब दिया जा चुका है।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मैंने पहले ही कहा कि वे अपने गांव की तरक्की के लिये खुद स्वेच्छा से जाते हैं।

बरेली महाविद्यालय, बरेली को रुहेलखंड विश्वविद्यालय का संघटक कालेज बनाने पर कथित विचार

*13--श्री जगदीप सिंह बरार--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली महाविद्यालय, बरेली को रूहेलखंड विश्वविद्यालय का संघटक कालेज बनाने की घोषणा करने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

जी नहीं।

रुहेलखंड विश्वविद्यालय अथवा अन्य किसी स्रोत से शासन को इस आशय का कोई प्रस्ताव नहीं हुआ है।

मन्डलीय उप शिक्षा निदेशकों द्वारा अरबी/संस्कृत विद्यालयों को अनुदान

*14--श्री मुहम्मद आजम खां--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि डी0 डी0 आर0, बनारस को सरकार ने कोई ऐसा आदेश भेजा है कि फारसी तथा अरबी स्कूलों के अध्यापकों की तनख्वाह पहले बैंकों में जमा की जाय जब कि सरकार 50 प्रतिशत से भी कम मदद ऐसे स्कूलों को देती है ? यदि हां, तो इस प्रकार के आदेश का क्या औचित्य है ? यदि उक्त आदेश नहीं है तो अधिकारियों की ओर से इस प्रकार कार्य क्यों हो रहा है तथा इसकी क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री सिब्ते रजी--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मन्डलीय उप शिक्षा निदेशकों द्वारा अरबी/संस्कृत विद्यालयों का अनुदान आगणित कर अनुदान की धनराशि स्वीकृत की जाती है। सहायता प्राप्त

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 12 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

संस्कृत पाठशालाओं एवं अरबी मदरसों में कार्यरत मान्य अध्यापकों एवं कर्मचारियों को प्रबन्धकों द्वारा नियमित रूप से वेतनादि का भुगतान न हो पाने की सूचना प्राप्त होने पर अनुदान के रूप में इन संस्थाओं को दी गई धनराशि का सही ढंग से उपभोग एवं वेतनादि का भुगतान सुनिश्चित करने हेतु उप शिक्षा निदेशक, वाराणसी द्वारा स्वविवेक से यह कार्यवाही की गई है ।

रानीखेत तहसील में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं इन्टरमीडिएट कालेजों में अध्यापकों की व्यवस्था किये जाने की मांग

*15– श्री काशी सिंह ऐरी––

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रानीखेत तहसील में रा0 उ0 मा0 विद्यालय एवं इन्टरमीडिएट कालेजों में सन् 1981 से सन् 1984 तक किन–किन विषयों के अध्यापक नहीं हैं जिससे छात्रों की परीक्षा पर कुप्रभाव पड़ा है ? क्या सरकार तत्काल अध्यापकों की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी––

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद वाराणसी के कतिपय जूनियर हाई स्कूलों को दिया गया अनुदान

*16––श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी––

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले के भगवती धाम जू0 हाई स्कूल, खरगापुर, बुढ़ऊबाबा जूनि0 हा0 स्कूल, सरैया चौधरी चरण सिंह जू0 हा0 स्कूल, चहनिया, नेपाली भगवती धाम जू0 हा0 स्कूल, छीतमपुर को ग्रान्ट–इन–एड पर किस दिनांक से ले लिया गया है ? क्या उनका वित्तीय भुगतान करने का शासन से कोई आदेश गया है ? यदि हां, तो अब तक उन विद्यालयों से सम्बन्धित भुगतान क्यों नहीं हो रहा है ?

श्री सिब्तेरजी––

जनपद वाराणसी के भगवती धाम जू0 हा0 स्कूल, खरगपुर, बुढ़ऊ बाबा लघु माध्यमिक विद्यालय, सरैया पोस्ट ढेकुरी, चौधरी चरण सिंह जू0 हा0 स्कूल, शिकारगंज तथा श्री उमेश पूर्व माननीय विद्यालय नेपाली भगवती धाम छीतमपुर चौबेपुर को दिनांक 1 जुलाई, 1984 से अनुदान सूची पर लिया गया है ।

उक्त विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन आदि के भुगतान हेतु शासनादेश संख्या–2/15–6–84–7 (2)/84, दिनांक 5 जनवरी, 1985 व शासनादेश संख्या 924/15–6–85–7 (2)/84, दिनांक 11 जून, 1985 द्वारा वित्तीय स्वीकृतियों के आदेश जारी किये जा चुके हैं । प्राप्त सूचनानुसार उपरोक्त 4 विद्यालयों में से 3 विद्यालयों का भुगतान किया जा रहा है । चौथे विद्यालय उमेश पूर्व माध्यमिक विद्यालय नेपाली भगवती धाम छीतमपुर चौबेपुर के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है ।

सहायक अभियन्ता, श्री एम0 एम0 अन्सारी, का अधिशासी अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति का लाभ दिये जाने पर विचार

*17––श्री हफीज भारती तथा श्री उदयवीर सिंह राठौर––

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन अन्वेषणात्मक छिद्रण खन्ड प्रथम, लखनऊ के सहायक अभियन्ता, श्री एम0 एम0 अन्सारी को एक वर्ष पूर्व से

अधिशासी अभियन्ता पद पर प्रोन्नति के आदेश विशेष सचिव, ग्राम्य विकास (श्रीमती प्रतिभा दयाल) ने किये थे ? यदि हां तो पिछली तिथि से प्रोन्नति तथा उक्त पद का वेतन दिये जाने का आधार क्या है ? क्या उपरोक्त अधिशासी अभियन्ता से एरियर की वसूली की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

श्री एस0 एस0 अन्सारी, अधिशासी अभियन्ता भू-गर्भ जल सर्वेक्षण संगठन, अन्वेषणात्मक छिद्रण खण्ड प्रथम, लखनऊ को चयन उपरान्त अधिशासी अभियन्ता के पद पर दिनांक 19-3-1981 के आदेश द्वारा तदर्थ रूप से प्रोन्नत किया गया था तथा बाद में शासन ने विचारोपरान्त श्री अन्सारी को अधिशासी अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति का लाभ दिनांक 8-2-1980 से दिये जाने का निर्णय लिया। पिछली तिथि से श्री अन्सारी को प्रोन्नति का लाभ दिये जाने के मामले पर शासन द्वारा पुनः विचार किया जा रहा है।

आर्य विद्यालय जू0 हा0 स्कूल, ऊंचा गांव, रसमई के अध्यापकों द्वारा किया गया अनशन

*18--श्री मुस्तमन्द अली खां--

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी में है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी, मथुरा के कार्यालय के सामने आर्य विद्यालय जू0 हा0 स्कूल, ऊंचा गांव, रसमई के अध्यापकों ने दिनांक 11-4-1985 से अनशन किया था ? यदि हां, तो उनकी मुख्य-मुख्य मांगे क्या थीं ? शासन ने उन पर क्या कार्यवाही की ? अध्यापकों के वेतन रोकने के लिये कौन अधिकारी दोषी थे ? शासन ने उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धे रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

राजकीय पशु चिकित्सक, हैवलक रोड, लखनऊ में कम्पाउन्डर द्वारा बरती गयी अनियमितताएं

*19--श्री औलाद सिंह--

क्या पशुधन मन्त्री को जानकारी है कि पशु औषधि के वितरण में कम्पाउन्डर द्वारा बरती गई भयंकर अनियमितता के कारण राजकीय पशु चिकित्सालय, हैवलक रोड, लखनऊ से केन्द्रीय भंडार हटा दिया गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

पशुधन मन्त्री (श्रीमती बेनी बाई)--

जी नहीं।

केन्द्रीय भण्डार में औषधियों के वितरण में सुविधा को ध्यान में रखते हुए राजकीय पशु चिकित्सालय, हैवलक रोड से हटाकर पशु चिकित्सालय, बादशाहबाग पर रखा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

क्षेत्र समिति खैराबाद, जिला सीतापुर की बैठक में अधिकारियों की अनुपस्थिति के विरुद्ध कार्यवाही

*20--श्री राजेन्द्र गुप्त--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री को इसकी जानकारी है कि क्षेत्र समिति खैराबाद, जिला सीतापुर की बैठक, जो दिनांक 4 अप्रैल, 1985 को आहूत थी, उपस्थित प्रधानों के आग्रह पर इसलिए स्थगित कर दी गई क्योंकि जिला स्तर का कोई भी अधिकारी अथवा उनका प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित नहीं था ? यदि हां, तो अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

सूचना एकत्र की जा रही है।

अतारांकित प्रश्न

जनपद आगरा और तहसील फिरोजाबाद में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा बेसिक प्राइमरी स्कूलों के भवनों का निर्माण

1—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि जनपद आगरा और तहसील फिरोजाबाद में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित बेसिक प्राइमरी स्कूलों के जीर्ण और क्षतिग्रस्त भवनों तथा नये भवनों के निर्माण हेतु धन वर्ष 1982-83 व 1983-84 में ग्रामीण सेवा अभियन्त्रण (आर० ई० एस०) संस्था को दिया गया था ? यदि हां, तो कितने भवनों की मरम्मत हुई और कितने नये भवनों का निर्माण किया गया ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

निदेशक, पशुपालन विभाग में सांख्यकीय कर्मचारियों के वेतन निर्धारण में अनियमितताएं तथा प्रत्यावर्तित कर्मचारियों को देय वेतनमान

2—श्री मोहम्मद रिजवानुलहक तथा श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

क्या पशुधन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशालय, पशुपालन विभाग में सांख्यकीय कर्मचारियों के वेतन निर्धारण में मनमानी अनियमितताएं बरत कर कनिष्ठ कर्मचारियों को ज्येष्ठ कर्मचारियों से अधिक वेतन दिया जा रहा है ? यदि हां, तो किन सिद्धान्तों के अनुसार ?

श्रीमती बेनी बाई—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

3—श्री मोहम्मद रिजवानुलहक तथा श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

क्या पशुधन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 5 अगस्त, 1980 को जो कर्मचारी अनौपचारिक नियम अपनाकर प्रत्यावर्तित किये गये थे उनको उक्त दिनांक से ही प्रत्यावर्तित पद पर प्रत्यावर्तित वेतनमान में वेतन दिया गया परन्तु दिनांक 7 जनवरी, 1984 को शासन के आदेशानुसार जिन कर्मचारियों को प्रत्यावर्तित किया गया उनको उक्त दिनांक से ही प्रत्यावर्तित वेतनमान में वेतन क्यों नहीं दिया गया ?

श्रीमती बेनी बाई—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सुभाष चन्द्र इंटर कालेज, छीतूपुर, इलाहाबाद की प्रबन्ध समिति में अध्यापकों के प्रतिनिधि तथा साधिकार नियन्त्रक नियुक्त करने की कार्यवाही

4—श्री रमाकान्त मिश्र—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सुभाष चन्द्र इंटर कालेज, छीतूपुर, इलाहाबाद में स्वीकृत प्रशासन योजना के अनुसार कालेज प्रबन्ध समिति में अध्यापकों के 2 प्रतिनिधि पिछले 10 वर्षों से कोई नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

5—श्री रमाकान्त मिश्र—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में सुभाष चन्द्र इंटर कालेज, छीतूपुर, इलाहाबाद को संचालित करने वाली विद्या प्रचारिणी समिति वर्ष 1975 के बाद रजिस्ट्रार सोसाइटीज के यहां न पंजीकृत है, न नवीनीकृत है ? यदि हां, तो संस्था को

नियम के विरुद्ध अनुदान किस आधार पर मिलता जा रहा है ? ऐसी उक्त परिस्थितियों में क्या सरकार कालेज में साधिकार नियन्त्रक नियुक्त करने की कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्राइमरी विभाग के शिक्षकों को चेक द्वारा सरकारी कोष से वेतन देने पर विचार

6--श्री रमाकान्त मिश्र--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में व्यक्तिगत प्रबन्धतंत्र में चलने वाले इंटर कालेजों, हाई स्कूलों तथा जूनियर हाई स्कूलों से सम्बद्ध प्राइमरी विभाग के शिक्षकों को भी सरकार चेक द्वारा सरकारी कोष से वेतन देने का विचार कर रही है ? ऐसे विद्यालयों की प्रदेश में कुल कितनी संख्या है तथा इसमें कितने कार्यरत शिक्षक एवं कर्मचारी हैं ? इनके वेतन भुगतान में कितना रुपया वार्षिक व्यय होता है ?

श्री सिब्ते रजी--

(क) सूचना एकत्र की जा रही है ।

7--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

[उरे शुक्रवार में अता० प्र० सं० 61 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

विधान सभा क्षेत्र, जहांगीरगंज को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि

8--श्री कृष्ण कुमार--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 1984-85 में फैजाबाद जनपद में ग्राम्य विकास अभिकरण के अन्तर्गत आवंटित धनराशि में से जहांगीरगंज विधान सभा क्षेत्र को कोई आवंटन नहीं मिला ? यदि हां, तो क्यों ? इस क्षेत्र के उक्त धनराशि से होने वाले अवरुद्ध विकास की कमी को पूरा करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी नहीं ।

वर्ष 1984-85 में विधान सभा क्षेत्र, जहांगीरगंज को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत 12 परियोजनाओं के लिए 16 लाख 45 हजार रुपया अवमुक्त किया गया था। योजनावार मदों की सूची संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 136 पर ।)

आर० बी० एम० इन्टर कालेज, तिलहर, शाहजहांपुर में अनियमितताएं साधिकार नियंत्रक की नियुक्ति तथा प्राप्त शिकायतें

9--श्री सत्यपाल सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आर० बी० एम० इन्टर कालेज, तिलहर, शाहजहांपुर में व्याप्त गम्भीर आर्थिक तथा प्रशासनिक अनियमितताओं के फलस्वरूप जिला विद्यालय निरीक्षक, शाहजहांपुर ने प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति हेतु अपने कार्यालय पत्रांक आडिट विविध 1895-97/81-82, दिनांक 16-5-81, पत्रांक लेखा इक०ई/3833-35/81-82, दिनांक 7-4-81 तथा पत्रांक शि० सं० 5271/82-83, दिनांक 10-8-82 द्वारा शासन से संस्तुति की है और अपने कार्यालय पत्रांक शि० सं० 13192/82-83, दिनांक 23-2-83 तथा पत्रांक ई-2/1073-74/81-82, दिनांक 11-5-82 द्वारा यह भी बता दिया है कि माननीय उच्च न्यायालय का ऐसा कोई आदेश नहीं है जो

प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति में बाधा उत्पन्न करता हो ? यदि हां, तो शासन कब तक साधिकार नियंत्रक नियुक्त कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

10--श्री सत्यपाल सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आर0 बी0 एम0 इन्टर कालेज, तिलहर, जिला शाहजहांपुर में व्याप्त, भ्रष्टाचार, गम्भीर आर्थिक तथा प्रशासनिक अनियमितताओं की कितनी शिकायतें शासन तथा विभाग को विगत दो वर्षों में प्राप्त हुई हैं ? वे शिकायतें क्या-क्या हैं और उन पर आज तक क्या कार्यवाही हुयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नेशनल हायर सेकेन्डरी स्कूल, बाराबंकी की मान्यता हेतु दिया गया प्रार्थना-पत्र तथा स्कूल की भूमि

11--श्री रामचन्द्र बख्श सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि नेशनल हायर सेकेन्डरी स्कूल, बाराबंकी की मान्यता हेतु दिये गये प्रार्थना-पत्र में जनपद के ग्राम न्योला करसुन्डा, प0 व त0 नवाबगंज, जनपद बाराबंकी की भूमि नं0 34, 38, 72, 768, 769, 1225 व 1127 उक्त स्कूल की सम्पत्ति दिखलाई गई थी ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त भूमि अभी भी स्कूल की सम्पति है ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नेशनल हायर सेकेन्डरी स्कूल, बाराबंकी की शिक्षिकाओं एवं कर्मचारियों को महंगाई भत्ता, अन्तरिम सहायता एवं अनुरक्षण अनुदान की धनराशि

12--श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1976 से वर्ष 1980 तक नेशनल हायर सेकेन्डरी स्कूल, बाराबंकी की शिक्षिकाओं एवं अन्य कर्मचारियों की महंगाई भत्ता, अन्तरिम सहायता एवं अनुरक्षण अनुदान की कितनी धनराशि 1-2-84 से 21-3-84 के बीच विद्यालय प्रबंधकों द्वारा प्राप्त की गई थी ? क्या उपर्युक्त धनराशि सम्बन्धित शिक्षिकाओं एवं कर्मचारियों को भुगतान कर दी गई है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मथुरा जनपद के बेसिक अध्यापकों को देय मकान भत्ता

13--श्री सरदार सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद के बेसिक अध्यापकों को मिलने वाला मकान भत्ता माह नवम्बर/दिसम्बर, 1984 व जनवरी, 1985 में रोक दिया था ? यदि हां, तो क्यों ? माह फरवरी, 1985 में पुनः भत्ता देने के क्या कारण हैं ?

श्री सिब्ते रजी --

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद मथुरा के शिक्षा विभाग में अतिरिक्त बढ़े हुए मंहगाई-भत्ते की किस्तों का भुगतान

14--श्री सरदार सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि मथुरा जनपद के शिक्षा विभाग में अतिरिक्त बढ़े हुए मंहगाई भत्ते की नौ किस्तों का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ? अध्यापकों को कब तक इसे भुगतान करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

(क) 95 प्रतिशत संस्थाओं में भुगतान हो चुका है, केवल कुछ संस्थाओं में भुगतान अभी बाकी है ।

(ख) सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा अवशेष के बिल प्रस्तुत नहीं किए गये हैं । संस्थाओं से बिल मांगे गये हैं जिनके प्राप्त होने पर भुगतान संभव हो सकेगा ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

श्रीमती राज पाठक, डी0आई0 जी0 एस0, बदायूं की दक्षता रोक

15--श्री सरदार सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि श्रीमती राज पाठक, डी0आई0जी0 एस0, बदायूं की दक्षता रोक (एफिशियन्सी बार) को श्री एस0 एस0 पांडे, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अपने और श्रीमती पाठक के मथुरा कार्यकाल में अनधिकृत रूप से क्रास (समाप्त) कर दिया था ? यदि हां, तो किस अधिकार से ? क्या शासन नियम विरुद्ध कार्य करने वाले अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही करेगा ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

जी हां ।

उनका यह कार्य अनधिकृत था।

जी हां ।

शिक्षा निदेशक द्वारा श्री एस0 एस0 पान्डे का स्पष्टीकरण मांगा गया है जिसके प्राप्त होने पर यथोचित निर्णय लिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री केशर सिंह, प्रधानाध्यापक का आधारिक विद्यालय, बंसाई विकास क्षेत्र, जहरीखाल (गढ़वाल) से अन्यत्र स्थानान्तरण

16--डा0 शिवानन्द नौटियाल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री केशर सिंह, प्रधानाध्यापक का आधारिक विद्यालय, बंसाई, विकास क्षेत्र जहरीखाल (गढ़वाल) से अन्यत्र स्थानान्तरित किए जाने की जानकारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, पौड़ी के पत्रांक बे0 शि0/1292/84-85, दिनांक 21 जुलाई, 1984 के द्वारा पौड़ी क्षेत्र के तत्कालीन विधायक श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी को दी गई थी ? यदि हां, तो श्री केशर सिंह को उक्त विद्यालय से कब कार्य मुक्त किया गया है और उनके द्वारा नवीन विद्यालय में कार्यभार कब ग्रहण किया गया है ? यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं तथा इस अनुशासनहीनता के प्रति क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद पौड़ी एवं चमौली के बेसिक विद्यालयों में गांव शिक्षा समितियों का गठन

17--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के 6ठें सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 69 के

क्रम में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् के आदेश संख्या बे0 शि0 परि0/ 9325-9518/एक-12/78-79, दिनांक 21 अगस्त, 1978 के जारी होने के बाद जनपद पौड़ी एवं चमोली के बेसिक विद्यालयों में गांव शिक्षा समितियों का गठन कब किया गया और समितियों की बैठकें नियमानुसार किए जाने और उनके निर्णयों/सुझावों के क्रियान्वयन हेतु सरकार की क्या व्यवस्था है ? क्या यह सत्य है कि गांव समितियों की बैठकें नियमित नहीं होती हैं और उनकी कार्यवाही पर विभाग द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जाता है ? यदि हां, तो इसके प्रति कौन उत्तरदायी है और गांव शिक्षा समिति के मुख्य-मुख्य अधिकार एवं कर्तव्य क्या-क्या हैं तथा नियमित बैठकें आमंत्रित करने के लिए कौन उत्तरदायी है ।

सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद पौड़ी-गढ़वाल के जूनियर हाई स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति

18--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत कुल कितने बेसिक शिक्षा परिषद् जूनियर हाई स्कूल हैं ? इनमें कितने स्कूल हैं जिनमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियुक्त हैं और शेष में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति न होने के कारण क्या हैं तथा कब तक इन अवशेष स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति होने की संभावना है ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री प्रेम लाल भट्ट द्वारा गढ़वाली महाकाव्य 'उत्तरायण' के प्रकाशन हेतु अनुदान की मांग तथा तत्कालीन विधायक श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी द्वारा दिया गया पत्र

19--डा0 शिवानन्द नौटियाल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि गढ़वाल के सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री प्रेम लाल भट्ट ने अपने गढ़वाली महाकाव्य 'उत्तरायण' के प्रकाशन हेतु 1982 में उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग से अनुदान की मांग की थी और इनकी इस पाण्डु-लिपि का आंकलन कर इसे प्रकाशनीय पाया गया था ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उन्हें अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है और कब तक उन्हें इस महाकाव्य के प्रकाशन हेतु अनुदान स्वीकृत किए जाने की संभावना है ?

श्री सिब्ते रजी--

प्रश्नगत अनुदान की मांग की गई थी किन्तु शासन द्वारा पुस्तक को उत्कृष्ट स्तर का न पाये जाने एवं धनाभाव के कारण प्रकाशन अनुदान देना संभव न हो सका ।

20--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

क्या यह भी सत्य है कि तत्कालीन विधायक श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी ने भी अपने पत्रांक 25/कार्यक्रम/84-85, दिनांक 19 फरवरी, 1984 द्वारा भी तत्कालीन शिक्षा मंत्री से उक्त गढ़वाली महाकाव्य के प्रकाशनार्थ श्री प्रेम लाल भट्ट को अनुदान प्रदान किये जाने का आग्रह किया था ? यदि हां, तो उनके इस आग्रह पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री सिब्ते रजी--

तत्कालीन विधायक श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी का प्रश्नगत पत्र दिनांक 19 फरवरी, 1984 प्राप्त नहीं हुआ था। उनका इस विषय से सम्बन्धित एक पत्र दिनांक 30 अगस्त, 1984 प्राप्त हुआ था। चूंकि इस विषय पर पहले ही निर्णय लिया जा चुका था और पुस्तक की पाण्डुलिपि लेखक को वापस की जा चुकी थी अतएव पुनः किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं थी।

वाराणसी जिले के माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों की सेवा समाप्ति से सम्बन्धित मामले

21--श्री हरिश्चन्द्र--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले के माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों की सेवा समाप्ति से सम्बन्धित कितने ऐसे मामले हैं जो पिछले 9-10 वर्षों से जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में अनिर्णीत पड़े हैं? क्या इनमें श्री विश्वनाथ सनातन धर्म उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, विश्वनाथ गली, वाराणसी के प्रधानाचार्य श्री शिवादत्त शुक्ल की सेवा समाप्ति का मामला विचाराधीन है? यदि हां, तो वह क्या है और उसका निर्णय करने में इतना विलम्ब क्यों हो रहा है?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

राजकीय पशु चिकित्सालय हैवलक रोड, लखनऊ में कार्यरत स्टाकमैन के स्थानान्तरण आदेश की निरस्ति

22--श्री विजय सिंह राणा--

क्या पशुधन मंत्री को जानकारी है कि राजकीय पशु चिकित्सालय, हैवलक रोड, लखनऊ के स्टाकमैन, जो पिछले दस साल से इसी अस्पताल में कार्यरत हैं, का स्थानान्तरण विगत साल जनपद लखीमपुर खीरी के लिए हुआ था तथा उनके स्थान पर आये कर्मचारी ने अपना कार्यभार भी ग्रहण कर लिया था? यदि हां, तो उक्त स्थानान्तरण आदेश को निरस्त कर पुन उसी स्टाकमैन को कार्यरत रखने के लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है? क्या शासन इस दिशा में सम्बन्धित कर्मचारी के स्थानान्तरण करते हुये तथा जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का कष्ट करेगा?

श्रीमती बेनी बाई--

जी नहीं।

जी हां।

जी नहीं।

उक्त स्थानान्तरण कार्यहित में निरस्त कर दिया गया। इसके लिय कोई अधिकारी उत्तरदायी नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम हरखपुर कौडहा, तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद के कुटुम्ब रजिस्टर में जालसाजी के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र

23--श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय तथा श्री सुखपाल पान्डे--

क्या ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम हरखपुर कौडहा, तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद के कुटुम्ब रजिस्टर में क्या नाम्हू पुत्र मगरू, जाति हरिजन दर्ज था जिसकी जांच वर्ष 17-8-76 में श्री राम पियारे सुमन के प्रार्थना पर सम्बन्धित अधिकारी द्वारा की गयी थी? यदि हां, तो प्रार्थना-पत्र में क्या आरोप थे और जांच में क्या तथ्य प्रकाश में आये? क्या यह सही है कि 17-8-76 के पूर्व सम्बन्धित व्यक्ति ने अपनी जाति हरिजन लिखा रखा था जब

कि उसी कुटुम्ब रजिस्टर में उसकी स्त्री की जाति मुसलिम दर्ज थी। इस जालसाजी के लिए कौन-कौन अधिकारी व व्यक्ति दोषी हैं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद इटावा में बेला-विधूना मार्ग पर संचालित बस से राजस्व में कथित क्षति

24--श्री औसान सिंह--

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि बेला-विधूना, जनपद इटावा मार्ग पर बस नम्बर यू0 आर0 पी0 6160 डग्गामारी कर रही है और इससे शासकीय आय की लगभग 75,000 रु0 मासिक क्षति हो रही है ? यदि हां, तो इसे रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

परिवहन मंत्री (राजकुमार संजय सिंह)--

जनपद इटावा में बेला-विधूना मार्ग पर बस नम्बर यू0 आर0 पी0 6160 न तो संचालित है और न ही कभी डग्गामारी करते हुए परिवहन विभाग द्वारा पकड़ी गई है, अतएव राजस्व की क्षति का कोई प्रश्न नहीं उठता।

वाहन संख्या यू0 टी0 सी0 9963 पर मार्ग कर तथा माल कर की बकाया धनराशि

25--श्री सरदार सिंह--

द्वितीय सत्र 84 के प्रथम बुधवार के तारांकित प्रश्न संख्या 4 (नत्थी क) उत्तर के संदर्भ में क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाहन संख्या यू0 टी0 सी0 9963 पर रु0 12692 तथा 90 पैसे विभिन्न करों का बकाया है जिसे वसूल करने में परिवहन विभाग असमर्थ है और उक्त वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ में नहीं आ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले को पुलिस अथवा सी0 आई0 डी0 को देने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजकुमार संजय सिंह--

यह सही है कि वाहन संख्या यू0 टी0 सी0 9963 पर मार्ग कर तथा माल कर का यह बकाया अभी वसूल नहीं हो पाया है। सम्बन्धित वाहन स्वामी के मूल निवास के बारे में मिली सूचना के आधार पर जिलाधिकारी गाजियाबाद के माध्यम से कार्यवाही हेतु प्रयास किया जा रहा है। वाहन स्वामी व वाहन की खोज के सम्बन्ध में समस्त प्रवर्तन अधिकारी/पुलिस अधीक्षकों को भी सम्भागीय परिवहन अधिकारी, लखनऊ द्वारा लिखा गया। इन प्रयासों के निष्कर्ष प्राप्त होने के बाद ही आगे की कार्यवाही पर विचार किया जा सकेगा।

जिला परिषद्, मिर्जापुर के अधिकारियों से सार्वजनिक घाटों के पट्टों के अनुबंध के अवशेष धन की वसूली

26--श्री सरदार सिंह--

क्या पंचायती राज मन्त्री को जानकारी है कि जिला परिषद्, मिर्जापुर के अधिकारियों ने सार्वजनिक घाटों के पट्टों के अनुबन्ध स्टाम्प पेपर पर न कर, सादे कागजों पर किये थे जिसके कारण शासन की लगभग 61535 रु0 की वसूली का अवशेष अब भी है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं और शासन ने उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ? अवशेष धन की वसूली कब तक कर ली जायेगी।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी हां, किन्तु वसूली का अवशेष रुपये 61,535 न होकर रुपये 23,030.30 है।

मामले में जिला परिषद् के अधिकारियों/कर्मचारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त हो गया है। उत्तरदायित्व निर्धारित करने की कार्यवाही की जा रही है। अवशेष धनराशि की वसूली शीघ्रातिशीघ्र करने की कोशिश की जा रही है।

प्रदेश में कम क्षमता के पम्प मोटर प्रयोग करने के कारण कृषकों को हानि तथा उपाय

27—श्री सरदार सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री को जानकारी है कि प्रदेश में कम क्षमता के पम्प मोटर प्रयोग करने के कारण कृषकों को करोड़ों रुपये की हानि प्रति वर्ष हो रही है ? यदि हां, तो इस कमी को दूर करने हेतु शासन कौन-कौन से कदम उठा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह सही है कि भूगर्भ जल संगठन में तत्सम्बन्धी योजना विचाराधीन थी ? यदि हां, तो उस पर क्रियान्वयन न होने के कारण क्या हैं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

कृषि पुनर्वित्त विकास निगम (अब राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक) के निर्देश पर भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन द्वारा वर्ष 1980 में पाइलट अध्ययन के अन्तर्गत प्रदेश के जनपद बिजनौर के विकास खंड खारीझालू, कोतवाली व अल्लेपुर, जनपद रायबरेली के विकास खंड राही व सलोन, जनपद इलाहाबाद के विकास खंड नेवादा, मूरतगंज व सराथू तथा जनपद गोरखपुर के विकास खंड निचलौल व सिसवा बाजार में निजी नलकूपों की कार्य क्षमता का अध्ययन करने के उपरान्त यह ज्ञात हुआ कि पम्प व मोटर/इंजन की सही मैचिंग न होने के कारण अधिकांश निजी नलकूप अपेक्षित क्षमता से कम स्तर पर कार्य कर रहे हैं। पम्पों की क्षमता में वृद्धि तथा त्रुटिपूर्ण पम्पों के सुधार हेतु एक योजना लघु सिंचाई विभाग द्वारा बनाई गई है जो शासन के विचाराधीन है।

मथुरा जनपद की प्राथमिक पाठशालाओं की मरम्मत हेतु आवंटित धनराशि

28—श्री सरदार सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद की प्राथमिक पाठशालाओं की मरम्मत हेतु वर्ष 1981-82, 1982-83 व 1983-84 में कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गयी थी ? क्या इस धनराशि को बेसिक शिक्षाधिकारी श्री पान्डेय ने निगम के विरुद्ध जिला परिषद्, मथुरा को न देकर स्वयं ही व्यय किया था ? यदि हां, तो क्यों ? क्या शासन आदेशों के विपरीत कार्य करने वाले अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही करेगा ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

हरदोई के जिला परिषद् के डाक बंगले के सूट नं0 3 का किराया तथा आवासीय नीति

29—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि हरदोई के जिला परिषद् के डाक बंगले के सूट नं0 3 में कौन तथा कब से रह रहा है ? सम्बन्धित व्यक्ति ने किराए की मद में कितना पैसा जमा किया है ? क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि डाक बंगले में रहने के सिलसिले में कौन सी नीति अपनाई जाती है।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जिला परिषद् के डाक बंगले का सूट नं0 3 रिक्त है।

प्रश्न नहीं उठता।

शासन की यह नीति है कि जिला परिषदीय डाक बंगले आवासीय रूप में न प्रयोग किये जायें ।

भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में तकनीकी सहायक एवं सहायक भूगर्भ शास्त्री के पदों पर की गई नियुक्तियां तथा विनियमितीकरण

30—श्री सरदार सिंह—

क्या ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में तकनीकी सहायक एवं सहायक भूगर्भ शास्त्री के पदों पर फरवरी, 1975 से अब तक कितनी नियुक्तियां संविधान की धारा 16(1) के प्रतिकूल की गईं ? क्या ऐसी नियुक्तियों को नियमित करने की कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

फरवरी 1975 से अब तक भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन उत्तर प्रदेश में तकनीकी सहायक के स्वीकृत 42 पदों के विरुद्ध 18 कर्मचारी लोक सेवा आयोग से अनुमोदन के उपरान्त कार्यरत हैं तथा एक कर्मचारी, जो 1-1-1977 से पूर्व तदर्थ रूप से नियुक्त हुआ था का अधिसूचना सं0-19/8-1975(1)-का-1, दिनांक 14-5-1979 के अन्तर्गत विनियमितीकरण किया जा चुका है । शेष तदर्थ रूप से नियुक्त कर्मचारियों में से 17 कर्मचारी, जो 1-5-1983 से पूर्व नियुक्त हुये थे, शासनादेश सं0-19/5-1981-कार्मिक-1, दिनांक 22-3-1984 के अन्तर्गत विनियमितीकरण के पात्र हैं और इनके विनियमितीकरण का प्रकरण विचाराधीन है तथा 6 कर्मचारी जो 1-5-1983 के बाद तदर्थ रूप से नियुक्त हुये, उक्त शासनादेश के अन्तर्गत विनियमितीकरण के पात्र नहीं हैं और इन पदों पर नियमित चयन लोक सेवा आयोग के माध्यम से सम्पन्न कराया जाना है ।

उक्त संगठन में श्रेणी-2 में सहायक भूगर्भ शास्त्री के पदों पर कार्यरत 4 अधिकारियों की उपरोक्त अवधि में तदर्थ नियुक्ति की गई थी जिनमें से एक अधिकारी 1-1-1977 से पूर्व नियुक्त हुये थे और अधिसूचना सं0 19-8-75 (1)-का-1, दिनांक 14-5-1979 के अन्तर्गत विनियमितीकरण का पात्र होने के कारण इनका विनियमितीकरण किया जा चुका है तथा शेष 3 अधिकारी, जो 1-5-1983 के पूर्व नियुक्त हुये थ, शासनादेश सं0 19-5-1981 कार्मिक-1, दिनांक 22-3-1984 के अन्तर्गत विनियमितीकरण के प्रात्र हैं और इनके विनियमितीकरणका प्रकरण विचाराधीन है ।

श्री कृष्ण चैतन्य इण्टर कालेज, नन्दगांव में प्रधानाचार्य का चयन

31—श्री सरदार सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री कृष्ण चैतन्य इण्टर कालेज, नन्दगांव (मथुरा) में प्रधानाचार्य का चयन आयोग से हो गया है ? यदि हां, तो अभी तक उसे कार्यभार ग्रहण न कराने का क्या कारण है ?

श्री सिद्धे रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री कृष्ण चैतन्य इण्टर कालेज, नन्दगांव (मथुरा) के कार्यवाहक प्रधानाचार्य के विरुद्ध शिकायत

32—श्री सरदार सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1983-84 में जनपदीय युवक समारोह जो कोसीकलां (मथुरा) में आयोजित हुआ था, उसमें श्रीकृष्ण चैतन्य इण्टर कालेज, नन्दगांव (मथुरा) के कार्यवाहक प्रधानाचार्य ने दो छापों

श्री अजीत सिंह कक्षा 10 तथा अवतार सिंह कक्षा 12 को गलत रूप से विद्यालय का छात्र प्रमाणित कर सम्मिलित कराया था जिसकी शिकायत जिला विद्यालय निरीक्षक, मथुरा को कर दी गयी ? यदि हां, तो जिला विद्यालय निरीक्षक मथुरा ने अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

जी हां । ऐसी शिकायत जिला विद्यालय निरीक्षक को प्राप्त हुई थी ।

जिला विद्यालय निरीक्षक, मथुरा द्वारा प्रारम्भिक जांच की जा रही है

प्रश्न नहीं उठता ।

33--श्री सरदार सिंह--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

34--श्री सरदार सिंह--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त] ।

श्री छोटे लाल, भूतपूर्व सहायक अध्यापक, जिला शाहजहांपुर द्वारा दिया गया आवेदन पत्र पर कृत कार्यवाही

35--श्री सत्यपाल सिंह --

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि माह जनवरी, 1985 के श्री छोटेलाल भूतपूर्व सहायक अध्यापक, जिला शाहजहांपुर ने प्रश्नकर्ता विधायक की संस्तुति के साथ कोई आवेदन पत्र शिक्षा निदेशक, कैम्प कार्यालय, लखनऊ को इस आशय का दिया था कि उन्हें भी राजाज्ञा के अनुसार पुनः सेवा में लिया जावे ? यदि हां, तो इस आवेदन पत्र में तथ्य क्या थे ? उपरोक्त हरिजन भू0पू0 सहायक अध्यापक को कब तक सेवा में ले लिया जायेगा और इस शिथिलता के लिये कौन अधिकारी दोषी है ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूलों में स्वीकृत पदों पर नियुक्ति

36--डा0 शिवानन्द नौटियाल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत ऐसे कौन-कौन से प्राइमरी स्कूल तथा जूनियर हाई स्कूल हैं जहां स्वीकृति पदों के अनुसार 31 मार्च, 1985 तक अध्यापकों की नियुक्ति नहीं की जा सकी है ? इसके प्रति कौन उत्तरदायी है तथा कब तक स्वीकृत पदों पर अध्यापकों की नियुक्ति हो सकेगी ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के बेसिक शिक्षा परिषद् के प्राइमरी स्कूल तथा जूनियर हाई स्कूलों में अध्यापकों की व्यवस्था सम्बन्धी समायोजन प्रस्ताव

37--डा0 शिवानन्द नौटियाल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत बेसिक शिक्षा परिषद् के प्राइमरी स्कूल तथा जूनियर हाई स्कूलों में 1982-83 में अध्यापकों की व्यवस्था सम्बन्धी समायोजन प्रस्ताव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपने उच्चाधिकारियों को कब प्रस्तुत किया गया और उप शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी द्वारा समायोजन प्रस्ताव पर कब हस्ताक्षर किए गए हैं ? और समायोजन आदेश कब निर्गत किए गए हैं ? शिक्षा सत्र के 6 माह से अधिक समय व्यतीत होने पर भी समायोजन स्थानान्तरण न कर विद्यालयों में समुचित शिक्षण व्यवस्था न करने के प्रति कौन उत्तरदायी है ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गढ़वाल मण्डल के अन्तर्गत प्राइमरी स्कूल तथा जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापक/अध्यापिकाओं को अन्यत्र स्थानान्तरण की सरकारी नीति

38—डा0 शिवानन्द नौटियाल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल मण्डल के अन्तर्गत प्राइमरी स्कूल तथा जूनियर हाई स्कूलों के ऐसे कितने अध्यापक/अध्यापिकायें हैं जो विगत दस वर्षों से अधिक समय तक एक ही विद्यालय में कार्यरत हैं ? इनके इतने लम्बे समय तक एक ही विद्यालय में बने रहने का औचित्य क्या है तथा इन्हें अन्यत्र स्थानान्तरित करने की दिशा में सरकार की नीति क्या है ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्रीमती शिवदेई, पत्नी स्व0 श्री महावीर सिंह, अध्यापक, प्राइमरी स्कूल बहेड़ाखाल, पौड़ी गढ़वाल को नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही

39—डा0 शिवानन्द नौटियाल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् इलाहाबाद के पत्रांक बे0 शि0 प0/3931–34/उक 2121/81–82, दिनांक 8 मई, 81 के द्वारा श्रीमती शिवदेई देवी, पत्नी स्व0 महावीर सिंह, अध्यापक, प्राइमरी स्कूल, बहेड़ाखाल, पौड़ी गढ़वाल को मृतक के आश्रित के रूप में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर किसी विद्यालय में नियुक्त करने के सम्बन्ध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पौड़ी से 10 दिन के अन्दर आख्या मांगी गयी थी ? यदि हां, तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पौड़ी द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है और वांछित आख्या परिषद् को कब प्रस्तुत की गई है ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है ?

40—डा0 शिवानन्द नौटियाल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद् के पत्रांक बे0 शि0 प0/12248–49/एक–10140–1983–84 दिनांक 8–6–83 द्वारा बेसिक शिक्षा अधिकारी, पौड़ी को श्रीमती शिवदेई पत्नी स्व0 महावीर सिंह, अध्यापक, प्राइमरी स्कूल, बहेड़ाखाल पौड़ी को नियुक्त करने के निर्देश दिए गये हैं ? यदि हां, तो क्या श्रीमती शिवदेई देवी को नियुक्त कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक उन्हें नियुक्त किए जाने की संभावना है ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत प्राइमरी स्कूल तथा जूनियर हाई स्कूल के भवनों के निर्माण हेतु स्थल चयन की प्रक्रिया

41—डा0 शिवानन्द नौटियाल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत प्राइमरी स्कूल तथा जूनियर हाई स्कूल भवनों के निर्माण हेतु स्थल चयन करने की क्या प्रक्रिया है ? क्या भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व भूमि/स्थल का निरीक्षण जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा भी किया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के वि0 खं0, द्वारीखाल के अन्तर्गत प्राइमरी स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति किये जाने की मांग

42--डा0 शिवानन्द नौटियाल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे की जनपद पौड़ी गढ़वाल के वि0 खं0, द्वारीखाल के अन्तर्गत प्राइमरी स्कूल कांडी भरग्वाडीखाल, बांगी तथा विकास खंड, कलजीखाल के अन्तर्गत प्राइमरी स्कूल महादेव सैंण, भटकोटी और चोपड़ा में कब से मात्र एक-एक अध्यापक ही कार्यरत हैं ? इन विद्यालयों में शासन द्वारा स्वीकृत मानक के अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति न करने के कारण क्या हैं और इसके प्रति कौन उत्तरदायी है तथा कब तक इन विद्यालयों में शासन द्वारा स्वीकृत पदों पर अध्यापकों की नियुक्ति कर दी जायेगी ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उप विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के साथ एकीकरण किये जाने के शासनादेश

43--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि शासन द्वारा उप विद्यालय निरीक्षक का कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के साथ विलीन कर दिया है ? यदि हां, तो विलीनीकरण के आदेश कब निगत किए गये हैं और जनपद पौड़ी में अभी तक उप विद्यालय निरीक्षक का कार्यालय अलग से चलने का क्या औचित्य है ? क्या सरकार जनता की असुविधा को ध्यान में रखते हुए उप विद्यालय निरीक्षक और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, पौड़ी के कार्यालय को विलीन कर उन्हें एक ही भवन में स्थापित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

उप विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के साथ एकीकरण किये जाने के शासनादेश दिनांक 17-11-1984 को पुनः निर्गत किये जा चुके हैं । जनपद पौड़ी में इस दिशा में अब तक क्या कार्यवाही हुई है तथा प्रश्न के शेष बिंदुओं के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है ।

विकास खंड, कलजीखाल के अन्तर्गत दिउसी जूनियर हाई स्कूल के भवन का पुनर्निर्माण

44--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के वि0 खं0, कलजीखाल के अन्तर्गत दिउसी जूनियर हाई स्कूल भवन कब ध्वस्त हुआ और इस विद्यालय भवन के पुनः निर्माण हेतु सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है तथा कब तक इस विद्यालय भवन का पुनर्निर्माण संभव हो सकेगा ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

विकास खंड कलजीखाल के अन्तर्गत जूनियर हाई स्कूल दिउसी के चौकीदार की मृत्यु तथा अवशेष देयकों का भुगतान

45--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के वि0 खं0 कलजीखाल के अन्तर्गत जूनियर हाई स्कूल, दिउसी के चौकीदार (स्व0 गोविन्दराम) की मृत्यु कब और कहां

हुई है और उनके अवशेष देयकों का भुगतान उनकी पत्नी श्रीमती फगुणी देवी को करने के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है तथा कब तक अवशेष देयकों का भुगतान होने की संभावना है ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के जूनियर हाई स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति की मांग

46—डा० शिवानन्द नौटियाल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि शिक्षा विभाग द्वारा जनपद पौड़ी गढ़वाल के सभी जूनियर हाई स्कूलों में 5—5 एवं सभी प्राइमरी स्कूलों में कम से कम दो-दो अध्यापकों की नियुक्ति किये जाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन से विद्यालय हैं जिसमें निर्धारित मानकों के अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति नहीं है ? इसके कारण क्या हैं और इसके लिए कौन उत्तरदायी है तथा कब तक स्वीकृत मानक के अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति किए जाने की संभावना है ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों/निरीक्षिकाओं के स्वीकृत पदों पर हुई नियुक्तियां

47—डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तगत बेसिक शिक्षा परिषद् में प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों/निरीक्षिकाओं के कुल कितने पद स्वीकृत हैं और इन स्वीकृत पदों पर नियुक्तियां न किये जाने के क्या कारण हैं और कब तक इन पदों पर नियुक्तियां किये जाने की सम्भावना है ?

श्री सिब्ते रजी—

जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों/निरीक्षिकाओं के कुल 36 पद स्वीकृत हैं । इन स्वीकृत पदों में से 31 पदों पर नियुक्तियां हैं । लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध न हो पाने के कारण प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों के शेष 5 रिक्त पदों पर नियुक्तियां नहीं की जा सकी हैं । इन पदों पर नियमित नियुक्तियां लोक सेवा आयोग से अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर हो सकेंगी। सम्प्रति इन पदों को तदर्थ नियुक्ति से भरने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं और शीघ्र ही इन पदों की पूर्ति कर दी जायेगी ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के जूनियर हाई स्कूल तथा बेसिक शिक्षा परिषदीय जूनियर हाई स्कूल में स्वीकृत पद

48—डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत प्रत्येक मान्यताप्राप्त जूनियर हाई स्कूल में चतुर्थ श्रेणी के कितने पद तथा बेसिक शिक्षा परिषदीय जूनियर हाई स्कूल में कितने पद स्वीकृत हैं ? इस असमानता के कारण क्या है ? और सरकार इस असमानता को दूर करने के लिए क्या कदम उठा रही है ? क्या सरकार इस असमानता को दूर करने के लिए कब तक उक्त स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी के एक समान पद स्वीकृत करने के सम्बन्ध में कार्यवाही करेगी ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल भवनों का पुनर्निर्माण

49—डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

क्या शिक्षा मंत्री बतानेकी

करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत ऐसे कितने प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल भवन हैं जो पूर्णतया ध्वस्त हो चुके हैं और जो मरम्मत योग्य नहीं हैं ? ऐसे विद्यालय भवनों के पुनर्निर्माण करवाने की दिशा में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है और कब तक इन ध्वस्त विद्यालय भवनों का निर्माण सम्भव हो सकेगा ?

श्री सिब्ते रजी--

(1) प्राइमरी विद्यालय----20।

(2) जूनियर हाई स्कूल--13।

ऐसे विद्यालय भवनों के पुनर्निर्माण हेतु सरकार द्वारा प्रतिवर्ष धनराशि स्वीकृत की जाती है तथा जिला शिक्षा समिति के निर्णयानुसार आवंटित धनराशि से धीरे-धीरे ऐसे विद्यालयों के भवन बनवाये जा रहे हैं।

50--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत ऐसे कौन-कौन से प्राइमरी स्कूल तथा जूनियर हाई स्कूल भवन हैं जो विगत डेढ़ वर्ष से निर्माणाधीन चले आ रहे हैं और अभी तक उनका निर्माण पूर्ण नहीं हो पाया है ? इस विलम्ब के कारण क्या हैं तथा विलम्ब के प्रति कौन उत्तरदायी है ? इन विद्यालय के भवनों का निर्माण कब तक पूर्ण कर पठन-पाठन के लिए उपलब्ध कराया जा सकेगा ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

जिला परिषद् पौड़ी गढ़वाल में बिलों का भुगतान

51--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् पौड़ी गढ़वाल में वर्ष 1983-84 तथा 1984-85 में कितने बिल भुगतान के लिए प्रस्तुत किए गए हैं इनमें कितने बिलों का भुगतान एक सप्ताह के अन्दर किया गया तथा शेष का भुगतान विलम्ब से करने के क्या कारण हैं ? विलम्ब के प्रति कौन उत्तरदायी हैं ? और भविष्य में बिलों के शीघ्र भुगतान करने के लिए परिषद् द्वारा क्या कुछ प्रभावकारी कदम उठाये गए हैं जिससे भुगतान शीघ्र किया जा सके ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

वर्ष 1983-84 तथा 1984-85 में क्रमशः 692 तथा 841 बिल भुगतान के लिए प्रस्तुत किये गये। 500 रु0 तक के 882 बिलों का भुगतान एक सप्ताह के भीतर कर दिया गया, क्योंकि यह बिल अतिरिक्त मुख्य अधिकारी की वित्तीय क्षमता के अन्तर्गत आते थे। शेष 651 बिलों का भुगतान, जो 500 रुपये से अधिक के थे, उत्तर प्रदेश जिला परिषद् तथा क्षेत्र समिति (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार परीक्षण व प्री-आडिट के पश्चात् अध्यक्ष, जिला परिषद् की स्वीकृति प्राप्त करके किया गया। इन बिलों के भुगतान में एक सप्ताह से अधिक समय लगना स्वाभाविक था। चूंकि इन बिलों का भुगतान नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया गया, अतः इनके भुगतान में कोई अनावश्यक विलम्ब नहीं हुआ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल, विकास खण्ड कलजी खाल के अन्तर्गत स्थान बाड़ियूं में पंचायत भवन के निर्माण की मांग

52--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि जिला विकास अधिकारी, पौड़ी के पत्रांक 3064/7-4, दिनांक 10-11-81 द्वारा अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, पौड़ी को जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड कलजीखाल के अन्तर्गत स्थान बाड़ियूं में पंचायत भवन निर्माण

हेतु प्राक्कलन स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने के लिए कहा था ? यदि हां, तो अधिशासी अभियन्ता द्वारा पंचायत भवन का प्राक्कलन कब स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया गया है और इस पंचायत भवन के निर्माण की स्वीकृति अभी तक न दिये जाने के कारण क्या हैं तथा कब तक इस भवन के निर्माण की स्वीकृति दिए जाने की सम्भावना है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां।

पंचायत भवन का प्राक्कलन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, पौड़ी द्वारा पौड़ी परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, पौड़ी को भेजा गया। यह प्रस्ताव जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की बैठक दिनांक 29-6-85 में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत हुआ परन्तु अभिकरण ने निर्णय लिया कि जिन स्थानों पर स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये हैं और ऐसे जिन केन्द्रों पर पंचायत भवन उपलब्ध नहीं हैं, केवल वहीं पर पंचायत भवनों के निर्माण की स्वीकृति दी जाय। स्थान बाड़ियूं में न तो वर्तमान समय में स्वास्थ्य केन्द्र हैं और न भविष्य के लिए प्रस्तावित ही किया गया है। ऐसी स्थिति में पंचायत भवन बाड़ियूं की प्रस्तावित योजना स्वीकृत नहीं हो सकी है। प्रश्नगत पंचायत भवन के निर्माण की निकट भविष्य में संभावना नहीं है।

53—डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

[4थे मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 179 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

विकास खण्ड कलजीखाल के अन्तर्गत स्थान बाड़ियूं में जूनियर हाई स्कूल के भवन का निर्माण

54—डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड कलजीखाल के अन्तर्गत स्थान बाड़ियूं में जूनियर हाई स्कूल के भवन का निर्माण ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, पौड़ी द्वारा कब पूर्ण किया गया और इस भवन का उद्घाटन किस तिथि को किया गया तथा इस भवन पर विद्यालय कब से चल रहा है ? क्या यह सत्य है कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा अभी तक विद्यालय भवन निर्माण का अन्तिम देयक का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इस विलम्ब के कारण क्या हैं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा पौड़ी गढ़वाल द्वारा विकास खण्ड कलजी खाल के अन्तर्गत स्थान बाड़ियूं (मरोडा) में जूनियर हाई स्कूल भवन का निर्माण कार्य दिनांक 8-10-1983 को पूर्ण किया गया था। इस भवन का उद्घाटन दिनांक 20-10-1983 को माननीय विधायक श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी द्वारा किया गया था। भवन पर विद्यालय 20-10-1983 से चल रहा है। ठेकेदार के अन्तिम देय का भुगतान वाउचर संख्या 156, दिनांक 31-3-1984 द्वारा किया गया था। अन्तिम भुगतान में कोई अनावश्यक विलम्ब नहीं हुआ है।

सी0 एस0 एन0 कालेज, हरदोई के प्राचार्य द्वारा कालेज पत्रिका 'सर्जना' का मुद्रण एवं भुगतान

56—श्री राम आसरे (हरदोई)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सी0 एस0 एन0 कालेज, हरदोई के प्राचार्य (डा0 घनश्याम तिवारी) ने सुरभि प्रिन्टिंग प्रेस, हरदोई से कालेज पत्रिका 'सर्जना' मुद्रित करवाई, जिसका टेन्डर श्री एच0 एल0 विरवी, तत्कालीन जि0 अ0/अध्यक्ष द्वारा निरस्त कर उसकी जमानत राशि भी जब्त करने एवं पुनः टेन्डर आमंत्रित कर

पत्रिका मुद्रित कराने का आदेश दिनांक 27-1-1984 को दिया गया था? क्या इस पत्रिका की 1500 प्रतियों के लिए लगभग 18 हजार रुपये का भुगतान किया गया, जब कि प्रति छात्र केवल 5 रुपये कालेज द्वारा प्राप्त किया जाता है? यदि हां, तो अवैधानिक कार्य एवं सार्वजनिक धन के दुरुपयोग करने वाले प्राचार्य के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी--

जी हां।

कुल 17,241 रु0 50 पैसे का भुगतान किया गया।

कोई नहीं।

प्राचार्य ने उक्त धनराशि के भुगतान हेतु तत्कालीन जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष के समक्ष समस्त तथ्यों को रखकर नियमानुसार भुगतान की स्वीकृति प्राप्त की थी।

कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सी0 एस0 एन0 कालेज, हरदोई की राष्ट्रीय सेवा योजन इकाई का अनुमोदित कार्यक्रम तथा प्राध्यापक श्री गिरीश्वर नाथ मिश्र द्वारा शिविर का आयोजन

56--श्री राम आसरे (हरदोई)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सी0 एस0 एन0 कालेज, हरदोई की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम अधिकारी प्रो0 एम0 एस0 अग्निहोत्री को प्राचार्य (डा0 घनश्याम तिवारी) न विश्वविद्यालय के कई आदेशों के बावजूद भी कार्य नहीं करने दिया और न ही उनके द्वारा प्रस्तावित 1984 में दोनों शिविरों को आयोजित करने दिया। अतः विश्वविद्यालय को बाध्य होकर कालेज की इकाई को दिनांक 11-12-1984 को निलम्बित करना पड़ा जिससे छात्र वांछित लाभ से वंचित हो गये? यदि हां, तो उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई?

श्री सिब्ते रजी--

जी नहीं।

प्रोफेसर अग्निहोत्री का कार्यक्रम अधिकारी के रूप में अनुमोदन विश्वविद्यालय के पत्र दिनांक 16-8-1984 द्वारा प्राप्त हुआ था इसके पूर्व उन्हें कार्यक्रम अधिकारी के रूप में कार्य करने तथा शिविरों के आयोजन का अवसर दिया गया था और उन्होंने सामान्य कार्यक्रम कराया था।

विश्वविद्यालय द्वारा इकाई निलम्बित की गई, किन्तु छात्रगण लाभ से वंचित नहीं हुए क्योंकि 10 दिवसीय विशेष शिविर सम्पन्न हुआ जिसका उद्घाटन जिलाधिकारी ने किया।

श्री अग्निहोत्री के स्थान पर श्री मिश्र की नियुक्ति का प्रकरण विश्वविद्यालय में विचाराधीन है। किसी उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रकरण प्रबन्धतंत्र या विश्वविद्यालय के कार्यक्षेत्र में आता है।

57--श्री राम आसरे (हरदोई)--

क्या बिना विश्वविद्यालय की अनुमति के प्राचार्य ने दूसरे प्राध्यापक (श्री गिरीश्वर नाथ मिश्र) को मनमाने ढंग से नियुक्त कर उनसे अवैधानिक रूप से दस दिवसीय विशेष शिविर 28 सितम्बर, 1984 से 7 अक्तूबर, 1984 तक आयोजित करवा लिया? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त शिविर में लगभग 30 छात्रों की संख्या के स्थान पर 49 छात्रों की फर्जी संख्या दिखाकर उपलब्ध अनुदान का गबन किया गया? क्या सरकार सम्पूर्ण प्रकरण की जांच करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी—

श्री मिश्र के द्वारा शिविर कराया गया परन्तु श्री मिश्र के अनुमोदन का प्रस्ताव प्राचार्य ने विश्वविद्यालय को दिनांक 1-9-1984 को भेज दिया था जिसका विश्वविद्यालय से अभी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

जी नहीं।

शिविर में केवल 30 छात्रों के भाग लेने का प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है। विश्वविद्यालय से भी ऐसी सूचना प्राप्त नहीं हुई है जिससे यह सन्देह हो कि अनुदान का गबन हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

सी0 एस0 एन0 कालेज, हरदोई के प्राचार्य डाक्टर घनश्याम तिवारी को स्थायी किया जाना

58—श्री राम आसरे (हरदोई)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सी0 एस0 एन0 कालेज, हरदोई के प्राचार्य (डाक्टर घनश्याम तिवारी) की एक वर्ष की परिवीक्षा दिनांक 25-2-85 को समाप्त होनी थी, परन्तु इससे लगभग डेढ़ माह पूर्व ही कालेज के तत्कालीन प्रशासक जिला अधिकारी, डाक्टर परमानन्द मिश्र ने किसी पिछली तिथि में डा0 तिवारी को स्थायी कर दिया ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां।

कालेज के अध्यक्ष / जिलाधिकारी, हरदोई ने अपने आदेश दिनांक 25 जनवरी, 1985 द्वारा उन्हें स्थायी कर दिया।

प्राप्त सूचना के अनुसार उनकी सक्षमता एवं उपयुक्तता के सम्बन्ध में संतुष्ट होकर उन्हें स्थायी किया जाना बताया गया है।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड मल्लावां में विकास के किये गये कार्य

59—श्री राम आसरे (हरदोई)—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के विकास खण्ड मल्लावां में 1983-84 एवं 1984-85 में विकास के कौन से कार्य होने थे तथा उनमें किन-किन कार्यों को सम्पन्न कराया गया और वर्तमान समय में कितने तथा कौन-कौन कार्य लम्बित हैं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

सूचना संलग्न† है।

प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों की पदोन्नति के फलस्वरूप रिक्त स्थानों की पूर्ति किये जाने पर विचार

60—श्री राम आसरे (हरदोई)—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि 1984-85 में प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों की पदोन्नति के फलस्वरूप रिक्त स्थानों की पूर्ति न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या शासन तदर्थ नियुक्तियों पर विचार करेगा यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

शिव हर्ष किसान डिग्री कालेज, बस्ती के प्राधिकृत नियंत्रक के प्रयोग हेतु पेट्रोल तथा ड्राइवर के वेतन पर व्यय

61—श्री इन्द्र प्रताप सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिव हर्ष किसान डिग्री कालेज,

†छापी नहीं गयी।

बस्ती के प्राधिकृत नियंत्रक के प्रयोग हेतु क्रय की गयी कार पर नवम्बर 1984 से 31 मार्च, 1985 तक ड्राइवर के वेतन तथा पेट्रोल आदि पर माहवार कुल कितना व्यय हुआ तथा कुल व्यय का भुगतान कालेज की किस मद से किया जा रहा है ?

श्री सिब्ते रजी—

प्राप्त सूचनानुसार कार का प्रयोग महाविद्यालय के कार्यों में किया जाता है।

माहवार व्यय तथा भुगतान की मद निम्न प्रकार है :—

माह	पेट्रोल व्यय	भुगतान मद
	रु0	
नवम्बर, 1984	794.36	काशनमनी राशि से
दिसम्बर, 1984	1351.27	
	810.2	अनुपालन कोष
	259.10	काशनमनी
	282.15	हिन्दी परिषद्
	1351.27	
जनवरी, 1985	1428.75	
फरवरी, 1985	1063.33	
मार्च, 1985	1097.00	

ड्राइवर के वेतन पर व्यय :

माह	व्यय	भुगतान मद
	रु0	
नवम्बर, 1984	200	अनुपालन कोष
दिसम्बर, 1984	400	अनुपालन कोष
जनवरी, 1985	400	,,
फरवरी, 1985	400	,,
मार्च, 1985	400	,,
	1,800	

फजले रहमानिया हाई स्कूल पचपेड़वा, जनपद गोंडा के प्रबन्धक श्री इम्तियाज अहमद द्वारा दाखिल की गई गलत नियमावली के विरुद्ध कृत कार्यवाही

62—श्री विजय सिंह राणा—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि फजले रहमानिया हाई स्कूल, पचपेड़वा, जनपद गोंडा के प्रबन्धक श्री इम्तियाज अहमद ने अल्पसंख्यक स्वरूप घोषित करने के लिए जो नियमावली, दाखिल की है तथा नियमावली जिसके आधार पर मान्यता विद्यालय को मिली थी वह भिन्न है ? यदि हां, तो गलत नियमावली शासन में दाखिल किसने की ? सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

63—श्री विजय सिंह राणा—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि फजले रहमानिया हाई स्कूल, पचपेड़वा,

जनपद गोंडा को हाई स्कूल मान्यता जिस भवन के आधार पर मिली थी उसको वहां के प्रबन्धक श्री इम्तियाज अहमद ने भारी मूल्य लेकर बेच दिया है ? यदि हां, तो क्या प्रबन्धक महोदय ने पहले से उसकी कोई अनुमति शासन से ली है ? यदि नहीं, तो शासन उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद गोरखपुर के सुनौली बस स्टेशन पर कार्यालय एवं जन सुविधाओं की व्यवस्था

64--श्री राम आसरे (हरदोई)--

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोरखपुर के सुनौली बस स्टेशन पर कार्यालय एवं अन्य जन सुविधाओं की व्यवस्था न किये जाने के क्या कारण है ?

राजकुमार संजय सिंह--

जनपद गोरखपुर में स्थित सुनौली बस स्टेशन एक किराये पर लिये गये तीन कमरों के भवन में स्थित है, जिसमें यथासम्भव सुविधायें उपलब्ध हैं ।

लखनऊ से काठमान्डू तक नियमित बस सेवा प्रारम्भ किये जाने की मांग

65--श्री राम आसरे (हरदोई)--

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बिहार, बंगाल प्रदेशों की राजधानियों क्रमशः पटना एवं कलकत्ता से काठमान्डू के लिए नियमित बस सेवा की भांति उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से काठमान्डू तक नियमित बस सेवा प्रारम्भ करने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजकुमार संजय सिंह--

लखनऊ में तो नहीं, बल्कि वाराणसी काठमान्डू और गोरखपुर काठमान्डू मार्ग पर इस प्रकार की सेवायें चलाने के बारे में प्रस्तावों पर पूर्व में विचार किया गया है परन्तु अभी इस ओर कोई ठोस योजना नहीं बन पायी है ।

श्री केशव प्रसाद मिश्र ग्राम पंचायत सेवक/मन्त्री को पेंशन ग्रेच्युटी का भुगतान

66--श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी--

क्या पंचायती राज मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री केशव प्रसाद मिश्र निवासी छतवा, विकास खन्ड बांसी, जिला बस्ती जो कि 1950 से पंचायत राज विभाग में ग्राम पंचायत सेवक/मन्त्री के पद पर सेवारत थ, अवकाश प्राप्त कर लेने के बाद भी उनको पेंशन ग्रच्युटी आदि न मिलने का क्या कारण है ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय--

श्री केशव प्रसाद मिश्र नाम का जनपद बस्ती निवासी कोई ग्राम पंचायत सेवक/मन्त्री जनपद बस्ती में कार्यरत नहीं रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री महादेव पुत्र श्री बनवारी जिला परिषद्, बस्ती को पेंशन, प्राविडेंट फन्ड का भुगतान

67--श्री हरिशचन्द्र, हरीश जी

क्या पशुधन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री महादेव पुत्र बनवारी निवासी बांसी, जिला बस्ती जो कि स्वीपर जमादार (मवेशी) के पद पर सेवारत थे, 1971 में अवकाश प्राप्त कर लेने के बाद भी अभी तक उनको पेंशन, प्रावीडेन्ट फन्ड आदि क्यों नहीं लहै ?

श्रीमती बेनी बाई--

श्री महादेव पुत्र श्री बनवारी जिला परिषद, बस्ती के पशु चिकित्सालय में सेवारत थे। उन्होंने सेवानिवृत्ति के उपरान्त ही प्रावीडेंट फन्ड एवं परिषदीय अंशदान का भुगतान प्राप्त कर लिया था। जिला परिषद् कर्मचारी सेवा-निवृत्त लाभ नियमावली, 1972 के अधीन श्री महादेव को पेंशन अनुमन्य नहीं है। वह शासकीय कर्मचारी नहीं थे।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बस्ती द्वारा उनके बकाये वेतन के भुगतान शीघ्र किये जाने के आदेश

68--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बस्ती ने अपने पत्र संख्या 5298/83-84, दिनांक 03-1-1984 द्वारा उप विद्यालय निरीक्षक, बस्ती को उनके वर्ष 1980-81 के चार माह के बकाये वेतन के भुगतान यथाशीघ्र किये जाने हेतु आदेशित किया है ? यदि हां, तो क्या इस बकाये वेतन का भुगतान कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री सुखऊ प्रसाद उपाध्याय, जू0 हा0 स्कूल, मेहन्दूपार विकास खंड सांथा, जनपद बस्ती को स्टाक बुक के अनुसार स्पष्ट, चार्ज दिलाने की कार्यवाही, वेतन रोके जाने का औचित्य, अभिलेखों की आडिट जांच

69--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के सोमवार के0प्रता0 प्र0 संख्या 179 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि श्री सुखऊ प्रसाद उपाध्याय ने जब जू0 हा0 स्कूल, महेन्दूपार विकास खंड, सांथा, जनपद बस्ती में स्थानान्तरित होकर आये तो उन्हें स्टाक बुक के अनुसार स्पष्ट चार्ज नहीं दिया गया था जिसके बारे में श्री उपाध्याय ने तत्कालीन प्रति उप विद्यालय निरीक्षक विकास खन्ड, सांथा से कई बार अनुरोध किया था ? क्या यह भी सत्य है कि तत्कालीन प्रति उप विद्यालय निरीक्षक विकास खंड, सांथा ने दिनांक 31-3-1980 को जू0 हा0 स्कूल, मेहन्दूपार वि0 खन्ड, सांथा के निरीक्षण के समय अपनी निरीक्षण आख्या के विन्दु 10 पर अपनी टिप्पणी "विद्यालय का चार्ज स्पष्ट नहीं है विवाद श्री जयराम मिश्र, भू0 पू0 प्रधानाध्यापक तथा श्री राम लखन शुक्ल, सहायक अध्यापक के मध्य है" अंकित किया है ? यदि हां, तो क्या अपने 31-3-1980 के निरीक्षण के बाद तत्कालीन प्रति उप विद्यालय निरीक्षक ने स्टाक बुक के आधार पर सम्पूर्ण चार्ज दिलाने की कोई कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

70--दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि श्री सुखऊ प्रसाद उपाध्याय, तत्कालीन प्रधानाध्यापक, जूनियर हाई स्कूल, महेन्दूपार, विकास क्षेत्र, सांथा, जनपद बस्ती ने जूनियर हाई स्कूल से सम्बन्धित अभिलेखों (जो उनके पास उपलब्ध हों) की जांच बेसिक शिक्षा अधिकारी, बस्ती द्वारा दिनांक 9-1-81 को उनके बस्ती कार्यालय पर तथा दिनांक 19-9-81 को तहसील मुख्यालय, बांसी में कराई थी ? यदि हां, तो क्या बेसिक शिक्षा अधिकारी, बस्ती द्वारा कोई अनियमितता पायी गयी थी ? यदि हां तो क्या ? यदि नहीं, तो अक्तूबर, 1981 से जनवरी, 1981 तक का वेतन उ0

समय तथा अब तक रोके जाने का औचित्य क्या है, जब कि फरवरी, 1981 से श्री उपाध्याय का वेतन पुनः दिया गया है ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

71—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के दूसरे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 179 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि दिनांक 16-1-81 को श्री सुखऊ प्रसाद उपाध्याय, तत्कालीन प्रधानाध्यापक, जूनियर हाई स्कूल, महेन्दूपार ने अभिलेखों की आडिट जांच तहसील मुख्यालय, बांसी, पर कराया था ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? क्या कोई राजकीय धन का व्यपहरण आडिट जांच के समय प्रकाश में आया था ? यदि हां, तो यह व्यपहरण किस समय का है और किस अधिकारी की जांच द्वारा इसे पाया गया ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

72—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के 2रे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 179 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री उपाध्याय को फरवरी, 1975 तथा जुलाई, 1976 से अक्तूबर, 1976 तक के बकाये वेतन का भुगतान कब और किस माध्यम से किया गया है ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री जव्वाद अली, सहायक अध्यापक, प्राइमरी पाठशाला, बरगदही, जनपद बस्ती को बकाया वेतन का भुगतान

73—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के दूसरे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 174 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि भुगतान कब और किस माध्यम से किया गया तथा सितम्बर, 1981 एवं जुलाई, 1982 का वेतन अब तक न भुगतान करने पर किसी को दोषी न पाये जाने का आधार क्या है ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री वशिष्ठ कुमार पाण्डेय द्वारा विभागीय नियुक्ति दिये जाने सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र

74—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि श्री वशिष्ठ कुमार पाण्डेय का कोई प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र, दिनांक 7-9-83 के साथ सचिव, शिक्षा विभाग को सेवा काल में मृत्यु तथा प्रधानाध्यापक के पुत्र की राजज्ञा के आधार पर विभागीय नियुक्ति दिये जाने के बारे में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या श्री पाण्डे को विभाग द्वारा नियुक्ति दी गई ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

प्रश्नगत पत्र विभाग में उपलब्ध नहीं है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

75—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

श्री अम्बिका मणि त्रिपाठी, सहायक अध्यापक, जूनियर हाई स्कूल, एकडिगवा, जनपद बस्ती के बकाया वेतन का भुगतान तथा भविष्य निधि बनाये जाने का आधार

76—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के दूसरे सोमवार के अतारांकित प्रश्न

संख्या 176 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि जुलाई, 1979 में शासन ने जूनियर हाई स्कूल में कार्यरत सहायक अध्यापकों के इंटर पास तथा गैर इंटर पास सहायक अध्यापकों का वेतनमान शासनादेश द्वारा एक रूप करके 660 रु0 प्रति माह निश्चित किया है। यदि हां, तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अम्बिका मणि त्रिपाठी, सहायक अध्यापक, जूनियर हाई स्कूल, एकडिंगवा, जनपद बस्ती (सेवा निवृत्त) को 1 जुलाई, 1979 से 30 जून, 1980 तक 660 रु0 प्रति माह वेतन न देकर केवल 460 रु0 प्रतिमाह वेतन दिये जाने का कारण क्या है ? उपरोक्त सहायक अध्यापक को दिया गया भविष्य निधि तथा उसकी बनायी जा रही पेंशन में अन्तिम वेतन 660 रु0 न मानकर 460 रु0 आधार मानने का कारण क्या है ? क्या मंत्री जी इस त्रुटि को भी दूर करके बकाया वेतन तथा भविष्य निधि एवं पेंशन सही ढंग से बनवाकर भुगतान कराने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

77--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

प्रथम सत्र 1984 के दूसरे सोमवार के अता0 प्र0 सं0 176 के उत्तर से सम्बन्धित क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अम्बिका मणि त्रिपाठी, सहायक अध्यापक (सेवा निवृत्त) के माह दिसम्बर, 1966, जुलाई, 1968, नवम्बर, 1969 तथा अप्रैल, मई तथा जून, 1970 का वेतन भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो कब-कब ? यदि नहीं, तो अब तक वेतन भुगतान न करने का कारण क्या है ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

78--दिवाकर विक्रम सिंह--

प्रथम सत्र 1984 के दूसरे सोमवार के अता0 प्र0 संख्या 176 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपया करेंगे कि क्या यह सत्य है कि श्री अम्बिका मणि त्रिपाठी की नियुक्ति 1 अगस्त, 1949 को हुयी थी तथा 30 वर्ष 10 माह सेवा करने के उपरान्त 30 जून, 1980 को सेवा निवृत्त हुए ? यदि हां, तो 30 वर्ष 10 माह कार्य करने के उपरान्त भविष्य निधि केवल 2313 रु0 57 पैसा ही बनाये जाने का आधार क्या है ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

मदरसा इस्लामिया जमी अतुलकुरेहा, जालंधरी, आजमगढ़ के शिक्षकों के बकाया वेतन का भुगतान

79--श्री मुहम्मद आजम खां--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मदरसा इसलामिया जमीअतुलकुरेहा, जालंधरी, आजमगढ़ के शिक्षकों को विगत 17 महीनों से बाकी वेतन का भुगतान न होने के कारण क्या हैं ? क्या सरकार अध्यापकों को वेतन दिलाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो वेतन का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री सिब्ते रजी--

प्रबन्धतंत्र द्वारा मदरसा बिना अनुमति के मान्य स्थान से हटा दिया गया था जिसके कारण उसकी मान्यता समाप्त कर दी गयी थी। फलस्वरूप अनुदान रोक दिया गया था। इसके विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत वाद में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार अध्यापकों के वेतन भुगतान

हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आजमगढ़ को निर्देश दे दिये गये हैं ।

जी0 आई0 सी0, शाहाबाद, जिला रामपुर के सहायक अध्यापक, श्री साबिर हसन खां के जी0पी0एफ0 तथा पेंशन का भुगतान किये जाने की मांग

80--श्री मुहम्मद आजम खां--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जी0 आई0 सी0, शाहाबाद, जिला रामपुर के सहायक अध्यापक, श्री साबिर हसन खां, जो कि दिनांक 7-6-79 को रिटायर हुए हैं, को किन कारणों से, जी0 पी0 एफ0 की अदायगी अभी तक नहीं हुई तथा पेंशन के आदेश हो जाने के बाद भी पेंशन की रकम रोक देने के क्या कारण हैं ? सरकार कब तक इसकी अदायगी की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

लखनऊ, विश्वविद्यालय के अध्यापकों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल तथा मांगें

81--श्री राजेन्द्र गुप्त--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1984 में लखनऊ विश्वविद्यालय के अध्यापकों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी गयी है जिसके कारण अध्ययन एवं अध्यापन का कार्य ठप था ? यदि हां, तो इनकी मुख्य-मुख्य मांगें क्या हैं तथा उन मांगों के सम्बन्ध में शासन का दृष्टिकोण क्या है ?

श्री सिब्ते रजी--

अगस्त, 1984 में हड़ताल हुई जिसके दौरान अध्ययन एवं अध्यापन का कार्य प्रभावित हुआ ।

अध्यापकों की मुख्य-मुख्य मांगें निम्नवत् हैं :—

(1) समयबद्ध पदोन्नति योजना लागू की जाय ।

(2) अवकाश प्राप्ति पर पेंशन तथा ग्रेच्युटी की सुविधा दी जाय ।

(3) वेतनमान नई दरों के अनुसार निश्चित किया जाय और इस बीच नियमानुसार अंतरिम सहायता दी जाय ।

(4) विभागाध्यक्ष पद को चक्रानुसार (रोटेशन) किया जाय ।

समयबद्ध पदोन्नति के आदेश निर्गत किये जा चुके हैं । उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में तथा परिनियमों में आवश्यक संशोधन भी किया जा चुका है ?

अध्यापकों को राज्य कर्मचारियों की भांति पेंशन, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी तथा पारिवारिक पेंशन दिये जाने के आदेश निर्गत किये जा चुके हैं ।

वेतनमान पुनरीक्षण हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा एक समिति गठित की गई है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संस्तुतियां प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा वेतनमानों के पुनरीक्षण पर विचार किया जायेगा । अंतरिम सहायता स्वीकृत की जा चुकी है ।

विभागाध्यक्ष के पद को चक्रानुसार किये जाने पर विचार किया जा रहा है ।

हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट परीक्षा में संस्थागत तथा निजी रूप में प्रविष्ट हुए अभ्यर्थियों का अपूर्ण परीक्षाफल

82--श्री राजेन्द्र गुप्त--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद द्वारा संचालित हाई स्कूल

तथा इन्टरमीडिएट परीक्षा, 1984 में क्रमशः कुल कितने-कितने अभ्यर्थी संस्थागत तथा निजी रूप में प्रविष्ट हुये और उनमें से कितने-कितने अभ्यर्थियों के परीक्षाफल अभी अपूर्ण हैं तथा यह अपूर्ण परीक्षाफल कब तक पूर्ण कर दिये जायेंगे ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बाराबंकी के अंतर्गत जूनियर हाई स्कूलों के भवन निर्माण हेतु कार्यवाही

83--श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जनपद के अंतर्गत कितने जूनियर हाई स्कूल बिना भवन के चल रहे हैं ? इन विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु क्या सरकार तत्काल कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सब्ते रजी--

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद बाराबंकी में 43 जूनियर हाई स्कूल बिना भवन के चल रहे हैं । भवनहीन विद्यालयों के लिए भवन निर्मित कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में अधिशासी अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति

84--श्री हफीज भारती तथा श्री उदय वीर सिंह राठौर--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में वर्ष 1984 में सिंचाई विभाग के सहायक अभियन्ता को अधिशासी अभियन्ता के पद पर खंड डी0 पी0 ए0 पी0, लखनऊ में प्रतिनियुक्ति पर लेने का आधार क्या था जबकि विभाग में वरिष्ठ यांत्रिक अभियन्ता कार्यरत हैं ? क्या मंत्री जी उपरोक्त अधिशासी अभियन्ता को उसके मूल विभाग में भेजने हेतु आदेश देंगे तथा विभागीय वरिष्ठ अभियन्ताओं को अधिशासी अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति अथवा दोहरा चार्ज देने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

भू-गर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में अधिशासी अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति हेतु पात्र सहायक अभियन्ता उपलब्ध न होने के कारण अगस्त, 1984 में सिंचाई विभाग से एक सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) को अधिशासी अभियन्ता के पद पर प्रतिनियुक्ति कर लिया गया था । उक्त संगठन में कार्यरत वरिष्ठ सहायक यांत्रिक अभियन्ताओं के प्रोन्नति हेतु पात्रता क्षेत्र में आते ही अधिशासी अभियन्ता के पद पर उनकी प्रोन्नति हेतु विचार किया जायेगा । सिंचाई विभाग से प्रतिनियुक्ति पर लिये गये उक्त सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) को उनके मूल विभाग वापस किये जाने के बारे में निर्णय यथा समय लिया जायेगा । दोहरा चार्ज कार्यहित में दिया जाता है तथा आवश्यकतानुसार शासन द्वारा निर्णय लिया जाता है ।

भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में सिंचाई विभाग से आये प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अवर अभियन्ता का संविलियन

85--श्री हफीज भारती तथा श्री उदय वीर सिंह राठौर--

अष्टम विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 में छठे सोमवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 30 के उत्तर के संदर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेशीय भूगर्भ जलीय सर्वेक्षण संगठन में सिंचाई विभाग से आये प्रति-

नियुक्ति पर किन-किन अवर अभियन्ताओं को किस नियम के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है और अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 541 एस/38-4-1800 (800)/1/81, दिनांक 2-6-1983 ग्राम्य विकास अनुभाग-4 द्वारा किन-किन अवर अभियन्ताओं की प्रतिनियुक्ति की अवधि बढ़ाने हेतु सिंचाई विभाग को लिखा गया था तथा उसकी रूपरेखा क्या है तथा शासनादेश सं0 जो-1-3030/10/534 (46)-7, दिनांक 14-12-1982 वित्त विभाग के आधार पर सिंचाई विभाग से प्रतिनियुक्ति पर आये अवर अभियन्ताओं को सरकार ने वापस सिंचाई विभाग भेज दिया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

भू-गर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में सिंचाई विभाग के प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत दो अवर अभियन्ता (यांत्रिक) का संविलियन नियमानुसार किया जा चुका है जैसा गत विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के 6ठे सोमवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 संख्या 30 के उत्तर में अवगत कराया जा चुका है। अन्य तीन सिविल अवर अभियन्ताओं के संविलयन किये जाने के प्रकरण का परीक्षण किया जा रहा है।

राजकीय हाई स्कूल गंरखेत, पत्रालय गंरखेत विकासखंड स्याल्दे, जनपद अल्मोड़ा में अध्यापकों की व्यवस्था किये जाने की मांग

86—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि राजकीय हाई स्कूल गंरखेत, पत्रालय गंरखेत, वि0 खंड स्याल्दे, जनपद अल्मोड़ा में 1981 से जून, 1985 तक विज्ञान, हिन्दी विज्ञान कला व गणित विषय के अध्यापक नहीं हैं, जिससे छात्रों का विषय खराब हो रहा है तथा परीक्षाफल पर कुप्रभाव पड़ा है ? यदि हां, तो सरकार अविलम्ब अध्यापकों की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

तहसील रानीखेत, जिला अल्मोड़ा के कतिपय राजकीय इन्टर कालेजों में अध्यापकों के रिक्त पद

87—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गंरखेत, राजकीय हाई स्कूल, विनौली सलेड़, राजकीय इन्टर कालेज, उत्तसछानी, राजकीय इन्टर, कालेज, धौलीखेत, राजकीय इन्टर कालेज, फुगोला सीन राजकीय इन्टर कालेज, देवायल राजकीय इन्टर कालेज, देवायल राजकीय इन्टर कालेज, स्याल्दे, तहसील रानीखेत, जिला अल्मोड़ा में किन-किन विषयों को पढ़ाने वाले अध्यापकों के पद रिक्त हैं और कब से हैं तथा कब तक भरे जायेंगे ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

लखनऊ विश्वविद्यालय में विद्युत पर व्यय

88—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय में विगत पांच वर्षों (वर्ष 1980-81, 81-82, 82-83, 83-84 व 84-85) में कुल कितने रुपये की विद्युत खर्च हुई ? इसमें से विश्वविद्यालय परिसर के अन्दर रहने वाले तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के आवास गृहों से क्रमशः कितनी बिजली का कितना रुपया वसूल किया गया ? इसमें प्रत्येक कर्मचारी

के विद्युत आकलन हेतु क्या मीटर सुविधा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार लखनऊ विश्वविद्यालय में विगत पांच वर्ष में विद्युत् पर व्यय निम्नवत् है:—

	रुपये
1980–81	7,03,686
1981–82	7,17,495
1982–83	8,96,992
1983–84	11,58,672
1984–85	12,06,588

विश्वविद्यालय परिसर के अन्दर रहने वाले तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के आवास गृहों से बिजली की कोई वसूली नहीं हुई।

विश्वविद्यालय द्वारा सैद्धान्तिक रूप से यह निर्णय लिया गया है कि तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के आवास गृहों म विद्युत् कनेक्शन दिये जायें तथा मीटर की व्यवस्था भी की जाय परन्तु धन के अभाव के कारण यह कार्य सम्पन्न नहीं हो पाया है।

लखनऊ विश्वविद्यालय में अरबी विभाग में अरब संस्कृति पढ़ाये जाने वाले विषय हेतु अध्यादेश

89—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विश्वविद्यालय ऐक्ट, 1974 की धारा 27 (2) लखनऊ विश्वविद्यालय प्रथम परिनियमावली (अगस्त 1978) के पृष्ठ 20 परिनियम 703 के अनुसार अरबी भाषा विभाग में अरब संस्कृति में पढ़ाये जाने वाले विषयों के लिये कोई अध्यादेश नहीं जारी हुआ ? यदि अध्यादेश जारी नहीं हुआ तो एक भाषा विभाग के अन्तर्गत संस्कृति विषयक अध्यापन किस नियमानुसार हो रहा है ? इस अनियमितता के लिए दोषी कर्मचारियों/अध्यापकों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

जी नहीं। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अधीन निर्मित लखनऊ विश्वविद्यालय प्रथम परिनियमावली, 1975 के परिनियम 703 के अनुसार अरबी विभाग में अरब संस्कृति पढ़ाये जाने वाले विषय के लिये विश्वविद्यालय द्वारा अध्यादेश बनाया जा चुका है।

अतएव, अनियमितता होने अथवा अन्य किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है।

90—श्री काशी सिंह ऐरी—

[पुनर्विचार पर निरस्त।]

बी0 टी0 सी0 (बालिका) के प्रशिक्षण हेतु परित्यक्ता अथवा तलाकशुदा होने के आधार पर महिलाओं का चयन

91—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में 1982 में बी0 टी0 सी0 (बालिका) के प्रशिक्षण हेतु परित्यक्ता अथवा तलाकशुदा होने के आधार पर कितनी महिलाओं का चयन किया गया ? क्या इस संबंध में सुश्री शकुन्तला बोस ग्राम लेलू (पिथौरागढ़) तथा अन्य लोगों द्वारा जिलाधिकारी बी0 एस0 ए0 मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका तथा शिक्षा निदेशक को इस आशय की शिकायतें मिली हैं कि उक्त

चयन जाली प्रमाण पत्रों के आधार पर हुये हैं ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

पर्वतीय क्षेत्र के प्रान्तीयकृत विद्यालयों के कर्मचारियों की समस्याओं से संबंधित ज्ञापन पर कृत कार्यवाही

92--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश प्रान्तीयकृत विद्यालय कर्मचारी संगठन, जनपद पिथौरागढ़ के जनपदीय अध्यक्ष (श्री नारायण दत्त भट्ट) द्वारा प्रेषित पर्वतीय क्षेत्र के प्रान्तीयकृत विद्यालयों के कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में 1-11-82 का ज्ञापन संयुक्त शिक्षा निदेशक (पर्वतीय), लखनऊ को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो ज्ञापन की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गोलीखाल प्राइमरी विद्यालय जनपद पौड़ी-गढ़वाल की कथित स्वीकृति तथा भवन निर्माण

93--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1980-81 में गोलीखाल प्राइमरी विद्यालय, विकास खण्ड नैनीडाडा, जनपद पौड़ी-गढ़वाल में स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो 1984 तक इस भवन का निर्माण न कराने के क्या कारण हैं ? इस भवन को कब तक पूरा बना लिया जायेगा ?

श्री सिब्ते रजी--

जी नहीं ।

अतः शेष सूचना का प्रश्न नहीं उठता ।

94--श्री काशी सिंह ऐरी--

[4 थे मंगलवार में अता० प्र० सं० 178 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

बेसिक शिक्षकों की पेंशन-राशि को उनके मुख्यालय तक बैंक या डाक द्वारा पहुंचाने की व्यवस्था की मांग

95--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि दैनिक शिक्षकों को अपनी अल्प पेंशन राशि को लेने के लिये अपने-अपने जिला मुख्यालय तक जाना पड़ता है ? यदि हां, तो इस अल्प राशि को बैंक या डाक द्वारा पहुंचाने की व्यवस्था करने पर सरकार विचार करेगी, जिसमें पेंशन पाने वाले इन शिक्षकों के धन व समय की बचत हो सके ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

पर्वतीय जनपदों के इण्टर व हाईस्कूल के बोर्ड की संस्थागत व व्यक्तिगत परीक्षाओं में सफलता तथा अध्यापकों के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु कार्यवाही

96--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा सत्र 1981-82, 1982-83 तथा 1983-84 में पर्वतीय जनपदों के इण्टर व हाई स्कूल के बोर्ड की संस्थागत व व्यक्तिगत परीक्षाओं की

प्रतिशत सफलता क्रमशः कितनी रही ? क्या यह सही है कि पर्वतीय क्षेत्र विशेष कर सीमान्त जनपदों में उपरोक्त कक्षाओं के अध्यापकों के पदों के न भरे जाने का परीक्षाफल पर बुरा प्रभाव पड़ा ? यदि हां, तो उपरोक्त जनपदों में इन पदों को भरने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

तृतीय वार्षिक अधिवेशन चौखुटिया (जनपद अल्मोड़ा) में पारित प्रस्ताव

97--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या शिक्षा मंत्री प्रान्तीयकृत विद्यालय कर्मचारी संगठन जनपद अल्मोड़ा के द्वारा आयोजित तृतीय वार्षिक अधिवेशन चौखुटिया (जनपद अल्मोड़ा) में दिनांक 23 सितम्बर, 1984 को पारित प्रस्तावों की प्रति (पत्रांक 475/तीन/84-85), दिनांक 2 अक्तूबर, 1984 द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक को प्राप्त हुयी ? यदि हां, तो उनके 16 सूत्रीय मांगों पर क्रमशः क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

इण्टरमीडिएट तथा हाई स्कूल की संस्थागत परीक्षाओं में रोके गये परीक्षाफल

98--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि उ0 प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा शिक्षा सत्र 1983-84 में प्रकाशित इण्टरमीडिएट तथा हाई स्कूल की संस्थागत परीक्षाओं में एस0 पी0 एल0 आटो के आधार पर कुछ परीक्षाफल रोके गये हैं ? यदि हां, तो कितने तथा इस वर्ग के छात्रों के परीक्षाफल तुरन्त घोषित करने, इस प्रकार की गलतियों को भविष्य में स्थायी रूप से रोकने के लिये क्रमशः क्या-क्या कदम उठाये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

हरगोविन्द पंत राजकीय इण्टर कालेज, देवायल, जनपद अल्मोड़ा में अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति

99--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरगोविन्द पंत, राजकीय इण्टर कालेज, देवायल, विकास खण्ड सल्ट, जनपद अल्मोड़ा में जनवरी, 1980 से सितम्बर, 1984 तक प्रधानाचार्य सहित 9 अध्यापकों के स्थान रिक्त हैं ? क्या सरकार शीघ्र अध्यापकों की नियुक्ति करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद अल्मोड़ा में कन्या प्राइमरी विद्यालयों के भवन

100--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद अल्मोड़ा में कितने भवन कन्या प्राइमरी विद्यालयों के बने हैं, कितनों में शिक्षण कार्य चल रहा है तथा कितने भवन खाली पड़े हैं ? क्या सरकार रिक्त भवनों का उपयोग विद्यालयों हेतु करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रावासों के अन्तःवासियों को वस्तुएं क्रय करने हेतु राशन कार्ड बनवाये जाने की मांग

101—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रावासों के अन्तःवासियों को आवश्यक वस्तुएं क्रय करने हेतु कितने वर्षों से राशन कार्ड नहीं दिये गये हैं ? इसके लिये कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं और कब तक अन्तःवासियों को उपरोक्त सुविधा सरकार द्वारा उपलब्ध करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार पूर्व में छात्रावासों के अन्तःवासियों के अनुरोध पर उनके राशन कार्ड बनवाये जाते रहे हैं। सत्र 1982-83 से इस प्रकार की मांग छात्रों के छात्रावासों से नहीं प्राप्त हुई। छात्राओं के छात्रावास में, जहां कामन मेस है, राशन कार्ड अवश्य बनवाये जाते हैं।

छात्रों के छात्रावास में छात्रों के सहयोग से सहकारी मेस चलाने की योजना है। यह सहकारी मेस सम्बन्धित छात्रावास के प्रोवोस्ट की देख-रेख में चलेंगे। इस प्रकार की व्यवस्था चालू होने पर छात्रों के छात्रावासों के अन्तः-वासियों के राशन कार्ड भी नियमित रूप से बनवाये जायेंगे।

उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान में लेखकों की कृतियों की अनुबन्ध की दर एवं उनके नाम व पते

102—श्री काशी सिंह ऐरी—

प्रथम सत्र 1984 के 3रे सोमवार के लिए निर्धारित अता० प्र० सं० 13 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन लेखकों के नाम व पते समेत उनके विषय क्या हैं जिनकी कृतियों के अनुबन्ध होने थे ? इतने लम्बे समय तक इन अनुबन्ध को लम्बित रखने का क्या कारण है ? प्रश्नकर्ता द्वारा अनुबन्धित दरों को अत्यधिक न्यूनतम दरों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के बाद से नवीन दर पर अनुबन्ध कराने हेतु अब तक क्रमशः क्या-क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

लेखकों के नाम, पते एवं विषय का विवरण संलग्न है।

प्राप्त पाण्डुलिपियों पर भारत सरकार के अनुमोदन के साथ पाण्डु-लिपियों के निर्माण एवं प्रकाशन व्यय का अनुदान भारत सरकार से प्राप्त होता है। तत्पश्चात् लेखकों से अनुबन्ध करा करके पाण्डुलिपियों मुद्रण हेतु प्रेसों को दी जाती हैं। वर्ष 1980-81, 1981-82 तथा 1982-83 में भारत सरकार से न तो इन पाण्डुलिपियों का अनुमोदन मिला और न अनुदान ही प्राप्त हुआ जिसके कारण लेखकों के अनुबन्ध नहीं कराया जा सका। सम्प्रति वर्तमान दरों का पुनरीक्षण विचाराधीन नहीं है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 138 पर।)

103—श्री काशी सिंह ऐरी—

13—चौथे मंगलवार में [अता० प्र० सं० 177 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी के राजकीय इण्टर कालेजों में भौतिक विज्ञापन, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गृह विज्ञान की प्रयोगात्मक परीक्षायें

104—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विगत पांच शिक्षा सत्रों में जनपद पिथौरागढ़ चमोली, उत्तरकाशी के राजकीय इण्टर कालेजों में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान व गृह विज्ञान की प्रयोगात्मक परीक्षायें क्रमशः किन-किन तिथियों में सम्पन्न की गयीं, ये तिथियां लिखित परीक्षाओं से पूर्व थी या बाद में ? सरकार भविष्य में इन प्रयोगात्मक परीक्षाओं को लिखित परीक्षा में से पूर्व अवश्य मेव सम्पन्न कराने के लिए क्या-क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

कुमायूं विश्वविद्यालय, नैनीताल में डा0 एस0 डी0 सिंहल तत्कालीन कुलपति के विरुद्ध आरोपों की जांच

105—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुमायूं विश्वविद्यालय के भू0 प0 कुलपति श्री सिंघल के विरुद्ध किन-किन लोगों, संस्थाओं, प्रतिनिधियों से कब-कब क्रमशः क्या-क्या आरोप-पत्र सरकार को मिले ? शिक्षा सचिव ने किन-किन आरोपों की जांच किन-किन माध्यमों से कब की थी ? क्या इस संबंध में दोषारोपण करने वाले लोगों से भी पूछतांछ की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

कुमायूं विश्वविद्यालय, नैनीताल में डा0 ए0 डी0 सिंघल, तत्कालीन कुलपति के विरुद्ध छात्रों, नगर कांग्रेस कमेटी नैनीताल आदि की शिकायतें वर्ष 1985 में मिली जिनमें कुलपति के विरुद्ध एवम् प्रशासनिक दुर्व्यवस्था तथा नियुक्तियों में गड़बड़ी के आरोप थे । इनकी जांच तत्कालीन शिक्षा सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा की गयी थी । शिक्षा सचिव ने जांच के दौरान छात्रों, अध्यापकों, कुलपति तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों से स्थिति की गोपनीय जानकारी की तथा स्थिति का मूल्यांकन करके अपना प्रतिवेदन दिया प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख नहीं है कि उन्होंने किन-किन लोगों से पूछताछ की और किन-किन लोगों से नहीं की ।

प्रश्न नहीं उठता ।

रामजे इण्टर कालेज, अल्मोड़ा के सेवा-निवृत अध्यापकों की पेंशन तथा राजकीय अंशदान के भुगतान की मांग

106—श्री. काशी सिंह ऐरी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें एवं शिक्षा निदेशक को रामजे इण्टर कालेज, अल्मोड़ा के अवकाश प्राप्त अध्यापकों का दिनांक 6-1-84 का पत्र मिला है जिसमें उन्होंने अपने 2 1/2 वर्ष पूर्व सेवा निवृत्त होने के बाद अभी तक उनकी पेंशन तथा राजकीय अंशदान का भुगतान न होने का जिक्र किया है ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

रामजे इण्टर कालेज, अल्मोड़ा के सेवा निवृत्त अध्यापकों सर्व श्री मोहन चन्द्र जोशी, दुर्गा प्रसाद हटावाल तथा प्रधान लिपिक श्री शेर सिंह का सामूहिक निवेदन पत्र दिनांक 6-1-84 शिक्षा निदेशक को प्राप्त हुआ था ।

उक्त तीनों कर्मचारियों को पेंशन तथा राजकीय अंशदान स्वीकृत हो चुका

है तथा उन्हें पेंशन का नियमित भुगतान हो रहा है ।

पर्वतीय जनपदों के हाई स्कूल तथा इण्टर कालेजों में जे0 टी0 सी0, बी0 टी0 सी0 वेतनमान के शिक्षकों को नवीन वेतनमान दिये जाने की मांग

107--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के आठ पर्वतीय जनपदों में जिन हाई स्कूलों तथा इण्टर कालेजों का विगत पांच वर्षों में प्रान्तीयकरण किया गया उसमें सेवारत जे0 टी0 सी0, बी0 टी0 सी0 वेतनमान के शिक्षकों का अभी तक द्वितीय वेतन आयोग द्वारा संस्तुत नये वेतनमान निर्गत नहीं हुए ? यदि नहीं, तो ये वेतनमान कब तक निर्गत होंगे जबकि शिक्षा विभाग के सभी कर्मचारियों को नये वेतनमान दो वर्ष पूर्व से मिल चुके हैं ?

श्री सिब्ते रजी--

इस मामले की छानबीन की जा रही है ।

108--श्री काशी सिंह ऐरी--

[4थे मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 169 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सहायक अध्यापक (भूगोल) विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा के पदों को नियमित किये जाने के संबंध में कार्यवाही

109--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्रांक 1141/116-आ0 ए0-62-63, दिनांक 24-10-63 के द्वारा जिन 15 अभ्यर्थियों का सहायक अध्यापक (भूगोल), विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा के पदों के लिये चयन किया गया था, उनमें से केवल 9 को ही नियमित रूप से नियुक्त किया गया और शेष 6 को नियमित नियुक्ति न किये जाने के क्या कारण हैं जबकि लोक सेवा आयोग से वे भी चयनित हो गये थे ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

पर्वतीय क्षेत्र में हाई स्कूल व इण्टर कालेजों के प्रान्तीयकरण के फलस्वरूप शिक्षकों की पदावनति का कारण

110--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र में हाई स्कूल व इण्टर कालेजों के प्रान्तीयकरण किए जाने के फलस्वरूप कितने सी0 टी0 ग्रेड के शिक्षकों को पदावनत कर जे0 टी0 सी0 ग्रेड में नियुक्ति दी गयी ? इन शिक्षकों का पद अवनत करने का क्या कारण रहा ? जबकि प्रान्तीय करण की राजाज्ञाओं में ऐसा करने का कोई भी निर्देश नहीं है ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

पर्वतीय क्षेत्र में राजकीय हाई स्कूल व इण्डर कालेजों में प्रधानाध्यापकों, प्रधानाचार्यों के रिक्त पद व पूर्ति

111--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र में वर्तमान में कितने राजकीय हाई स्कूल व इण्टर कालेजों में प्रधानाध्यापकों व प्रधानाचार्यों के पद कब से किस कारण रिक्त पड़े हुए हैं ? इन पदों की रिक्तियों की पूर्ति कब तक की जायेगी ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

पर्वतीय जिलों में बी0 टी0 सी0 तथा सी0 टी0 अध्यापकों को पुनरीक्षित वेतनमान न दिये जाने के कारण

112--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय जिलों में प्रान्तीयकृत हाई स्कूलों तथा इण्टर कालेजों में जो इण्टर बी0 टी0 सी0 तथा सी0 टी0 अध्यापक हैं, उन्हें अभी तक (1-5-85 तक) किन कारणों में 350-720 वेतन-मान के बजाय 200-320 रु0 का वेतनमान दिया जा रहा है ? इनके वेतनमान को पुनरीक्षित न किये जाने के लिए कौन जिम्मेदार है ?

श्री सिब्ते रजी--

इस मामले की छानबीन की जा रही है।

113--श्री काशी सिंह ऐरी--

[4थे मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 171 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री रामदास प्रसाद सिंह, वर्तमान प्रवक्ता, रा0 इ0 का0 देवलीखेत को माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद से सम्बन्धित किया जाना

114--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे की श्री रामदास प्रसाद सिंह, मू0पू0 प्रवक्ता, राजकीय इंटर कालेज, स्यालदे (अल्मोड़ा), वर्तमान, प्रवक्ता रा0इ0 का0, देवलीखेत में कार्यरत रहते हुये माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद से सम्बन्धित किये गये हैं ? यदि हां, तो उपरोक्त दोनों विद्यालयों में इन्होंने कितने समय अनुपस्थित रहते हुए वेतन भत्ता प्राप्त किया ? ऐसा क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

115-116--श्री काशी सिंह ऐरी--

[4थे मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 173-174 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

117-119--श्री काशी सिंह ऐरी--

[4थे मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 174, 175 व 176 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

इंटर व हाई स्कूल परीक्षाफल व प्रमाण-पत्र हेतु देवनागरी लिपि के कम्प्यूटर का उपयोग करने पर विचार

120--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या सरकार को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद द्वारा इंटर व हाई स्कूल परीक्षाफल व प्रमाण-पत्र आंग्ल भाषा में कम्प्यूटर द्वारा तैयार किये जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस कार्य हेतु देवनागरी लिपि के कम्प्यूटर का उपयोग करने हेतु कोई ठोस कदम उठाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

जिला परिषद्, पिथौरागढ़ के डाक बंगलों के किराये पर उठाये गये कक्ष

121--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के मुख्यालयों में स्थित जिला बोर्ड के पुराने डाक बंगलों को आवासीय भवनों में बदलने हेतु कोई राजाज्ञा निर्गत

हुई है ? यदि नहीं, तो पिथौरागढ़ के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के डाक बंगले को परिषदीय अधिकारियों ने क्यों किराये में उठा रखा है ? उसे कब तक खाली किया जायेगा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी नहीं ?

जनपद में आवासीय भवनों की कमी के कारण एवं जिला परिषद् की वित्तीय स्थिति के हित में डाक बंगलों के कक्षों को जिला परिषद् के तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा जनपदीय अधिकारियों को किराये पर दिया गया ।

परिषदीय डाक बंगले को तत्काल खाली कराये जाने के आदेश शासन द्वारा निर्गत कर दिये गये हैं । शीघ्र खाली हो जाने की संभावना है ।

गंगोत्री यात्रा में हरसिल के पास हुई बस दुर्घटना तथा मृत व्यक्तियों के आश्रितों को क्षतिपूर्ति

122—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या परिवहन मंत्री को ज्ञात है कि वर्ष 1984 में गंगोत्री यात्रा में हरसिल के पास एक बस दुर्घटना हुई ? यदि हां, तो क्या पूर्व आयुक्त गढ़वाल ने वर्ष 1976 माडल से पूर्व की सभी बसों को यात्रा कार्य हेतु अनुपयुक्त घोषित कर दिया था, परन्तु नये आयुक्त द्वारा पूर्व अयोग्य यात्रा बसों को यात्रा कार्य हेतु अनुमति दी गयी ? यदि हां, तो किस आधार पर ? क्या इस दुर्घटना की जांच कराकर मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अधिकतम क्षतिपूर्ति देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

राजकुमार संजय सिंह—

जी हां । दिनांक 8-6-84 को हरसिल के निकट बस संख्या यू0 एस0 क्यू0 244 दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, किन्तु यह बस यात्रा धाम के लिए नहीं जा रही थी बल्कि स्थानीय मार्गों पर चलायी जा रही थी । पूर्व में किसी भी आयुक्त ने वर्ष 1976 माडल से पूर्व की बसों को यात्रा हेतु अनुपयुक्त घोषित नहीं किया था और न ही इस सम्बन्ध में कोई आदेश पारित किये गये थे । संभागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून ने दिनांक 21-4-84 को पर्वतीय मार्गों पर 10 वर्ष तक संचालित होने वाली बसों को बदलने का निर्णय लिया था और नई बसें लगाने हेतु 6 माह का (दिनांक 20-10-84 तक क) समय भी दिया गया था । इस पर कुछ वाहन स्वामियों ने माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन देश प्राप्त कर लिए हैं । इस दुर्घटना में शासन द्वारा नियमानुसार कोई क्षतिपूर्ति अनुमन्य नहीं है, क्योंकि सम्बन्धित वाहन के पास दुर्घटनाग्रस्त मार्ग का परमिट नहीं था और न ही दुर्घटना की तिथि को इसका बीमा एवं विटनेस वैध था । इसका यात्रीकर बीमा अधिभार भी जमा नहीं था ।

पिथौरागढ़ में थल-घोड़पाटा मोटर मार्ग पर यात्री बस दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को दी गई धनराशि

123—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या परिवहन मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद पिथौरागढ़ में थल घोड़पाटा मोटर मार्ग के बीच मई, 1984 में कोई यात्री बस दुर्घटना ग्रस्त हुयी ? यदि हां, तो इसमें मृत तथा घायल किन-किन व्यक्तियों के परिवारों/आश्रितों को क्रमशः कितनी-कितनी धनराशि किस-किस तिथि को दी गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

राजकुमार संजय सिंह—

जी हां । दिनांक 17-5-84 को जनपद पिथौरागढ़ में थल-घोटाला मोटर मार्ग के बीच पिथौरागढ़ से मनस्यारी जा रही यात्री बस सं0 यू0 टी0 एफ0

9749 दुर्घटनाग्रस्त हो गयी । इस दुर्घटना में 7 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी तथा 20 व्यक्ति घायल हुए । मृत व्यक्तियों के परिवारों/आश्रितों को दी गई धनराशि तथा तिथि का विवरण संलग्न है । किसी भी घायल से राजकीय चिकित्सालय का अक्षमता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए इनमें से किसी को आर्थिक सहायता स्वीकृत नहीं की गई।

(देखिये नत्थी 'ध' आगे पृष्ठ 140 पर ।)

श्री भागीरथ पान्डेय, भूतपूर्व ग्राम सेवक, विकास क्षेत्र दुगड्डा, जिला पौड़ी गढ़वाल की सेवा समाप्ति तथा देयों का भुगतान

24—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री भागीरथ पांडे, भूतपूर्व ग्राम सेवक, विकास क्षेत्र दुगड्डा, जिला पौड़ी गढ़वाल की सेवायें स्थायी होते हुये भी बिना कारण के दिनांक 6-8-69 को क्यों समाप्त की गई है, और सेवा मुक्त किये जाने पर उनके भविष्य निधि तथा जमानत की धनराशि के लम्बे समय तक भुगतान न किये जाने के कारण क्या है ? उक्त भुगतान कब तक उनको कर दिये जायेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

श्री भागीरथ पान्डे, अस्थायी ग्राम सेवक थे । उनकी सेवाओं की आवश्यकता न होने के कारण उन्हें एक माह का अग्रिम वेतन देकर सेवायें समाप्त कर दी गयीं ।

श्री पान्डे को उनके जमानत की धनराशि भुगतान की जा चुकी है । जहां तक जी0 पी0 एफ0 भुगतान का सम्बन्ध है इसका लेखा महालेखाकार कार्यालय में रखा जाता है । श्री पान्डे द्वारा अभी तक जी0 पी0 एफ0 लेखे के अन्तिम भुगतान हेतु आवेदन-पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत नहीं किया गया है । निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र प्राप्त होने के बाद ही महालेखाकार, उत्तर प्रदेश को उनके जी0 पी0 एफ0 भुगतान के लिए लिखा जा सकेगा ।

125—श्री काशी सिंह ऐरी—

[4थे मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 167 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

लखनऊ विश्वविद्यालय के भवनों का प्राध्यापकों को आवंटन तथा वसूल किया गया किराया

126—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय में वित्तीय वर्ष 1982-83 से 1984-85 तक निर्माणाधीन व निर्मित भवनों को खाली कराने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? खाली कराये गये भवनों से किस दर से कुल कितना किरायः लिया गया ?

श्री सिब्ते रजी—

लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष 1982-83 से 1984-85 तक नवनिर्मित एवं पुराने भवनों को विश्वविद्यालय द्वारा गठित हाउस एलाटमेन्ट कमेटी द्वारा विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों को आवंटित कर दिया गया है । जिन अवकाश प्राप्त अध्यापकों ने मकान खाली नहीं किये हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु कानूनी सलाह ली जा रही है । खाली कराये गये मकानों का वही किराया लिया गया था जो पूर्व में निर्धारित था ।

पर्वतीय क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में बी0 टी0 सी0 वेतनमान में कार्यरत अध्यापकों का स्थायीकरण एवं प्रोन्नति

127—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1967, 1968 और 1969 से जो अध्यापक और अध्यापिकायें पर्वतीय क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में बी0 टी0 सी0 वेतनमान में कार्यरत हैं, उन्हें अभी तक किन कारणों से स्थायी एवं पदोन्नत नहीं किया गया है ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद पिथौरागढ़ एवं अल्मोड़ा में परिवहन निगम के डिपो में हानि-लाभ

128—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ अल्मोड़ा में विगत तीन वर्षों में डिपोवार क्रमशः कितना हानि-लाभ अर्जन किया ? इन डिपो में क्रमशः कितनी यात्री बसें कार्यरत रही हैं ? पर्वतीय क्षेत्रों की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थियों को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार वहां और अधिक डिपो खोलने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

राजकुमार संजय सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

पिथौरागढ़ में तहसीलवार प्राइमरी पाठशालाओं की आवश्यकता

129—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में तहसीलवार अब भी पर्वतीय मानक के अनुसार कुल कितने प्राइमरी पाठशालाओं की आवश्यकता है ? इन तहसीलों में इन्हें क्रमशः कब तक पूरा कर दिया जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री सिब्ते राजी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

130—श्री काशी सिंह ऐरी—

[4थे मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 167 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा प्राप्त ऋणों का विवरण

131—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने दिनांक 1 मई, 1985 तक किन स्रोतों से क्रमशः किस ब्याज की दर से कितनी धनराशि ऋण के रूप में प्राप्त की है ? निगम द्वारा ऋण की अदायगी करने हेतु क्या-क्या समयबद्ध कदम उठाये हैं ? उपरोक्त संस्था कब तक पूर्ण ऋण मुक्त हो जायेगी ?

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने 1 मई, 1985 तक निम्न स्रोतों से उनके सम्मुख उल्लिखित ब्याज दर पर जो ऋण प्राप्त किये हैं, का विवरण निम्न प्रकार से है :—

संस्था का नाम	प्राप्त ऋण की राशि	ब्याज दर	1 मई, 1985 को अवशेष स्थिति
		प्रतिशत	(रुपया लाखों में)
1—राज्य सरकार	3,633.46	8 से 15.5	2,019.74
2—स्टेट बैंक आफ इंडिया	199.50	12.5 से 15	शून्य
3—आई० डी० बी० आई०	3,296.04	8 से 25.71	2,181.82
4—भारत सरकार	280.00	11.75	112.00
5—बैंक आफ बड़ौदा	50.00	12.5 से 15	शून्य
6—सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	498.53	12.5 से 15	40.00
7—यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	258.40	12.5 से 13.5	शून्य
8—इलाहाबाद बैंक	91.38	तदेव	शून्य
9—भारतीय जीवन बीमा निगम	2,117.00	12 से 14	1,451.80
10—उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम	50.00	12 से 14	शून्य
योग ..	10,474.31	..	5,805.3

उक्त ऋणों के अतिरिक्त वर्ष 1974-75 में सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया द्वारा रुपया 450 लाख की नकद शाख सुविधा (कैश क्रेडिट लिमिट) भी प्रदान की गयी है जिसका उपभोग परिवहन निगम यथाआवश्यकता करता है। परिवहन निगम द्वारा उपरोक्त ऋणों में से जो ऋण बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त किये हैं, का सामयिक भुगतान अब तक सुनिश्चित किया गया है।

निगम एक वाणिज्यिक संस्थान है जिसमें ऋण लेना एवं उसे वापस करने की प्रक्रिया वर्तमान वित्तीय स्थिति में चलती रहेगी।

भू-गर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में कार्यरत अधिशासी अभियन्ताओं को सेवा विहीन समय को जोड़ कर प्रोन्नति का लाभ

132—श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में कार्यरत अधिशासी अभियन्ताओं को जो विभाग में सरकारी सेवा से छटनी किये गये थे, उनके सेवा विहीन समय को जोड़कर सेवा का लाभ देकर उनको प्रथम श्रेणी में प्रोन्नत किया गया है ? यदि हां, तो किस नियम के

अन्तर्गत ? क्या इस प्रकार का लाभ उक्त संगठन में कार्यरत सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को दिया जा रहा है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी नहीं।

भू-गर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में किसी अधिकारी को उनके सेवा विहीन समय को जोड़ कर प्रोन्नत का लाभ नहीं दिया गया है।

सीतापुर जनपद के विकास खंड परसेंडी में आई0 आर0 डी0 योजनान्तर्गत बकरियों के क्रय हेतु ऋण लाभार्थियों की जांच

133—श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर जिले के विकास खंड परसेंडी में किन-किन लाभार्थियों ने पंजाब बैंक, सीतापुर से कर्ज पाकर बकरियां माह दिसम्बर, 1984 में खरीदी हैं ? सरकार इस बात का सत्यापन करायेगी कि क्या वास्तविक लाभार्थियों को बकरी मिली है अथवा फर्जी भुगतान हुआ है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

सीतापुर जनपद के विकास खंड परसेंडी में आई0 आर0 डी0 योजना के अन्तर्गत माह दिसम्बर, 1984 में 26 लाभार्थियों ने पंजाब नेशनल बैंक, सीतापुर से बकरियों के क्रय हेतु ऋण लिया।

उपरोक्त लाभार्थियों में से नमूने के रूप में 3 लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन किया गया जिनमें ऋण/अनुदान के दुरुपयोग के दृष्टान्त प्राप्त हुये। मामले की विस्तृत जांच की जा रही है।

बहराइच जनपद के वैद्य भगवानदीन बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्राधिकृत नियन्त्रक की नियुक्ति

134—श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बहराइच की तहसील नानपारा में स्थित वैद्य भगवानदीन बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अक्तूबर, 1977 में शिक्षा अधिनियम की धारा 16 डी(4) के अधीन प्राधिकृत नियन्त्रक की नियुक्ति की कार्यवाही की गयी थी तथा वर्ष 1979 में 16-डी(5) में विशेष सूचना जारी की गयी थी ? यदि हां, तो नियन्त्रक द्वारा 16-डी (5) के तहत क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री सिब्ते रजी—

प्रश्नगत विद्यालय में शासनादेश, दिनांक 6 अक्तूबर, 1977 द्वारा इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की तत्कालीन प्रवृत्त धारा 16-घ की उपधारा 4 (1) के अधीन प्राधिकृत नियन्त्रक की नियुक्ति की गई थी। वर्ष 1979 में धारा 16-घ (5) में विशेष सूचना जारी नहीं की गयी थी वरन् शासनादेश दिनांक 6 दिसम्बर, 1979 यथा संशोधित आदेश दिनांक 12 सितम्बर, 1980 द्वारा नियुक्त प्राधिकृत नियन्त्रक के कार्यकाल में दिनांक 10 अक्तूबर, 1980 तक की वृद्धि स्वीकृति की गई थी। शासनादेश दिनांक 14 अक्तूबर, 1980 द्वारा प्राधिकृत नियन्त्रक की नियुक्ति समाप्त की जा चुकी है।

सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को पेंशन का विकल्प देने की पुनः सुविधा दिये जाने से लभ्य पेंशन तथा लाभत्रयी योजनान्तर्गत लाभ पेंशन

135—श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 1975 में पेंशन का विकल्प न

भरने वाले सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को पुनः विकल्प भरने की सुविधा दे रही है ?

श्री सिब्ते रजी--

जी नहीं ।

136--श्री राजेन्द्र गुप्त--

क्या सरकार को यह ज्ञात है कि लाभत्रयी योजना के अन्तर्गत ऐसे अध्यापकों को मात्र 60 (साठ) रुपये पेंशन मिलती है ? यदि उन्हें विकल्प पत्र भरने की आज्ञा प्रदान की गई तो उन्हें पांच सौ से एक हजार तक पेंशन मिलने लगेगी ?

श्री सिब्ते रजी--

लाभत्रयी योजना के अन्तर्गत आने वाले पेंशनरों को 60 रुपये से लेकर 150 रुपये प्रतिमाह तक पेंशन मिलती है । विकल्प पत्र भरने की आज्ञा देने पर इन्हें अपेक्षाकृत अधिक पेंशन मिल सकती है, जो उनके वेतन पर आधारित होगी ।

अग्रसेन इन्टर कालेज, इलाहाबाद के प्रवक्ता श्री राम गोपाल संड को स्वीकृत पेन्शन

137--श्री राजेन्द्र गुप्त--

क्या सरकार को ज्ञात है कि अग्रसेन इन्टर कालेज इलाहाबाद के प्रवक्ता (श्री राम गोपाल संड) को मात्र रुपया 60 पेन्शन दिनांक 23-11-1984 को स्वीकृत की गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पेन्शन को बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की यात्री बसों में मासिक यात्री टिकट की सुविधा

138--श्री राजेन्द्र गुप्त--

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि रेलवे की भांति उत्तर प्रदेश राजकीय सड़क परिवहन निगम की यात्री बसों में दैनिक यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए रियायती दर पर मासिक यात्री टिकट जारी न करने का क्या कारण है ?

राजकुमार संजय सिंह--

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की यात्री बसों में एक निर्धारित मार्ग पर दैनिक यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए 40 सिंगिल फेयर के आधार पर रियायती दर पर मासिक पास की सुविधा उपलब्ध है ।

सीतापुर अनपद के जूनियर हाई स्कूल बड़ागांव, परसेंडी का भवन निर्माण

139--श्री राजेन्द्र गुप्त--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगी कि विकास खंड परसेंडी, जिला सीतापुर के जूनितर हाई स्कूल बड़ागांव (बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित) का भवन निर्माण 3 वर्ष पूर्व स्वीकृत होने के बाद भी अब तक न बन पाने का क्या कारण है ? भवन कब तक बन जायेगा ?

श्री सिब्ते रजी--

वर्ष 1978-79 में तीन स्कूलों के भवन निर्माण के लिये धनराशि आवंटित की गई थी जिनमें बड़ागांव परसेंडी का स्कूल भी शामिल था, किन्तु निर्माण की लागत बढ़ जाने के कारण आवंटित धनराशि से केवल 2 ही स्कूलों का निर्माण हो सका । बड़ागांव परसेंडी के स्कूल का निर्माण नहीं हो पाया ? यह धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

श्री वैध भगवानदीन बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नानपारा, जिला बहराइच में साधिकार नियंत्रक की नियुक्ति तथा शिक्षा निदेशक की जांच रिपोर्ट

140--श्री राजेन्द्र गुप्त--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1984 के पहले मंगल के लिये निर्धारित प्रश्न कर्ता के तारांकित प्रश्न संख्या 17 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि शिक्षा निदेशक की जांच रिपोर्ट क्या है तथा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री सिब्ते रजी--

शिक्षा निदेशक से अभी आख्या प्राप्त नहीं हुई है ।

कुमाऊ मन्डल में नये विकास खंडों का सृजन

141--श्री पूरन सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कुमांऊ मंडल के तीनों जनपद अल्मोडा, पिथौरागढ़ व नैनीताल के लिए सरकार ने सन् 1980-85 के मध्य कुछ नये ब्लाक खोले जाने की घोषणा की थी ? नये ब्लाक किन-किन जनपदों में खोल दिय गये हैं, जिन जनपदों में नहीं खोले गये हैं वहां कब तक खोल दिये जायेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

वर्ष 1980-85 के मध्य कुमांऊ मन्डल के जनपद नैनीताल में जसपुर, धारी, कोटाबाग तथा सितारगंज नामक 4 तथा जनपद पिथौरागढ़ में पाटी नाम एक नया विकासखण्ड खोला गया । वर्तमान में किसी नये विकास खंड सृजित करने का प्रस्ताव नहीं है ।

142--श्री पूरन सिंह--

[2रे मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 61 क अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

राम गंगा कमांड क्षेत्र के भूतपूर्व प्रशासनिक अधिकारी श्री राधा मोहन अग्नि-होत्री के आवास का किराया

143--श्री शिरोमणि भाई--

क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राम गंगा कमांड क्षेत्र के भूतपूर्व प्रशासनिक अधिकारी (श्री राधा मोहन अग्निहोत्री) जिनका लगभग 1 वर्ष पूर्व स्थानान्तरण हो चुका है अभी भी उसी मकान में रह रहे हैं तथा उसका किराया बिजली आदि राम गंगा कमांड समादेश द्वारा वहन किया जा रहा है ? यदि हां, तो उस मकान पर होने वाला परिव्यय उक्त अधिकारी से वसूल किया जायगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी हां ।

प्रश्नगत भवन संख्या--37 क्यू ब्लाक शारदा नगर कानपुर रामगंगा प्राधिकारी द्वारा किराये पर लिया गया है जिसके एक भाग में श्री अग्निहोत्री रह रहे थे । श्री अग्निहोत्री द्वारा यह भवन 18-6-1985 को खाली कर दिया गया है । वह वर्तमान समय में परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के पद पर कानपुर में कार्यरत हैं । उनसे, उनके द्वारा प्रयोग में लाये गये भवन के भाग के किराये की मांग की गयी है और जिलाधिकारी कानपुर नगर को निर्दिष्ट किया गया है कि किराया तुरन्त रामगंगा प्राधिकारी में जमा करा दें । इस भाग से सम्बन्धित बिजली के बिलों का भुगतान रामगंगा प्राधिकारी द्वारा नहीं किया जाता है ।

श्री भीक चन्द्र अवकाश प्राप्त अध्यापक, नगर क्षेत्र मथुरा की पेंशन

144--श्री सरदार सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री की जानकारी में है कि मथुरा के बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहां से पेंशन पाने वाले (श्री भीक चन्द्र), अवकाश प्राप्त अध्यापक, नगर क्षत्र मथुरा की पेंशन रोक दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या शासन अविलम्ब इस अध्यापक को पेंशन देना प्रारम्भ कर देगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा कोटद्वार को अलग रीजन तथा श्रीनगर में परिवहन डिपो स्थापित किये जाने का कथित निर्णय

145--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत कोटद्वार को उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम का अलग रीजन एवं श्रीनगर (गढ़वाल) में परिवहन डिपो स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा कब निर्णय लिया गया था और कब तक इस निर्णय को क्रियान्वयन किये जाने की संभावना है ।

राजकुमार संजय सिंह--

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत कोटद्वार को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का अलग रीजन एवं श्रीनगर (गढ़वाल) में परिवहन डिपो स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में परिवहन निगम के प्रबन्ध बोर्ड द्वारा कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है, तथा इस विषय में शासन द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

कानपुर विश्वविद्यालय के आशुलिपिकों का वेतनमान

146--श्री मित्रसेन--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर विश्वविद्यालय के आशुलिपिकों को (वेतनमान 470-735) अन्य विश्वविद्यालयों के आशुलिपिकों के (515-860 रु0) की अपेक्षा कम वेतन मान क्यों निर्धारित किया गया है ? क्या सरकार कानपुर वि0 वि0 के आशुलिपिकों को अन्य विश्वविद्यालयों की भांति वेतनमान प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक? इस सम्बन्ध में श्री बी0 एल0 श्रीवास्तव, पी0 ए0 कुल सचिव, कानपुर वि0 वि0 टेक्निकल स्टाफ एसोसियेशन कानपुर का दिनांक 26-4-85 का पत्र शिक्षा सचिव को भेजा गया है ? यदि हां, तो उसपर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

राज्य सरकार के द्वितीय वेतन आयोग (1979-80) की संस्तुतियों पर प्रसारित शासकीय संकल्प संख्या-वे0आ0/1590/दस-42 (एम)/1980, दिनांक 29-9-81 के अनुसार ही सभी प्रदेशीय विश्वविद्यालयों के आशुलिपिकों के वेतन-मान पुनरीक्षित किये गये हैं । आशु-लिपिक के 300-500 रु0 के पुराने वेतनमान को 515-860 में तथा 250-425 के पुराने वेतनमान को 470-735 रु0 में पुनरीक्षित किया गया है । अन्य विश्वविद्यालयों के समान ही कानपुर विश्वविद्यालय में भी 250-425 रु0 के पुराने वेतनमान में कार्यरत आशुलिपिकों को यथानुसार 470-735 रु0 का पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकार किया गया है ।

जी हां, वेतनमान के पुनरीक्षण में कोई असंगति नहीं पाई गई ।

147--श्री शेर बहादुर सिंह--

[दिनांक 12-7-85 को अतारां प्र0 सं0 129 द्वारा उत्तरित ।]

हरदोई जनपद के माधोगंज बिलग्राम क्षेत्र की वन गायों को पकड़वाने का निर्णय

148—श्री राम आसरे (हरदोई)—

क्या पशुपालन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के माधोगंज बिलग्राम क्षेत्र की बन गायों को पकड़वाने का मसला शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसपर कब तक अंतिम निर्णय ले लिया जायेगा ।

श्रीमती बेनी बाई—

जी हां ।

अन्तिम निर्णय ले लिया गया है तथा वन गायों को पकड़वाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है ।

श्री शम्भू प्रसाद कोठियाल, सहायक अध्यापक, रा0 इ0 कालेज, नन्द प्रयाग जिला चमोली का निलम्बन तथा निलम्बन अवधि के अवशेष वेतन का भुगतान

149—डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किन कारणों से श्री शम्भु प्रसाद कोठियाल, सहायक अध्यापक, रा0 इन्टर कालेज नन्दप्रयाग, जिला चमोली को दिनांक 20-6-81 को उप निदेशक शिक्षा गढ़वाल मंडल पौड़ी गढ़वाल के कार्यालय से सम्बद्ध कर दिया गया और फिर उनको निलम्बित कर दिया गया तथा पुनः 14-5-82 को उनका निलम्बन समाप्त कर दिया गया, तो निलम्बन के समय का जो वेतन का अवशेष है उसका भुगतान 30-4-85 को क्यों नहीं किया गया और कौन अधिकारी इसके लिए उत्तरदायी है तथा उन्हें इसके लिए क्या दंड दिया गया है ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

शिव हर्ष किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बस्ती द्वारा क्रय किये गये फर्नीचर का विवरण तथा क्रय-व्यय का भुगतान

150—डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिव हर्ष किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बस्ती के प्रयोग हेतु जनवरी, 1984 से मार्च, 1985 तक कुल कितना फर्नीचर किस-किस फर्म से कब-कब क्रय किया गया तथा कुल कितन-कितने रुपये का अब तक पेमेन्ट कालेज द्वारा किया गया ?

श्री सिब्ते रजी—

स्थिति निम्नवत् है—

माह	फर्नीचर का नाम	मात्रा	फर्म का नाम	क्रय का दिनांक
1	2	3	4	5
अगस्त, 1984	इक्जीक्यूटिव टेबुल	1	गाबरेज (द्वारा प्रभात एजेन्सी बस्ती)	14-8-84
	इक्जीक्यूटिव चेयर	1	,,	14-8-84
	आफिस चेयर	10	,,	14-8-84

1	2	3	4	5
दिसम्बर, 1984	स्टूडेन्ट चेयर	100	हाफिज एण्ड सन्स, बरेली	10-12-84
	स्टूडेन्ट डेस्क	100	,,	10-12-84
	लैबस्टूल	100	,,	20-12-84
	टीचर्स टेबुल	10	,,	20-12-84
	बेन्च	2	,,	20-12-84
मार्च, 1985	आफिस चेयर	2	गोदरेज (द्वारा प्रभात एजेन्सी बस्ती)	14-3-85

महाविद्यालय की वित्त समिति की बैठक दिनांक 14-6-84 में सत्र 1984-85 के लिए फर्नीचर क्रय हेतु 50,000 रु0 का प्राविधान किया गया। उक्त क्रय किये गये फर्नीचरों से सम्बन्धित अब तक सेल्स टैक्स एवम् मार्ग व्यय सहित कुल 29,428 रु0 का भुगतान किया जा चुका है।

श्री राम बरन, ग्राम कोलवा, जनपद बाराबंकी का शिक्षा मंत्री को सम्बोधित-पत्र

151--श्री राम सागर--

क्या शिक्षा मंत्री (बेसिक शिक्षा) को ज्ञात है कि दिनांक 15-11-84 को माननीय सदस्य, ईश्वर शरण विद्यार्थी एवं बलवीर सिंह द्वारा संस्तुत श्री राम बरन पुत्र सालिक, ग्राम कोलवा, परगना रुदौली, जनपद बाराबंकी का शिकायती-पत्र शिक्षा सचिव, जिलाधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी को तथा सभापति, लोक लेखा समिति (श्री ऊदल) द्वारा संस्तुत संलग्न पत्र दिनांकित 19-11-84 का माननीय मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो मुख्य शिकायतें क्या हैं ? जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गयी ? जांच रिपोर्ट क्या है ? जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध क्या दण्डात्मक कार्यवाही की गयी ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

गौरीकुण्ड सोन प्रयाग मार्ग पर महेशानन्द पुत्र श्री सुरेशानन्द की बस से कुचल कर मृत्यु परिवार को आर्थिक सहायता

152--श्री मित्रसेन--

उ0 प्र0 विधान सभा के प्रथम-सत्र 84 के सातवें बुधवार के प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये अता0 प्रश्न संख्या 107 के उत्तर के संदर्भ में क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासनादेश संख्या 2791-प/तीस-31-डब्लू/81, जिलाधिकारी, चमोली के परिचालन में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? बालक महेशानन्द त्रियुगी नारायण, जिला चमोली की बस दुर्घटना में हुई दुःखद मृत्यु से पीड़ित परिवार को अब तक आर्थिक सहायता न दिये जाने का क्या कारण है ?

राजकुमार संजय सिंह--

घटित दुर्घटना में मृतक श्री महेशानन्द के उत्तराधिकारी पिता श्री सुरेशानन्द को शासनादेश संख्या 2791-प/तीस-

31-डब्लू-81, दिनांक 25-7-81 के अन्तर्गत परिवहन आयुक्त द्वारा रुपया 5,000 की सहायता स्वीकृत कर दी गयी है। विलम्ब का कारण मुख्यतः वाहन के सम्बन्ध में कुछ अनिवार्य सूचनाएं पहले से उपलब्ध न रहीं जिन्हें प्राप्त करने में कुछ समय लगा।

स्वर्गवासी श्री हरस्वरूप, रिटायर्ड हेड मास्टर, प्राइमरी पाठशाला, एआदनगर, जनपद गाजिया बाद की विधवा को पारिवारिक पेन्शन

153—श्री किरनपाल सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री हरस्वरूप, रिटायर्ड हेड मास्टर, प्राइमरी पाठशाला, एआदनगर, डाकखाना बाबूगढ़, जिला गाजियाबाद का स्वर्गवास 7-12-68 को हो गया था तथा इनकी विधवा श्रीमती परसन्दी देवी को लाभयी योजना दिनांक 17 दिसम्बर, 1965 लखनऊ की धारा 14 के अन्तर्गत पारिवारिक पेंशन न दिये जाने का क्या कारण है तथा पारिवारिक पेंशन कब से दी जाने लगेगी ?

श्री सिद्धे रजो—

सूचना एकत्र की जा रही है।

स्वर्गवासी श्री करन सिंह, चपरासी, कार्यालय, डिप्टी इंसपेक्टर आफ स्कूल्स, मेरठ की विधवा को पारिवारिक पेन्शन की स्वीकृति तथा ग्रेच्युटी व बीमा की धनराशि

154—श्री किरनपाल सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि श्री करन सिंह, चपरासी, कार्यालय, डिप्टी इंसपेक्टर आफ स्कूल्स, मेरठ 31-1-78 को सेवा-निवृत्त हुए थे तथा 10-1-1979 को उनका स्वर्गवास हो गया था ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि इनकी बीमा की धनराशि तथा ग्रेच्युटी की धनराशि अभी तक इनकी विधवा श्रीमती जमुना देवी को नहीं मिली है और उन्हें पारिवारिक पेन्शन भी मिलनी शुरू नहीं हुई है ? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में अब तक कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ? श्रीमती जमुना देवी को समस्त देय धनराशि तथा पारिवारिक पेन्शन कब तक दिला दी जायेगी ?

श्री सिद्धे रजो—

सूचना एकत्र की जा रही है।

सी0 एल0 इन्टर कालेज, चोला बंचावली, जनपद बुलन्दशहर में प्रधानाचार्य तथा प्रबंधक समिति द्वारा की गई अनियमितताओं व घोटाले की जांच

155—श्री किरनपाल सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सी0 एल0 इन्टर कालेज चोला बंचावली, जनपद बुलन्दशहर में प्रधानाचार्य तथा प्रबंधक समिति द्वारा की जा रही घोर अनियमितताओं व घोटाले सम्बन्धी शिकायती-पत्र प्रश्नकर्ता के दिनांक 27-12-1982 के पत्र के साथ मिला था ? यदि हां, तो उक्त मामले में कोई उच्चस्तरीय विभागीय जांच कराई गई ? यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धे रजो—

इस प्रकरण में सह-जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा जांच कराई गई। जांच में कतिपय अनियमिततायें पाई गईं। विद्यालय में वेतन वितरण अधिनियम, 1971 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति की गई।

जनपद बुलन्दशहर के कतिपय ग्रामों में जूनियर हाई स्कूल व प्राइमरी पाठशालाओं के भवनों के निर्माण की मांग

156--श्री किरन पाल सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर की तहसील बुलन्दशहर के अन्तर्गत ग्राम सालाबाद धमेड़ा तथा चितसोना निन्वाना, ग्राम धमेड़ा कोरत में क्रमशः जूनियर हाई स्कूल व प्राइमरी पाठशालाओं के भवन का निर्माण 30 जून, 1984 तक पूर्ण होना निश्चित था ? यदि हां, तो उक्त विद्यालयों के भवनों के अब तक निर्माण न होने के क्या कारण हैं? उक्त विद्यालय के भवन कब तक निर्मित हो जायेंगे?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है ?

स्वर्गीय श्री मुनव्वर अली, शिक्षा अधीक्षक, खुर्जा की पत्नी को समस्त देय धनराशि तथा पारिवारिक पेंशन का भुगतान

157--श्री किरनपाल सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मुनव्वर अली, शिक्षा अधीक्षक, खुर्जा जनपद बुलन्दशहर का 27 सितम्बर, 1980 को स्वर्गवास हो गया था ? यदि हां, तो क्या उनकी विधवा मुर्तिजा खातून को समस्त देय धनराशि तथा पारिवारिक पेंशन नहीं मिली है ? यदि हां, तो क्यों तथा कब तक सभी भुगतान कराकर पारिवारिक पेंशन दिला दी जायेगी ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है ?

पंचायत राज निदेशालय लिपिक वर्ग की सेवा नियमावली

158--श्री मित्रसेन--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के द्वितीय सोमवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 59 के उत्तर के संदर्भ में क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज निदेशालय लिपिक वर्ग की सेवा नियमावली, 1979 में उल्लिखित नियम 28 का परीक्षण करा लिया है ? क्या उक्त नियम के अन्तर्गत निदेशालय में कार्यरत अनुसूचित जाति के वरिष्ठ लिपिकों को वरिष्ठ सहायकों के आरक्षित पदों पर पदोन्नति में आरक्षण कोटा पूरा किये जाने सम्बन्धी शासन की निर्णीत नीति के अनुसार पदोन्नतियां दिये जाने में कोई आपत्ति है ? यदि हां, तो वह क्या है ? क्या उक्त नियमावली के नियम 27 के अन्तर्गत कोटा पूरा किये जाने हेतु सेवा शर्तों में छूट प्रदान किये जाने अथवा अन्य विधिक कमियों को दूर करने की दृष्टि से नियमावली को संशोधित किये जाने पर भी सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी हां ।

चूंकि शासन की वर्तमान नीति में अनुसूचित जाति/जन जाति के सदस्यों को पदोन्नति की उपयुक्तता के मापदन्ड में कोई छूट नहीं दी गई है और यह एक सामान्य नीति है जो कि सभी वर्गों के पदों पर पदोन्नति के मामले में अपनाई जाती है । अतः पंचायत राज निदेशालय के कर्मचारियों के लिए भिन्न नीति अपनाया जाना प्रशासनिक दृष्टिकोण से औचित्य पूर्ण नहीं पाया गया ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम सभा मेवापुर मुताल के देवगांव, जिला फैजाबाद में प्राइमरी स्कूल खोले जाने की मांग

159—श्री रमेश यादव—

क्या सरकार बतायेगी कि जिले के प्रत्येक ब्लाक की प्रत्येक ग्राम सभा में एक प्राइमरी स्कूल खोले जाने का आदेश शासन द्वारा जारी किया गया है ? यदि हां, तो ग्राम सभा मेवापुर मुताल के देवगांव, जिला फैजाबाद में प्राइमरी स्कूल कब तक खोल दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

160—श्री अवधेश प्रसाद—

[1ले मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 196 के अन्तर्गत स्थानान्तरित] ।

जूनियर हाई स्कूल एकडंगवा, जिला बस्ती के सेवा निवृत्त सहायक अध्यापक, श्री अम्बिका मणि त्रिपाठी की पेंशन बनाये जाने का आधार

161—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि श्री अम्बिका मणि त्रिपाठी, सहायक अध्यापक (सेवा निवृत्त) जूनियर हाई स्कूल एकडंगवा, जिला बस्ती की नियुक्ति 1 अगस्त, 1949 को हुई थी तथा 30 जून, 1980 को वह सेवा निवृत्त हुए । इस प्रकार कुल 30 वर्ष 10 माह कार्य करने के उपरान्त वह सेवा निवृत्त हुए हैं ? क्या यह भी सही है कि श्री अम्बिका मणि त्रिपाठी की पेंशन 30 वर्ष 10 माह के वेतन तथा सेवा काल के आधार पर न बनाकर केवल 30 वर्ष के आधार पर ही बनाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है ?

विकास खंड साथा एवं विकास खंड खेसरहा में ग्राम्य विकास अधिकारियों एवं ग्राम्य पंचायत अधिकारियों द्वारा बरती गयी अनियमितताओं सम्बन्धी कथित शिकायती-पत्र

162—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 25, मार्च, 84 से 30 जून, 84 के बीच उप विकास आयुक्त, गोरखपुर मण्डल की बाबत विधान सभा क्षेत्र खेसरहा, जनपद बस्ती के विकास खंड साथा एवं विकास खंड खेसरहा में कुछ ग्राम्य विकास अधिकारियों एवं ग्राम्य पंचायत अधिकारियों द्वारा बरती गई घोर अनियमितताओं एवं गबन इत्यादि की जांच हेतु प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त संदर्भित पत्र में उठाये गये मामलों पर जांच की गई ? यदि जांच की गई तो किस अधिकारी द्वारा जांच किया गया और किन-किन लोगों के बयान लिये गये तथा जांच आख्या क्या है और यदि जांच नहीं की गई तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

उप विकास आयुक्त, गोरखपुर कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार विधान सभा क्षेत्र खेसरहा, जनपद बस्ती के विकास खंड साथा एवं विकास खंड खेसरहा के कतिपय ग्राम विकास अधिकारियों एवं ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा बरती गयी घोर अनियमितताओं एवं गबन से सम्बन्धित शिकायतकर्ता का कोई पत्र दिनांक 25 मार्च, 1984 से 30 जून, 1984 के बीच उप विकास आयुक्त, गोरखपुर मण्डल को प्राप्त नहीं

हुआ है । अतएव उक्त मामले की जांच किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद गाजीपुर में मान्यता प्राप्त स्कूल और कालेज व उनके भवन निर्माण की मांग

163--श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद में कितने स्कूल और कालेज हैं और कितनों को मान्यता मिली हुई है तथा यह भी बताने की कृपा करें कि कितने मान्यता-प्राप्त स्कूल ऐसे भी हैं जिनके भवन ही नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उसके लिये भवन निर्माण कराने की कृपा करेगी ? यदि हां तो कब तक ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अरबी मदरसों की मान्यता पर लगाई गई रोक

164--श्री मोहम्मद मसूद खां--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि अरबी मदरसों में नयी नियुक्तियां, नये पदों का सृजन तथा नये मदरसों की मान्यता पर शासन ने रोक लगा दी है ? यदि हां, तो क्यों और कब समाप्त करेंगे ?

श्री सिब्ते रजी--

जी हां । अरबी मदरसों की मान्यता तथा इन मदरसों में अध्यापकों की संख्या आदि के सम्बन्ध में यथोचित मानक/शर्तों के निर्धारित न होने के कारण इन मदरसों को मान्यता दिये जाने तथा रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में रोक लगायी गयी है । इस प्रतिबन्ध को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में कोई निश्चित तिथि इंगित करना सम्भव नहीं है ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, एटा श्री शत्रुघन प्रसाद मिश्रा के विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायती-पत्र

165--श्री सत्यपाल सिंह तथा श्री शारदा नन्द अंचल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेवा राम, ग्राम प्रधान, नगला सुम्मेर, जिला एटा ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, एटा श्री शत्रुघन प्रसाद मिश्रा के विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी कोई शिकायती-पत्र दिनांक 27-1-85 को शिक्षा सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को दिया था, जिस शिकायती पत्र पर जांच कराने की संस्तुति तत्कालीन विधायक, श्री नेत्रपाल सिंह राघव, एटा व सहकारिता राज्य मंत्री, श्री काशीनाथ मिश्र ने की थी ? यदि हां तो उक्त शिकायती पत्र का मुख्य बिन्दु क्या है और इसकी जांच किस अधिकारी से कराई गई और क्या तथ्य पाये गये ?

श्री सिब्ते रजी--

जी, हां । जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, एटा के विरुद्ध, श्री मेवा राम, ग्राम प्रधान, नगला सुम्मेर, जिला एटा का एक दिनांक रहित शिकायती-पत्र श्री नेत्रपाल सिंह राघव, विधायक व सहकारिता राज्य मंत्री के पत्र दिनांक 28-1-1985 के साथ प्राप्त हुआ था । दिनांक 27-1-1985 को कोई शिकायती-पत्र या पत्र प्राप्त नहीं हुआ । शिकायती पत्र में श्री शत्रुघन प्रसाद मिश्र, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, एटा के विरुद्ध निम्नांकित बिन्दुओं पर शिकायतें की गई हैं :

1--चपरासियों की अवैधानिक नियुक्तियां कीं ।

2--अवैध रूप से पैसा लेकर अध्यापकों को 22बी का लाभ दिया जिससे शासन को आर्थिक क्षति पहुंची ।

3—बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षणार्थियों के चयन में उत्कोच लेकर अनियमितता की ।

4—बी0 टी0 सी0 अध्यापकों की पैसा लेकर अनियमित नियुक्तियां की ।

5—त्रिभाषा सूत्र सम्बन्धी अध्यापकों को अवैध भुगतान किया।

6—अध्यापिकाओं का शोषण किया ।

7—शालाहार योजना में नाजायज तौर पर पैसा कमाया ।

8—पाधिकार नियंत्रक के रूप में अनियमिततायें की । शिकायतों की जांच मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक से कराई जा रही है ।
जांच आख्या प्रतीक्षित है ।

बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त मकतब तथा उन पर व्यय

166—श्री बुनियाद हुसेन अंसारी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त कितने ऐसे मकतब हैं जिनमें दीनों तालीम के साथ-साथ दर्जा 5 तक की बेसिक शिक्षा दी जाती है ? मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जिलावाइज इन पर सरकार की ओर से क्या खर्च आता है ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

विकास खंड हरख, जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत बरौली मनिक से हतिमापुर मार्ग निर्माण में धन के दुरुपयोग की जांच

167— श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खंड हरख, जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत वर्ष 1984 में बरौली मनिक से हतिमापुर मार्ग का निर्माण 15 दिनों के अन्दर हुआ ? क्या शासन को इस मार्ग के सम्बन्ध में 15 अप्रैल, 1985 को मार्ग निर्माण में सरकारी धन के दुरुपयोग की शिकायत प्रश्नकर्ता द्वारा प्राप्त हुई ? यदि हां, तो शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी नहीं । प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 18 अप्रैल, 1985 प्राप्त हुआ था । इसकी जांच मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा कराई जा रही है । जांच रिपोर्ट प्रतीक्षित है ।

प्राइमरी पाठशाला बरियावन, जनपद फैजाबाद की सहायक अध्यापिका, श्रीमती प्रेमा देवी के बकाया, वेतन का भुगतान, संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही

168—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि श्रीमती प्रेमादेवी स0 अ0, प्राइमरी पाठशाला बरियावन, जनपद फैजाबाद का जुलाई, 1975 का वेतन देय है और उन्हें भुगतान नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों और उसके लिए कौन कर्मचारी/अधिकारी दोषी हैं ? क्या दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध मंत्री जी कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों और बकाया वेतन का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां, माह जुलाई, 1975 में श्रीमती प्रेमादेवी, सहायक अध्यापिका की विद्यालय में उपस्थिति की जांच की जा रही है । जांचोपरान्त ही उनके वेतन भुगतान तथा दोषी पाए गए कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही पर निर्णय लिया जायेगा ।

169—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रीमती प्रेमा देवी, सहायक अध्यापिका कन्या प्राइमरी पाठशाला, बरियावन, जनपद फैजाबाद का जुलाई, 84 से सितम्बर, 84 तक मूल वेतन रु0 445 मिलता था और उन्हें अक्तूबर, 84 से मूल वेतन रु0 435 पर वेतन दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? इसके लिए कौन कर्मचारी या अधिकारी दोषी है? क्या मंत्री जी सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां। अक्तूबर, 1984 से मार्च, 1985 तक उन्हें मूल वेतन रु0 445 प्रतिमाह के स्थान पर रु0 435 प्रतिमाह भुगतान हुआ है। अप्रैल, 1985 से उन्हें पुनः मूल वेतन 445 रु0 दिया जा रहा है। माह नवम्बर, 1984 से मार्च, 1985 तक देय अवशेष वेतन का भुगतान जून के वेतन के साथ किया जा रहा है। इस त्रुटि के लिए सम्बन्धित क्षेत्र के बिल लिपिक को प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाया गया।

उनके विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही विचाराधीन है।

170—श्री मित्रसेन तथा राम सजीवन—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जूनियर हाई स्कूल व प्राइमरी स्कूल स्थान हसनपुर, ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी की ध्वस्त इमारत की जांच

171—श्री मित्रसेन—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जूनियर हाई स्कूल व प्राइमरी स्कूल स्थान हसनपुर, ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी की इमारत का बारंडा टूट कर छतविहीन हो गया है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर तुरन्त इसको बनवा देगी?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्राइमरी पाठशाला राजपुर, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी की इमारत के पुनर्निर्माण की मांग

172—श्री मित्रसेन—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राइमरी पाठशाला राजपुर, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी की इमारत की दीवाल व उसकी छत फट गयी, जिससे छात्रों की जान का खतरा बन गया है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर जिलाधीश/चेयरमैन, जिला परिषद् वाराणसी को आदेश देगी कि जल्द से जल्द उक्त इमारत को बनवा दे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

आजमगढ़ जनपद में प्राइवेट बड़ी बसें, मिनी बसें एवं टैक्सियों की संख्या तथा विभाग को यात्री कर और रोड टैक्स के रूप में प्राप्त धनराशि

173—श्री हफीज भारती—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में कितनी प्राइवेट बड़ी बसें, मिनी बसें, जीपें सवारियां ढोती हैं? इन बसों के द्वारा परिवहन विभाग को कितनी धनराशि, यात्री कर और रोड टैक्स, फिटनेश आदि के रूप में प्राप्त होती है?

राजकुमार संजय सिंह—

शासन को प्राप्त सूचना अनुसार आजमगढ़ जनपद में प्राइवेट बड़ी बसें, मिनी बसें एवं टैक्सियां जिनमें जीप

टैक्सियां भी सम्मिलित हैं, की संख्या दिनांक 31-3-65 तक निम्नवत् है :--

बड़ी बसें	29
मिनी बसें	47
टैक्सियां	165

(जिनमें जीप टैक्सियां भी सम्मिलित हैं।)

इन बसों व मिनी बसों से वर्ष 1984-85 में 2,66,781 रु0 यात्रीकर व 59,050 अतिरिक्त यात्रीकर के रूप में वसूल हुए। इनसे वसूल हुए मार्गकर की सूचना इस समय अलग से उपलब्ध नहीं है, परन्तु आजमगढ़ जनपद के समस्त निजी वाहनों से 19,79,163 मार्गकर एवं 2,05,704 रु0 मोटर गाड़ी फीस के रूप में वसूल हुए जिसमें से 23,800 रु0 फिटनेस फीस है।

174--श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

[2रे मंगलवार में अता0 प्र0 156 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

विकास खण्ड बिलरियागंज और महाराजगंज में स्वीकृत सम्पर्क मार्ग एवं उनका निर्माण

175--श्री काजी कलीमुर्रहमान--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के गोपालपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड बिलरियागंज और महराजगंज में कौन-कौन से सम्पर्क मार्ग हां से कहां तक के स्वीकृत हैं ? कितने पर मिट्टी पड़ चुकी है और कितने बन कर तैयार हैं ? अधूरे मार्गों के पूरा होने में अभी कितना और समय लगेगा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

सूचना एकत्र की जा रही है।

176--श्री काजी कलीमुर्रहमान--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री यह भी बतायेंगे कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस क्षेत्र के किन-किन मार्गों को पिच या दुरुस्त कराने का विचार किया जा रहा है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

सूचना एकत्र की जा रही है।

आजमगढ़ जिले में सेवा निवृत प्राइमरी अध्यापकों की पेंशन, प्राविडेंट फंड तथा समस्त धनराशि के भुगतान की मांग

177--श्री काजी कलीमुर्रहमान--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि आजमगढ़ जिले में प्राइमरी अध्यापक जो आज से चार पांच वर्ष पूर्व से वर्ष 1984 तक की अवधि में सेवा निवृत्त हो गए हैं, उनकी पेंशन, प्राविडेंट फंड तथा अन्य धनराशि जो देय है आज तक उन्हें नहीं मिली है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

178--श्री काजी कलीमुर्रहमान--

क्या यह भी सही है कि अध्यापकों के बार-बार कहने पर कार्यालय कोई कार्यवाही नहीं करता है ? यदि हां, तो इस लापरवाही का क्या कारण है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

179--काजी कलीमुर्रहमान--

क्या सरकार आजमगढ़ जिले के ऐसे सेवा निवृत्त अध्यापकों के समस्त बकाया धनराशि पेंशन आदि दिलाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री भृगुनाथ मिश्र को गलत एवं अनियमित तरीके से सेलेक्शन ग्रेड दिये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही

180—श्री राम सजीवन—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नेशनल इन्टर कालेज पिंडरा, वाराणसी की प्रबन्ध समिति ने श्री भृगुनाथ मिश्र को गलत एवं अनियमित तरीके से बहुत पहले ही सेलेक्शन ग्रेड दे दिया और 50 रु0 की बढ़ोत्तरी दे दिया ? जिस पर आडिट ने आपत्ति की और ज्यादा दिए गए धन को रिकवर करने का आदेश दिया है ? क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में भू0 पू0 सभापति, लोक लेखा समिति, श्री ऊदल ने एक पत्र माननीय शिक्षा मंत्री व शिक्षा सचिव को 13-4-85 को लिखा है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? क्या रुपया वापस कराया गया अथवा नहीं ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री अम्बिका दत्त पाठक को संस्कृत के प्रवक्ता के पद पर प्रोन्नति दिये जाने के विरुद्ध कार्यवाही

181—श्री राम सजीवन—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नेशनल इन्टर कालेज, पिंडरा, जिला वाराणसी की प्रबन्ध समिति ने श्री अम्बिका दत्त पाठक को संस्कृत के प्रवक्ता के पद पर प्रमोशन अर्सा दो वर्ष से करके अनुमोदन हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी के पास भेजा है ? क्या यह सही है कि उक्त पद के लिये शिक्षा आयोग को अभियाचन आज तक नहीं भेजा गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

182—श्री राम सजीवन—

क्या यह सही है कि इस गलत प्रमोशन के बारे में भू0 पू0 सभापति, लोक लेखा समिति श्री ऊदल ने मा0 शिक्षा मंत्री व शिक्षा सचिव को 13-4-1985 व निदेशक को 6-4-85 को पत्र लिखा है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या पूरे कार्यवाही का विवरण सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नेशनल इण्टर कालेज पिंडरा, वाराणसी में संस्कृत के भू0 पू0 प्रवक्ता, श्री राम अधार शास्त्री द्वारा गलत एवं फर्जी सर्टीफिकेट दिये जाने की उच्चस्तरीय जांच

183—श्री राम सजीवन—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नेशनल इण्टर कालेज, पिंडरा, वाराणसी में संस्कृत के भू0 पू0 प्रवक्ता, राम अधार शास्त्री ने रिटायरमेंट सन् 1980-81 में गलत एवं फर्जी सर्टिफिकेट देकर प्रबन्ध समिति से एक वर्ष का कार्यकाल बढ़वा लिया था और सर्विस बुक में भी कटिंग करके जन्म तिथि को एक वर्ष कम करके लिखा लिया है ? क्या यह सही है कि भू0 पू0 सभापति, लोक लेखा समिति, श्री ऊदल ने इस सम्बन्ध में मा0 शिक्षा मंत्री व शिक्षा सचिव को ता0 13-4-1985 को

तथा शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश को 6-4-1985 को पत्र लिखा है ? यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार इसकी उच्चस्तरीय जांच कराकर रुपया वसूल करेगी और गलत कार्य करने का मुकदमा चलायेगी ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला परिषद् सीतापुर के दैनिक वेतन भोगी, माली, मेट तथा बेलदारों को स्थायी किये जाने विषयक पत्र

184--श्री राजेन्द्र गुप्त--

क्या पंचायत राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला परिषद् सीतापुर के दैनिक वेतन भोगी माली, मेट तथा बेलदारों को स्थायी किए जाने के विषय में पंचायत राज विभाग (अनु0 एक)के संयुक्त सचिव द्वारा पत्र संख्या 915(1) विम क/38-1-43 वी (3)-84, दिनांक 12 नवम्बर, 1984 से जो निर्देश जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला परिषद्, सीतापुर को दिया गया है ? यदि हां, तो उसके कार्यान्वियन की प्रगति क्या है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी हां । जिला परिषद् की कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण दैनिक वेतन भोगी माली, मेट तथा बेलदारों को स्थायी किया जाना सम्भव नहीं पाया गया ।

आर्य कन्या इण्टर कालेज, टाण्डा, जिला फैजाबाद की अध्यापिका कु0 करुणा वर्मा द्वारा, वेतन के सम्बन्ध में दिया गया पत्र

185--श्री राजेन्द्र गुप्त--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि आर्य कन्या इण्टर कालेज, टाण्डा, जिला फैजाबाद की एक अध्यापिका कु0 करुणा वर्मा द्वारा निदेशक, शिक्षा विभाग को 20-12-1984 को अथवा उसके आस-पास इस आशय का शिकायती पत्र मिला है जिसमें यह कहा गया था कि विद्यालय द्वारा उन्हें 18-11-1979 से 5-3-1981 के बीच का वेतन नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो उन्हें वेतन दिलाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो वेतन कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

खैराबाद के ग्राम सेवकों द्वारा सुअर खरीद में व्याप्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में शिकायती पत्र

186--श्री राजेन्द्र गुप्त--

क्या ग्राम विकास मंत्री बतायेंगे कि 30-11-1984 को अथवा उसके आस-पास क्षेत्र समिति खैराबाद (सीतापुर) के प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित शिकायती पत्र जिसमें सुअर खरीद में व्याप्त अनियमितताओं के बारे में खैराबाद के कुछ ग्राम सेवकों के विरुद्ध की गई और जिनकी प्रतिलिपियां जिलाधिकारी, सीतापुर को भी उन्हीं तिथियों में भेजी गई ? यदि हां, तो शासन द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी नहीं ।

दिनांक 23-10-1984 को सुअर क्रय अनियमितताओं की शिकायत के बारे में एक पत्र जिलाधिकारी को प्राप्त हुआ था, जिसमें भगीरथ ग्रामीण बैंक शाखा सरैयामानी के माध्यम से फर्जी खरीद कराये जाने एवं सम्बन्धित कागजात को ग्राम विकास अधिकारी द्वारा प्रमाणित करने का उल्लेख है । बैंक से सम्बन्धित शिकायत को अध्यक्ष

भगीरथ ग्रामीण बैंक को लिखा गया तथा खण्ड विकास अधिकारी एवं पशुधन विकास अधिकारी से स्थलीय एवं तकनीकी जांच कराई जा रही है ।

परियोजना निदेशक, सीतापुर के विरुद्ध शिकायती पत्र

187—श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या ग्राम विकास मंत्री कृपया बतायेंगे की क्षेत्र समिति खैराबाद, जिला सीतापुर के प्रमुख द्वारा निर्बल वर्ग तथा हरिजन आवास बनवाने एवं 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वियन में परियोजना निदेशक, सीतापुर द्वारा की गई अनियमितताओं एवं सहयोग न दिये जाने के बारे में अगस्त, 1983 से फरवरी, 1985 के बीच कितने शिकायती पत्र जिलाधिकारी, सीतापुर को मिले? मुख्य शिकायतें क्या थीं ? उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

प्रमुख क्षेत्र समिति खैराबाद, जिला सीतापुर के द्वारा परियोजना निदेशक, सीतापुर के विरुद्ध अगस्त, 1983 से फरवरी, 1985 तक 8 शिकायती-पत्र प्राप्त हुए जिनमें मुख्यतः निम्न शिकायतें की गई :—

1—बैंकों द्वारा गलत फर्जी ऋण वितरण ।

2—अनियमित फर्जी पशु क्रय ।

3—अधूरे आवास निर्माण ।

4—ट्राईसेम के प्रशिक्षार्थियों को गलत सिलाई मशीनें दिलाना ।

5—डनलप गाड़ियों की आपूर्ति में घटिया सामान दिलाना ।

6—ग्रामोत्थान केन्द्रों की स्थापना न कराना ।

शिकायतों की जांच कराई गई, परियोजना निदेशक के स्तर से कोई अनियमितता करना प्रमाणित नहीं पाया गया । अतएव इनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है । तत्कालीन परियोजना निदेशक जिनके विरुद्ध शिकायतें की गई हैं, दिनांक 30-4-1985 को सेवा निवृत्त हो चुके हैं ।

क्षेत्र समिति खैराबाद, जिला सीतापुर के प्रमुख द्वारा बकरियों की खरीद में गड़बड़ी के सम्बन्ध में शिकायती पत्र

188—श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या ग्राम विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि अक्टूबर अथवा नवम्बर, 1984 में क्षेत्र समिति खैराबाद, जिला सीतापुर के प्रमुख द्वारा अपने हस्ताक्षर से बकरियों की खरीद में गड़बड़ी के सम्बन्ध में कोई शिकायती-पत्र जिलाधिकारी, सीतापुर को मिला ? यदि हां, तो मुख्य शिकायतें क्या हैं तथा उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां । दिनांक 23 अक्टूबर, 1984 को दो शिकायती-पत्र जिलाधिकारी को प्राप्त हुए, जिनमें भगीरथ ग्रामीण बैंक शाखा इमलिया, सुलतानपुर कचनार एवं हम्भोरा के माध्यम से बकरियों की खरीद में गड़बड़ी एवं परियोजना निदेशक की सहायता से बैंक मैनेजरों द्वारा अनुदान दुरुपयोग करने की मुख्य शिकायतें हैं । शिकायतों की जांच पशुधन विकास अधिकारी से कराई जा रही है ।

क्षेत्र समिति खैराबाद, जिला सीतापुर के प्रमुख द्वारा सुअरों तथा बैलों आदि की खरीद में भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायती-पत्र

189--श्री राजेन्द्र गुप्त--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्षेत्र समिति खैराबाद, जिला सीतापुर के प्रमुख द्वारा जिलाधिकारी, सीतापुर को इस आशय की कोई शिकायत 23 अक्टूबर, 1984 को अथवा उसके आस-पास मिली, जिसमें सुअरों तथा बैलों आदि की खरीद में भ्रष्टाचार की शिकायत की गई है ? यदि हां, तो मुख्य शिकायतें क्या हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी हां ।

शिकायती-पत्र में सुअरियों की खरीद तथा बैंकों के द्वारा गलत/फरजी पशु क्रय का उल्लेख है । इसकी सूचना अध्यक्ष भागीरथ ग्रामीण बैंक, सीतापुर को दी गयी व खन्ड विकास अधिकारी एवं पशुधन विकास अधिकारी, सीतापुर से स्थलीय एवं तकनीकी जांच कराई जा रही है । जांच के अन्तिम परिणामों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

विकास खन्ड खैराबाद, जिला सीतापुर के ग्रामों में बनाये गये ग्रोथ सेन्टर

190--श्री राजेन्द्र गुप्त--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि विकास खन्ड खैराबाद, जिला सीतापुर की सीमा के भीतर किन-किन ग्रामों में ग्रोथ सेन्टर बन चुके हैं तथा कहां-कहां बनना विचाराधीन है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

विकास खन्ड खैराबाद के अन्तर्गत सरैयासानी, सरीनपुर, जलालपुर तथा रामकोट में ग्रोथ सेन्टर बनाये जा चुके हैं ।

विकास खन्ड में इसके अतिरिक्त ग्रोथ सेन्टर स्थापित करने के लिये इस समय कोई वचनबद्ध कार्यक्रम नहीं है ।

राजकीय इन्टर कालेजों तथा राजकीय दीक्षा विद्यालयों में प्रवक्ता वेतनक्रम में कार्यरत अध्यापक

191--श्री राजेन्द्र गुप्त--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर जिले के राजकीय इन्टर कालेजों तथा राजकीय दीक्षा विद्यालयों में स्नातक और प्रवक्ता वेतनक्रम में कार्यरत ऐसे कितने अध्यापक हैं, जिन्हें अपने वर्तमान वेतन में कार्य करते 16 वर्ष पूरे हो चुके हैं परन्तु अभी तक चयन वेतनमान नहीं दिया गया है ? विलम्ब का कारण क्या है तथा कब तक चयन वेतनमान दे दिया जायेगा ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी, श्री दिवाकर लाल शर्मा द्वारा किया गया अनशन तथा मांगे

192--श्री राजेन्द्र गुप्त--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 1-4-1985 से जिला परिषद कार्यालय, सीतापुर के सामने जिला परिषद सीतापुर से कतिपय मांगों को लेकर स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी श्री दिवाकर लाल शर्मा निवासी ढफरा पो0 ऐलरा, जिला सीतापुर ने आमरण अनशन प्रारम्भ किया ? यदि हां, तो मांग पत्र क्या है तथा उस पर जिला परिषद द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय--

श्री दिवाकर लाल शर्मा नाम के किसी व्यक्ति ने आमरण अनशन नहीं किया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी के कार्यालय के प्रांगण में लोहे की फोल्डिंग कुर्सियों की नीलामी

193--श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी के बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के प्रांगण में लगभग 1500 लोहे की फोल्डिंग कुर्सियां तथा लगभग 6000 स्लेटें पिछले एक वर्ष से निष्प्रयोज्य पड़ी हुई हैं ? क्या यह सही है कि सामग्री की नीलामी होने वाली है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो इनको रखने का उद्देश्य क्या है ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश में बी० टी० सी० प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगार शिक्षक

194--श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बी० टी० सी० प्रशिक्षण प्राप्त कितने शिक्षक 31 मार्च, 1985 तक बेरोजगार थे ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, प्रश्नों के बारे में मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

खाद्य तथा रसद मन्त्री श्री वासुदेव सिंह द्वारा एक गोष्ठी में उर्दू के सम्बन्ध में दिये गये बयान के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि मन्त्रि-परिषद अपने कार्यों के लिये सदन में और सदन के बाहर बराबर से जवाबदेह है या नहीं । कोई भी मंत्री चाहे वह नया हो या पुराना हो, उन्हें इस बात का हक नहीं है कि वह प्रदेश में या देश में साम्प्रदायिकता फैलाने का काम करें कोई भी मंत्री हो उसकी शासन के प्रति कलेक्टिव रिसपांसिबिलिटी है, और वह उससे अलग नहीं हो सकता । 30 मई को शासन के एक वरिष्ठ मंत्री, जिनका नाम श्री बासुदेव सिंह है, ने लखनऊ में एक किसी गोष्ठी में बोलते हुए यह बयान दिया, यह कहा कि उर्दू का नाम लेने वालों का मुंह काला करके गधे पर बिठलाकर निकाला जाना चाहिए । मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि क्या किसी मंत्री को इस बात का हक है कि जब देश नाजुकतरीन जैसे हालात से गुजर रहा है । पूरा मुल्क असम पंजाब, गुजरात की भयानक आग में जल रहा है । प्रदेश में फिरकापरस्ती की आग फैलाना चाहे । मैं कहता हूं कि ऐसे मंत्री को मंत्री परिषद् में न रखा जाय या यह सरकार इस्तीफा दे । मान्यवर, पिछली सरकार के समय में भी जब यहां पर उर्दू को दूसरी जबान बनाने के सिलसिले में बिल आया था, तब भी इस मंत्री ने उसकी खुल्लमखुल्ला मुखालिफत की थी जिसका अख्तियार मंत्री जी को नहीं था । ज्वाइन्ट रिस्पोंसिबिलिटी के तहत उस वक्त ही उनको इस्तीफा देना चाहिये था । वह एक कैबिनेट डिसीजन

के खिलाफ सदन में बोले और उर्दू वालों को गद्दार कहा। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इस वरिष्ठ मंत्री ने प्रदेश में सिर्फ इस बात पर नाम कमाने की कोशिश की है कि हिन्दू-मुसलमान, उर्दू और गैर उर्दू के नाम पर यहां पर साम्प्रदायिकता फैलायी जाय और इस देश को प्रदेश को कमजोर किया जाय। मैं इस विषय पर व्यवस्था चाहता हूं।

*मुख्य मंत्री (श्री नारायन दत्त)--

मैं मान्यवर, आग्रह करूंगा कि जो तथाकथित बयान, माननीय खाद्य मंत्री जी के लिए कहा गया है, उन्होंने नहीं दिया और उसकी तजदीक हो चुकी है।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जांय।

श्री नारायन दत्त--

माननीय वासुदेव सिंह जी की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया। मैं यह आग्रह करूंगा कि इस सम्बन्ध में जो विवाद उठाया जा रहा है, उसे समाप्त किया जाय। यह बिल्कुल सत्य और संदर्भ से परे है। ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया है।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री राम आसरे--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मैंने जिस मंत्री के लिए कहा है, वे इसका जवाब दें। मैं समाचार-पत्रों का हवाला दे सकता हूं।

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठ जायं। मुख्य मंत्री जी जबाब दे रहे हैं, तो उनसे बड़ा कोई नहीं हो सकता।

मेरा आप लोगों से बड़ी नम्रतापूर्वक अनुरोध है कि चाहे भाषा हो, धर्म-मजहब हो, इन चीजों पर बड़ा सोच समझ कर विवाद होना चाहिए। चाहे इस तरफ के लोग हों और उस तरफ के लोग हों। इस प्रान्त को दूसरे प्रान्तों की तरह न बनायें।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, ऐसे मंत्री को आप बाहर निकलवाइये।

(अत्यधिक शोर)

(श्री शफीकुर्रहमान ने काला झंडा दिखाया)

श्री राम आसरे (हरदोई)--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इस तरह से सदन नहीं चलेगा।

(अत्यधिक शोर)

प्रश्नों के सुसंगत उत्तर न दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है प्रश्नों का समय समाप्त होने के बाद व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है आपके निर्देशों का पालन करते हुए मेरा निवेदन है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी जब आज प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे।..

(अत्यधिक शोर)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अवधेश प्रसाद--

[× × ×]

(अत्यधिक शोर)

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं, वह नहीं लिखा जायेगा ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी को यह अधिकार अवश्य है कि अगर वह किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हैं या वह देना नहीं चाहते हैं तो यह कह सकते हैं कि सूचना एकत्र की जा रही है या सूचना की आवश्यकता है । परन्तु श्रीमन्, जब इस सदन में कोई प्रश्न आप द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो उस पर किसी मंत्री को यह कहने का अधिकार नहीं है कि "प्रश्न ही नहीं उठता है । यह इससे संबन्धित नहीं है । डा0 शिवानन्द नौटियाल जी के प्रश्न के उत्तर में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि इतने लम्बे-चौड़े प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता है । राजाज्ञा का जो नम्बर होता है, वह बहुत लम्बा है और बहुत जगह घेरता है । क्या राजाज्ञा नम्बर को उद्धृत करते हुए कोई प्रश्न नहीं किया जा सकता ? इस पर माननीय अध्यक्ष जी हम आपकी व्यवस्था चाहते हैं ।

दूसरा, प्रश्न यह है कि शिक्षा विभाग से सम्बन्धित मेरे 11 प्रश्न थे । 11 में से 10 प्रश्नों का जो उत्तर दिया गया है, उसमें लिखा गया है "सूचना एकत्र की जा रही है" । इसमें से कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो पिछले विधान सभा के समय से चले आ रहे हैं और जिन्हें बार-बार पुर्नजीवित किया जा रहा है । शिक्षा विभाग जानबूझकर इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहा है । इन प्रश्नों के बारे में मेरा आपसे अनुरोध है कि जानबूझ कर शिक्षा विभाग जिन प्रश्नों को टाल रहा है उस पर उनसे अविलम्ब उत्तर दिलाने की कृपा करें । मान्यवर, प्रश्न संख्या 74 से सम्बन्धित माननीय मंत्री जी का उत्तर है कि प्रश्नगत पत्र प्राप्त नहीं हुआ । श्रीमन्, विधान मंडल लोकदल की जो पुस्तिका है, प्यून बुक, उसमें 9-9-83 को मेरा पत्र दिनांक 7-9-83 शिक्षा सचिव को प्राप्त किया गया है, उस पर हस्ताक्षर हैं । इस प्रकार जो गलत उत्तर दिया गया है, मैं विशेषाधिकार की अवहेलना की नोटिस देता हूं और मैं लिखित रूप में भी भेज दूंगा । और जो दोनों व्यवस्था के प्रश्न हैं उन पर व्यवस्था देने की कृपा करें ।

*श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, मैं आपका ध्यान आप द्वारा समय-समय पर जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धीकरण संख्या 31 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । 31 में यह व्यवस्था है कि अगर शासन के पास जानकारी नहीं है तो मंत्री कह सकेंगे कि सूचना एकत्र की जा रही है लेकिन इसमें कुछ बन्धन निर्धारित किए गये हैं । मान्यवर, मैं एक प्रश्न की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । तारांकित प्रश्न 20 देखें मान्यवर । इन सभी लोगों की भावनाओं को पूरा करने की चेष्टा की है मैंने इस प्रश्न के माध्यम से । आप सहमत होंगे कि जो विकास खंडों की बैठकें होती हैं उनमें जिला-स्तरीय अधिकारियों या उनके प्रतिनिधियों को जाने का अनिवार्य निदेश है लेकिन सब को अनुभव है कि क्षेत्र समिति की बैठकों में जिलास्तरीय अधिकारी नहीं जाते हैं और न ही उनका कोई प्रतिनिधि । इसीलिए मैंने वह प्रश्न

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जानबूझ कर किया था। जो खैराबाद क्षेत्र समिति जिला सीतापुर की बैठक 4-4-85 को आहूत थी, उपस्थित प्रधानों के आग्रह पर इसलिए स्थगित कर दी गई क्योंकि जिला स्तर का कोई भी अधिकारी अथवा उनका प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित नहीं था। तो प्रश्न किया था कि यदि हां, तो अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? मान्यवर, उत्तर देखिये सूचना एकत्र की जा रही है। जब कि उत्तर मेरे हाथ में है बी0 डी0 ओ0 ने दूसरे ही दिन जिला धिकारी को सूचित कर दिया था कि आज 4 अप्रैल, 1985 को क्षेत्र समिति की बैठक एजेण्डे के अनुसार बुलायी गयी और ढाई बजे तक एक भी जिला स्तर का अधिकारी या उनका प्रतिनिधि नहीं आया। मान्यवर, इस मीटिंग का जब एजेण्डा जारी किया गया था उसकी प्रति मेरे पास है, उसमें जिला स्तर के अधिकारियों को सूचित किया गया था। करीब-करीब डेढ़ साल हो गये हैं सूचना भेजे हुए लेकिन उत्तर आ गया कि सूचना एकत्र की जा रही है, और भी है। तो मान्यवर, अगर इसी प्रकार इसका दुरुपयोग होगा कि सूचना एकत्र की जा रही है तो दो सप्ताह के बाद फिर यह प्रश्न आयेगा तो मान्यवर, इसके बाद हमको जो एक प्रश्न करने का मौका मिलता वह भी छीन लिया गया क्योंकि तारांकित प्रश्न होंगे 20 एक यह प्राथमिकता में आ गया तो एक प्रश्न कट गया। तो मान्यवर, यह प्रशासन नियमों का बहाना लेकर जानबूझ कर हम लोगों के अधिकारों का हनन कर रहा है। मान्यवर, नियम 31,38,301 का हवाला देते हुए मेरा आप से आग्रह है कि नेताओं की बैठक बुला लें, संसदीय कार्य मंत्री नेता सदन को बुला लें और इसके लिए कोई नियम बनाने की कृपा करें। जिले के सब अधिकारी अपने-अपने कामों में फंसे रहते हैं। वे चाहते हैं कि बैठकों में न जाया जाय, ग्राम प्रधानों के साथ न बैठा जाय, क्षेत्रीय समितियों के प्रशासन में रुचि न लिया जाय। हमारे ग्राम्य विकास मन्त्री जी कहा करते हैं कि हम चाहते हैं कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू किया जाय लेकिन इसके सम्बन्ध में जानकारी तो ग्राम प्रधानों से ही मिलेगी। इससे अधिक लज्जाजनक बात दूसरी नहीं हो सकती।

(व्यवधान)

*श्री रामचन्द्र बक्श सिंह--

मान्यवर, मैं अतारांकित प्रश्न संख्या 11-12 की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ये दोनों प्रश्न 2-5-85 को पूछे गये थे, दोनों का उत्तर एक है कि "सूचना एकत्र की जा रही है।" प्रश्न संख्या-11 यह है कि क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि नेशनल हायर सेकेन्डरी स्कूल, बाराबंकी की मान्यता हेतु दिये गये प्रार्थना पत्र में जनपद के ग्राम न्योला करसंडा प0 व त0 नवाबगंज, जनपद बाराबंकी की भूमि नं0 34, 38, 72, 768, 769, 1225 व 1127 उक्त स्कूल की सम्पत्ति दिखलाई गई थी" इसमें जब मान्यता इसी आधार पर दी गई है, तो सूचना एकत्रित करने का क्या सवाल है ?

प्रश्न संख्या 12 यह है कि "क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1976 से वर्ष 1980 तक नेशनल हायर सेकेन्डरी स्कूल बाराबंकी की शिक्षिकाओं एवं अन्य कर्मचारियों की महंगाई भत्ता, अन्तरिम सहायता एवं अनुरक्षण अनुदान की कितनी धनराशि 1-2-84 से 31-3-84 के बीच विद्यालय प्रबंधकों द्वारा प्राप्त की गयी थी ? इसमें सूचना एकत्रित करने का क्या सवाल है? क्या प्रबन्धकों के कागजात भी नहीं देख सकते ? प्रश्न संख्या 193 यह है कि-"क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी के बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के प्रांगण में लगभग 1,500 लोहे की फोल्डिंग

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कुर्सियां तथा लगभग 6,000 स्लेटें पिछले एक वर्ष से निष्प्रयोज्य पड़ी हुई हैं ? इस पर आप कहते हैं कि सूचना एकत्रित की जा रही है । मेरा कहना है कि जानबूझकर इस सदन की अवहेलना की जा रही है और इसके लिए आप इन्हें निश्चित आदेश दें कि इस प्रकार के उत्तर न दिये जाया करें । इस सम्बन्ध में चाहे आप बैठक बुलायें या कुछ और करें तभी प्रश्नोत्तर काल का महत्व है नहीं तो शासन की ओर से इसी प्रकार अवहेलना की जाती रहेगी ।

*संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

मान्यवर, जो चिन्ता माननीय दिवाकर विक्रम सिंह एवं श्री राजेन्द्र गुप्त जी ने व्यक्त की है, मैं उससे सहमत हूं कि प्रश्नों का उत्तर समय के अन्दर आना चाहिये । जहां तक सूचना एकत्रित करने की बात है, वह तब होता है जब प्रारूप बनकर मन्त्री जी के पास आता है किन्तु वे उससे सन्तुष्ट नहीं होते और अग्रिम जानकारी के लिए अधिकारियों को निर्देशित करते हैं । माननीय गुप्त जी ने जो यह आशंका व्यक्त की है कि 15 दिन के बाद आयेगा और एक प्रश्न से उन्हें वंचित कर दिया जायेगा, इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि यह तो प्रक्रिया है और इसका आशय यह होता है कि शासन की ओर से प्रश्नों को स्थगित करने का आग्रह किया गया है और वह निश्चित सूची से अलग होगा । मैं इस बात का प्रयास करूंगा कि कम से कम ऐसे प्रश्न आयें जिन पर उनका उत्तर हो कि "सूचना एकत्रित की जा रही है ।" लेकिन मैं पूर्ण रूप से इस बात से सहमत नहीं हो सकता हूं कि किसी प्रश्न के उत्तर में यह बात न कही जाय क्योंकि जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया कि यह व्यावहारिक नहीं है, जब तक कि मंत्री जी के सामने पूरी बात नहीं आती है तब तक स्पष्ट रूप से उत्तर यहां सदन में देना उचित नहीं रहता, इसलिए कहा जाता है कि सूचना एकत्रित की जा रही है । इस संबंध में करण 31 पर स्पष्ट व्यवस्था दी हुई है । मान्यवर, तारांकित प्रश्न पर आपने तीन-तीन और चार-चार प्रश्न यहां किये हैं, जो कि नहीं होता है । मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आपके सामने इन प्रश्नों पर दो सप्ताह में जानकारी आ जायेगी, आप निश्चिन्त रहें ।

*श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, मैंने दो व्यवस्था के प्रश्न दिये हैं ।

श्री अध्यक्ष--

यह नियम 301 के बाद आयेंगे, आप कृपा करके बैठें । अब मैं निर्णय देता हूं कि जो विषय उठाया गया है कि "सूचना एकत्रित की जा रही है" मैं इस सिलसिले में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि 15 दिन के बाद वह प्रश्न फिर ऐजेन्डा पर आयेंगे, निश्चित है कि उस वक्त तक स्पष्ट रूप से जवाब आ जाना चाहिये । जहां तक माननीय राजेन्द्र गुप्त ने जो प्रश्न उठाया है कि उनका एक सवाल इस तरीके से कट जाता है, तो इसमें ऐसा नहीं है । ऐजेन्डा में वह भी प्रश्न रखा जायेगा जिसका कि जवाब आया है कि सूचना एकत्रित की जा रही है और जो वे दूसरा प्रश्न करेंगे, वह भी रहेगा ।

जिला परिषद् इटावा के अभियन्ता श्री द्विवेदी के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

मुझे नियम 301 में आज 29 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें से मैंने 7 सूचनाओं को स्वीकार किया है । मैंने मा० महाराज सिंह चौधरी, मा० मनोहर लाल, मा० श्री रामसरन, मा० यदुनाथ सिंह, मा० राजेन्द्र गुप्त, मा० रामचन्द्र बख्श सिंह तथा मा० फजलुल बारी की सूचनाओं से स्वीकार किया है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री महाराज सिंह चौधरी--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके संज्ञान में अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना जो इटावा जनपद के जिला परिषद के अभियन्ता के संबंध में है, लाना चाहता हूं। श्री द्विवेदी, अभियन्ता अपने फर्जी प्रमाण-पत्रों के बल पर धोखाधड़ी करके गलत तरीके से ट्रेसर एवं ओवर-सियर तथा सहायक अभियन्ता बन गये हैं। इनके विरुद्ध कई लाख रुपये के गबन का मामला चल रहा है। अपने पैसे के बल पर इटावा में रहते हुए सभी मामले को दबाते चले जा रहे हैं। गबन के आरोप के बाद इन्हें तत्काल निलम्बित हो जाना चाहिये था परन्तु रिश्वत व पैसे के बल पर यह निलम्बन के बजाय प्रमोशन पा गये।

मैं शासन से मांग करता हूं कि अविलम्ब इन्हें इटावा से हटा कर निष्कासित किया जाय। सम्पूर्ण मामले की जांच लखनऊ से उच्च अधिकारी को भेज कर करायी जाय। जांच के समय जांच अधिकारी को निर्देश दिया जाय कि जांच के समय जनपद के माननीय विधायकों से वस्तुस्थिति की सही जानकारी प्राप्त करा लें, जिससे इन्साफ हो सके।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् इलाहाबाद द्वारा हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट की परीक्षाओं के परीक्षा-फल की घोषणा में विलम्ब के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मनोहर लाल--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपका ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इलाहाबाद द्वारा प्रदेश के हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट के छात्रों के परीक्षाफल में छात्रों के अंक पत्रों में गलत विषयों के अंक लिखकर तथा विभिन्न प्रकार से परीक्षाओं में गड़बड़ियां करके छात्रों को अनुत्तीर्ण करके परीक्षाफल घोषित कराया गया है जिसको लड़कों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ही कहा जायेगा। उदाहरण स्वरूप संदीप कुमार गुप्त, वी0 एन0 एस0 डी0 इन्टर कालेज, कानपुर का छात्र है और उसने वर्ष 1985 की इन्टरमीडिएट की परीक्षा दिया है जिसका रोल नं0 226920 है। इस छात्र ने जीव विज्ञान विषय लिया था लेकिन इस विषय के स्थान पर मार्कशीट में गणित विषय को अंकित करके उसको अनुत्तीर्ण कर परीक्षाफल घोषित करा दिया है जिसके कारण उक्त छात्र का भविष्य अंधकारमय हो गया है। अंक पत्र देखने से मालूम होता है कि उक्त छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाला छात्र है। बोर्ड द्वारा की गई इस प्रकार की गम्भीर गड़बड़ियों से हाई स्कूल इन्टरमीडिएट छात्रों, अभिभावकों में भारी रोष एवं असंतोष व्याप्त है। अतः इस अवि-लम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर मैं शिक्षा मन्त्री जी से मांग करता हूं कि उक्त सम्पूर्ण मामले की जांच कराकर विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करें तथा जिन विद्यार्थियों का परीक्षाफल गड़बड़ियों के कारण खराब हुआ है उसे संशोधित कराकर उन्हें उत्तीर्ण करने की घोषणा करायें।

प्रदेश में गेहूं क्रय में व्याप्त व्यापक भ्रष्टाचार तथा किसानों को गेहूं के मूल्य का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम सरन--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। मान्यवर, इस वर्ष गेहूं की सरकारी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खरीद में पूरे प्रदेश में व्यापक भ्रष्टाचार व्याप्त रहा है। किसानों को क्रय केन्द्रों पर खरीद अधिकारियों द्वारा जान बूझकर परेशान किया गया है। हफ्तों उनका गेहूं क्रय किया नहीं गया और क्रय केन्द्रों पर रोका गया जिसके कारण किसान बिचवलियों के साथ अपना गेहूं कम मूल्यों पर बेचने को विवश हुआ। जिन किसानों का गेहूं क्रय किया गया उनसे बिना पैसा लिये सही मूल्य नहीं लगाया गया। जिन किसानों ने अपना गेहूं सहकारी संस्थाओं के क्रय केन्द्रों पर बेचा उनमें से बहुत आज भी मूल्य का चेक लिये घूम रहे हैं और धन के अभाव में उनके चेकों का भुगतान नहीं हो पा रहा है। अतः सम्मानित सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि पूरे प्रदेश में गेहूं खरीद में किये गये व्यापक भ्रष्टाचार की जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाये तथा किसानों को उनके चेकों का भुगतान तुरन्त दिलाये जाने की व्यवस्था की जाये।

जनपद मिर्जापुर में अकाल की स्थिति के उत्पन्न होने से जन मानस में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री यदुनाथ सिंह--

मान्यवर, इस अति सम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर सदन एवं शासन के संज्ञान में लाना अति आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश का भौगोलिक दृष्टि से सबसे विशाल जनपद है जहां बड़े-बड़े उद्योगों का जाल बिछा हुआ है, जहां की आबादी उत्तर प्रदेश एवं देश के अन्य प्रान्तों से श्रमिक कार्य हेतु आकर बसे हुये वहीं सूखे की स्थिति के साथ-साथ अकाल की स्थिति पैदा हो गयी है। लोग सैकड़ों गांव छोड़कर के गंगा नदी के किनारे या जल के उद्गम स्थल पर भाग खड़े हुये हैं तथा हजारों कुयें सूख गये हैं। यहां तक कि अपना आभूषण बर्तन आदि गिरवी रखा रहे हैं। चकवड़ की पत्ती साल की बीज भोजन करने के लिये विवश हो गये हैं। शासन के लिये ऐसी शर्मनाक स्थिति पैदा हो गयी है। यह कि इस जनपद में एक लीटर पानी की कीमत एक किलो गेहूं, एक किलो चावल, एक किलो दाल औसत 2 रु0 से ज्यादा हो गयी है। अतः शासन से अपेक्षा है कि तत्काल उचित ध्यान दें, भारी असंतोष तथा जनाक्रोश को राहत मिल सके एवं मिर्जापुर जल निगम की सभी इकाइयों के स्टाफ को दंडात्मक कार्यवाही करके स्थानान्तरण करें।

सम्पूर्ण प्रदेश के विश्वविद्यालयों में शिक्षणेत्तर कर्मचारियों द्वारा हड़ताल के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र गुप्त--

मैं आपकी अनुज्ञा से सदन तथा शासन के संज्ञान में उत्तर प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की एक सप्ताह से चलने वाली अभूतपूर्व हड़ताल से उत्पन्न अविलम्बनीय लोक महत्व की समस्या लाना चाहता हूं। विश्वविद्यालयों में कामकाज ठप्प है जिनके कारण प्रदेश तथा परीक्षाफल तैयार करने के सभी काम प्रभावित है। इस हड़ताल की जिम्मेदारी सरकार पर है क्योंकि वर्ष 1982 और 1984 में तत्कालीन शिक्षा मन्त्रियों ने कर्मचारियों के महासंघ को जो लिखित वादे किये थे वे भी नहीं पूरे हो पाये। परिणाम स्वरूप 16 अप्रैल, 1985 से जब इन्होंने हड़ताल की घोषणा की तब शिक्षा मंत्री

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ने शीघ्र कार्यवाही करने का निर्णय लिया । परन्तु वह भी धोखा निकला । समयबद्ध तथा चयन वेतनमान, वेतन विसंगतियां दूर करना, अवकाश नकदीकरण निदेशालय स्तर के वेतनमान, आवासीय समस्या, एल० टी० सी० की सुविधा तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवा निवृत्तियों की आयु 60 वर्ष किये जाना आदि ।

अतएव माननीय शिक्षा मंत्री से मेरी मांग है कि वह विश्वविद्यालयों, कर्मचारियों, छात्रों का हित ध्यान में रखकर मामले में अविलम्ब हस्तक्षेप करके इनकी मांगों को अविलम्ब स्वीकार करने की कृपा करें ।

उतरौला गोंडा के पिपराघाट राप्ती नदी में हुई नाव दुर्घटना के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री फजुलल बारी--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक अत्यन्त दुखद घटना के संज्ञान में लाना चाहता हूं, जो दिनांक 8 जुलाई के दिन दो बजे गोंडा जनपद की उतरोला तहसील है पिपरा घाट पर राप्ती नदी में हुई । जब एक खस्ता हाल नाव बीच धारे में हाईडिल विभाग द्वारा बनाये गये मौत के खम्भे से टकरा कर टूट गई । केवल 27 आदमी जिन्दा बचे । बचे हुई लोगों का कहना है कि नाव पर उस समय 70-75 यात्री थे । दुख की बात यह है कि घटना के 42 घंटे के बाद गोताखोरों का इन्तजाम हुआ जब लाशें बह-बह कर दूर जा चुकीं थीं । मेरी सरकार से मांग है कि प्रत्येक मृतक व्यक्तियों के परिवार को 5 हजार रुपया तुरन्त दिया जाय और उनके परिवार के एकसेवा योग्य व्यक्ति को रोजगार दिया जाय । पिपरा घाट फेरी को जिला परिषद से लेकर सार्वजनिक निर्माण विभाग को दे दिया जाय और नदी में बार्ज चलाया जाय जो अत्यन्त महत्वपूर्ण सड़क है । इसलिये इस पर जल्दी पक्का पुल बनाया जाय ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि सरकार इस दुखद घटना पर अपना वक्तव्य दे ।

शारदा सहायक फीडर चैनल इन्दिरा कैनाल के निर्माण के बाद नहर में सिंचाई अव्यवस्था उत्पन्न होने से ग्राम वासियों में असंतोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रामचन्द्र बख्श सिंह--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से निम्न अति महत्वपूर्ण विषय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं ।

शारदा सहायक फीडर चैनल इंदिरा कैनाल के निर्माण के बाद से इस नहर के पश्चिम की सिंचाई व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई है । नहर के पश्चिम के बाराबंकी व लखनऊ जनपदों के क्षेत्र में पानी की पूर्ति करने वाला इटौंजा रजबहा तथा उससे निकलने वाली सेहरा अल्पिका में पिछले 5-6 वर्षों से पानी नहीं आया है । ग्राम जवरो, सेहरा, दौडहारा व घरखंडा की हजारों बीघा भूमि असिंचित रहती है । किसानों में भीषण असन्तोष व्याप्त है । किसान नहरों को पाटने पर आमादा हैं । यदि स्थिति में सुधार न किया गया तो यह असन्तोष भयानक आन्दोलन का रूप धारण कर लेगा ।

इस सदन के माध्यम से मेरी मांग है कि शासन इस समस्या के सम्बन्ध में निराकरण हेतु तत्काल कार्यवाही करे ।

नीति विषयक घोषणायें सदन से बाहर करने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, मैंने आपकी सेवा में दो औचित्य के प्रश्न दिये थे जिनको आपने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मुझे इजाजत दी है। एक प्रश्न तो माननीय मुख्य मंत्री जी से सम्बन्धित है और दूसरा माननीय सदस्य कमाल यूसुफ से सम्बन्धित है। मान्यवर, इजाजत दें तो मैं एक-एक करके बोलूं।

पहला प्रश्न जो माननीय मुख्य मंत्री जी से सम्बन्धित है, कहना चाहता हूं कि सदन की यह परम्परा है कि जब भी सदन चलता हो, उसका उपवेशन चलता हो तो शासन द्वारा यदि कोई नीति सम्बन्धी वक्तव्य देना हो तो सदन के अन्दर उसे देना चाहिए। मान्यवर, अध्यक्ष पीठ से इस तरह के निर्देश समय-समय पर जब भी इस तरह के मौके आये हैं मंत्रियों को दिये गये हैं कि नीति सम्बन्धी घोषणायें सदन में ही हों। अभी 13 तारीख को माननीय मुख्य मंत्री ने लखनऊ में एक सेमीनार जो पर्यावरण प्रदूषण के सम्बन्ध में आयोजित की गयी थी उसमें बयान दे दिया कि उत्तर प्रदेश में स्कूलों और कालेजों में पर्यावरण की शिक्षा देने की योजना सरकार के पास है। मैं समझता हूं कि पर्यावरण की शिक्षा स्कूलों और कालेजों में दी जाय इसके खिलाफ कोई नहीं है। लेकिन जो भावना नीति सम्बन्धी घोषणाओं के सम्बन्ध में है उसको इस सदन के अन्दर देना चाहिये।

मैं आपके माध्यम से उनसे गुजारिश करूंगा वैसे ही प्रदेश में और पूरे देश में प्रजातन्त्र को कमजोर करने वाली ताकतें जोरों से आगे बढ़ रही हैं। माननीय मुख्य मन्त्री जी संसदीय लोक-तन्त्र के पारंगत हैं अगर वह ही इस तरह का आचरण करेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी को अच्छा आचरण प्रस्तुत नहीं कर पायेंगे। आप माननीय मुख्य मंत्री जी को निर्देश दें कि कोई भी नीति सम्बन्धी बयान हो तो उसे सदन में ही दें। आज से 10-15 दिन पहले जब सदन आहूत हो चुका था, मंत्रि-मंडल के दो सदस्यों ने नीति सम्बन्धी बयान दे दिये। मैंने उनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित नहीं किया क्योंकि जब कोई मन्त्री गलती करे तो मुख्य मन्त्री से कहा जा सकता है लेकिन जब मुख्य मन्त्री ही इस प्रकार की गलती करेंगे तो किस तरह से काम होगा। संसदीय लोकतन्त्र में नीति सम्बन्धी बयान यदि कोई देना हो तो वह सदन में ही दिया जाय। इस पर यदि आप व्यवस्था दे रहे हों तो मैं बैठ जाता हूं अन्यथा दूसरा प्वाइंट मेरा माननीय कमाल यूसुफ साहब के सम्बन्ध में है उसे लेता हूं।

*मुख्य मन्त्री (श्री नारायण दत्त)—

श्रीमन्, मैं अपने युवा सम्मानित सदस्य वाराणसी का अनुग्रहीत हूं कि वे मेरी गलतियां बताने की चेष्टा कर रहे हैं। मैं यह कभी नहीं मानता कि मुझ से गलतियां नहीं हो सकती हैं लेकिन मैं नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि यह नीति सम्बन्धी घोषणा पहले से भी हो चुकी है। इस सम्बन्ध में जो कमेटी की रिपोर्ट है उसकी यह संस्तुति है जिसका मुझे चेयरमैन होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और जिसके सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने जिज्ञासा जाहिर की थी। श्रीमन्, मैं बहुत सावधान रहता हूं कि सदन के चलते हुए कोई नीति सम्बन्धी बात बाहर न की जाय। मंत्रि परिषद् के सदस्यों की भी यही चेष्टा रहती है। अगर जाने अनजाने में कोई भूल हो जाय तो माननीय सदस्यों का अधिकार है कि हमारी गलतियों को यहां बतायें। लेकिन इस सम्बन्ध में मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनकी यह बात कदाचित सत्य और संदर्भ से परे है क्योंकि यह घोषणा पहले भी हो चुकी है।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, मेरा दूसरा प्रश्न माननीय मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ की आज जान बच गयी...

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष---

आपसे मैं अनुरोध करूंगा इस विषय में माननीय कमाल यूसुफ के साथ जो घटना हुई मुझे उसका बेहद दुख है मैं चाहूंगा कि वह मेरे कक्ष में आ जायं मैं सम्बन्धित अधिकारी को भी बुला लूंगा ।

श्री शतरुद्र प्रकाश---

मान्यवर, यह गम्भीर मामला है वह सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए आ रहे थे और माननीय मुख्य मंत्री और उर्जा मंत्री जी के सम्बन्ध में एक औचित्य का प्रश्न उठाना चाहते थे । उनको आधा घंटा लिफ्ट में रोक दिया गया माननीय अम्बिका प्रसाद जी किसी तरह वहां पर पहुंच गये और उनको बाहर किया । माननीय यूसुफ साहब बेहोश हो गये थे । इस प्रकार का कम किया गया कि ये विधान सभा के अन्दर न पहुंच सकें और कार्यवाही में हिस्सा न ले सकें । यह कोई साधारण घटना नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---

मैंने इसीलिए अनुरोध किया कि वह मेरे कक्ष में आ जायं अगर इस प्रकार की कोई कमियां हैं तो उनको अवश्य पूरा किया जायेगा ।

(व्यवधान)

सम्बन्धित अधिकारियों को भी बुला लेंगे ।

श्री राजेन्द्र गुप्त---

मान्यवर, मेरा एक औचित्य का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष---

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर) आप लोग बैठ जायं । कृपा करके बैठ जायं ।

तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा सैनिक स्कूल, लखनऊ के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश का शासन द्वारा पालन न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री राजेन्द्र गुप्त---

मान्यवर, मैं औचित्य का प्रश्न ऐसा प्रस्तुत कर रहा हूं जिसमें इस बात को उजागर करूंगा कि शासन ने जानबूझकर अध्यक्षपीठ की और इस आदरणीय सदन की घोर अवमानना की है । संदर्भ यह है कि 17 सितम्बर, 1984 को, लखनऊ में, एक सैनिक स्कूल है, उसमें बेहद भ्रष्टाचार और अनियमिततायें व्याप्त हैं उस मामले को लेकर यहां चर्चा हुई । संयोग की बात है कि 17 सितम्बर को श्री जनार्दन प्रसाद ओझा और मेरी ओर से एक नियम 51 की यहां चर्चा हो रही थी, तो श्रीमती सुनीता चौहान, शिक्षा राज्य मंत्री उस समय थीं, उन्होंने जवाब दिया था, जिसको सदन की कार्यवाही में देख सकते हैं, पूरे सदन ने एकमत से सैनिक स्कूल में व्याप्त भ्रष्टाचार की निन्दा करते हुये जांच की मांग की थी । अध्यक्ष जी सहमत हो गये थे उन्होंने जो व्यवस्था दिया था, उसको मैं पढ़ रहा हूं---उन्होंने कहा था राज्य मंत्री जी को सम्बोधित करते हुये--कि मंत्री जी हमने सदन की राय जान ली है, प्रश्न की गम्भीरता को देखते हुये सदन के तीन सदस्यों की एक कमेटी बना दी जाये जो छानबीन करके अपनी रिपोर्ट दे ताकि उस पर कार्यवाही की जा सके ।

माननीय अध्यक्ष का निर्देश सदन का निर्देश है । सदन ने शासन को निर्देशित किया था कि सदन के तीन माननीय सदस्यों की एक कमेटी बना दी जाये जो कि जांच करे । लेकिन सदन को जानकर आश्चर्य होगा कि 17 सितम्बर, 1984

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

के उस निर्देश का आज तक पालन नहीं हुआ । मैं निजी जानकारी के आधार पर कह रहा हूं कि सबसे निंदा और चिन्ता की बात यह है कि उस समय शिक्षा विभाग के दूसरे जो मंत्री थे उन्होंने पत्रावली पर लिख दिया कि जांच कमेटी की आवश्यकता नहीं है, सैनिक स्कूल में सब ठीक है । इससे शर्मनाक और लज्जा की दूसरी बात नहीं हो सकती है । मैं बताना चाहता हूं कि इसमें दो कमेटियों ने जांच किया । एक तो मंडलायुक्त ने जांच किया और दूसरे शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने जांच किया था और दोनों, रिपोर्टों में, निजी जानकारी के अनुसार, वहां व्याप्त भ्रष्टाचार, प्रधानाचार्य की अनियमिततायें, अध्यापकों का शोषण, विद्यार्थियों के साथ किया गया दुर्व्यवहार, इन सब बातों को लेकर प्रधानाचार्य को तत्काल हटाने की सिफारिश की गयी है लेकिन माननीय अध्यक्ष के निर्देशों का पालन नहीं किया गया और साफ-साफ कह दिया गया कि कमेटी नहीं बनायी जायेगी ।

मैं समझता हूं कि अध्यक्ष और सदन की इससे बढ़कर दूसरी अवमानना नहीं हो सकती है । इसलिये मैं व्यवस्था चाहता हूं कि शासन को इसमें शास्ति दी जाये और पत्रावली को पुनः देखकर व्यवस्था करेंगे कि तीन सदस्यों की कमेटी बनायी जाये जो स्कूल में व्याप्त अनियमितताओं की जांच करके रिपोर्ट दे जिससे सैनिक महत्व का यह जो स्कूल है, जिसके बच्चे सेना में श्रेष्ठ काम करते हैं, वहां व्याप्त भ्रष्टाचार समाप्त हो सके । इसलिये मैं चाहता हूं कि कमेटी को पुनर्जीवित करेंगे और शासन के खिलाफ कार्यवाही करेंगे । दूसरे औचित्य के प्रश्न पर बाद में कहूंगा ।

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

इसमें आपका भी नाम है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मेरा ही मामला है ।

श्री अध्यक्ष—

दोनों के नाम लिखे हैं ।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

व्यवस्था का प्रश्न केवल वहां उठाया जाता है जहां नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया का पालन न हो । आपको तो हर चीज का पता है लेकिन असली चीज को न पेश करके अपनी इच्छानुसार कहते हैं । मैं आपका और राजेन्द्र गुप्त जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कारण संख्या 92, पेज 27-28 की तरफ, आप उसको देखें और 25 भी देखें कि जो भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा निदेश सदन में दिए जाते हैं, उनका आश्वासन के रूप में हमेशा पालन होता है । राजेन्द्र कुमार गुप्त जी को शायद जल्दी ही आश्वासन समिति की अध्यक्षता करने का मौका मिल रहा है, यह सारे निदेश उनके सामने आएंगे, वह उन पर जानकारी चाहेंगे और यदि पत्रावली चाहेंगे तो वह भी उनको मिलेगी, इस तरह इस सम्बन्ध में उस दशा में उनकी सारी जानकारी हो जाएगी । लेकिन जहां पर इस प्रश्न को उठाना चाहिए वहां न उठाकर इस सदन में उठाकर सदन का समय नष्ट करते रहे तो इससे कुछ नहीं होगा ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गुप्त—

अध्यक्ष के निर्देश आश्वासन समिति में नहीं जाते हैं ।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हुकुम सिंह जी जैसे आदमी को समुचित जानकारी नहीं है कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आश्वासन समिति में कौन से आश्वासन जाते हैं। माननीय अध्यक्ष के निर्देश आश्वासन समिति में नहीं जाते हैं, केवल शासन के आश्वासन वहां पर जाते हैं। मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि वह स्कूल जल रहा है, अध्यापक निकाले जा रहे हैं, उनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, आरोपों का पुलिन्दा आप शासन से मंगाकर देख लें कि कितने गम्भीर आरोप उक्त स्कूल और उसके प्रधानाचार्य के विरुद्ध लगाये गये हैं। उस समय सदन की भावना का आदर करते हुए ही तत्कालीन अध्यक्ष ने निर्देश दिया था यह आपके आदेशों का पालन नहीं करते हैं तो ऐसी सरकार को यहां एक मिनट भी रहने का औचित्य नहीं है। यह तो मैं नहीं कह सकता हूं कि आपके बैठने का औचित्य नहीं है। लेकिन यदि आपके आदेशों की इस प्रकार खुली अवहेलना होती रही तो हमारे सदन में बैठने का क्या लाभ होगा। मंत्री जी कहते हैं कि आश्वासन समिति को जाएगा, तो वहां तो दो साल, चार साल में कोई बात तय होगी। यहां यह तो आपकी गरिमा का प्रश्न है, जनहित का और आपकी कुर्सी की गरिमा का प्रश्न है। आप स्पष्ट निर्देश दें कि तीन आदमियों के समिति गठित करने के बाद, वह उसका प्रतिवेदन आपके सामने रखें। उधर से उत्तर आया कि जांच की गई और उसमें कोई अनियमितता नहीं पाई गई। यह अनर्गल बात है वहां के मामले की मंडलायुक्त, गोरखपुर ने और यहां के वरिष्ठ अधिकारियों ने दो जांच की हैं और दोनों जांचों में हमारे आरोपों को सही पाया गया है और उसकी पुष्टि की गई है, अनियमितताओं के लिए उनकी भर्त्सना की गई है। उन जांचों के परिणाम को छिपाकर मंत्री जी गलत-बयानी कर रहे हैं। आप स्पष्ट निर्देश दें कि शासन उन निदेशों का पालन कराये तीन आदमियों की समिति बनाकर। और सात दिन में, दस दिन में उसका प्रतिवेदन मंगवाकर शासन उससे आपको अवगत कराये।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

इस पर अब आप निर्णय लेने दीजिए।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

जिस मंत्री से सम्बन्धित प्रश्न होता है उसको यहां पर उपस्थित रहना चाहिए, यह आपके निर्देश हैं। (शिक्षा मंत्री के सदन में आ जाने पर) अब शिक्षा मंत्री जी आ गये हैं।

श्री अध्यक्ष--

जो संसदीय कार्य मंत्री ने इस पर कहा है वह सही है, फिर भी मैं अवसर देता हूं। जहां तक इस प्रश्न का सवाल है, शिक्षा मंत्री जी मौजूद हैं, भूतपूर्व अध्यक्ष महोदय ने जो निर्देश दिए थे, उसके लिए उसकी प्रोसीडिंग में देख रहा हूं। और यह सरकार से अनुरोध कर रहा हूं, माननीय शिक्षा मंत्री जी से कि 3 हफ्ते के अन्दर 3 आदमियों की कमेटी गठित कर दें।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी--

मान्यवर, मेरा एक औचित्य का प्रश्न है। मुझे भी सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

उसको मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं। भाषा और धर्म के सिलसिले में मैं कोई चर्चा नहीं चाहूंगा। कृपा करके इसकी गम्भीरता को सोचें। मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूं।

(शोर)

श्री रजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, मेरा एक औचित्य का प्रश्न और है ।

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी--

भारतीय संविधान में जिन 15 भाषाओं को राष्ट्र भाषा माना गया है उसमें से उर्दू एक है ।

(श्री गौरी शंकर भइया का नाम पुकारे जाने पर ।)

श्री शफीकुर्रहमान बर्क--

यह अहम मामला है, मुझे भी सुन लें ।

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी--

आप मेरी बात सुन लें ।

श्री अध्यक्ष--

उर्दू के विषय पर नहीं, क्षमा कीजिये बैठ जायं ।

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी--

[×××] ।

श्री अध्यक्ष--

आप जो बोल रहे हैं वह लिखा नहीं जायेगा ।

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी--

[×××] ।

श्री अध्यक्ष--

कोई बात नहीं लिखी जायगी ।

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी--

[×××] ।

नोट--[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया ।

नीति विषयक घोषणाएं सदन से बाहर करने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न (क्रमागत)

(श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी के बोलते रहने पर) ।

श्री गौरी शंकर भइया--

आप बैठ जायं । मेरा नाम पुकारा गया है । आप बोलने नहीं दे रहे हैं । मुझे बुला लिया गया है । मुझे बोलने दें ।

मान्यवर, मैंने एक औचित्य का प्रश्न नियम 300 के अन्तर्गत माननीय मुख्य-मंत्री जी के सम्बन्ध में दिया है । श्रीमन्, कल की कांग्रेस कार्य कारिणी समिति की बैठक में मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की कि निगमों के चुनाव दिसम्बर तक पूरे हो जायेंगे । इस सम्बन्ध में दो बिन्दुओं पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । एक तो जो समय-समय पर आपके निर्देश हैं उसमें कहा गया है कि अगर कोई चीज नीति विषयक है और हाउस चल रहा है तो उसकी घोषणा सदन के अन्दर की जायेगी । दूसरा बिन्दु नियमावली से सम्बन्धित है । आज की कार्य सूची को देखें जिसमें अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 में है कि क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनाव कब तक करा दिये जायेंगे । यदि नहीं, तो क्यों ? इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । श्रीमन्, "संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार" कौल तथा शकधर की जो किताब है उसके पृष्ठ 254-255 को देखें । उसमें लिखा है कि यद्यपि संसदीय प्रथा, रीति तथा परिपाटी के अनुसार प्रश्नों, स्थगन, प्रस्तावों, संकल्पों आदि की सूचनाओं तथा प्रश्नों के उत्तरों और सभा के कार्य से सम्बन्धित अन्य विषयों का, समय से पहले समाचार-पत्रों में प्रकाशन, चाहे वह किसी भी कारण से हो, परिपाटी के विरुद्ध होगा और अनुचित होगा ।

श्रीमन्, आप नियमावली को देखें। प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के पृष्ठ 24 पर नियम 50 में है—"प्रश्नों और उत्तरों के पूर्व प्रकाशन का प्रतिषेध–प्रश्न जिनको सदस्यों ने सूचना दी हो और उनके उत्तर, जो मंत्री सदन में देना चाहते हों, तब तक प्रकाशनार्थ नहीं दिये जायेंगे जब तक कि सदन में प्रश्न न ले लिये जायं और उनके उत्तर न दे दिये जायं या पटल पर न रख दिये जायं।" श्रीमन्, इस संदर्भ में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी को और मंत्रिपरिषद् को इस बात की जानकारी थी कि इस तरह का सवाल विधान सभा में आने वाला है, तो निश्चित रूप से उसका उत्तर आपकी आज्ञा से विधान सभा में हो आना चाहिए था। लेकिन इन्होंने अपनी कार्यकारिणी की बैठक में नीति विषयक घोषणा की। यह स्पष्ट रूप से एक नीति विषयक सवाल बनता है। आप मान्यवर, शासन को निर्देश दें कि इस तरह के सवाल जो विधान सभा में आने हैं, उसको सदन के बाहर घोषणा न करें।

*मुख्य मंत्री (श्री नारायन दत्त)—

श्रीमन्, मैं एक बार फिर आभारी हूं माननीय सदस्य बलिया का कि उन्होंने मेरा ध्यान आकर्षित किया, मेरी गलती के ऊपर, लेकिन मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पहले जब यह प्रश्न आया था दिसम्बर तक बढ़ाने का, उस समय भी यह कहा गया था। मैंने कोई नई बात नहीं कही थी। मैंने बजट भाषण में इसका उल्लेख परसों ही किया है। मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है कि मैं संदर्भ से परे हूं। जैसा मैंने पहले कहा कि पिछले सत्र में यह बात कही जा चुकी है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मुख्य मंत्री को सुनने के बाद मैं इसे अस्वीकार करता हूं।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, मैंने नियम 300 के अन्तर्गत एक औचित्य का प्रश्न प्रस्तुत किया है। मान्यवर, बड़ी व्यथा के साथ यह प्रस्ताव मुझे यहां रखना पड़ा, क्योंकि माननीय सहकारिता मंत्री ने जब हमारी विधान सभा संविधान की धारा 174 की उपधारा (1) के अन्तर्गत आहूत की गयी, तब उन्होंने विधान सभा में अपनी बात न कह कर सदस्यों का ध्यान दूसरी तरफ केन्द्रित करने के लिए 10 जुलाई को प्रेस कांफ्रेंस करके यह घोषणा कर दी कि साधन सहकारी समितियों तथा अन्य समितियों के चुनाव अक्तूबर के अन्त तक करा दिये जायेंगे। इसके पूर्व भी कई बार इन्होंने चुनाव कराने की प्रक्रिया प्रारम्भ की और उसे निरस्त कर दिया। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि मतदान हो भी चुके थे और उसके बाद निरस्त हुए यह संसदीय परम्परा में विधायिका मंत्रिमंडल पर विधान सभा में कही हुई बातों के आधार पर नियंत्रण करती है। यह बात माननीय मंत्री जी यहां कहते, तो आश्वासन के रूप में यह हमारा अधिकार बन जाता कि हम उनके ऊपर दबाव डाल कर आश्वासन के माध्यम से उसे पूरा करा लेते। इनके यहां जो रिजेक्टेड कांग्रेसी हैं, उन्हें एडजस्ट करने के लिए ये चुनाव नहीं कराना चाहते हैं। सदन से बाहर कही हुई बात पर इनको कोई जिम्मेदारी नहीं आती है, बाहर ये घोषणा कर देते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से औचित्य का प्रश्न उपस्थित करते हुए आपसे आग्रह करता हूं कि जो इन्होंने अखबारों के माध्यम से बाहर घोषणा की है, उसकी यहां पर घोषणा करें, ताकि जनतांत्रिक तरीके से जो सहकारिता विभाग है, जिसको सरकार ने सरकारी विभाग बना रखा है, उसमें जनप्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व हो सके।

सहकारिता मंत्री (श्री अरुण कुमार सिंह)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हूं कि यह जो 3 तारीख को चुनाव शुरू किये जाने की बात है, उस दिन चुनाव करा नहीं दिये जायेंगे। पिछले सत्र में भी चुनाव शीघ्र कराने की बात कही गयी थी चुनाव की प्रक्रिया सत्र शुरू होने से पहले ही प्रारम्भ हो गयी थी।

समाचार पत्रों के पत्रकारों ने जब पूछा कि चुनाव कब तक हो जायेंगे, मान्यवर, उस वक्त चुनाव का काम चल रहा था, उसकी प्रक्रिया विभाग स्तर पर चल रही थी, इसलिए मान्यवर, कह दिया गया कि चुनाव 3 तारीख से शुरू हो जायेंगे।

श्री अध्यक्ष--

स्पष्टीकरण के बाद में इसे अस्वीकार करता हूं।

श्री औसान सिंह के साथ थानाध्यक्ष बेला द्वारा किये गये दुर्व्यवहार के संबंध में तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देश पर शासन द्वारा कार्यवाही न किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री औसान सिंह--

मान्यवर, 12 मई को मैं बेला पहुंचा। वहां पता चला कि हमारे एक कार्यकर्ता को पुलिस पकड़ कर ले गई है, तो मैं थाना गया। मान्यवर, मैंने थानाध्यक्ष श्री आर0 डी0 नागर से जानकारी चाही तो आर0 डी0 नागर उत्तेजित हो गये और मेरी निर्मम पिटाई की। उस वक्त आर0 डी0 नागर थानाध्यक्ष, वीरेन्द्र सिंह दरोगा, रावत दरोगा, मानसिंह सिपाही तथा हेड मोहर्रिर वहां मौजूद थे। इन लोगों ने मेरी निर्मम पिटाई की और कहा तुम गलत लोगों की सिफारिश करने आए हो? मान्यवर, मेरी उंगली टूट गयी है जो अभी तक ठीक नहीं है। दोनों घुटनों में चोटें आई हैं। इसकी आपको लिखित सूचना भी दी है। आपने शासन को कड़े निर्देश दिये हैं। श्रीमन, इस संबंध में मैंने गृह सचिव को भी लिखा कर दिया है। माननीय नेता सदन भी मुझे देखने गये थे उन्होंने भी मामले की गम्भीरता को देखा, लेकिन अभी तक पुलिस कर्मियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मान्यवर, आप देखें मेरे कपड़े चिथड़े-चिथड़े हो गये।

(श्री औसान सिंह ने फटे हुये कपड़े और टूटा रिवाल्वर केस सदन के फ्लोर पर फेंका)।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप कृपा करके अपने स्थान पर बैठ जायें।

श्री औसान सिंह--

मान्यवर, आर0 डी0 नागर रोजाना मुझे धमकी देते हैं आर0 डी0 नागर अपने बीवी बच्चों के साथ थाने में रहते हैं। उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है। एक दरोगा को मुअत्तल किया गया है लेकिन वह भी थाने पर मौजूद है। अभी तक किसी के विरुद्ध केस कायम नहीं हुआ है।

(शोर)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें।

(घोर व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव--

माननीय सदस्य, औसान सिंह जी के साथ जो घटना पुलिस कर्मियों द्वारा घटित हुई है इस प्रकार की घटना आज पूरे उत्तर प्रदेश में घट रही हैं, जनप्रतिनिधियों के साथ ये घटनाएं हो रही हैं इसका कारण है अगर किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ हम कोई बात कहना चाहते हैं तो बदले

की भावना से पुलिस के लोगों द्वारा अपमान किया जाता है। माननीय औसान सिंह जी थाने गये, उन्हें कार्यकर्ता की वजह से थाने जाना पड़ा मान्यवर, आप कहते हैं कि थाने में जनप्रतिनिधियों को नहीं जाना चाहिए लेकिन इस प्रकार अगर जनप्रतिनिधियों के पत्रों पर, मंत्रियों के पत्रों पर कार्यवाही हो जाये तो हमारे माननीय सदस्य थाने न जायें। मान्यवर, माननीय औसान सिंह जी के साथ जो घटना घटी है यह सारे सदन का अपमान है। दरोगा को मुअत्तल किया गया क्योंकि उसका अपराध था। अपराधी और भी थे लेकिन निलम्बित एक को किया गया। बाकी के खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई? अभी तक पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार करके जेल क्यों नहीं भेजा गया..

(सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गयीं)।

श्री कल्यान सिंह--

मान्यवर, माननीय औसान सिंह के साथ जो घटना घटी है, यह घटना एक व्यक्ति के साथ घटी घटना के रूप में ली जाय। यह एक प्रकार से समूची लोकतांत्रिक संस्थाओं के ऊपर प्रहार है। एक निर्दोष कार्यकर्ता की निर्मम पिटाई थाने में हो रही थी। वह पूछ ताछ करने थाने चले गये जिस पर पुलिस उत्तेजित हो गई। मान्यवर, दरोगा ऐसा हो गया है कि उसे नीचे वालों की फिकर है और न ऊपर वालों का डर है। माननीय मुख्य मंत्री जी दरोगा से छोटे पड़ गये हैं। दरोगा ने माननीय सदस्य की पिटाई कर दी, सारा विवरण माननीय मुख्य मंत्री को प्रस्तुत किया गया था मैं स्वयं मिला था, गृह सचिव को सारा विवरण प्रस्तुत किया गया था, लिखित दिया गया था मैं स्वयं मिला था। डी० जी० पुलिस से दो बार मिला और घटना का विवरण देकर आवश्यक कार्यवाही की मांग की और मान्यवर, आपको याद होगा जब मन्डलीय विधायकों की बैठक हो रही थी तो एक नहीं कई बठकों में आपका ध्यान आकृष्ट किया गया था।

मान्यवर, यह केवल बेला थाने का प्रश्न नहीं है। पुलिस आज निरंकुशता की ओर बढ़ती जी रही है। इसके दो कारण हो सकते हैं या तो मैं यह कहूं कि शासन की साजिश है या यह कहूं कि शासन की पकड़ प्रशासन पर नहीं रह गई है दोनों में से एक जरूर सच है। इस घटना को गम्भीरता से लिया जाना चाहिये। शासन हमें यह बतायें कि हम शासन के अधिकारी से मिल कर अपनी बात रखें, मुख्य मंत्री के सामने अपनी बात रखें, हमारे अधिकारों के संरक्षक आप हैं, आपके सामने अपनी बात रखे और इसके बाद भी संरक्षण न मिले तो वह उपाय और मार्ग बता दें कि हम क्या करें। विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा दे कर चले जायं। इस सदन में बैठने का अर्थ ही नहीं रह जाता है। लोकतंत्र की दुहाई जो दी जा रही है, इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता। इतनी गम्भीर घटना घटी एक दरोगा को निलम्बित कर दिया, इसका मतलब है कि प्रदर्शन में शासन ने गलती मानी। अगर गलती थी तो निलम्बन मात्र क्या पर्याप्त सजा है।

जब जन-प्रतिनिधियों के साथ इस प्रकार की घटना घट रही है, तो सामान्य जनता के साथ किस प्रकार का व्यवहार होता होगा इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है। माननीय सदस्य ने कहा कि दो तीन दरोगा और पुलिस कर्मी थे। जो और थे उनके साथ शासन ने क्यों कार्यवाही नहीं किया। शासन क्यों चुप्पी साध है। क्या जन आन्दोलन खड़ा किया जाय तब शासन को लगेगा कि घटना हुई। शासन की नींद खोलने के लिये क्या एक दो बसों में आग लगाई जाय तभी शासन को लगेगा कि घटना हुई। यह हम नहीं चाहते। हम जानना चाहते हैं कि शासन चुप क्यों है? जनप्रतिनिधि के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार हो, इस प्रकार की

पिटाई हो और शासन चुप बैठा रहे, आखिर शासन की मंशा क्या है। क्या विरोध पक्ष को जिन्दा रहने का अधिकार नहीं रह गया है, अपनी बात कहने का अधिकार नहीं रह गया है, निरपराध लोगों की जनता को जायज बात उठाने का अधिकार नहीं है। निर्दोष व्यक्ति की पिटाई हो रही हो और विरोधपक्ष का सदस्य जबान न खोले। अगर जबान खोलेंगे तो डन्डा सिर पर टूटेगा। शासन ऐसा क्यों नहीं कहता। इतनी गम्भीर घटना हो जाय और चुप्पी साधे बैठा रहे इससे शर्म की बात और नहीं हो सकती है। मैं जानना चाहता हूं, शासन स्पष्ट करे कि उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही शासन करने जा रहा है। यह मामला गम्भीर है और यह मामला यहीं समाप्त नहीं हो जायेगा।

(श्री कुंवर रेवती रमण सिंह तथा रघुवर दयाल वर्मा के खड़े होने पर)।

श्री अध्यक्ष--

नियमानुसार जिनकी सूचना थी उनको मौका दिया गया।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

विधायक का मामला है।

श्री अध्यक्ष--

विधायक का सवाल है तो मेरा सवाल है।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

मान्यवर, यह औचित्य का प्रश्न है।

*श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, अध्यक्ष पीठ से आपने स्वयं यह निदेश दिया है कि जिस समय औचित्य का प्रश्न चलता है उस समय सम्बन्धित मंत्री अगर विषय का स्पष्टीकरण करें तो इस पर ज्यादा सुविधा होगी। इस समय माननीय औसान सिंह का ही नहीं जैसा कि सब माननीय नेताओं ने स्पष्ट किया, यह आदरणीय सदन की गरिमा और उसकी इज्जत का सवाल है। माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं मैं चाहता हूं कि वह इस पर बोलें।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायें।

*मुख्य मंत्री (श्री नारायन दत्त तिवारी)--

मैं स्वयं बोलने वाला था। अगर मेरी सहायता के लिए संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे थे तो कोई बात नहीं है।

श्रीमन्, सम्मानित सदस्य विधूना के के साथ जो घटना घटित हुई उसके सम्बन्ध में जो वर्णन किया, उसके सम्बन्ध में मुझे उन्होंने स्वयं भी जानकारी दी थी। यह सही है कि माननीय नेता भारतीय जनता पार्टी मुझसे मिले थे और उन्होंने मुझे इस घटना के बारे में अवगत कराया था। यह भी सही है कि माननीय नेता विरोधी दल ने भी इस सम्बन्ध में मुझसे बातचीत की थी। तत्पश्चात् मैं स्वयं अस्पताल गया और वहां माननीय नेता विधूना से बातचीत की और इस बात को भी देखा कि उनका उपचार कैसा चल रहा है। श्रीमन्, आप देखेंगे कि उसके बाद प्रभावी कार्यवाही की गयी। सी0 आई0 डी0 से जांच की मांग थी तो सी0 आई0 डी0 से जांच की गयी और सी0 आई0 डी0 जांच से प्रकरण के आधार पर थानाध्यक्ष को मुअत्तल कर दिया गया। इसके अलावा जो जिले के एस0 एस0 पी0 हैं, इसलिए कि इस प्रश्न को ठीक से हैन्डिल नहीं किया गया, जिले के एस0 एस0 पी0 का भी ट्रांस्फर कर दिया गया।

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण निहीं किया।

इसके अलावा श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी माननीय सदस्य विधूना ने जो बात कही कि और कर्मचारी हैं तो मैंने अस्पताल में स्वयं उनसे कहा था कि जो लोग आपसे नाराज हों, उनके नाम लिखकर आप मुझे दे दें। मान्यवर, पुलिस का कार्य बड़ा कठिन है। इस पर सारे पुलिस को एक बार दोषी ठहराना हम सब के लिए बहुत मुश्किल है। इसी पुलिस के जरिये हमें कानून व्यवस्था के बारे में कार्यवाही करनी है। इसलिए मैंने कहा था कि आप सबके नाम दे दें। थानाध्यक्ष तो मुअत्तल हो ही चुका है और एस0 एस0 पी0 का ट्रांसफर कर दिया गया है। मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि यदि उन्हें कोई और कर्मचारी पर शिकायत है तो मैं देखूंगा कि इसमें कहां तक क्या हो सकता है।

जैसा कि नेता विरोधी दल ने ठीक ही कहा कि हम ऐसे न उलझें जो हमारी मर्यादा है जो हमारे पद की गरिमा है, हमें स्वयं ऐसा अवसर नहीं देना चाहिए कि हमारी गौरव मंडित महिमा जो विधायक की है वह शंकित हो। इस विषय में जो माननीय नेता विरोधी दल ने कहा मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं और मैं यह चाहूंगा श्रीमन्, कि आज या कल या परसों, जब कभी नेता, भारतीय जनता पार्टी को अवसर हो, उनसे परामर्श कर लेंगे। माननीय सदस्य औसान सिंह भी रहें। आगे जो कार्यवाही उचित समझेंगे, करेंगे।

श्री अध्यक्ष—

अब मैं इसको समाप्त करता हूं।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी इतना बता दें कि सी0 आई0 डी0 इन्क्वायरी की मांग किसने की थी? माननीय सदस्य ने चाहा था कि मुकदमा दर्ज किया जाय, तो मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया गया? सी0 आई0 डी0 इन्क्वायरी की मांग किसने की थी, नेता दल, नेता विरोधी दल या माननीय सदस्य ने नहीं की थी। मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया गया?

श्री अध्यक्ष—

नेता भारतीय जनता पार्टी और नेता विरोधी दल, माननीय सदस्य की इज्जत सदन की इज्जत है। जो कुछ कमी रह गयी हो उसको मैं समझता हूं कि उसको नेता सदन को नेता विरोधी दल और नेता भारतीय जनता पार्टी बैठकर बात करें तो मैं समझता हूं कि वे उस पर अवश्य ध्यान देंगे। अब मैं इसको समाप्त करता हूं।

उत्तर प्रदेश फलदार वृक्षों का संवर्द्धन और संरक्षण (हानिप्रद अधिष्ठान और आवास योजना विनियमन) अध्यादेश, 1985†

(1 बज कर 36 मिनट)

कृषि मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश फलदार वृक्षों का संवर्द्धन और संरक्षण (हानिप्रद अधिष्ठान और आवास योजना विनियमन) अध्यादेश, 1985 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1985†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1985 को सदन के पटल पर रखता हूं।

†छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1985†

कृषि मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1985 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) अध्यादेश, 1985†

वित्त तथा नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) अध्यादेश, 1985 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (द्वितीय संशोधन), अध्यादेश, 1985†

खाद्य तथा रसद मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1985 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन और वैधीकरण) अध्यादेश, 1985†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन और वैधीकरण) अध्यादेश, 1985 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मन्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1985†

कृषि मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मन्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1985 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

अध्यादेशों को सदन के पटल पर रखे जाने पर आपत्ति

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री गौरी शंकर भइया—

मान्यवर, यह जो अध्यादेश रखे जा रहे हैं, इन पर मेरी एक वैधानिक आपत्ति है ।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, मेरी भी आपत्ति है । ये अध्यादेश सदन के पटल पर नहीं रखे जा सकते ।

श्री अध्यक्ष—

राजेन्द्र गुप्त जी, आप खुद ही कानून के वरिष्ठ वकीलों में से हैं । मैं आपसे क्या कह सकता हूं । जहां तक अध्यादेशों के सदन के पटल पर रखने का प्रश्न है, ये अध्यादेश तब जारी होते हैं जब सदन नहीं होता है । यह पूरा अधिकार राज्यपाल का होता है कि वह जब चाहे अध्यादेश जारी कर दे । जब सदन का सत्र होता है तो ये अध्यादेश रखने होते हैं । ऐसी स्थिति में आपत्ति का कोई प्रश्न है ।

†छापा नहीं गया ।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, मेरा तर्क सुन लें।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1985†

शिक्षा मंत्री (श्री सिब्ते रजी)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1985 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन) अध्यादेश, 1985†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन) अध्यादेश, 1985 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 1985†

शिक्षा मंत्री (श्री सिब्ते रजी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 1985 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (पैंतीसवां संशोधन) नियमावली, 1985††

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या 5046-टी/30-4-6-पी०-79-के0 अधि0-4-1939 नियमा0-1940-संशोधन (35) 1965, दिनांक 22 जनवरी, 1985 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (पैंतीसवां संशोधन) नियमावली, 1985 जो दिनांक 22 मार्च, 1985 को सदन के पटल पर रखी गयी थी तथा जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सदन के सत्रावसान के कारण पूरी नहीं हो सकी है, को मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

पर्वतीय विकास कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड, नैनीताल की दशम वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण, 1980-81†

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री गुलाब सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से पर्वतीय विकास कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड, नैनीताल की दशम वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण 1980-81 को कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

नगर महापालिका कानपुर चुंगी (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1983††

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से नगर विकास अनुभाग-9 की अधिसूचना संख्या 2446-1-बी/11-9-के-3 (1)-83, दिनांक 8 दिसम्बर, 1983 द्वारा प्रकाशित नगर महापालिका कानपुर चुंगी (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1983 जो दिनांक 6 अप्रैल, 1984, 11 सितम्बर, 1984 एवं 22 मार्च, 1985 को सदन के पटल पर रखी गयी थी तथा जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सदन के सम्बन्धित सत्रों के सत्रावसान के

†छापा नहीं गया।
††छापी नहीं गयी।

कारण पूरी नहीं हो सकी है, को उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 540 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार पुनः सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश केन्द्रीय बिक्रीकर (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1985††

वित्त तथा नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या वि० के०-2-1915/दस-3 (1)/75-ऐक्ट-74-56, नियम 57 संशोधन (प्रथम)/1985, दिनांक 29 मार्च, 1985 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश केन्द्रीय बिक्री-कर (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1985 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1985††

वित्त तथा नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग-3 की विज्ञप्ति सं० वि० के०-2-1445/दस-938 (1)-72 उत्तर प्रदेश अधि० 15-48 नियम 1948 संशोधन (2)-85, दिनांक 16 मार्च, 1985 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1985 को उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट की धारा 24 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश की कार्यप्रणाली का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष, 1975-76†

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश की कार्य प्रणाली का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1975-76 को ज्ञापन सहित भारत का संविधान के अनुच्छेद 323 (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) नियमावली, 1985††

वित्त तथा नियोजन राज्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश रिछरिया)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (बिक्रीकर) अनुभाग—2 की विज्ञप्ति संख्या एस० टी० 2-606/दस-5 (2) 83-उ० प्र० अधि०-15-48-नियम (संशोधन)-85, दिनांक 29 जनवरी, 1985 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) नियमावली, 1985 को विलम्ब के कारणों सहित उत्तर प्रदेश बिक्रीकर ऐक्ट, 1948 की धारा 24 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की 8वीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण†

उद्योग मन्त्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की 8वीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 1983 को राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 38 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

†छापा नहीं गया ।।
††छापी नहीं गयी

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के वर्ष 1982–83 के लेखा पर महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा परीक्षा प्रतिवेदन†

उद्योग मन्त्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के वर्ष 1982–83 के लेखा पर महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा परीक्षा प्रतिवेदन को राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 की धारा 37 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

सदन द्वारा पारित श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर श्री राज्यपाल द्वारा धन्यवाद दिये जाने की सूचना

श्री अध्यक्ष—

अभिभाषण के प्रति धन्यवाद प्रकट करते हुये उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय के उत्तर को मैं पढ़ कर सुना रहा हूं जो इस प्रकार है :—

"पत्र संख्या—2543 दिनांक 10 अप्रैल, 1985 आपके पत्र संख्या 575/वि0 स0/संसदीय 19 (सं0)/85, दिनांक 2 अप्रैल, 1985 के लिए धन्यवाद । आपके द्वारा विधान सभा के माननीय सदस्यों को भी मैं अपना धन्यवाद देना चाहूंगा । भवदीय मोहम्मद उस्मान आरिफ ।"

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1985

सचिव, विधान सभा—

मान्यवर, मैं प्रक्रिया नियमावली के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1985 जो विधान सभा द्वारा 20 मार्च, 1985 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के 22 मार्च, 1985 को प्राप्त हो गया ।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1985

सचिव, विधान सभा—

मान्यवर, मैं प्रक्रिया नियमावली के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1985, जो विधान सभा द्वारा 22 मार्च, 1985 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के 26 मार्च, 1985 को वापस प्राप्त हो गया ।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) संशोधन विधेयक, 1985

सचिव, विधान सभा—

मान्यवर, मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1985 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 20 मार्च, 1985 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 21 मार्च, 1985 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 23 मार्च, 1985 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1985 का उत्तर प्रदेश का दूसरा अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश विनियोग (1984–85 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1985

सचिव, विधान सभा—

मान्यवर, मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1984–85 का

†छापा नहीं गया ।

द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1985 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 मार्च, 1985 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 23 मार्च, 1985 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 26 मार्च, 1985 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1985 का उत्तर प्रदेश का तीसरा अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1985

सचिव, विधान सभा--

मान्यवर, मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1985 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक 22 मार्च, 1985 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 23 मार्च, 1985 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 26 मार्च, 1985 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1985 का उत्तर प्रदेश का चौथा अधिनियम बन गया ।

पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1982

सचिव, विधान सभा--

मान्यवर, मैं घोषणा करता हूं कि पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1982 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 25 अगस्त, 1982 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 12 सितम्बर, 1983 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 23 मार्च, 1985 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1985 का उत्तर प्रदेश का पांचवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) विधेयक, 1985

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, 1985 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक 21 मार्च, 1985 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 22 मार्च, 1985 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 28 मार्च, 1985 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1985 का उत्तर प्रदेश का छठां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1985

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1985 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 20 मार्च, 1985 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 22 मार्च, 1985 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 28 मार्च, 1985 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1985 का उत्तर प्रदेश का सातवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1985

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर

प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1985 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 20 मार्च, 1985 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 मार्च, 1985 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 29 मार्च, 1985 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1985 का उत्तर प्रदेश का आठवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन), विधेयक, 1985

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1985 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 मार्च, 1985 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 25 मार्च, 1985 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 3 अप्रैल, 1985 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1985 का उत्तर प्रदेश का नवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1985

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1985 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 21 मार्च, 1985 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 25 मार्च, 1985 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 3 अप्रैल, 1985 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1985 का उत्तर प्रदेश का दसवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रीसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1985

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1985 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक 21 मार्च, 1985 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 25 मार्च, 1985 को वापस हुआ था । राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 3 अप्रैल, 1985 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1985 का उत्तर प्रदेश का ग्यारहवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मन्डी (संशोधन) विधेयक, 1985

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मन्डी (संशोधन) विधेयक, 1985 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 20 मार्च, 1985 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 मार्च, 1985 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 3 अप्रैल, 1985 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1985 का उत्तर प्रदेश का बारहवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1985

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1985 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 20 मार्च, 1985 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 21 मार्च, 1985 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 26 अप्रैल, 1985 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1985 का उत्तर प्रदेश का तेरहवां अधिनियम बन गया।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 10 और 12 जुलाई, 1985 की बैठकों में किये गये विनिश्चयों के अनुसार यह सिफारिश की है कि विधान सभा का दिनांक 15 जुलाई से 25 जुलाई, 1985 तक का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया जाय :--

15 जुलाई, 1985 सोमवार	वित्तीय वर्ष 1985-86 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा।
16 जुलाई, 1985 मंगलवार	
17 जुलाई, 1985 बुधवार	
18 जुलाई, 1985 गुरुवार	
19 जुलाई, 1985 शुक्रवार	बैठक नहीं होगी।
20 जुलाई, 1985 शनिवार	
21 जुलाई, 1985 रविवार	
22 जुलाई, 1985 सोमवार ..	वित्तीय वर्ष 1985-86 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा।
23 जुलाई, 1985 मंगलवार ..	चिकित्सा विभाग से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों पर विवाद तथा मतदान।
24 जुलाई, 1985 बुधवार ..	(1) राजस्व विभाग तथा सहायता और पुनर्वासन विभाग से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों पर विवाद तथा मतदान। (2) अपरान्ह 5 बजे से, 3 1/8 एकड़ तक की जोत वाले किसानों पर पुराने सरकारी कर्जे को माफ करने विषयक श्री हरिश्चन्द्र (हरीश जी) के प्रस्ताव पर नियम 103 के अन्तर्गत एक घंटे की चर्चा।
25 जुलाई, 1985 गुरुवार ..	खाद्य तथा रसद विभाग से सम्बन्धित अनुदान की मांग पर विवाद तथा मतदान।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मन्त्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गयी है, सहमत है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गयी है, सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन (संशोधन) विधेयक, 1985†

खाद्य एवं रसद मन्त्री (श्री वासुदेव सिंह)—

श्रीमन्, आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1985 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1985 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन को अनुज्ञा प्रदान की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

†दिनांक 15 जुलाई, 1985 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

श्री वासुदेव सिंह—

मान्यवर, आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1985 को पुरःस्थापित करता हूं ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

नियम 56 के अन्तर्गत 22 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 3 सूचनाओं को मैंने सुनने के लिये स्वीकृत किया है । पहली सूचना श्री कल्याण सिंह, श्री हरिश्चन्द्र तथा श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी द्वारा दी गयी है जो शासन द्वारा गेहूं का प्रति क्विंटल घोषित मूल्य का दाम भी किसानों को न मिलने से उत्पन्न असंतोष के विषय में है । दूसरी सूचना, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा की वन अधिकारी तथा असामाजिक तत्वों द्वारा मजदूरों पर गोली चलाने के सम्बन्ध में है । तीसरी सूचना श्री राम गोविन्द चौधरी की माध्यमिक विद्यालयों में तदर्थ रूप से नियुक्त अध्यापकों की सेवायें समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में है । मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य संक्षेप में इन पर अपने विचार रखें ।

(श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्री दिवाकर विक्रम सिंह, श्री सुखपाल पाण्डेय तथा श्री शतरुद्र प्रकाश के खड़े होने पर ।)

(व्यवधान)

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

मान्यवर, हम लोगों की भी गेहूं पर सूचना है, जो कि बहुत महत्व-पूर्ण है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, आप नाम बता दें कि गेहूं के मूल्य के सम्बन्ध में किनकी-किनकी सूचनायें हैं ?

(श्री कल्यान सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री कल्यान सिंह—

मैंने जो नियम 56 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया है, यह एक ऐसा प्रश्न है जो प्रदेश के 75 प्रतिशत लोगों से सम्बन्ध रखता है। किसानों के जन-जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनको लूटा जा रहा है खाद, बिजली, पानी, कीटनाशक दवायें इत्यादि में 70 से 80 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। सरकार को कम से कम 200 रु0 प्रति क्विंटल का रेट देना चाहिये था, किन्तु दिया है 157 रु0 प्रति क्वि0 का। 157 रु0 प्रति क्वि0 का जो रेट तय किया था वह भी नहीं दिया जा रहा है। बिचौलियों और शासन तंत्र की मिली भगत से 145 रु0 प्रति क्वि0 से लेकर 150 रु0 प्रति क्वि0 का रेट ही किसानों को मिल रहा है। शेष करोड़ों रुपये का धन बिचौलियों की जेबों में जा रहा है, इस तरह से किसानों की खुली लूट हो रही है। गेहूं क्रय केन्द्रों पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त है, पल्लेदारी के रूप में दो तरह की कटौती की जा रही है। मान्यवर, गेहूं क्रय करने के रूप में किसानों को जो चेक दिया जाता है उसका भुगतान नहीं होता है। उसका भुगतान कराने के लिये भी बिचौलियों की मदद लेनी पड़ती है जिसमें कि किसानों को पूरा पैसा नहीं मिल पाता है। किसानों पर जो सरकार के देय हैं उनकी वसूली तो सख्ती से की जाती है किन्तु जो सरकार पर किसानों के देय हैं उनका भुगतान शीघ्र नहीं हो पाता है। इस तरह से बिचौलिये किसानों को खुले रूप से लूट रहे हैं।

आज वर्षा होना शुरू हो गयी है और किसानों का गेहूं क्रय केन्द्रों पर पड़ा सड़ रहा है। एक तो किसान पहले से ही बरबाद था दूसरे यह सरकार जो किसान विरोधी है, गरीबों की विरोधी है इसकी नीतियों से किसान की कमर टूट रही है। इससे ज्यादा अविलम्बनीय लोकमहत्व का कोई प्रश्न नहीं हो सकता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न पर सदन की कार्यवाही को रोक कर चर्चा करा दी जाय। इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में जो मुद्दे मैंने उठाये हैं, इस पर शासन क्या करने जा रहा है? मैं समझता हूं कि ग्राह्यता की दृष्टि से इस वक्त इससे महत्वपूर्ण कोई प्रश्न नहीं है। यह केवल एक व्यक्ति का प्रश्न नहीं, यह केवल एक गांव का प्रश्न नहीं, यह केवल एक शहर का प्रश्न नहीं है बल्कि यह समूचे प्रदेश के किसानों के प्रश्न से सम्बन्धित है, इसलिये इसको ग्राह्यता बनती है, इसको स्वीकार किया जाय।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग यह जानना चाहते हैं कि जिन्होंने गेहूं के सिलसिले में पूछा है उनके क्या नाम हैं। तो गेहूं के सिलसिले में माननीय कल्यान सिंह, माननीय हरिश्चन्द्र, माननीय ब्रह्म दत्त द्विवेदी, माननीय मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, माननीय माता प्रसाद पाण्डेय, माननीय सुखपाल पण्डेय, माननीय दिवाकर विक्रम सिंह तथा माननीय शतरुद्र प्रकाश ने प्रश्न उठाया है।

(खाद्य तथा रसद मन्त्री के खड़े होने पर।)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, ये क्या करेंगे, यह तो सहकारिता का मामला है?

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

मान्यवर, एक बहुत ही अहम् प्रश्न आज माननीय सदन के सम्मुख उपस्थित किया गया है। जैसा कि इस सदन को ज्ञात है, सभी माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश की आर्थिकता

50 प्रतिशत से ज्यादा की आय कृषि क्षेत्र से आती है। इसमें जो इनपुटस है, जो इसके संसाधन हैं, वर्तमान सरकार ने उसे इतना मंहगा कर रखा है कि अनेक किसान उत्पादन लागत को बरदाश्त नहीं कर पाता है और इन संसाधन के जुटाने में वह कर्जदार होता जा रहा है। वह खेतों में उत्पादन लागत लगाने के लिए कर्जदार होता जा रहा है और उसे उत्पादन लागत के बराबर भी मूल्य नहीं मिल पा रहा है। गेहूं के दाम जो 200 रु0 निर्धारित होने चाहिये थे, उसे निर्धारित नहीं किया गया। एक अन्याय सरकार द्वारा मूल्य निर्धारण में हुआ ही था, दूसरे गेहूं की खरीद का सवाल खड़ा हो गया है। माननीय खाद्य मंत्री जी कहेंगे कि जो लक्ष्य निर्धारित था, उस लक्ष्य के निकट पहुंच रहे हैं। मान्यवर, सवाल इस बात का नहीं है कि कितना गेहूं खरीदा गया, सवाल तो यह है कि क्या आपने सीधे किसानों से गेहूं खरीदा है या बिचौलियों द्वारा खरीदा है। यह बड़ा अहम मसला है। आज सदन के दूसरे कार्य स्थगित करके इस पर चर्चा करा दें। मान्यवर, मेरी जानकारी है कि 50 प्रतिशत से ज्यादा गेहूं बिचौलियों द्वारा खरीदा गया है और 50 प्रतिशत किसानों से खरीदा गया है। जो क्रय केन्द्रों पर सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हैं वह पहले किसानों को हर प्रकार से परेशान करते हैं। माननीय कल्याण सिंह जी ने अभी पश्चिम की जानकारी दी कि गेहूं 145 से 150 रु0 में खरीदा जा रहा है। मैं पूर्वी जिले की बात बताता हूं कि 135 से 140 रु0 तक गेहूं खरीदा गया है। बनारस में किसानों को मजबूर होकर बिचौलियों के हाथ गेहूं बेचना पड़ा है। मान्यवर, गेहूं की खरीद 50 प्रतिशत बिचौलियों के माध्यम से की गई है। किसानों को औसतन 140 रु0 प्रति किलो ग्राम मिला और जो 17 रु0 प्रति किग्रा0 का अन्तर आया, उसको क्रय केन्द्र के अधिकारी, कर्मचारी और बिचौलिये खा गये। इस पर शासन को विचार करने की जरूरत है। आज की स्थिति यह है कि जितना गेहूं खरीदा गया है, उसमें से आधा बिचौलियों के द्वारा खरीदा गया है और आधा किसानों द्वारा खरीदा गया है और बहुत-सा गेहूं किसानों के घर पर पड़ा हुआ है। जब किसान उसे लेकर जाता है तो उससे कहा जाता है कि बरसात है, बोरे समाप्त हो गये हैं। इस प्रकार से किसानों को परेशान किया जा रहा है। इस प्रकार से किसानों की लूट की जा रही है। जो गेहूं खरीदा गया है वह कई केन्द्रों पर खुले मैदान में पड़ा है। मान्यवर, मेरी प्रार्थना है कि आप सदन के कार्यों को स्थगित करके इस पर चर्चा करा दें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्यों की भावनाओं को देखते हुये मैं इस पर एक घंटे की चर्चा के लिए स्वीकार करता हूं और कार्य स्थगन प्रस्ताव की हैसियत से अस्वीकार करता हूं।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

आप इस पर समय कब निर्धारित करेंगे।

श्री अध्यक्ष—

कार्य मंत्रणा समिति में निर्धारित किया जायेगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, ...

श्री मित्र सेन—

मान्यवर, कार्य-स्थगन में जो प्रस्ताव आये हैं वह किन-किन लोगों से आये हैं और किन-किन विषयों पर हैं, जिससे मालूम हो जाये।

श्री अध्यक्ष—

इसमें काफी समय लगेगा। इसको ख लूंगा, हो सकेगा तो करूंगा।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, बनों में टांगिया मजदूर काम कर रहे हैं। उनके पास आधा एकड़ से कम भूमि है और उस भूमि में उनका 10—12 आदमियों का परिवार गुजारा करता है। वह 4 पुश्तों से काम कर रहे हैं। उनके पास कोई मकान नहीं है। वह पेड़ों की छाल और हरी पत्तियों को खाकर अपना पेट पालते हैं। उनके बाद भी शासन को सब्र नहीं हुआ। 6 तारीख को 7 बजे वे अपने खेत पर चले जाते हैं। छोटा मोटा जो उनके पास खेत का टुकड़ा होता है उस पर काम करने के लिए जाते हैं। इसी बीच वहां के रेंजर अपने डेढ़ सौ गुंडों को लेकर, बाहरी व्यक्तियों को, असमाजिक तत्वों को लेकर इन टांगियां मजदूरों को जंगल से भगाने के लिए सुनियोजित ढंग से षडयंत्र रचा कर उन पर हमला करते हैं और धुंवाधार गोलियां चलाते हैं। इस तरह से सैकड़ों लोगों के सीने में गोलियां लगीं, हाथ में लगीं, पैर में लगीं, आंख में लगीं और इस तरह से गोरखपुर के अस्पताल में तीन लोगों ने दम तोड़ दिया। मान्यवर, प्रश्न गोली चलाने का नहीं है बल्कि प्रश्न यह है कि साढ़े तीन लाख से ज्यादा ये टांगिया मजदूर जंगलों में रहते हैं। उनके पास कोई जमीन नहीं है, कोई मकान रहने के लिए नहीं है, उनका कोई ठिकाना नहीं है। उनकी लड़कियों के साथ सभ्य समाज शादी करने के लिए राजी नहीं होता। वे ट्राइबल नहीं हैं, वे क्रिमिनल नहीं हैं, उन्हें शासन से कोई सुविधा प्राप्त नहीं होती है। वे जंगलों में जाकर पेड़ उगाते हैं। यह प्रसन्नता की बात है कि उन लोगों ने पुलिस में एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराई, इन वन कर्मियों के विरुद्ध रिपोर्ट कराई। दो—दो अधिकारी जेलों में भेजे गये। लेकिन शर्म की बात यह है कि सारी परम्पराओं, नियमों और कानून को तोड़ दिया गया। आज 15 तारीख तक वे अधिकारी निलंबित नहीं हुये। वे जेल में पड़े हुए हैं। बाकी लोग भाग गये हैं। उनके पास 12 बोर की लाइसेन्सी बंदूकें थीं, बाहरी व्यक्तियों की बंदूकें थीं। जिस बर्बरतापूर्वक उनके ऊपर हमला होता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। माननीय मुख्य मन्त्री जी यहां पर बैठे हुये हैं। उनका भी इन मजदूरों के साथ संपर्क रहा है। आज इन मजदूरों के साथ वन विभाग के ये कर्मचारी खिलवाड़ कर रहे हैं। इसे कोई सभ्य समाज बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मूल बात यह है कि जब से वन निगम हुआ है तब से एक इकरारनामा भरा जाता है, उनके दस्तखत ले लिये जाते हैं ताकि वे उनके डिस्पोजल में रहें। टांगिया मजदूर कहां जायेगा। उसका किसी से कोई सम्बन्ध नहीं है। उसके पास मकान नहीं है, कोई खेतीबाड़ी नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। चार पुश्तों से उसी जंगल में काम कर रहे हैं। वह कहां जायेगा। जब तक वह फार्म भरने की परम्परा नहीं थी, वह खुशहाल था। उनका कहना है कि हम भी इंसान हैं, शहरी हैं। स्वतंत्र भारत में उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं रहा। पिछले साल काफी संघर्ष के बाद पहली बार उन्हें यह अधिकार मिला। उनमें राजनैतिक चेतना जागी, सामाजिक चेतना जागी। वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं। इसलिए वे चाहते हैं कि हमको जंगल के किसी कोने में परमानेन्टली सेटिल कर दिया जाय और जिस तरह से हम आज तक काम करते रहे हैं उसी तरह से काम करते रहें। यह प्रश्न सारे प्रदेश का है। इसलिए मैं इन दो—तीन बातों की ओर माननीय मुख्य मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा। मेरा यह निश्चित प्रश्न है और इस पर चर्चा होनी चाहिये। यह एक अहम सवाल है। अभी तक वहां के ये अधिकारी निलम्बित नहीं हुये हैं। यह नियम है कि 48 घंटे के अन्दर अगर कोई सरकारी सेवा में हो तो उसको निलिम्बत कर दिया जाय किन्तु उनका अभी तक निलम्बन नहीं हुआ है। वहां पर चर्चा यह है कि उन्हें

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वहां के बड़े अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है। उनके निलम्बन की घोषणा मुख्य मन्त्री जी करें। इसकी जांच हो और उनको जो सामाजिक और आर्थिक, जो कि बुनियादी सवाल हैं जिनको लेकर आज जगह-जगह आन्दोलन चल रहे हैं, उनके निलम्बन के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री जी सदन को आश्वासन दें। यदि इस मसले पर सदन में चर्चा न हो तो कम से कम आश्वासन मुख्य मंत्री जी सदन को अवश्य दें। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देकर अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष--

मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं और चाहूंगा कि स्वयं मंत्री जी भी देखें ताकि इस किस्म की कठिनाई न हो।

*मुख्य मन्त्री (श्री नारायन दत्त)--

श्रीमन्, जो सूचना हमारे सम्मानित वरिष्ठ सदस्य गोरखपुर ने दी वह अवश्य दुखजनक है। जैसा उन्होंने स्वयं बताया कि शासन की ओर से यह सूचना मिलते ही तत्काल कार्यवाही की गयी। वे सभी लोग जो इसके लिए जिम्मेदार हैं जेलों में हैं और उनकी जमानत भी नहीं हुई। तो इससे स्पष्ट होता है कि हमारी मंशा क्या है। हम किसी प्रकार भी इस प्रकार की अनधिकृत चेष्ठा करने के लिए तैयार नहीं हैं कि कोई भी मनमाने ढंग से कार्य कर लें। जो टांगिया मजदूरों का प्रश्न है, मुझे व्यक्तिगत जानकारी है मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं कि उन्होंने इस बात को उठाया है। टांगिया मजदूरों के भविष्य के बारे में मैंने एक बैठक बुलाई है और अपने राज्य वन मन्त्री जी से कहा है कि इसकी यथा शीघ्र तैयारी करके बैठक बुलायें। जहां-जहां प्रदेश में टांगिया मजदूर हैं उनके विषय में बात होगी। मान्यवर, टांगिया शब्द वर्मा से आया। जब प्लाटेशन प्रणाली चलती थी तो इस व्यवस्था की जरूरत थी अब उसकी जरूरत है या नहीं इस पर विचार करना है। जहां-जहां यह प्रणाली चल रही है वहां पर इन टांगिया मजदूरों का भविष्य क्या होगा इस पर भी विचार होगा।

श्री अध्यक्ष--

मुख्य मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस विषय को अस्वीकार करता हूं।

श्री राम सरन--

मान्यवर, एक बात मुझे करनी थी। जब एक विषय पर विभिन्न दलों के लोगों से कार्य स्थगन प्रस्ताव आ जाय तो उनको एक साथ कर दें और उसमें हर दल के एक-एक या दो-दो आदमी को बोलने का अवसर दें। अभी गेहूं के मामले में हमारे दल के एक भी आदमी को बोलने का अवसर नहीं मिला। आपने नाम जरूर पढ़े होंगे लेकिन यह उचित नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष—

इस पर तो चर्चा करा दी है।

श्री नारायन दत्त --

श्रीमन्, मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि आज तो विरोधी दल का दिन है और हम नेता विरोधी दल को सुनने का इंतजार कर रहे हैं। जब वह बोलेंगे तो सारी बातें उसमें आ जायेंगी यह मानकर उन्हें चलना चाहिये। जब कभी भी बजट पर या राज्यपाल के अभिभाषण पर नेता विरोधी दल बोलते हैं तो इस तरह की सारी बातें उसमें आ जाती हैं। ऐसे मौके पर शून्य प्रहर कम कर दिया जाता है। मैं समझता हूं कि आज काफी हो गया है। अगर सारी बातें पहले ही आ जायेंगी तो फिर उनके लिए कठिनाई होगी। वे बड़े योग्य व्यक्ति हैं सारी बातें बता देंगे।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम गोविन्द चौधरी---

श्रीमन्, मैंने जो कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है वह अत्यन्त महत्वपूर्ण और तात्कालिक है। सरकार एक अध्यादेश से पूरे प्रदेश के लगभग 22 हजार तदर्थ अध्यापकों की सेवायें समाप्त करने जा रही है इस प्रकार यह एक दुष्चक्र रचा जा रहा है। जो अध्यापक 4-4, 5-5, साल से काम कर रहे हैं जिन्होंने सन् 1984 से एक आंदोलन शुरू किया था और उनकी मांग थी कि उनकी सेवायें नियमित की जायं। उस समस्त तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने तथा कांग्रेस आई के अध्यक्ष ने आश्वासन दिया था कि हम चुनावों के बाद आपकी सेवाओं को नियमित कर देंगे। उस समय लोकसभा चुनाव होने वाले थे और कांग्रेस पार्टी भयभीत थी कि अगर अपनी मांगों को लेकर अध्यापक आंदोलन करेंगे तो वह जीत नहीं पायेंगे क्योंकि उन्होंने अपने आन्दोलन में यह घोषणा की थी कि वह चुनावों में कांग्रेस का विरोध करेंगे। तो उस समय मुख्य मंत्री जी थे तथा कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष ने उनको आश्वासन दिया था कि शिक्षक आन्दोलन न करे आपको हम नियमित कर देंगे। तो सरकार ने जो अध्य देश निकाला है उसके तहत जिस मांग को लेकर वह आन्दोलन कर रहे थे उसमें कोई उनको फायदा होने नहीं जा रहा है बल्कि आपको याद होगा कि पिछले साल माध्यमिक शिक्षक संघ के नेतृत्व में जो आन्दोलन चला और आन्दोलन के बीच में शासन ने एक आदेश निकाला था कि जो टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं वह आकर पढ़ाएं। उस समय 2-3 सौ लोगों ने स्कूलों में जाकर पढ़ाने का कार्य किया था। तो जिन्होंने आन्दोलन के समय में दो-एक दिन पढ़ाया, उन्हें तो यह नियमित करने जा रहे हैं, लेकिन जिन्होंने पांच-छः साल पढ़ाया है उनकी सेवाएं समाप्त की जा रही हैं। ऐसे 22 हजार अध्यापकों की सेवाएं समाप्त करने का दुष्चक्र यह सरकार कर रही है ऐसा करने से पूरे प्रदेश में अध्यापकों छात्रों और जनता में क्षोभ और असन्तोष की भावना उत्पन्न हो गई है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, यहां मुख्य मंत्री जी बैठे हुए हैं, कि आप निर्देश दें कि शासन अपने अध्यादेश को वापस लें। एक तरफ कांग्रेस की सरकार इस बात का ढिंढोरा पीटती है कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे और धीरे-धीरे बेरोजगारी देश से मिटा देंगे, लेकिन दूसरी ओर जो लोग रोजगार में लगे हैं, उनका रोजगार समाप्त किया जा रहा है। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि हमारे मुख्य मंत्री जी एक अच्छे आदमी हैं और जब उनसे कोई वायदा करते और वादा नहीं निभाते हैं तो उनका दिल बैठने लगता है। मेरी समझ में नहीं आता है कि इन टीचर्स के सम्बन्ध में किये गये अपने वायदों को वह किस प्रकार तोड़ रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह एक महत्वपूर्ण घटना है, तात्कालिक घटना है और लोक महत्व की घटना है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज की शेष कार्यवाही स्थगित करके इस महत्वपूर्ण विषय पर आप चर्चा कराएं ताकि 22 हजार शिक्षकों को भुखमरी से बचाया जा सके।

श्री अध्यक्ष---

मैं इसके महत्व को देखते हुए सरकार को वक्तव्य के लिए इसको स्वीकार करता हूं, और अन्य शेष सूचनाएं अस्वीकार। नेता विरोधी दल।

(कुछ सदस्यों द्वारा बोलने का प्रयास करने पर)।

श्री अध्यक्ष —

अभी मुख्य मंत्री जी बता चुके हैं, उनकी बात सही है, अब आप नेता विरोधी दल को बोलने दीजिए।

वित्तीय वर्ष 1985-86 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा

श्री मुलायम सिंह यादव--

अध्यक्ष महोदय, जो 1985-86 का बजट प्रस्तुत किया गया है, यह एक परम्परागत कांग्रेसी संस्कृति का नमूना है। मान्यवर,आप देखेंगे कि लगातार जनता को गमराह करके, गलत आंकड़े पेर करके प्रदेश के विकास का दावा करने और जनता की गाढ़ी कमाई जनहित मेंन लगाकर फिजूलखर्ची करने फलशून्य योजनाओं में खर्च करने की बातें संस्कृति का एक नमूना है। इसके साथ में यह बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि कई साल से जो बजट प्रस्तुत किये गये हैं, ऐसी धूर्ततापूर्वक पेश किये गये हैं कि बजट के पहले और बाद में कर लगे हैं। यह आम परम्परा हो गई है। पिछले वर्ष भी इसी तरह की घोषणा की गई थी, एक घमंडपूर्ण घोषणा की गई थी बिना कर लगाए हमने बजट पेश किया है। इस वर्ष भी यह घोषणा की थी कि हमने कोई कर नहीं लगाया। पिछले वर्ष के बारे में स्थिति आपके सामने रखना चाहता हूं कि 1984-85 के बजट में संचित निधि के अन्तर्गत 272 करोड़ 72 लाख का घाटा अनुमानित था, वह पुनरीक्षित अनुमानों में 726 करोड़ 53 लाख हो गया है।

मान्यवर, आगे चलकर आकस्मिकता निधि और लेखे लेखे में शुद्ध प्राप्तियों को मिलाकर भी वर्ष के समस्त लेन देनों का शुद्ध परिणाम पुनरीक्षित अनुमानों के अन्तर्गत 335 करोड़ 79 लाख रुपये का आंका गया जबकि मूल बजट में घाटा दिखाया जाता है 59 करोड़ 33 लाख रुपये। इस वर्ष जो 146 करोड़ रुपये का अनकवर्ड घाटा है जिसके संसाधन की बात नहीं बतायी गयी है, यह कहां से पूरा करेंगे। पिछले वर्ष के अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि जो इन्होंने 335 करोड़ रुपये का आंका गया था वही पिछले वर्ष रिजर्व बैंक आफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 607 करोड़ 30 लाख रुपये हो गया।

(इस समय 2 बजकर 25 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 शिवानन्द नौटियाल पीठासीन हुए।)

इस वर्ष 146 करोड़ रुपये का घाटे का बजट है जिसके साधन जुटाने की कोई बात बजट में नहीं है, यह आगे चलकर एक हजार करोड़ रुपये घाटे का हो सकता है। जब एक हजार करोड़ रुपये घाटे का बजट होगा तो महंगाई बढ़ेगी और कहीं न कहीं सरकार को कर लगाने होंगे। लेकिन इस बजट में यह बात छिपाई गयी है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि कई वर्षों से मैं देख रहा हूं कि बजट को पेश करते समय बड़ी साजिश की जाती है और आगे चलकर वही बजट घाटे का हो जाता है और कर लगाने पड़ते हैं।

मान्यवर, यह घाटा क्यों हो रहा है, इस पर सोचना चाहिए। मैं मानता हूं कि तमाम मुश्किलों के बाद धन का सदुपयोग किया जाये और बजट विकासोन्मुख हो तो इस प्रदेश का पिछड़ापन दूर किया जा सकता है। लेकिन पिछले वर्ष के आंकड़े बताते हैं कि जो उत्पादक खर्चे हैं विकास कार्यों में खर्चे हैं वह 1983-84 और 1984-85 के इन दो वर्षों में 4.6 प्रतिशत बढ़े हैं। दूसरी तरफ इन्हीं दो वर्षों में नान-डेवलपमेंटल, गैर विकास के कार्यों में, खर्चे 34.3 प्रतिशत बढ़े हैं। इसलिये जबतक यह खर्चे आप नहीं रोकेंगे तब तक देश और प्रदेश का आर्थिक विकास नहीं हो सकता है। मान्यवर, इसका मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि 1980 से लेकर 1985 तक तीन मुख्य मंत्री इस प्रदेश में हुये। पहले श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, उन्होंने अपने बंगले 90 माल एवेन्यू में 10 लाख रुपये उसकी साजसज्जा पर खर्च किया। यह बंगला कानपुर के किसी व्यक्ति का है और राज्य संपत्ति विभाग द्वारा किराये

पर लिया गया था। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हटे तो दूसरे मुख्य मन्त्री आये श्री श्रीपति मिश्र और उन्होंने माल एवेन्यु-12-ए को अपना निवास-स्थान बनाया और उसकी साज-सज्जा पर 10-12 लाख रुपये खर्च किये। वह हटे तो श्री नारायण दत्त तिवारी आये जो अतिथि गृह में रह रहे हैं। इनके बारे में मुझे पता नहीं कि साज-सज्जा पर क्या खर्च हुआ। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यदि कांग्रेस पार्टी उत्तरदायी पार्टी होती, मर्यादित पार्टी होती तो यह काम नहीं हो सकता था।

मान्यवर, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। 1721 ई0 में इंग्लैंड में पहले प्रधान मन्त्री सर राबर्ट बालपोल बने थे। उनका कोई स्थायी निवास नहीं था। जार्ज-2 ने एक मकान उनको दान देने के लिये कहा लेकिन इंग्लैंड की मर्यादा को देखते हुये वहां के प्रधान मन्त्री ने भवन नहीं लिया। 1735 ई0 में प्रधान मन्त्री के लिये वहां पर मकान 10-डाउनिंग स्ट्रीट पर दिया गया। 1735 से लेकर आज तक 71 प्रधान मन्त्री हो चुके हैं लेकिन वह सब एक ही आवास में रहते आ रहे हैं। 250 साल हो गये हैं एक ही बंगले में रहते चले आ रहे हैं। लेकिन यहां पर 3-3 मुख्य मन्त्री 5 वर्ष में बदले जा रहे हैं और हर एक अलग-अलग बंगलों की साज-सज्जा में खर्च करके इस प्रदेश की गाढ़ी कमाई को बरबाद कर रहे हैं। मुझे पता चला है कि एक मुख्य मंत्री मन्त्री पद के दावेदार हैं उन्होंने अपने बंगले पर लाखों रुपये खर्च कर दिये हैं। अभी से उन्होंने अपनी तैयारी कर ली है भावी मुख्य मन्त्री ने। तो इस तरह से नान-डेवलपमेंटल, अनुत्पादक चीजों पर धन खर्च किया जा रहा है। जब तक इस पर रोक नहीं लगेगी तब तक मुख्य मन्त्री जी इस प्रदेश की आर्थिक स्थिति नहीं सुधरेगी।

दूसरी तरफ आप देखेंगे पंचवर्षीय योजनाओं के सम्बन्ध में, सातवीं पंचवर्षीय योजना का जब प्रारूप बन रहा था तो बड़ी घमंडभरी घोषणायें सरकार की तरफ से आ रही थीं कि प्रदेश को 21वीं सदी में ले जायेंगे। आपने 17 हजार करोड़ रुपये की मांग की थी और मिला केवल 11 हजार करोड़ रुपया। तो सवाल यह है कि यह धनराशि क्यों काटी गयी। इस पर मैं चर्चा करना चाहता हूं। मैंने वित्त मंत्रालय से जानकारी की कि आखिर यह कटौती क्यों हुयी है। मुख्य मन्त्री जी कुछ कहते हैं, सरकार कुछ कहती है। छठीं पंचवर्षीय योजना के जो कार्य-कलाप थे, इनकी परफारमेंस अच्छी नहीं थी जिसकी वजह से सातवीं पंचवर्षीय योजना में इतनी बड़ी कटौती की गयी है। छठवीं पंचवर्षीय योजना में 6,200 करोड़ रुपया दिया गया था और इस बार 17 हजार करोड़ में से 11 हजार करोड़ रुपया ही मिला जो इनके कार्य-कलापों का नतीजा है। मैंने कोशिश की यह जानने की कि इस वर्ष प्रत्येक विभाग में कितना पैसा सरेंडर हुआ है और कितना खर्च हुआ है। वित्त मंत्रालय ने 1 बजकर 12 मिनट पर सूचना दी कि वह असमर्थ हैं पूरी सूचना देने में इसलिये मैं पूरा नक्शा सदन के सामने पेश करने में मजबूर हूं।

आप देखेंगे कि छठवीं पंचवर्षीय योजना में जो पैसा मिला वह पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हुआ और उसको सरेंडर करना पड़ा जिसकी वजह से सातवीं पंचवर्षीय योजना की धनराशि में भारी कटौती हुयी। मान्यवर, सदन को एक जानकारी मैं देना चाहता हूं जब देश आजाद हुआ था उस समय हिन्दुस्तान के जो प्रमुख और सम्पन्न तीन सूबे थे उनमें से उत्तर प्रदेश एक था। आज उत्तर प्रदेश बिहार और उड़ीसा को छोड़कर सबसे गरीब है। जो 17 बड़े सूबे हैं उनमें उत्तर प्रदेश 14-15वें स्थान पर है। इसके लिये कौन जिम्मेदार है इसके लिये एक तो कारण है केन्द्रीय नेतृत्व की उपेक्षा। केन्द्र ने बर बर उत्तर प्रदेश की उपेक्षा की है और दूसरा कारण है उत्तर प्रदेश का कांग्रेसी

नपुंसक नेतृत्व। कहीं अनुशासन के नाम पर, कहीं दरबारगीरी के नाम पर, कहीं कुर्सी के नाम पर केन्द्र से मजबूती के साथ, जितनी सहायता मिलनी चाहिये, उतने की मांग नहीं की गयी और मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज योजना मन्त्री जी कह रहे थे, हमारे माननीय सदस्यों ने बार-बार पूछा कि जब 17,000 करोड़ की मांग सातवीं पंचवर्षीय योजना में थी और 11,000 करोड़ आपको मिली है, तो विकास का प्रतिशत क्या रह जायेगा। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इन्स्टीट्यूट आफ पब्लिक ऐडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली में उसके प्रमुख हैं गृह मन्त्री चाहवाण साहब, उसके प्रोफेसर जे0 के0 थावाराज हैं। यह एक लब्ध प्रतिष्ठित संस्था है। यह दुनिया में एक प्रतिष्ठित संस्था है। प्रोफेसर थावाराज ने लिखा है कि छठीं पंचवर्षीय योजना में टोटल पांच वर्षों में इन टर्म्स आफ मनी 57 प्रतिशत मूल्यों में वृद्धि हुई। इस वृद्धि के आधार पर 7वीं पंचवर्षीय योजना जो 11 हजार करोड़ की है, वह 7 हजार करोड़ की रह जायेगी। तो इससे आम जनता का, गरीब जनता का कोई भला होने वाला नहीं है। इससे गरीब और गरीब होंगे और पूंजीपति देश में बढ़ेंगे। तो मैं जानना चाहता हूं कि यह जो 11 हजार करोड़ की योजना है, वह 57 प्रतिशत मूल्य के आधार पर साढ़े 5 करोड़ की रह जाती है। इसलिए मेरे अनुसार और महंगाई के अनुसार जो 6 हजार 200 करोड़ की छठीं पंचवर्षीय योजना है, उससे कम की यह योजना है, जो आपने विकास दर का लक्ष्य रखा था, 6 प्रतिशत वह घट कर सातवीं पंचवर्षीय योजना में 4 प्रतिशत रह जायेगी। यह आपके सामने आ जायेगा। दूसरा जो मैंने कहा कि केन्द्र से उपेक्षा हुई है, जो आर्थिक सहायता जितनी मिलनी चाहिए थी, वह नहीं मिली है।

सर्वश्री पंडित जवाहर लाल नेहरू, गोविन्द बल्लभ पंत, रफी अहमद किदवई, लाल बहादुर शास्त्री आदि उत्तर प्रदेश के बड़े-बड़े लीडर हुए, लेकिन मान्यवर, हमारी प्रदेश को आर्थिक सहायता दिलने में संकोच रहा। उसी की वजह से आप देखेंगे कि यह जो कुल उत्तर प्रदेश की विकास दर सबसे पीछे रही है, केवल पांचवीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार उत्तर प्रदेश के विकास की दर 5.7 प्रतिशत थी, जो राष्ट्रीय विकास दर 5.2 प्रतिशत से कुछ अधिक थी। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय विकास दर से प्रदेशीय विकास दर इसलिए ज्यादा हो सकी, क्योंकि जनता-लोकदल शासन काल में प्रदेश की वित्तीय क्षमताओं का सही उपयोग किया जा सका।

मान्यवर, पांचवीं पंचवर्षीय योजना को छोड़ कर हर योजना में हमारा उत्तर प्रदेश पीछे रहा है और उस तरह से आप देखेंगे कि इतने बड़े नेताओं का मैंने नाम लिया लेकिन ये लोग केन्द्रीय सहायता लेने में संकोच करते रहे। सातवीं पंचवर्षीय योजना के ड्राफ्ट प्लान में केन्द्रीय सहायता की जो तालिका दी गयी है, उसके अनुसार उत्तर प्रदेश का स्थान केन्द्रीय सहायता सूचियों में पहली पंचवर्षीय योजना में अन्तिम, दूसरी पंचवर्षीय योजना में पंद्रहवां, तीसरी में तेरहवां, चौथा में तेरहवां, पांचवीं में चौदहवां और छठीं में सोलहवां रहा है, उसके बाद भी विकास की दर बढ़ी है, उसका एक ही कारण था कि जनता पार्टी और लोक दल के शासन ने अनुत्पादक खर्चे में बचत की। अब दूसरी तरफ यह सरकार घोषणा करती है, माननीय मुख्य मन्त्री और योजना मन्त्री जी ने आज सुबह भी कहा कि हम मितव्ययिता से चलेंगे तभी इसे पूरा करेंगे। जिस सरकार की मानसिकता हो। रंगीन टेलीविजन के पुर्जे बनाने की जिसकी गाजियाबाद में फैक्ट्री लगने जा रही है ऐसी सरकार से मितव्ययिता की कोई उम्मीद करना बेकार है। यह सरकार फिजूल खर्ची नहीं रोक सकती है।

दूसरी बात मैं मान्यवर, आपके सामने रखना चाहूंगा। माननीय मुख्य मंत्री

जी ने अपने बजट भाषण में समाजवाद की बात कही कि हम समाजवादी आर्थिक व्यवस्था को लाना चाहते हैं। अगर कोई गैर जानकार आदमी ऐसी बात कहता तो मैं समझ सकता हूं कोई अनभिज्ञ आदमी, अज्ञानी आदमी इस तरह की बात बोले तो समझ सकता हूं लेकिन एक लम्बे अरसे तक समाजवादी आन्दोलन से जुड़े रहने वाले, डा0 लोहिया, आचार्य नरेन्द्र देव और अशोक मेहता जैसे समाजवादियों के सम्पर्क में रहने वाले हमारे मुख्य मंत्री यदि इस तरह की बात करते हैं तो मेरी समझ में नहीं आता है। यह सरकार देश और उत्तर प्रदेश को पूंजीवाद की ओर ले जा रही है। इसका अनुमान इस आधार पर लगाया जा सकता है कि हमारी जनसंख्या का 2/5 भाग राष्ट्रीय आय लगभग 16 प्रतिशत प्राप्त करता है। यदि अन्य 10 प्रतिशत समूह को भी जोड़ दिया जाए तो हमारी कुल जन-संख्या का आधा भाग राष्ट्रीय आय के 21 प्रतिशत से कुछ ही अधिक प्राप्त करता है। इसके विपरीत शीर्ष 5 प्रतिशत लोग राष्ट्रीय आय का 22 प्रतिशत भाग ले लेते हैं अर्थात 5 प्रतिशत लोगों की राष्ट्रीय आय इस समाजवादी व्यवस्था में 50 प्रतिशत जनसंख्या की आय से भी अधिक है, दूसरी तरफ बढ़ोत्तरी देखें। 1978 से 1983 तक बड़े-बड़े पूंजीपतियों का मुनाफा कितनी तेजी से बढ़ा है। सदन में जितने माननीय सदस्य हैं उनको अपना मुनाफा मालूम है। उनको कितना लाभ हो रहा है वह खुद जान जायेंगे।

इन योजनाओं के चलते जो उन पूंजीपतियों की परिसम्पत्ति है उसके आंकड़े मेरे पास हैं वह मैं बता रहा हूं: बिड़ला हाउस की वर्ष 1973 में 1,171.15 करोड़ रु0 थी वह 1983 तक 2,830.94 करोड़ रु0 हो गई। जो लाभ हुआ है उसको मैं बाद में बताऊंगा। टाटा की 1,102.11 करोड़ रु0 की थी जो 1983 में 2,692.40 करोड़ रु0 हो गयी। मफतलाल की 317.86 करोड़ रु0 थी जो 1983 में बढ़कर 695.15 करोड़ रु0 हो गयी। जे0 के0 सिंहानिया की 299.57 करोड़ रु0 की थी जो 1983 में बढ़कर 674.15 करोड़ रु0 की हो गयी। थापर की 1978 में परिसम्पत्ति 244 06 करोड़ रु0 की थी जो 1983 में बढ़कर 572.18 करोड़ रु0 की हो गयी। ए0 सी0 सी0 की 186.62 करोड़ रु0 की थी जो 1983 में बढ़कर 571 36 करोड़ रु0 हो गयी। किर्लोस्कर की 1978 में 176.25 करोड़ रु0 की परिसम्पत्ति थी जो 1983 में बढ़कर 362 46 करोड़ रु0 हो गयी। श्रीराम की 204.79 करोड़ रु0 की थी जो 1983 में बढ़कर 356.93 करोड़ रु0 की हो गयी। हिन्दुस्तान लीवर की 157.15 करोड़ रु0 की थी जो 1983 में बढ़कर 303.89 करोड़ रु0 की हो गयी। खटाऊ (बम्बई) की 1978 में 143.12 करोड़ रु0 की थी जो 1983 में बढ़कर 227.62 करोड़ रु0 की हो गयी। इस तरह से बड़े लोग बढ़ रहे हैं। इजारेदारी, बढ़ रही है, पूंजीपति बढ़ रहे हैं। इनका लाभ मान्यवर, मैं बता दूं। बिड़ला का लाभ लगभग 158.80 प्रतिशत, टाटा का 142.4, मफत-लाल का 119.26 प्रतिशत, जे0 के0 सिंहानिया का 125.03 प्रतिशत, थापर का 234.44 प्रतिशत, ए0 सी0 सी0 206.16 प्रतिशत, किर्लोस्कर 105.65 प्रतिशत श्रीराम 74.29 प्रतिशत, हिन्दुस्तान लीवर 93.37 प्रतिशत, खटाऊ 59.04 प्रतिशत। मान्यवर, इतने बड़े पैमाने पर लाभ बढ़ रहा है।

मैं जानना चाहता हूं यहां पर जो माननीय सदस्य हैं अधिकांश खेतिहर हैं: खेती में इतना लाभ कहां है। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि खेती तो लाभ की रही नहीं। खेती में या नौकरी में जो लोग लगे हैं, इस प्रकार का लाभ होने का प्रश्न नहीं उठता है। दूसरी तरफ इतने बड़े पैमाने पर बड़े पूंजीपतियों का

लाभ हो रहा है। इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि पूंजीपति बढ़ रहे हैं। खेती या उद्योगों में काम करने वाला मजदूर गरीब हो रहा है। जो गरीब है वह गरीब होता जा रहा है और मान्यवर, जो बड़ा है वह बड़ा होता जा रहा है और दूसरी तरफ घोषणा की जाती है समाजवाद की। मैं कहना चाहता हूं कि यह हो सकता है कि दिन में सूर्य निकालने के बजाय रात में निकलने लगे, रात में चांद चमकता है, दिन में चमकने लगे, हम सब लोग पैर के बजाय सिर के बल चलने लगे लेकिन कांग्रेस के रहते इस देश में समाजवाद आने का प्रश्न नहीं उठता है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह घाटे का बजट है। इस घाटे के बजट को पूरा किया जा सकता है, कोई नया कर लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह सरकार बकाये के कर का जो धन है उसको वसूल नहीं कर रही है। मान्यवर, आप देखेंगे किसानों से जबरदस्ती वसूली की जाती है, जेल में बन्द किया जाता है, तहसील में बन्द किया जाता है लेकिन बड़े लोगों की वसूली नहीं की जाती है।

मैं आपके सामने रिजर्व बैंक आफ इन्डिया के अक्तूबर, 1984 के बुलेटिन के आंकड़े रखना चाहता हूं। रिजर्व बैंक आफ इन्डिया के आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च, 1983 तक बिक्रीकर और भूराजस्व की बकाया राशि इस प्रकार है। इसको आप देखेंगे तो स्पष्ट हो जायेगा कि सरकार की नियत क्या है। इस तरफ किसानों से जबरदस्ती वसूली की जा रही है और दूसरी तरफ बिक्रीकर वसूल नहीं किया जा रहा है। जब भी बिक्रीकर की वसूली की बात कही जाती है, सरकार की तरफ से कहा जाता है कि न्यायालय की वजह से वसूली में बाधा पहुंच रही है। न्यायालय के द्वारा कितनी वसूली रुकी है उसे भी बताऊंगा। मान्यवर, 1980 में भूराजस्व का बकाया 32 करोड़, 49 लाख और बिक्रीकर का बकाया 1 अरब 34 करोड़ 34 लाख था। 1981 में भूराजस्व का बकाया 54 करोड़, 12 लाख और बिक्रीकर का बकाया 1 अरब 94 करोड़, 7 लाख और 1982 में 43 करोड़, 67 लाख भूराजस्व का बकाया था। और बिक्रीकर 1 अरब 94 करोड़ 7 लाख से बढ़कर 2 अरब 16 करोड़, 98 लाख हो गया। 1983 में 43 करोड़ 64 लाख रु0 बकाया भूराजस्व का और बिक्रीकर 2 अरब 16 करोड़, 98 लाख से बढ़कर हो जाता है 2 अरब 40 करोड़ 60 लाख रु0। तो मान्यवर, आप देखेंगे कि भूराजस्व घट रहा है, उसकी वसूली हो रही है लेकिन बिक्रीकर बढ़ता जा रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि बकायादारी जो लगातार चल रही है उसमें किसानों के साथ सख्ती की जा रही है, जो पूंजीपति हैं जो बिक्रीकर की चोरी करने वाले हैं यह सरकार उनकी हमदर्द है। मान्यवर, आप देखेंगे 1985-86 के बजट के साथ जो संलग्न स्मृति-पत्र है उसके अनुसार 31 मार्च, 1984 का कुल बकाया 4 अरब 51 करोड़, 32 लाख 43 हजार रु0 का है जिसमें जब उसकी वसूली की बात कही जाती है तो उनको बहाना मिलता है कि न्यायालय द्वारा दिये गये स्टे की वजह से हम वसूली नहीं कर पाये हैं लेकिन आप देखेंगे कि न्यायालयों द्वारा दिये गये स्टे कितने हैं। न्यायालयों द्वारा रोकी वसूली की धनराशि 72 करोड़ 20 लाख रु0 है जबकि शासनादेश द्वारा रोकी गयी धनराशि 1 अरब 66 करोड़ 2 लाख 9 हजार रु0 है।

मैं कहना चाहता हूं मुख्य मंत्री जी से कि जो न्यायालय का बहाना लिया जाता है उसमें 72 करोड़ 20 लाख रु0 तो केवल न्यायालयों द्वारा किया गया है स्टे, लेकिन शासनादेश द्वारा जो बिक्रीकर है। 1 अरब 66 करोड़ 2 लाख 9 हजार रु0 बकाया है इसमें 94 करोड़ 27 लाख रु0 अकेले बिक्रीकर है। इस तरह से शासनादेश को

लेकर, और दूसरी तरफ माननीय सदस्यों की हैरत होगी कि 22 करोड़ 12 लाख 32 हजार रु0 विक्रीकर का बट्टेखाते में डाल दिया गया है दूसरी तरफ भूराजस्व का एक पैसा भी बट्टे-खाते में नहीं डाला गया है। दूसरी तरफ मान्यवर, आप देखेंगे कि सबसे बड़ी उपेक्षा किसानों की हो रही है। मैं फिर दुहराना चाहता हूं कि जब तक गांव नहीं उठेंगे, खेती की तरक्की नहीं होगी तब तक गरीबी नहीं दूर होगी। दूसरी तरफ आप देखें कि जो अर्थ व्यवस्था हमारे देश की प्रदेश की हमारी रीढ़ है खेती, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। माननीय मुख्य मंत्री ने बहुत ही चतुरता के साथ आंकड़े पेश किये हैं।

मैं कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में कृषि के उत्पादन में वृद्धि का सूत्र-पात जनता व लोकदल सरकारों के समय में ही हुआ कृषि निदेशालय उत्तर प्रदेश द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1973-74 में उत्तर प्रदेश में कुल खाद्यान्न 1 करोड़ 65 लाख 63 हजार मीट्रिक टन था जो बढ़कर 1977-78 में 2 करोड़ 12 लाख 35 हजार मीट्रिक टन हो गया। और वर्ष 1978-79 में 2 करोड़ 31 लाख 8 हजार मैट्रिक टन हो गया। उत्पादन में वृद्धि की जो गति जनता लोकदल शासन काल में थी वह कांग्रेस में ढीली पड़ गयी। परिणामस्वरूप वर्ष 1980-81 की तुलना में 1981-82 में उत्तर प्रदेश में कुल खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 7 लाख मैट्रिक टन की कमी आ गई। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में 1979-80 को बेस माना है। जब 1977-78 को बेस मानेंगे तो जो 78 प्रतिशत वृद्धि का दावा है, वह 36 प्रतिशत रह जायगा। 1979-80 को आधार मानकर खाद्यान्न उत्पादन में जो 78 प्रतिशत वृद्धि का दावा किया गया है, यह गलत आंकड़े दे कर गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। 1979-80 को बेस नहीं किया जा सकता। मेरा यह आरोप है कि सही स्थिति को छिपाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ आप देखें, मान्यवर, कहते हैं कि 231 लाख मैट्रिक टन से बढ़कर 292 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुआ। वर्ष 1973-74 में चावल हुआ था 38 लाख 59 हजार मैट्रिक टन और गेहूं 58 लाख 79 हजार मैट्रिक टन पैदा हुआ। 1978-79 में चावल 59 लाख 64 हजार मैट्रिक टन और गेहूं 1 करोड़ 14 लाख 58 हजार मैट्रिक टन उत्पादन हुआ। वर्ष 1978-79 में चावल का जो उत्पादन था वह कांग्रेस के शासन में घट कर 56 लाख 46 हजार मैट्रिक टन हो गया।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण में 1979-80 में चावल का उत्पादन 5·06 क्विंटल प्रति हैक्टेयर बताया, जो छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त में बढ़कर 12·97 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो गया। इस तरह से आप देखें कि जो जनता पार्टी और लोकदल के शासन के समय में खाद्यान्न बढ़ाने का प्रयास किया गया, खेती को प्राथमिकता दी गयी आंकड़े साफ जाहिर करते हैं कि उसको धीमा किया गया, और खेती को प्राथमिकता नहीं दी गई। वर्ष 1978-79 में उत्तर प्रदेश में चावल का उत्पादन 11·59 कुन्टल प्रति हेक्टेयर था और यह उत्पादन सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों के अनुसार अब तक का सर्वाधिक औसत उत्पादन था किसानों को खाद सस्ती देना और सिंचाई के साधन जुटाना तो दूर रहा, उनकी पैदावार की लूट हुई। आप देखें कि किस तरह से किसान की लूट हुई। खेती को बढ़ावा देना चाहिए। किसान और गांव नहीं बढ़ेंगे तो देश उठ नहीं सकेगा। देश तरक्की नहीं कर सकता। आप देखें, मान्यवर, कि चन्द्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय, कानपुर की सांख्यिकीय बुलेटिन संख्या 41, वर्ष 1984 के अनुसार आप देखें कि किसानों का लागत मूल्य कितना है। लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा किसान को तो खेती को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। किसान का मनोबल नहीं बढ़ेगा और पैदावार नहीं बढ़ेगी। मैं यहां चन्द्रशेखर आजाद

कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर के कृषि अर्थशास्त्र व सांख्यकीय विभाग की बुलेटिन सं0 4 (1984) को उद्धृत करना चाहूंगा, जिसमें वर्ष 1984 में चावल में जो लागत मूल्य कृषि विश्वविद्यालय के अनुसार था वह 168·12 रुपया प्रति क्विंटल था और सरकार ने तय किया है 123 रुपया प्रति क्विंटल। उनकी लागत भी नहीं मिली। कपास का लागत मूल्य 598·63 रुपये है और जब कि सरकार ने तय किया है 425 रुपया प्रति क्विंटल। गेहूं 223·16 रु0 लागत का खर्च यह कृषि विभाग चन्द्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर कहता है और आपकी सरकार तय करती है 157 रु0। आलू का लागत खर्च 65.84 रु0 और सरकार तय करती है 55 रु0 क्विंटल गन्ना का लागत मूल्य 26.33 रु0 प्रति कुन्टल और सरकार तय करती है रु0 22.50 पैसे प्रति क्विंटल कितने लोग यहां बैठे हैं जो कृषि व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। मैं यहां चुनौती देता हूं, कोई माननीय सदस्य यह कह दे कि उसका आलू बिका 50 रु0 क्विंटल के हिसाब से बिका किसी का नहीं बिका है।

एक तरफ मान्यवर, आप देखेंगे कि कारखानों में बनी हुई जो चीजें हैं, उनके दाम दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और दूसरी तरफ किसानों की उपज का जो लागत खर्च है, वह भी उन्हें सरकार नहीं दे रही है। आजकल जो प्रदेश के कृषि मंत्री हैं, वे किसान के ही बेटे हैं। इन्होंने कृषि का अध्ययन चौधरी साहब के सम्पर्क में बहुत किया। यह किसान कामगार के लीडर बन गये। लाखों किसानों की रैली कराने में इनका सहयोग रहा। आज जब वही किसान कृषि मंत्री हो और उसके रहते किसान लुटता रहे, तो मान्यवर, क्या कहा जाय। मैं कहना चाहता हूं यह जो चमक-दमक है, अस्थायी है, बहुत दिनों तक नहीं चलने वाली है। अगर यही हाल रहा तो आगे आने वाले दिनों में किसान आपको माफ नहीं करेंगे। मान्यवर, इन्होंने किसानों की बात बहुत की लेकिन मंत्री होते ही इनकी जुबान बन्द हो गई।

मान्यवर, आप एक अन्दाजा लगाइये 1967 में एक क्विंटल गेहूं जब किसान बाजार ले जाता था, तो उसका एवज में 3 हजार प्रथम श्रेणी की ईंट खरीद लेता था। आज वही किसान जब एक क्विंटल गेहूं ले जाता है, तो उसके बदले में एक हजार ईंट भी नहीं खरीदी जा सकती। मान्यवर, बात तो यह करेंगे गरीबों की, लेकिन काम करेंगे अमीरों का। एक गाना भी है "कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना"। मान्यवर, मैं फिर कहना चाहता हूं कि जब तक पैदावार नहीं बढ़ेगी, गांव नहीं उठेंगे, उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता। उत्तर प्रदेश नहीं बढ़ेगा, तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो पहले प्रदेश को उठाइये।

मान्यवर, इस प्रदेश का एक पुराना मुख्य धंधा था चीनी का उत्पादन। आज आप देखें कि इस में हम कितने पीछे चले गये हैं। हिन्दुस्तान में जितनी चीनी पैदा होती थी, अकेले उत्तर प्रदेश आधे से अधिक चीनी उत्पादन करता था। महाराष्ट्र हमारे मुकाबले 1/5 चीनी पैदा करता था, आज वह हमसे आगे निकल गया है। मान्यवर, जो आंकड़े उपलब्ध हैं, उसके अनुसार 1952-53 में पूरे हिन्दुस्तान में जितनी चीनी पैदा होती थी। अकेले उत्तर प्रदेश में उसका 53 प्रतिशत चीनी पैदा होती थी। आज 1/4 हिस्सा उत्तर प्रदेश का रह गया है। उसके अनुसार इंडियन इंस्टीट्यूट आफ शुगर रिसर्च, लखनऊ के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार 1952-53 में भारत का कुल चीनी उत्पादन 13 लाख 36 हजार टन था, जिसमें अकेला उत्तर प्रदेश का चीनी उत्पादन 7 लाख 10 हजार टन था, जो कुल उत्पादन का 53 प्रतिशत था। वर्ष 1980-81 में भारत का कुल चीनी उत्पादन 51 लाख 50 हजार टन था, जिसमें उत्तर प्रदेश का केवल 12 लाख 24 हजार टन चीनी का उत्पादन था, जो भारत के कुल उत्पादन का 24 प्रतिशत है। इस प्रकार आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश इस व्यवसाय में भी काफी पीछे हो गया है। 1952-53 में महाराष्ट्र का चीनी उत्पादन उत्तर प्रदेश के चीनी उत्पादन

का 1/5 था, परन्तु वह भी आज आगे हो गया है। इसके कारण क्या हैं। इसके कारणों को जानना होगा। इसका मुख्य कारण यह है कि इस सरकार की कोई निश्चित चीनी की नीति नहीं है। गन्ना पैदा करने वाला किसान हमेशा अनिश्चय की स्थिति में रहा है। चीनी के उतार-चढ़ाव में रहा है फलस्वरूप चीनी की जो इन्डस्ट्रीज थीं, वे सब बरबाद हो गईं। यह सब क्यों हुआ। किसानों के आर्थिक विकास के लिए व खेती की तरक्की के लिए सिंचाई की सुविधा होना आवश्यक है। इस सरकार ने कितने सिंचाई के साधन जुटाये हैं।

मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज भी जो जमीन बोई गई है, उसका 49 प्रतिशत असिंचित है। कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश के आंकड़ों के अनुसार 1976-78 में सिंचाई को प्राथमिकता दी गई थी, उस समय सिंचित क्षेत्रफल 95 लाख 34 हजार हेक्टेयर था। 1978-79 में उसमें 5.48 प्रतिशत की वृद्धि हुई और सिंचित क्षेत्रफल 1 करोड़ 5 लाख 75 हजार हेक्टेयर हो गया किन्तु 1980 में जब यह कांग्रेस सरकार आई तो वर्ष 1980-81 के मुकाबले वर्ष 1982-83 में सिंचित क्षमता केवल 2 प्रतिशत ही हुयी। इससे साफ जाहिर होता है कि इस सरकार ने कितनी सिंचाई की क्षमता बढ़ाई और हमने कितनी बढ़ाई। मैं यह आंकड़े इसलिए आपके सामने में रख रहा हूं कि आज भारत को आजाद हुए 38 साल हो गए हैं, फिर भी हमारी बोई हुई जमीन का 49 प्रतिशत असिंचित है। इस प्रकार आप खाद्यान्न को कैसे पूरा कर सकते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि आप सारे काम को छोड़ दें और केवल किसानों को सिंचाई की सुविधा दे दें तो आप देखेंगे कि 5 वर्ष के अन्दर किसान आपको तीन गुनी पैदावार बढ़ा कर देगा। लेकिन आपकी वह नीयत नहीं है।

दूसरी तरफ आप नलकूपों को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। कितने नलकूप बढ़े। एक नलकूप बढ़ता है तो 4 नलकूप खराब होते हैं आपने इस बजट में, माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी अपने भाषण में कहा है, 1200 नलकूप के उर्जीकरण का लक्ष्य रखा है। आपको पता होना चाहिए कि 1200 नलकूप लगाये जायेंगे तो इसके तीन गुने खराब पड़े हुए हैं। इसका कारण क्या है। इसका मुख्य कारण यह है कि उनमें जो सामान लगाया गया है, वह इतना खराब लगाया गया है कि नलकूप की जो क्षमता होनी चाहिए थी उस क्षमता के मुताबिक वह कार्य नहीं कर रहा है, और बेकार पड़ा हुआ है। माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि आप उनका फिजिकल वेरिफिकेशन कर लीजिए। पता नहीं फिजिकल वेरिफिकेशन करने में आपको क्या संकोच है। करोड़ों रुपए के गलत पुरजे खरीदे गये हैं, कमीशन के खातिर। जिनका न इस्तेमाल होगा और न ही वे कार्य कर पायेंगे, और वह सारे के सारे बेकार चले जायेंगे। उसकी वजह से जो सिंचाई में गड़बड़ी हुई उसको जानते हुए भी मुख्य मंत्री जी उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं सारी की सारी मशीनें व पुर्जे सड़कों पर पड़ी हुई हैं। जो सिंचाई का पैसा, सुविधायें दी जा रही हैं, 4 इन्च क जो पाइप 94-95 की कीमत का रुपये में है किसानों को 146 में दिया जा रहा है, किसको जानकारी नहीं है। इसलिए सिंचाई की क्षमता बढ़ा ही नहीं सकते और इससे प्रदेश पीछे होता जा रहा है।

प्रदेश की तरक्की और खुशहाली में सबसे बड़ी भूमिका है बिजली की और इसकी हालत सभी जानते हैं। जो बिजली चोरी जा रही है वही केवल 40 प्रतिशत। सातवीं पंचवर्षीय योजना में जो ड्राफ्ट प्लान है, उसके अनुसार प्रति व्यक्ति औसत खपत 146 कि0 वा0 आवर है जबकि प्रति व्यक्ति बिजली की खपत इस प्रदेश की 107, पंजाब में 337, महाराष्ट्र में 251, गुजरात में 252 तथा हरियाणा में 257 कि0वा0 आवर है। विद्युत् परिषद् के अधिकारियों की लापरवाही के कारण बड़ी समस्या है और जो रखरखाव में बरबादी हो रही है, ओबरा, पनकी और हरदुआगंज में ही 20 यूनिट्स आपकी बेकार पड़ी हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, किसको दण्ड देंगे। मैं तो समझता हूं कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी बिजली मंत्री की है। लाइन लासेस

22 प्रतिशत, जबकि 15 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए। माननीय विद्युत मंत्री जी ने कहा कि अगर यह विभाग मुझसे न लिया गया होता तो बिजली की यह हालत न होती, मैं चाहता हूं कि आप दो, तीन साल और मंत्री बने रहें तो आने वाले समय में बिजली की हालत और खराब होगी। 7वीं पंचवर्षीय योजना में जो दुर्दशा हुई, 6ठीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक आपके अनुसार कुल क्षमता 4136 मे0 वा0 तथा 85-86 में प्लान के अनुसार 4470 मे0 वा0 और प्राप्त की है 2870 मे0 वा0। वास्तविकता यह है कि जो निर्धारित क्षमता है वह है 4041 मे0 वा0 और आपके अनुसार 1 अप्रैल, 1985 को बिजली का उत्पादन था 1105 मेगावाट था। 15 जून, 1985 को प्रदेश के ऊर्जा मन्त्री के अनुसार कुल उत्पादन 1890 मेगावाट था। 1 अप्रैल का उत्पादन कुल क्षमता का 27 प्रतिशत, जून के अनुसार होता है 46 प्रतिशत। किसी भी हालत में 50 प्रतिशत से ज्यादा बिजली का उत्पादन नहीं हो रहा है। इससे साफ निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आगे आने वाले वित्तीय वर्ष 85-86 में और संकट बढ़ेगा। वित्तीय वर्ष के अन्त तक जो आपने बताया है, बिजली 4294 मेगावाट हो जायगी, जिसका 50 प्रतिशत लगभग 2200 मेगावाट अधिकतम उत्पादन होगा इससे 50 प्रतिशत उत्पादन रह जायगा। इस वित्तीय वर्ष में 2300 मेगावाट से ज्यादा उत्पादन बिजली का होने वाला नहीं है। दूसरी तरफ, डिमाण्ड्स बढ़ेगी जबकि आपकी बिजली की कुल क्षमता 2300 मेगावाट रह जायगी।

7वीं पंचवर्षीय योजना में आपने 5 हजार 38 करोड़ रु0 की मांग की थी, आपको मिला है 3 हजार 440 करोड़ रुपया। मैं पूछना चाहता हूं कि कहां से उत्पादन होगा। यह तो तब था जब 5 हजार 38 करोड़ रुपया मांगा था। मिला 3440 करोड़। जो अतिरिक्त वृद्धि की क्षमता थी वह समाप्त हो ही नहीं सकती थी। 8 जून, 1985 को विद्युत् परिषद् के अध्यक्ष महोदय ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार का 3200 करोड़ रु0 विद्युत् परिषद् पर बकाया है। सरकार और अन्य संस्थाओं को भी 319 करोड़ रु0 प्रति वर्ष ब्याज देना होगा। कुल बकाया है 3200 करोड़ रुपये और ब्याज देना है 319 करोड़। सहायता का 50 प्रतिशत तो कर्जे के ब्याज में ही चला जायगा। इस प्रकार वर्ष 1984-85 में जो प्रतिशत आया है उसके अनुसार 1490 करोड़0 रु0 का घाटा विद्युत् परिषद् को हो चुका है। बिजली का उत्पादन करेंगे कहां से? आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। चोरी हो रही है 40 प्रतिशत, लाइन लासेज 22 प्रतिशत। आप, आपके विद्युत् मन्त्री और विद्युत् परिषद् के अध्यक्ष तीनों बैठ जायें। 15 प्रतिशत से ज्यादा लाइन लासेज नहीं होने चाहिये। यह चोरी रोकी जा सकती है यदि आप मजबूती के साथ बड़े-बड़े इन्जीनियर्स को जेल भेजें। मैं इसका समाधान भी देना चाहता हूं। यदि परिषद् के अध्यक्ष कुछ औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर अपनी विशेष सील लगाकर नमूने के तौर पर कुछ मीटर लगायें और इस मीटर की रीडिंग का मिलान पिछले बिलों से करें तो चोरी का पता चल जायगा, किन्तु उसके बाद दोषी व्यक्तियों को जेल भेजना होगा।

मान्यवर, दूसरी तरफ सिंचाई विभाग में करोड़ों रुपए के कल-पुर्जे तथा सामान बेकार सड़कों पर पड़ा हुआ है केवल कमीशन की वजह से उसे खरीद लिया गया और अब वह कोई काम नहीं आ रहा है जिसमें सरकार के करोड़ों रुपए बरबाद हो गया है।

इसी तरह से जो सार्वजनिक प्रतिष्ठान हैं जिनको निगम कहते हैं, इन निगमों की हालत बहुत खराब है। इन निगमों से हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधरनी चाहिये थी, इनके स्थापित करने के पीछे यही मंशा थी। लेकिन आज आप देखेंगे कि जो आपके 58 निगम हैं यदि इसमें सहायक निगमों को भी मिला लिया

जाय, तो इसकी संख्या 109 हो जाती है, इस क्षेत्र में सरकार की 46 अरब रुपये की पूंजी लगी है जिस पर कम से कम 10 प्रतिशत लाभांश प्रति वर्ष अर्थात् 4 अरब 60 करोड़ रुपया सरकार को प्रति वर्ष प्राप्त होना चाहिये। परन्तु स्थिति बिलकुल विपरीत है। यदि आप इतना रुपया बैंक में भी डालते तो इससे ज्यादा पैसा आपको मिलता लाभांश तो मिलना दूर उल्टे सरकार को इन निगमों के रख रखाव के लिये 2 अरब 50 करोड़ रुपया प्रति वर्ष देना पड़ता है। इस तरह से सरकार को प्रति वर्ष 7 अरब रुपयों से भी ज्यादा का नुकसान हो रहा है। प्रति वर्ष ये निगम घाटे में जा रहे हैं और सरकार को मुनाफे के बजाय घाटा पहुंचा रहे हैं।

अब मैं आपके सामने पिछले पांच वर्षों में इस क्षेत्र में होने वाली हानि जो प्रति वर्ष बढ़ रही है, को सामने रखना चाहता हूं :—

वर्ष	पूंजी निवेश	वर्ष के दौरान हानि	संचित हानि
	करोड़	करोड़	करोड़
1980–81	2405	18	602
1981–82	3198	75	668
1982–83	3619	90	746
1983–84	4219	127	913
1984–85	4480	168	1002

इस तरह से उत्तर प्रदेश चौपट हो रहा है इन सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से। यह आंकड़े जो मैंने बताये हैं यह निगमों का संवीक्षण करने वाली एक यूनिट है सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो के नाम से यह उसी के आंकड़े हैं जिस पर अविश्वास करने की गुंजाइश नहीं रह जाती है।

अभी तक सरकार के पास निगमों के संबंध में 1980–81 तक का प्रतिवेदन छप कर आया है जबकि नियमानुसार इस ब्यूरो को प्रत्येक तिमाही विभिन्न इकाइयों का आंकलन करना चाहिये और इस प्रकार निगमों की आर्थिक स्थिति की अपटूडेट जानकारी होनी चाहिये 1980–81 के बाद की कोई रिपोर्ट निगमों के संबंध में नहीं आयी है जबकि महालेखा नियंत्रक ने तीन बार आपका ध्यान इस ओर दिलाया है। सरकार यदि निगमों के कार्यकलापों को हानि–लाभ के लेखों को प्रति वर्ष यदि सतर्कता से देखे तो इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न न हो। सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो में कार्यरत नौकरशाह तथा निगमों में बैठे नौकरशाह सरकार को अन्धेरे में रख कर प्रदेश को आर्थिक विपन्नता की ओर ले जा रहे हैं और सरकार चुप बैठी हुई है इसको हम क्या कहें? यह सरकार या तो नौकर–शाही की गुलाम है या फिर नपुंसक है?

निगमों के आर्थिक ढांचे का अभी आडिट नहीं हुआ है। आडिटर जनरल से माध्यम से जो जानकारी मिली है, उससे यह मालूम होता है कि 6 वर्षों के अधिक के खाते 24 निगमों के, 5 वर्षों से अधिक के खाते 7 निगमों के, 4 वर्षों से अधिक के खाते 10 निगमों के, 3 वर्षों से अधिक के खाते 11 निगमों के और 2 वर्ष से अधिक के खाते 13 निगमों के हैं। इस सम्बन्ध में आडिटर जनरल ने आपको 3 बार लिखा है उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है?

आपको जो घाटा हो रहा है उस ओर भी इस सरकार ने कोई परवाह नहीं की है। दूसरी तरफ मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार दिवालिया हो गयी है। कर्ज लेकर सरकार बीमार निगमों को जिन्दा रखने की कोशिश कर रही है। उनको जिन्दा रखने के लिये अरबों रुपया बरबाद किया जा रहा है आपकी सरकार पूरी तरह से कर्ज से डूब चुकी है। 31 मार्च 1984 तक सरकार पर कर्ज की स्थिति को मैं बताना चाहता हूं। बाजार कर्ज 7

अरब 32 करोड़ 70 लाख रुपये, केन्द्र सरकार का कर्ज 34 अरब 98 करोड़ 52 लाख 73 हजार, स्वशासित निकायों से कर्ज 1 अरब 77 लाख 19 हजार रुपया और अन्य दायित्व 11 अरब 54 करोड़ 93 हजार रुपया था। इनका कुल योग 54 अरब 85 करोड़ 54 लाख 12 हजार रुपया आता है। मान्यवर, यह कर्ज 31 मार्च, 1985 को लगभग 63 अरब रुपया था तथा 31 मार्च, 1986 को इस कर्ज की रकम बढ़कर 75 अरब 56 करोड़ रुपया हो जायेगी। मैं कहना चाहता हूं कि 1985-86 का कुल बजट लगभग 54 अरब रुपये का है और वित्तीय वर्ष के अन्त तक सरकार पर कर्ज जो होगा वह 75 अरब से भी अधिक का होगा। तो मान्यवर, यह स्थिति होगी प्रदेश की। आपको कोई दिल्ली में बैठने नहीं देगा, तो इस प्रकार से पूरा प्रदेश दिवालिया हो गया है।

अब मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं आपने शिक्षा के बारे में आंकड़े दिये हैं और बड़ी घोषणायें की हैं कि स्कूल खोले जा रहे हैं। आज भी सवाल उठाया गया था परन्तु आप उसका स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाये हैं। आपके अनुसार 1984-85 में प्रदेश में 443 प्राइमरी स्कूल तथा 150 मिडिल स्कूल खोले गये हैं। आपने शिक्षा को कितना बरबाद कर दिया है और किस तरह से बरबाद किया जा रहा है। शिक्षा का स्तर नीचे गिरता चला जा रहा है शिक्षा का स्तर यहां तक गिर गया है कि एक ग्रेजुएट अपनी पैंट में बटन भी नहीं लगा सकता है। आपने 443 प्राइमरी और 150 मिडिल स्कूल खोले हैं, जबकि छात्रों की संख्या 1983-84 व 1984-85 में प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में छात्रों की संख्या में लाखों की वृद्धि होने पर भी विद्यालयों में एक भी अध्यापक की नियुक्ति नहीं की है, आज तक एक भी टीचर की नियुक्ति नहीं हुई है। जब कि बी0 0टी0 सी0 पास ओवर एज हो गये हैं। हजारों बी0 टी0 सी0 मारे-मारे घूम रहे हैं। पूछने पर आपकी तरफ से कहा जाता है कि जगह नहीं है।

दूसरी तरफ शिक्षा की उपेक्षा उत्तर प्रदेश में हो रही है। हर मोर्चे में आप असफल रहे हैं। देश के सभी सूबों में शिक्षा के क्षेत्र में आपका 18वां स्थान है। किस तरह से निरक्षरता बढ़ती जा रही है, यह इसका ज्वलन्त उदाहरण है। बिहार, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर को छोड़ कर बाकी राज्यों से उत्तर प्रदेश सबसे पीछे है। इस तरह से आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में साक्षरता 27% है। यानि कि आपके प्रदेश 73 लोग बे-पढ़े हैं। दूसरी तरफ उड़ीसा है जहां 34 प्रतिशत लोग पढ़े-लिखे हैं। तामिलनाडू में 46 प्रतिशत, महाराष्ट्र में 57 प्रतिशत और केरल में 70 प्रतिशत साक्षरता है और हमारे यहां 27 प्रतिशत है। आप चर्चा करते हैं प्रदेश को 21 वीं सदी में ले जाने की और माडल स्कूल खोलने की। ऐसा करने पर कुछ ही लड़कों की पढ़ाई-लिखाई आप करा पायेंगे और इस तरह से समाज में गैर-बराबरी फैलेगी। इसके क्या परिणाम होंगे इसका आपको पता चल जायेगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि आप शिक्षा की तरफ ध्यान दें। शिक्षा प्रदेश में चौपट हो रही है।

आप माडल स्कूल की बात करते हैं। आपने टाट-पट्टी का तो इन्तजाम नहीं किया लड़के आज भी बोरे लाद-लाद कर स्कूल जाते हैं। पेड़ों के नीचे पढ़ रहे हैं। इस तरह से समाज के अन्दर जो गैर-बराबरी फैल रही है वह खतम होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि सबके लिये समान शिक्षा हो। जो आपने बजट पेश किया है उसमें बेरोजगारी मिटाने के लिये कुछ भी नहीं कहा गया है जो कि समाज के अन्दर बहुत बड़ा रोग है। बेरोजगारी से गरीबी बढ़ती है।

गरीबी से बेरोजगरी नहीं बढ़ती है इसको मिटाने के लिये आपने कहीं कोई जिक्र नहीं किया है। इस तरह से आप कैसे प्रदेश का आर्थिक ढांचा ठीक करेंगे और कैसे प्रदेश को आगे ले जायेंगे। गरीब और गरीब होता जा रहा है। उनकी समस्याओं के बारे में आपने कोई जिक्र नहीं किया है। आपने जो आंकड़े दिये हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है। आपने कहा कि 1977-78 और 1978-79 में जनता पार्टी और लोक दल ने 1 लाख लोगों को रोजगार दिया था और आपने 1981-82 और 1982-83 में 73 हजार लोगों को ही रोजगार दिया है। इस तरह से आपने करोड़ों रुपया बरबाद किया है। प्रदेश के अन्दर त्वरित योजनाओं को बनाकर पूरा रुपया चौपट कर दिया। आपने रोजगार के लिए एक योजना चलाई कि हम साढ़े छः हजार रुपया देंगे। इतने रुपयों में कौन सा उद्योग लग सकेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि इतनी सूक्ष्म धनराशि से कौन उद्योग लगायेगा। वह रुपया भी किन लोगों को मिल रहा है, यह भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। आपने 25 हजार रुपया प्रति बेरोजगार को कर्जे के रूप में भी दिया। इसी को आप पता लगा लें कि यह रुपया किन लोगों को मिला। केवल बड़े लोगों को ही मिला। आप इसका फिजिकल वेरीफिकेशन कर लें। जो अपराधी हैं, कांग्रेस पार्टी के अन्दर बूथ कैपचरिंग करने वाले हैं, उनको ही यह रुपया मिला। आप पता कर लें। सरकार सदन में इसकी एक सूची तैयार करके प्रस्तुत करे तो पता चल जायेगा कि किन-किन लोगों को यह रुपया मिला। आप इसकी जांच करा लीजिए तो अपने आप पता चल जायेगा। मेरी जानकारी है कि इसमें मुश्किल से 2, 3 परसेन्ट सही लोगों को वह रुपया मिला होगा। उस रुपये को सबसे बड़े गुन्डों ने राइफलें खरीदी हैं।

इसी तरह से ग्राम्य विकास के नाम पर अरबों रुपया बरबाद हुआ है यह तथ्य है। एक ही सड़क को सिंचाई विभाग बना रहा है और उसी को आर० इ० एस० तथा पी० डब्लू० डी० भी बना रही है। माननीय मुख्य मंत्री जो मेरी और सदन की दृष्टि में सबसे सम्मानित हैं लेकिन सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार और बेइमानी आपके विभाग पी० डब्लू० डी० और आर० इ० एस० में है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने सुना होगा फैजाबाद में एक विधायकों की बैठक हुई उसमें कांग्रेस के भी विधायक थे और उन लोगों ने सड़कों के सम्बन्ध में सूचना मांगी। तो जिला परिषद वाले कहते हैं कि यह सड़क हमने बनाई और दूसरे विभाग वाले कहते हैं हमने बनाई। यहां तक हुआ है कि जनता पार्टी और लोकदल के राज्य में जो सड़कें बनायी गयी थी उन्हीं पर दुबारा मिट्टी डाल कर उनको नये रूप में दिखाया जा रहा है और उसी पर रुपया स्वीकृत कराकर दुबारा पेमेन्ट हो रहा है। तो किस तरह से पैसे का दुरुपयोग हो रहा है।

स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत हरिजनों को सहायता देने की बात है। मैं आपको अपने जिले की बात बताना चाहता हूं इटावा में भाऊपुर एक गांव है पिछले वर्ष एक मंत्री जी ने स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत एक हरिजन की दुकान का उद्घाटन किया। जब वह उद्घाटन कर रहे थे तो उसी के बगल में दूसरी दूकान भड़-भड़ाकर गिर गयी। उन्हीं के सामने यह हुआ लेकिन किसी अधिकारी को इसके लिए दन्डित आज तक नहीं किया गया। वह इस सदन में आज मंत्री नहीं हैं लेकिन उनके सामने यह हुआ। तो यह सब क्या हो रहा है। आज आप नौकरशाही के गुलाम हैं, मैं और क्या कहूं फिर से दोहराना चाहता हूं कि नवुन्तक यह सरकार हो गयी है।

मुझे भी एक बार कोआपरेटिव गोडाऊन का उद्घाटन करने के लिए ए० आर० जबरदस्ती ले गये मैं जल्दी में था। मंत्री जी के भाई के वह दोस्त थे। मैं कमरे के अन्दर गया तो मैंने धीरे से दीवार को खरोंचा तो उसमें मिट्टी

निकलने लगी तो मैंने फौरन चाय पीना बन्द कर दिया और मैं बाहर चला आया। मैंने उक्त ए0 आर0 को वहीं सस्पेन्ड किया। और ऐसा ही पुखरायां मे सराय एक गांव है वहां पर भी मेरा जाने का प्रोग्राम था और मैं समय से आधा घंटा पहले वहां पहुंच गया। तो वहां पर दो गांव के लोग थे उन्होंने कहा कि दिवार में क्रैक है और बाहर से दो-तीन दिन पहले सीमेंट लगा दिया गया है। मैंने खरोंच कर देखा तो तत्काल वहीं पर ए0 डी0 ओ0 को सस्पेन्ड कर दिया और बिना उद्घाटन किये वापस हो गया। बेइमानी को आप रोकना चाहते हैं तो बेइमानों को सजा देना पड़ेगा लेकिन आज आपका डी0 एम0, एस0 पी0 और दरोगा कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे समय में ऐसा नहीं था लेकिन मैं मानता हूं कि हमारे समय में भी गलतियां हुई हैं किन्तु यदि जानकारी में अधिकारियों के बात आयी थी तो सजा दी गयी थी। आज पूरा प्रदेश लुट रहा है और पी0 डब्लू0 डी0 एवं आर0 ई0 एस0 विभाग वाले ग्राम्य विकास के नाम पर अरबों रुपये लूट रहे हैं।

ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत जो गावों में काम होना है उसमें अधिकारियों ने ऐशो आराम का साधन बना लिया है। कानपुर, इलाहाबाद, मेरठ और लखनऊ के मुख्य विकास अधिकारियों और अतिरिक्त जिलाधिकारियों के लिए इस योजना के लिए निर्धारित धन में से एक-एक ट्रांसटर लगी अम्बेसडर गाड़ी खरीदी गयी। मुख्य मंत्री जी को पता नहीं है चूंकि आपके पास हेलीकाप्टर हैं, हम लोगों से सड़कों की हालत पूछें तो बतायें कि वहां जीपें नहीं जा सकती हैं तो फिर अम्बेसडर गाड़ियां क्यों खरीदी गयी हैं। मितव्यता के नाम पर मुख्य विकास अधिकारियों को गाड़ियां दी गयी हैं। आर0 ई0 एस0 या पी0 डब्लू0 डी0 का जितना काम हुआ है यदि आप मस्टर रोल मंगा लें और किसी फारेन्सिक इक्सपर्ट के यहां भेजकर उनको [illegible] करवायें तो मालूम हो जायेगा कि फर्जी नामों से पेमेन्ट हो गये हैं। यदि पूरे प्रदेश में जांच न करवायें तो नमूने के तौर पर अलीगढ़ और इटावा जिले के मस्टर रोल को अपने अधिकार में लेकर उन्हें सील करा दें और उनकी जांच करायें क्योंकि सारा रुपया खर्च हो गया है और विकास के काम 10 प्रतिशत भी नहीं हुए हैं। ठेकेदार और इंजीनियर ने अरबों रुपये लूट लिये हैं जिससे पूरा प्रदेश पिछड़ा है।

मान्यवर, हरिजन और पिछड़े लोगों के साथ, जो ज्यादती हो रही है उसको आप देखें। एक तो इस वर्ग के लोग ज्यादा नौकरी में हैं नहीं, और जो हैं भी तो उनको मुख्य जगह पर रखा नहीं गया है। कुछ के बारे में इस समय नहीं बल्कि सामान्य प्रशासन विभाग के बजट पर कहूंगा। लेकिन जो आज इनको सारा प्रतिनिधित्व नहीं मिला है उसका कारण है कि पिछड़ेपन को दूर न करना। यदि आप पिछड़ेपन को दूर करना चाहते हैं और प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो पिछड़े लोगों को आगे बढ़ायें। आज उनकी हालत है कि 51 प्रतिशत से अधिक उनकी जनसंख्या है किन्तु मैं बताना चाहता हूं कि लोक सभा में एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में दी गयी जानकारी के अनुसार वर्ष 1979 में भारत में क्लास वन की सेवाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का प्रतिशत 5.68 और पिछड़े वर्ग का प्रतिशत 4.69 था। इस प्रकार 51 प्रतिशत लोगों में क्लास वन में 4.69 प्रतिशत और 20 प्रतिशत लोगों को 88 प्रतिशत क्लास वन की नौकरियां प्राप्त हैं। वर्ष 1971-81 में जनसंख्या हरिजनों की बढ़ गयी और लेकिन प्रतिनिधित्व में न्याय नहीं मिला है। 1971 में जनसंख्या हरिजनों की 21.54 प्रतिशत थी और 1981 में 23.54 प्रतिशत, इस प्रकार 1.8 प्रतिशत जनसंख्या बढ़ी इसलिए उसके अनुसार नौकरियों में स्थान अधिक मिलने चाहिये।

उसके अनुसार विधान सभा और लोक-सभा में स्थान अधिक उन्हें मिलने चाहिये। इस सम्बन्ध में लोकसभा की सिफारिशें भी हैं, ऐसी दशा में लोकसभा में संशोधन आना चाहिये था। लेकिन आपने इसके लिए दरवाजे बन्द कर दिये हैं, लोकसभा और विधानसभा में भी हरिजनों के ज्यादा प्रतिनिधि आ सकते हैं।

दूसरी तरफ शैक्षिक और सामाजिक आधार पर मण्डल आयोग की सिफारिशें आपको लागू करनी चाहिये। आज जो लोग आर्थिक आधार की बात करते हैं, वह संविधान विरोधी हैं। भारतीय संविधान में आरक्षण का प्राविधान है शैक्षिक और सामाजिक आधार पर। मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि जो लोग आर्थिक आधार की मांग करते हैं वह समाज विरोधी और संविधान विरोधी हैं। जो लोग आर्थिक आधार की बात करते हैं वह आज क्या पंडित जवाहर लाल नेहरू और डा० राजेन्द्र प्रसाद से भी ज्यादा काबिल हो गये हैं। संविधान में इसे सामाजिक और शैक्षिक आधार पर रखा गया था। मंडल आयोग की सिफारिशें आपको लागू करनी चाहिये। इससे बड़ी विडम्बना और क्या हो सकती है कि एक ही वर्ग के लोगों को सारे देश की सत्ता दे दी जाय, सारे पद दे दिये जाएं तो कहा जायेगा राष्ट्रवाद और हरिजन एवं पिछड़े वर्ग का आदमी अपने हक की बात कहेगा तो कहा जायेगा जातिवाद।

आर्थिक आधार की बात कहने वालों से मैं कहना चाहता हूं कि हम पिछड़े लोग आर्थिक सामाजिक आधार को भूल जायेंगे आप विधान सभा में प्रस्ताव लाइये, जिस प्रकार छुवाछूत को संविधान में अपराध माना गया है, वर्ण व्यवस्था को भी अपराध घोषित किया जाय। आप ऐसे प्रस्ताव को लाइये तो मैं इस विधानसभा में प्रस्ताव का समर्थन करूंगा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होनी चाहिये। अपने कुछ सुझाव देकर अपने भाषण को समाप्त करना चाहता हूं। मेरा पहला सुझाव यह है कि यदि आप उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करना चाहते हैं तो खेती पर 60 सैकड़ा खर्च करो।

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि जो आज करोड़ों बेरोजगार हाथ हैं, उनके लिये बड़ी मशीनों का इस्तेमाल न होने दिया जाय। छोटे-छोटे कुटीर उद्योग खोलकर लोगों को काम दिया जाय, ताकि लाखों बेरोजगार लोगों को काम मिल सके। तीसरा हमारा सुझाव यह है कि बड़े-बड़े बिजली के पावर हाउस आप न लगाइये, छोटे-छोटे पावर हाउस, छोटे-छोटे यूनिट्स के आप लगाइये। इससे आप का समय भी कम लगेगा और पैसा भी कम लगेगा। सबसे महत्वपूर्ण मेरा सुझाव यह है कि यदि आप वास्तव में उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करना चाहते हैं तो आप चौधरी चरण सिंह जी द्वारा लिखित पुस्तक भारत की भयावह आर्थिक स्थिति कारण और निदान का अध्ययन कर उसके अनुसार चलें। आप द्वारा उसके अनुरूप चलने से इस देश की गरीबी और बेकारी दूर हो सकती है। इस किताब को फ्री हम आपको दे सकते हैं। आप उसको पढ़ कर उस पर अमल करें। और उसके बाद आपके सुझाव आएं तो आपकी आलोचना हमें स्वीकार है और इसी पुस्तक के अलावा बेकारी और गरीबी मिटाने का कोई दूसरा रास्ता आपके पास होगा तो हम सारे लोग आपका समर्थन करने और आपके साथ आने को तैयार हैं। इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

(3 बजकर 49 मिनट)

श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करती हूं कि आपने मुझे कुछ बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल, सम्मानित यादव जी को मैंने बहुत ध्यान से सुना। मैं अनुभव कर रही थी कि जब आप बोलेंगे तो न्याय की परंपरा जो अच्छाइयां हैं उसको भी कहेंगे

जितनी हमारी कमियां हैं उसको भी कहेंगे। लेकिन उनको सुनने के बाद ऐसा लगा कि बढ़ते हुये देश की तरक्की की तरफ आपने परदा डालने की कोशिश की और उन बुराइयों की तरफ ध्यान देने की कोशिश की जिनके बारे में, मुझे क्षमा करेंगे, उनकी आवाज में तो काफी तेजी थी, लेकिन जिन बुराइयों को उन्होंने बताया तो अगर उस सिलसिले में पूरी बात कही जायगी तो आप मुझे अवसर नहीं देंगे नहीं तो एक-एक करके मैं उनको कहना भी चाहूंगी।

(कहिये, कहिये की आवाजें।)

(शोर)

मान्यवर, यह महिला विरोधी तो हैं ही। जब महिलाओं का प्रश्न आया और महिला बोलने के लिए खड़ी हुई तो शोर करने लगे। मान्यवर, मैं कहना चाहती हूं कि जब महिलाओं का प्रश्न आया तो उस वक्त के तत्कालीन मुख्य मंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने अगर कोई काम किया तो छोटी-छोटी नौकरियों में जो महिलायें काम कर रहीं थी सबसे ज्यादा उनको निकाल कर बाहर फेंक दिया। यह काम उन्होंने किया जो मैं आपको बताना चाहती हूं।

(मेजों की थपथपाहट।)

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, यह गलत बात कह रही हैं। इसको वापस लें।

श्री अधिष्ठाता--

व्यक्तिगत आक्षेप न करें तो अच्छा हो।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

मान्यवर, इतनी देर तक सम्मानित नेता विरोधी दल ने खूब कहा और हमने चुपचाप खूब सुना। अगर उन्होंने चौधरी साहब के बारे में चर्चा न की होती तो मैं हिमाकत न करती उनके बारे में कुछ कहने के लिए। पहले उन्होंने चर्चा की इसलिए मुझे कहना पड़ा। मैं एक बात अपने सम्मानित विरोध पक्ष के साथियों से कहूंगी कि आप थोड़ा सुनने का कष्ट करें। मुश्किल यह है चाहे प्रश्नों का समय हो या साधारण चर्चा का समय हो, कई लोग एक साथ उठते हैं और खड़े होकर अपनी अपनी बात कहने लगते हैं और इस तरह से सदन का समय भी खराब करते हैं।

श्री अधिष्ठाता--

जरा शांत रहने की कृपा करिये।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

मान्यवर, व्यवस्था में अव्यवस्था उधर से ही की जाती है। तो मान्यवर, मैं इस बजट के ऊपर जो माननीय सदन में प्रस्तुत है उसके लिए मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई दूंगी। निश्चित रूप से यह बजट ऐसा है जो सर्वोन्मुखी उन्नति की ओर बढ़ता हुआ है। जहां तक अलग-अलग प्रश्न ले लीजिए, जैसे खेती को ले लीजिये, खेती के लिए साधारण से साधारण छोटे से छोटे स्थान पर खेती की उन्नति के लिए वह सारे काम किये गये हैं, जिससे कि खेती उन्नति की ओर बढ़े क्योंकि मान्यवर, जनसंख्या बढ़ती आज के शासन काल में कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरा है। यह मैं बड़े गर्व से कह सकती हूं। जहां तक अन्न का प्रश्न है, मान्यवर हम सस्ता गेहूं लेते हैं और विक्रेता केन्द्र पर जाकर इसलिए हमें महंगा देते हैं, ताकि किसान को गेहूं का नुकसान न हो और मान्यवर, वे लोग देखें जाकर जगह-जगह पर आप सुनते भी होंगे कि ट्रैक्टरों के माध्यम से हम गेहूं ले जाकर बिक्री करते हैं और किसानों को लाभ पहुंचाने की कोशिश करते हैं।

सड़कों की बात मान्यवर, जहां तक आपने कही और हमारे नेता विरोधी दल ने कहा कि जनता सरकार और लोक दल की सरकार में जो मिट्टी पड़ गई, वही मिट्टी मात्र पड़ी हुई है, इसके अलावा और कुछ

नहीं हुआ है। मैं बताऊं आपको कि जो मिट्टी पड़ी या नहीं, उसके बारे में मैं नहीं कहना चाहती हूं, लेकिन एक बात कहना चाहती हूं कि जो इनके शासन काल में सड़कों पर मिट्टी डलवाई गई थी जो वहां के रहने वाले चलते थे, तो वे उस सड़क से बच कर चलते थे, क्योंकि वह सड़क इस काबिल ही नहीं थी कि उस सड़क से चला जा सके।

(व्यवधान)

मान्यवर, सच बात ज्यादा कड़ुई लगती है। इसीलिए ये लोग सुनना नहीं चाहते हैं और मान्यवर, यही नहीं, जब फिर से इनको अलग करके, हमें इधर बैठाल कर फिर जनता ने हमको मौका दिया सेवा करने का, तो आप सत्ता के लिए लड़ते हैं। हम सेवा के लिए लड़ते हैं और आप सत्ता के लिए लड़ते हैं। इसीलिए आप वहां बैठते हैं और हम यहां पर बैठते हैं। तो मान्यवर, जहां तक सड़कों की बात आपने कही, मैं सड़कों के बारे में कहना चाहती हूं कि सड़कें गावों-गावों में बनी हैं, वहां पर बसें चली हैं। मैं यह नहीं कहती हूं कि मैंने सारे काम कर डाले, इसीलिए हमारी नई-नई योजना बनती हैं, जहां तक हमारे सम्मानित नेता विरोधी दल ने अन्य प्रदेशों की तुलना की, तारीफ करना अच्छी चीज है, बुरी नहीं है। मैं लीबिया गयी थी, उन्होंने अपने देश के बारे में बड़ी अच्छी बात कही कि हमारे देश नें इतनी तरक्की की, और जब उनसे पूछा गया कि आपके यहां की जनसंख्या क्या है, तो धीरे से उन्होंने कहा कि साढ़े चार करोड़। इसका जवाब दिया गया कि आपके पास छोटा का मुल्क है, उससे ज्यादा तो हमारे यहां का एक वेल्ट है। भारत एक बड़ा विशाल देश है। उसकी समस्याओं को दूर करने के लिए समय लगेगा। वह जल्दी नहीं हो सकेगा। माननीय नारायण दत्त तिवारी के नेतृत्व में यह विश्वास है कि अगली पंच वर्षीय योजनाओं में हम आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं जायेंगे। यह हमारा विश्वास है, जनता का विश्वास है। अभी लोक सभा का चुनाव हुआ, लोक सभा के चुनाव में बड़े-बड़े स्टेटमेन्ट्स आये, वक्तव्य आये, जनता इनकी नहीं पहचानेगी, जनता इनके काले करतूतों को पहचानेगी। यही नहीं मान्यवर, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है। एक धक्का लगा था.....

(शोरगुल)

मैं आप लोगों की बात का उत्तर यहीं खड़े होकर दूंगी। हम सेवा के लिए लड़ते हैं आप सत्ता के लिए लड़ते हैं।

(व्यवधान)

मान्यवर, आप लाल बत्ती कर देंगे तो मैं बैठ जाऊंगी। मान्यवर, इन्होंने कहा हम चुनाव नहीं करायेंगे, तो हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने कहा हम चुनाव करायेंगे। एक आवाज फिर उठी कि यह प्रधानमंत्री चुनाव नहीं करायेंगे। मान्यवर, हमें धक्का लगा था हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री का स्वर्गवास हो गया था, लेकिन हमने चुनाव कराए। इनका परिवार नियोजन हो गया। पूरे प्रदेश में परिवार नियोजन हो गया। केवल दो, लोक सभा में पूरे प्रदेश से जीतकर आये।

(घोर व्यवधान)

श्री विजय सिंह राना—

एक अम्मार रिजवी की और एक ब्रह्म दत्त जी की, दो बार की सड़क बनाई गयी है।

(घोर व्यवधान)

श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

मान्यवर, सच हमेशा कड़वा होता है।

(व्यवधान)

मान्यवर, दो तीन मुद्दों पर मैं बोलना चाहूंगी। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहती हूं 1956 में सारे प्रदेश में मास्टर प्लान बना और तय किया था कि शहरी क्षेत्र

बढ़ाया जाय और मास्टर प्लान में आपने 1959-60 में पड़ोसी कई जिलों को को नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत ले लिया, लेकिन आज भी क्षेत्र ज्यों के त्यों पड़े हुये हैं । नयी-नयी तमाम बस्तियां बनती जा रही हैं नगर विकास और आवास विकास प्राधिकरण के माध्यम से मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि सरकार इस ओर भी ध्यान देने की कृपा करें । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक सुझाव देना चाहती हूं । मलिन बस्तियों के अन्दर बहुत थोड़ी सी सड़कें थी । वहां कुआं भी बना दिया जाता है बिजली का बल्ब भी लगा देते हैं, लेकिन लिंक करने के लिए मुख्य मार्ग से कोई साधन नहीं होता है । मेरा मुख्य मंत्री जी से निवेदन होगा क्योंकि वह नगर बिकास मंत्री भी हैं कि इस ओर भी ध्यान दें । मान्यवर, स्वास्थ्य केन्द्रों की बात है, इसमें कोई शक नहीहै मैं आपके माध्यम से आज की सरकार को बधाई देना चाहती हूं जगह-जगह स्वास्थय केन्द्र खुले हैं और लोगों के उपचार के साधन हैं, लेकिन वहां दवाईयां अप और बढ़ाये । क्योंकि मात्र देखने से काम नहीं चलता है । मैं एक निवेदन करना चाहूंगी । जहां तक महिलाओं का प्रश्न है, महिलाओं के लिए बहुत कुछ काम आज इस सरकार में हो रहे हैं, उनको तरक्की के रास्ते मिल रहे हैं । लेकिन मेरा निवेदन है कि कुछ और थोड़े से रास्ते ऐसे खोले जाय जिससे महिलायें आगे बढ़ सकें ।

जहां तक उद्योग की बात है मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं माननीय नेता विरोधी दल से चतुर्मुखी विकास के लिये हमारी सरकार ने छोटी से लेकर बड़ी योजनायें चलाई हैं । माननीय नेता विरोधीदल ने साढ़े 6 हजार की बात कही । मैं कहना चाहती हूं कि साढ़े 6 हजार और 5 हजार में जो गरीब 5 रुपया रोज आमदनी करता था आज 10, 15 और 20 रुपये रोज कमाने की योजना बना रहा है । वह कमा रहा है और उसका आर्थिक जीवन सुदृढ़ हुआ है । रिक्शा वाले और ठेले वाले की बात है । जो 15 सौ और दो हजार में ठला चला रहा है, जो रिक्शा चालक 15 सौ में रिक्शा बनता रहा है वह अपने परिश्रम से अपने आर्थिक जीवन को सुधार रहा है । इसके लिए यह सरकार बधाई की पात्र है गरीब बराबर आगे बढ़ता चला जा रहा है । मैं अन्त में एक बात और कहना चाहती हूं कि हमारे विरोध पक्ष के माननीय सदस्य भी जनता द्वारा चुनकर आते हैं जहां विरोध करने वाली बात हो वहां तो आपको विरोध करना चाहिए लेकिन जहां देश की एकता और देश के विकास की बात हो, मैं माननीय नेता विरोधी दल के माध्यम से सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहती हूं कि हम सब को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए । मैं आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बजट की सामान्य चर्चा पर मैं अपने विचार प्रकट करते हुये यह कहना चाहूंगा कि सन् 74 से लगातार इस विधान सभा में रहने के बाद और नारायण दत्त तिवारी जैसे मुख्यमंत्री, जिसकी जानकारी के बारे अपनी निजी राय रही हो, वह ऐसा घटिया बजट प्रस्तुत करेंगे इसकी कल्पना नहीं की थी । मान्यवर, आप बजट की मदों को देखें । इस प्रदेश में रहने वाले 73 प्रतिशत किसानों के लिये इस बजट में क्या दिया गया है, इसकी चर्चा न की जाय तो ज्यादा अच्छा है । किसानों को शुद्ध खाद नहीं मिल रही है पानी का अभाव है, उसके उत्पादन की कीमत 47 प्रतिशत बढ़ गई लेकिन जो पैदा करता है, उसकी क्या दशा है इसकी जानकारी कृषि मंत्री को होगी किस प्रकार से किसानों के लिए आवंटित धन का दुरुपयोग हो रहा है । पिछले साल किसानों पर खर्च करने के लिए जो धन आबंटित किया गया था उसमें से 7 करोड़ की जिंकसल्फेट दवा

खरीदी गई जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। 5 लाख रुपया टेलीग्राम पर खर्च हो गये कि उसका पैसा जमा करो। जिला कृषि अधिकारियों ने अपने पाकेट से पैसा जमा किया। मान्यवर, जो कमीशन एजेन्ट था उससे 70 लाख रुपया मांगा गया, 22 लाख रुपया उसने दिया और अधिक देने में असमर्थता व्यक्त की। उसका हार्टफेल कर गया रास्ते में। वह मर गया। मेरे सवाल के जवाब में सरकार ने स्वीकार किया था कि 47 जिलों में गेहूं का सवर्टेंडर्ड बीज सप्लाई किया गया था, इस प्रकार की खाद व बीज सप्लाई करके सरकार किसानों का गला घोट रही है।

मुझे प्रसन्नता है कि हमारे एक साहब हमारे इलाके में गये, खेत में गये। जब मैंने उनसे कहा कि आप इस जिंक सल्फेट का केमिकल एनालिसिस करा दीजिए तो आपको सच्चाई का ज्ञान हो जायेगा। मेरी निश्चित जानकारी है कि दिल्ली से जहां से यह खरीदा जा रहा है जिस फर्म से, उस नाम की वहां कोई फर्म नहीं है और जो जिंकसल्फेट सप्लाई हो रहा है उसमें केवल मिट्टी और बालू है। इस देश को आगे बढ़ाना है। जब उसके सम्बन्ध में उसके साथ यह सुलूक हो रहा है तो आगे क्या होगा ?

फसल बीमा योजना के बारे में सुनते-सुनते यह उम्मीद की गई थी कि बीमा योजना के सम्बन्ध में कोई निश्चयात्मक घोषणा होगी, उस पर बजट का कुछ हिस्सा आवंटित होगा। वह घोषणा कहां चली गई। यही स्थिति दूसरे विभागों की भी है। हमारे यहां सिसवा में एक चीनी मिल है। यादवेन्द्र सिंह जी जो पहले यहां उपाध्यक्ष थे उनकी मृत्यु के कारण वहां पर उपचुनाव हुआ। वहां पर मंत्रिमंडल के सभी बड़े-बड़े नेता गये सबने यही कहा आप यहां कांग्रेस (आई) को जिता दें तो हम फैक्ट्री को चालू करा देंगे। चुनाव में कांग्रेस (आई) जीत गई। कैसे जीती यह एक अलग बात है। लेकिन आज तक चीनी मिल चालू नहीं हो पाई है। एक तरफ तो आप नये कारखाने लगाने जा रहे हैं और दूसरी जो मिलें बन्द हैं उनको चालू करने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है।

मैं मोदी नगर की बात कहूं। मोदी ने इस सरकार को चुनौती दी और चुनौती में यह साबित कर दिया कि जो वह चाहेंगे वही होगा, जो सरकार चाहेगी वह नहीं होगा। 10 हजार मजदूर सड़क पर बेघर घूम रहे हैं लेकिन सरकार कुछ नहीं कर पा रही है और मोदी अपने इशारे पर सारे कार्य कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से कि जो यह पौने 2 अरब के घाटे का बजट है इसको कहां से पूरा करेंगे। इसका सदुपयोग क्या है? हमारे यहां एक डिवीजन है सिंचाई विभाग का गोरखपुर में। उसमें एक इंजीनियर थे श्री वाई० एन० गुप्ता जो कि मीसा के अन्तर्गत बन्द हो गए थे, आज भी काम कर रहे हैं। बड़ी गन्डक में जो काम चल रहा है वहां सब फर्जी भुगतान हो रहे हैं। यदि माननीय मुख्य मंत्री जी एक कमेटी बना दें और इसकी जांच कराई जाय तो स्थिति सामने आ जायेगी।

इसी तरह से मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि तमाम इंजीनियर ऐसे हैं जो 3-3, 4-4 साल से एक ही स्थान पर पड़े हुए हैं और उनका ट्रान्सफर नहीं हो रहा है। मुख्य मंत्री जी के पास जब कोई ट्रान्सफर के लिए जाता है तो वह कह देते हैं कि हम ट्रान्सफर नहीं करेंगे। हमारे बगल में माननीय कल्याण सिंह जी बैठे हुए हैं इनके समय में हजारों डाक्टरों का ट्रान्सफर किया गया था और कड़ाई से पालन कराया गया था। यहां तक कि दिल्ली के एक नेता का फोन आने पर भी ट्रान्सफर नहीं रोका गया था।

मान्यवर, मेरा मत है कि आज सिंचाई विभाग में किसी भी इंजीनियर से जांच करवाने की आवश्यकता नहीं है।

किसी एक्सपर्ट की जांच की आवश्यकता नहीं है। जांच उस गांव के लेखपाल से करानी चाहिए जिसके गांव के लोगों का नाम मास्टर रोल पर लिखा गया है। लेखपाल बता देगा कि जिसका नाम लिखा है उस नाम का कोई आदमी गांव में है कि नहीं। जिसके दस्तखत बने हैं, वह आदमी है कि नहीं। मैंने शिकायत की थी एक इंजीनियर की जिसने 25 हजार खा लिए लेकिन उसका ट्रान्सफर नहीं हुआ। ऐसा आदमी जिसके खिलाफ विपक्ष ही नहीं सत्ता पक्ष के लोगों ने भी आरोप लगाया, उसका स्थानान्तरण निरस्त कर दिया गया, कब तक के लिये, जब तक नदी में बाढ़ न आ जाय। नदी में बाढ़ आएगी तो करोड़ों रुपयों का फर्जी भुगतान होगा और इंजीनियर की जेब में करोड़ों रुपया चला जायेगा।

अब मैं शिक्षा की ओर जा रहा हूं बजट में देखा कि 672 स्कूल खोले जा रहे हैं। सहकारिता मंत्री मूछों पर ताव दे रहे हैं। प्रदेश में कुल 830 ब्लाक हैं। एक ब्लाक को एक स्कूल भी नहीं दे सकते। शर्म नहीं आती इनको। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिये इनको। ये प्रगति और विकास की बात करते हैं, एक ब्लाक को स्कूल नहीं दे सकते। आपको सरकार चलाने का कोई अधिकार नहीं है। आपने एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को मंत्री बना दिया, वे कहते हैं जगह नहीं है तो कहां से अध्यापकों की भर्ती करें। जनता पार्टी ने एक बार में 10 हजार अध्यापकों की भर्ती की थी, बी० टी० सी० अध्यापकों की। तबसे विद्यार्थियों की संख्या डेढ़ लाख से भी ज्यादा बढ़ गई है। आप कैसे कहते हैं कि कहां से भर्ती करेंगे। शिक्षा के बारे में फिर कहना चाहता हूं कि आप प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के वेतन बढ़ा दें, सुख-सुविधायें बढ़ा दें, आवासीय सुविधा दे दें तो शिक्षा का स्तर बढ़ जायेगा। हां, उनका ट्रान्सफर कीजिये, तहसील से बाहर कर दीजिये, टी० ए० की सुविधा दीजिये। यही स्थिति अस्पतालों की है। अस्पताल नहीं खुले हैं। एक तरफ जवाब आता है कि कहां से अस्पताल खोलें डाक्टर नहीं हैं, दूसरी तरफ हजारों डाक्टर सड़क पर नौकरी की तलाश कर रहे हैं। यह पहेली हमारी समझ में नहीं आती। डाक्टर बेरोजगार हैं। ऐसा क्यों हो रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि डाक्टरों की भर्ती करने के लिए एक विशेष प्रकार के नियम की आवश्यकता है। उस नियम के तहत आपके आदमी भर्ती हो रहे हैं। किसानों को कुछ मिला नहीं, मजदूरों को कुछ मिला नहीं। बेरोजगार के नाम पर डी० आर० डी० ए० स्कीम चली, लेकिन मस्टर रोल पर कोई काम नहीं हुआ। ठेकेदारी पर ही सारा काम हुआ। डी० आर० डी० ए० की जो मंशा है कि खास-तौर से मजदूरों को काम दिया जाय, ऐसा नहीं हुआ। सारा का सारा काम ठेकेदारी से हुआ और फर्जी मस्टर रोल बनाए गए। इस तरह से अधिष्ठाता महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि आखिरी पैरे में जो अपने यह कहा कि हम एक समाजवादी समाज की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो कौन से कारगर कदम आप उठाने जा रहे हैं? यह तीन अरब रुपये का इस्तेमाल आप कहां करेंगे। यह जानकर शर्म होती है कि तीन-तीन आई० ए० एस० अफसर 200 रुपये प्रतिमाह पर गुजारा करते हैं। बाकी सारा पैसा कर्ज ले लेते हैं और शान से जिंदगी बिताते हैं। सारी सुख-सुविधायें हैं उनके पास। अभी बीबी चली गयीं। उनको कुछ सुनाना चाहता था। उनके विभाग के सेक्रेटरी हरी शंकर हैं, उनके बारे में कहना है। बीबी कहती हैं मियां बीबी राजी तो का करे काजी। इन हरी शंकर जी ने 2 लाख सरकार से कर्जा लिया है और अलीगंज में 10 लाख की बिल्डिंग बनाई है। इस तरह से एक नहीं अनेक उदाहरण हैं।

मान्यवर, हम गरीबों की गाढ़ी कमाई का जो पैसा वसूल कर रहे हैं सरकारी विकास कार्यों के नाम पर उसका बहुत

बड़ा हिस्सा प्रशासकीय व्यय के रूप में व्यय हो रहा है । भ्रष्टाचार के रूप में व्यय हो रहा है । अब भ्रष्टाचारी केवल लेखपाल नहीं रह गया है, भ्रष्टाचार की गंगा तो ऊपर तक चली गई है । पी0 सी0 एस0, आई0 ए0 एस0 आफिसर्स भी अब इससे बचे नहीं हैं ।

मान्यवर, राजनीतिक पक्षपात की भी एक सीमा और मर्यादा होनी चाहिए। लेकिन मान्यवर, राजनीतिक पक्षपात किस सीमा तक चला जाता है, इसका एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा । महराजगंज तहसील में एक युवक रिक्शे पर बैठकर सिनेमा का प्रचार कार्य करता था कि कहां–कहां कौन सी फिल्म चल रही है । संयोग से वही व्यक्ति आज कुर्ता पजामा पहनकर नेता हो गया है, आज उसको उसकी सुरक्षा के नाम पर एक सब–इंस्पेक्टर तथा दो कांस्टेबिल मिले हुए हैं । और, वहीं दूसरी तरफ इसी सदन की रह चुकी सदस्या गौरी देवी जी से उनका सुरक्षा कर्मचारी छीना जा रहा है । तो, मैं जानना चाहता हूं कि यह कौन सा मापदण्ड है । एक भूतपूर्व महिला सदस्या से, जिसके पति का दिन दहाड़े सड़क पर कत्ल हो गया, उससे उसका सुरक्षा कर्मचारी छीना जा रहा है और दूसरी तरफ सिनेमा के रहे एनाउन्सर जो अब अपने को कांग्रेस (आई0) का कार्यकर्ता कहता है को एक सब–इंस्पेक्टर और दो कांस्टेबिल सुरक्षा के नाम पर दिए जा रहे हैं । इससे बड़ा पक्षपात का घिनौना नमूना और क्या हो सकता है ? आप दम भरते हैं कि सभी को समान अधिकार मिले हुए हैं ।

(लाल बत्ती जलने पर)

मान्यवर, दो मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । मैं कहना चाहता हूं कि आप प्रदेश के विकास के लिये उसे आगे बढ़ाने के लिये, उसके स्थान को ऊंचा उठाने के लिये जो भी कदम उठायेंगे, उसमें हमारे जैसे लोगों का सहयोग रहेगा । लेकिन जब आपकी नीयत पर शक हो, आपके कदम पर शक हो तो उसके लिए कहा ही जायेगा ।

मैं कहना चाहता हूं कि पिछली विधान सभा में भी, जब माननीय बच्चा पाठक जी सहकारिता मंत्री थे, उस समय मैंने गोरखपुर जिले में नियुक्त ए0 आर0 पर आरोप लगाया था और यह भी चुनौती दी थी कि यदि आरोप सही नहीं पाये गये तो विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा और अगर मेरे आरोप सही हों तो मंत्री जी इस्तीफा दे देंगे । मैंने उस समय यह भी कहा था कि किसी न्यायाधीश से मामले की जांच करा ली जाय । उस समय नहीं माने । बाद में जब उसकी इन्क्वायरी हुई, उसके सामने सारे तथ्य आये । लेकिन, उसके बावजूद भी वह आदमी गोरखपुर में पड़ा हुआ है । मैं पूछना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार का नंगा नाच कब तक चलेगा ।

जब नारायण दत्त जी मुख्य मंत्री हुए थे, तो यह सोचा था कि पुराने समाजवादी संस्कार हैं, प्रदेश को आगे बढ़ाने में वे प्रयत्नशील रहेंगे । लेकिन, मौजूदा हालात को देखते हुए लगता है कि वे भी दिग्भ्रमित हो गये हैं । उनका वश नहीं चल रहा है । मैं फिर कहना चाहता हूं कि यदि किसानों की गाढ़ी कमाई का, गरीबों की कमाई का पैसा जो वसूला जा रहा है, उस एक–एक पैसे का उचित सदुपयोग नहीं हुआ, तो विपक्ष जो यहां जनतंत्र के प्रहरी के रुप में बैठा है, अपनी आवाज उठायेगा। जनता भी उसका परिणाम आपको देगी । 1977 की स्थिति सबने देख ही ली कि किस तरह से आप उधर से इधर आ गये थे । अब की तो स्वर्गीय इन्दिरा गांधी की लाश को लेकर आपने वोट मांगे । जनता ने सहानुभूति में आकर आपको जिता दिया । लेकिन, अब हालात सामने हैं, आपको कर्मक्षेत्र में आना होगा । उसके बाद में जो असेम्बली के चुनाव उप चुनाव हुए हैं, उसमें आपने नतीजा देख ही लिया । मैं कहता हूं कि अगर आपने प्राइवेट संस्थाओं के चुनाव करा दिये तो नतीजा सामने आ जायेगा । अन्त में, मैं अनुरोध करुंगा

कि प्रदेश के विकास में हम सब के सहयोग की आवश्यकता है। चाहे किसी भी मजहब के मानने वाले हों। प्रदेश हमारा है, प्रदेश को आगे बढ़ाने में हम पीछे नहीं रहेंगे। अगर हमें आपकी नीयत पर शक नहीं है, तो हम आपके किसी कदम का विरोध नहीं करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ अधिष्ठाता जी मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

चौधरी श्याम लाल--

मान्यवर, मैंने बजट पर नेता विरोधी दल श्री मुलायम सिंह यादव जी का भाषण सुना। उन्होंने कई बिन्दुओं पर प्रकाश डाला और आंकड़े भी प्रस्तुत किए। कृषि पर उन्होंने ज्यादा जोर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक किसानों की हालत मजबूत नहीं होगी तब तक देश मजबूत नहीं हो सकता है, यह सही है। लेकिन हमने जो योजनायें दी हैं वे सारी की सारी प्रदेश के विकास के लिए हैं। जितना भी लोन हमने लिया है, वह प्रोडक्टिव चीजों के लिए लिया है न कि अनप्रोडेक्टिव चीजों के लिए।

दूसरी बात उन्होंने कृषि की कही। स्वायल कन्जरवेशन, कृषि अनुसंधान आदि में हमने काफी तरक्की है। इस प्रगति के बारे में 1980 के बाद के जो आंकड़े हैं, वे बताते हैं। हमने विकास के लिए हमेशा सामाजिक आधार लिया है। सोशल वेलफेयर के लिए भी हमने तमाम योजनायें चलाई हैं। हास्टल, हास्पिटल, स्कालरशिप आदि। शिक्षा विभाग के लिए अलग से बजट रखा है। इससे साफ जाहिर होता है कि हम प्रदेश का सर्वांगीण विकास चाहते हैं। जनता सरकार जो थी वह सामन्तियों की सरकार थी। यह सही है कि ला एन्ड आर्डर का मेन्टेन करने की सरकार की जिम्मेदारी है। गरीब लोगों के लिए जो योजना सरकार बनाती है, उसमें सामंती वर्ग के लोग अवरोध पैदा करते हैं। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है। घाटे का बजट इस बात का प्रतीक है कि हम प्रगति चाहते हैं। श्री नारायण दत्त तिवारी जी के नेतृत्व में यह प्रदेश विकास की तरफ अवश्य बढ़ेगा। हम चाहते हैं कि विकास के लिए हर क्षेत्र में कार्य किया जाय और उस पर खर्च किया जाय और जहां तक निर्बल वर्ग की प्रगति का सवाल है उसमें कितना ज्यादा पीछे हैं। इस गर्मी में क्षेत्र के लोगों ने शिकायत की सिंचाई के सम्बन्ध में तो हमने जूनियर इंजीनियर से सवाल किया तो उसने कहा कि जनसंख्या कितनी रफ्तार से बढ़ रही है....

(हंसी)

वास्तव में हमारी योजनायें अच्छी हैं और जो हमारा बजट है वह हमें आगे ले जायेगा।

श्री जमुना प्रसाद बोस--

माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा कि हम सब ने बहुत पहले ही एक समाजवादी अर्थ-व्यवस्था स्थापित करने का निर्णय लिया था और हम सब यह भी चाहते हैं कि यह व्यवस्था प्रजातांत्रिक तरीकों से स्थापित हो। इस हेतु यह आवश्यक हो जाता है कि हम आर्थिक विषमताओं को दूर करने के लिए मानव व आर्थिक संसाधनों का इस तरह से नियोजन करें जिससे कि हमारे प्रदेश के गरीब से गरीब व्यक्ति को अधिक से अधिक लाभ मिल सके व आर्थिक स्तर ऊंचा उठे। देश को आजाद हुए करीब 38 साल हो चुके हैं और जो समाजवादी व्यवस्था की बात कही गयी है, तो उसका रूप यह है कि विकास तो हुआ है लेकिन किस का? तमाम गांवों के लोग आज आदमी से घोड़ा बन गये हैं। कानपुर शहर में ही 20 हजार रिक्शा चालक हैं। जितनी भी महापालिकायें हैं उनमें 20 हजार, 10 हजार लोग रिक्शा चला रहे हैं। मनुष्य इंसानियत छोड़ कर जानवर बन गया है। इनके खुद के भाषण में कहा गया है कृषि में 5·2

प्रतिशत और उद्योग में 9 प्रतिशत वृद्धि हुई है। स्वयं मानते हैं कि कृषि में कम तथा उद्योग में ज्यादा।

मान्यवर, हमारा प्रदेश कृषि का प्रदेश है, खेती का है, अगर इस ओर ध्यान दिया गया होता इसका प्रतिशत ज्यादा होता। कहा जाता है कि यह बजट गरीबी दूर करेगा, वहीं पर इनके आंकड़े हैं जिनके अनुसार 1981 में जो प्रति व्यक्ति औसत आया है वह 1272 था और 1983–84 में 1567 हो गया। तो इसमें बड़े–बड़े पूंजीपति भी रहते हैं और गरीब भी होते हैं और जो माननीय विरोधी दल के नेता ने जो आंकड़े दिये हैं उनके अनुसार और पार्लियामेन्ट में इसी मार्च के बजट अधिवेशन में जो आंकड़े दिये गये हैं उनके अनुसार केवल टाटा की आमदनी 1980 में 1538 करोड़ 97 लाख थी और बिड़ला की 1431 करोड़ 96 लाख रुपये थी लेकिन 1983 में बिड़ला की सम्पत्ति दो गुनी बढ़ कर 2830 करोड़ 94 लाख रुपये हो गयी। आप कहते हैं कि आमदनी बढ़ी है। यह आमदनी और गरीब रिक्शा चलाने वाले की आमदनी सब मिलाकर 1272 रु0 से 1567 रु0 प्रति व्यक्ति आय है साल भर की, जब कि केवल एक उद्योग पति को साल भर की आमदनी 28 अरब 30 करोड़ रुपये है। यह बजट इस देश के गरीबों का है? समाजवाद की बात एक मखौल हो गयी है, मजाक बन गयी है। अगर आप समाजवाद की ओर नहीं जा सकते तो समाजवाद की बात मत करिये। इसके अलावा यहां पर पर्वतीय विकास की बात की गयी है। वर्ष 1985–86 के लिये 177 करोड़ रुपया निर्धारित किया गया है, जिसमें 108 करोड़ रुपया केन्द्रीय अंशदान है। एक ओर पर्वतीय विकास है और दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के दक्षिण में बसा हुआ बुन्देलखंड है, जहां के लिये है केवल 'सोयाबीन'। बुन्देलखंड में केवल सोयाबीन के विकास की बात की गयी है। क्या यही समाजवाद है? बुन्देलखंड की गरीबी की यह हालत है कि केवल बांदा जिले में 16 लाख की आबादी है उसमें से 16 हजार आदमी गांवों को छोड़कर पंजाब, गुजरात और बम्बई चले गये हैं अपनी जीविका चलाने के लिये। जिन लोगों में इतनी ज्यादा गरीबी हो वहां पर विकास के काम न चलाये जायं और उसके लिये कोई भी साधन न बनाये जायं, इससे बड़ा मजाक किसी भी क्षेत्र के साथ क्या हो सकता है? इस पर आप कहते हैं कि वर्ष 1979–80 में यह प्रदेश देवी आपदाओं का शिकार हुआ।

माननीय मुख्य मंत्री जी का कथन है कि 80–81 में शुरु हुई थीं देवी आपदायें और आज भी जारी हैं। वसूली की हालत यह है कि जिनको सूखा क्षेत्र घोषित किया गया है, वहां पर वसूली इस तरह से चला रहे हैं कि ब्रिटिश शासन की याद हो आती है। बुन्देलखंड में विकास सलाहकार परिषद की एक मीटिंग हुई थी जिसमें मुख्य मंत्री जी भी थे और विधायक तथा सांसद भी थे। वहीं पर मैंने कहा कि लोगों को वसूली के दौरान मुर्गा बनाया गया कुर्की की गयी, जेल भेजा गया, पीटा गया वहां पर कमिश्नर भी थे जिलाधीश भी थे, लेकिन वे भी इस बात को कट नहीं पाये। आप स्वयं मानते हैं कि जो देवी आपदायें 80–81 में शुरू हुई थीं, आज तक निरंतर चल रही हैं। आपको कम से कम उन सूखा–ग्रस्त क्षेत्रों में, जो देवी आपदाओं के शिकार हैं, वसूली को रोकना चाहिये। आपका कहना है कि वसूली इसलिये जरूरी है कि धन चाहिये। जैसा कि विरोधी दल के नेता ने बताया कि जो पैसे वाले हैं, उन पर तो अरबों रुपया बाकी है, उसकी वसूली की तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हैं लेकिन जो छोटे और मध्यम किसान हैं, उनके ऊपर कोड़े चला रहे हैं। इन आंकड़ों के साथ क्या यह कहा जा सकता है कि यह एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का बजट है? इन्होंने सिंचाई के सम्बन्ध में कहा है कि सिंचाई के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, जिसमें

खास तौर से बुन्देलखंड के लिये आप व्यवस्था कर रहे हैं, यह कहने की बात नहीं है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में एक ही सरकार है। उत्तर प्रदेश सरकार की नहर प्रणाली जिसके डैम मध्य प्रदेश में बने हुए हैं जैसे गंगऊ रनगवां आदि डैम बरियारपुर हैं तो इनसे नहरें निकली हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने उनका पानी उत्तर प्रदेश में आने से रोक दिया है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों सरकारों की सम्मिलित बैठकें भी इस सम्बन्ध में हुई हैं परन्तु उत्तर प्रदेश सरकार की बात मध्य प्रदेश की सरकार सुनती नहीं है। पानी आना बन्द हो गया जिसके कारण खेतों को पानी नहीं मिल पाया, खेत सूख रह गये, सिंचाई नहीं हो पायी, जिसके कारण फसल सूख गयी। यह सूखा ईश्वर ने नहीं डाला, यह सूखा डाला है वर्तमान शासन प्रणाली ने जिसके कारण खेतों को पानी मिलना बन्द हो गया।

आप सड़कों की और यातायात की बात करते हैं। मैं इस सम्बन्ध में आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि जनता सरकार के शासन काल में जो सड़कों का जाल उत्तर प्रदेश में बिछाया गया था, उनकी पिछले पांच सालों में उपेक्षा हुई है, आज वह सड़कें इन्सान के चलने लायक नहीं रह गयी हैं। यदि यह शासन गांव को सड़कों से जोड़ता तो आज उनकी हालत ऐसी न होती।

अन्त में यह कहना चाहूंगा कि यह बजट समाजवादी व्यवस्था का बजट नहीं है बल्कि यह बजट पूंजीवादी व्यवस्था का बजट है।

(4 बजकर 40 मिनट)

श्रीमती शशि शर्मा—

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जिस गौरव और उत्साह से इस प्रदेश के बजट को प्रस्तुत किया है और इस बजट की पृष्ठभूमि पर हो रहे विकास की जो आधारशिला है उस पर प्रकाश डाला है इसके लिये वे बधाई के पात्र हैं। उन्हें प्रदेश के बजट को एक बार नहीं बल्कि 8 बार बजट को पेश करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।

मैं कुछ आंकड़ों के द्वारा इस प्रदेश की सरकार का ध्यान आकर्षित कर रही हूं। वर्ष 1970–71 में राज्य की आय 5,693 करोड़ थी। 1983–84 में यह बढ़ कर 6,337 करोड़ रुपया हो गयी। इस प्रकार स्थायी मूल्यों पर 1980–81 में प्रति व्यक्ति आय 513 रु0 थी जबकि 1983–84 में यह बढ़ कर 535 रु0 हो गयी।

बीस सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन में हमारे प्रदेश का स्थान सब प्रदेशों की तुलना में छठें नम्बर पर है। यह भी बहुत ज्यादा अचीवमेन्ट है।

खाद्यान्न के क्षेत्र में हमारा प्रदेश हरितक्रान्ति की ओर जा रहा है। चावल का उत्पादन प्रति हेक्टेयर 5.6 क्विन्टल से बढ़ कर 12.97 क्विन्टल हो गया है। उर्वरकों की खपत 1984–85 में 16.93 लाख टन की हो गयी है। गन्ने और आलू का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है और आगे को जा रहा है। चीनी, सीमेन्ट के जो उद्योग हैं उनमें वृद्धि हो रही है। इनका उत्पादन प्रति वर्ष बढ़ रहा है। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश आगे को जा रहा है। हमारे मुख्य मन्त्री जो केन्द्रीय उद्योग मन्त्री रह चुके हैं, उन्होंने उस समय सबसे अधिक औद्योगिक आशय–पत्र इस प्रदेश को दिये हैं। 193 आशय-पत्र इस प्रदेश को दिये हैं। इसमें हमारे मुख्य मन्त्री जी का बड़ा योगदान रहा है। इसके लिये हम लोगों को उन्हें धन्यवाद देना चाहिये।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अब मैं आवास व्यवस्था के बारे में कहना चाहती हूं। हमारी सरकार ने ग्रामीण आवास व्यवस्था के बारे में भी ध्यान दिया है। हमारी सरकार ने शहरी क्षेत्र में तो आवास की व्यवस्था की ही है।

में सदन के माध्यम से सरकार को बताना चाहती हूं कि इस प्रदेश म देवरिया जिला जिसकी, मैं प्रतिनिधित्व करती हूं, बहुत ही पिछड़ा जिला है। वहां पर सड़के नहीं हैं। हमारे यहां पर 13 चीनी मिलें हैं, जिनमें जंक लग गया है, वह बेकार हो गयी हैं। उनमें पूरी-पूरी उत्पादन क्षमता नहीं है। यह मिलें अंग्रेजों के समय की हैं, जिनका उत्पादन नहीं के बराबर है। मैं शासन का ध्यान अपने जिले की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं कि आबादी के क्षेत्र में यहां बहुत ही घनी आबादी है। मैं फाजिल नगर क्षेत्र से आती हूं। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी का ध्यान इस ओर इसलिये आकृष्ट कर रही हूं कि वह इस ओर ध्यान दें जिससे हमारे यहां का विकास हो सके। इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करती हूं।

(व्यवधान)

डाक्टर दिनेश जौहरी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आप का आभारी हूं कि आपने इस बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, यह बजट जन विरोधी है, किसान विरोधी है और हम सब का विरोधी है। मान्यवर, इस बजट से किसी को रोजगार मिलने वाला नहीं है और बेरोजगारी ही इससे बढ़ेगी। इस सरकार द्वारा प्रदेश में नये अस्पताल खोलने की कोई चेष्टा की गयी है, ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन आप वहां पर चले जायें तो क्या नहीं मिलेगी। मैं बरेली जनपद से आता हूं और डाक्टर भी हूं चिकित्सा सम्बन्धी समस्याओं को भली-भांति समझता हूं। वहां पर आंवला और नवाबगंज ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कोई भी महिला डाक्टर नहीं है। मालूम करने पर पता चला है कि राजनैतिक कारणों से वहां पर किसी की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। महिला डाक्टर वहां जाना ही नहीं चाहती। क्योंकि वहां रहने की और बच्चों को पढ़ाने की सुविधा नहीं है। मैं आपका ध्यान इस जनपद की ओर ले जाना चाहता हूं जहां से मैं आया हूं। बरेली एक बड़ी भारी कमिश्नरी है। चिकित्सा के क्षेत्र में वह कमिश्नरी सबसे पिछड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश की हर कमिश्नरी में एक मेडिकल कालेज है लेकिन रोहिलखंड में कोई मेडिकल कालेज नहीं है। बरेली के मरीजों को दिल्ली, लखनऊ या आगरा भागना पड़ता है क्योंकि वहां पर पर्याप्त चिकित्सा सुविधा नहीं है।

वहां की कानूनी और व्यवस्था की ओर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। अभी कल की खबर है कि वहां के पुलिस उपाधीक्षक सी0 ओ0 (सिटी)-2 एक ऐसे व्यक्ति को प्रोटेक्शन दे रहे थे जो मर्डरर है। उसे संरक्षण दे रखा है। जिसका मर्डर किया गया था उसके उचित उपचार भी उन्होंने हास्पिटल में भी नहीं होने दिया जिसके कारण वह मर गया। तीन चार दिन हो गये अभी तक उसके बारे में कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। महाबीर सी0 ओ0 (सिटी)-2 जो बरेली में हैं, मर्डरर को गिरफ्तार नहीं होने दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त 5 तारीख की खबर है, डाक्टर बी0 डी0 माथुर जो एडीशनल डाइरेक्टर मेडिकल के हैं इस माह बटलर पैलेस में उन्हें एक मकान आबंटित हुआ था। 5 तारीख को वे उसमें अपना सामान रखकर चले गये। 6 तारीख को यहां के डी0 आई0 जी0 ने उस पर कब्जा कर लिया।

(व्यवधान)

एक सदस्य--

आप बजट पर बोलें।

डाक्टर दिनेश जौहरी--

बजट पर ही बोल रहा हूं। सामान्य प्रशासन पर बोल रहा हूं और उसी के संदर्भ में बोल रहा हूं। हमारी सरकार ने इतना अच्छा बजट पेश किया है कि अंग्रेजी शराब के दाम घटा दिये हैं और रोटी, चावल के दाम बढ़ा दिये हैं। मुझे शर्म आती है कि

मदिरालय में मदिरा के दाम घटा दिये हैं, पान के दाम घटा दिये हैं, रोटी, दाल, चावल सब्जी, घी के दाम बढ़ा दिये हैं। मैं बताना चाहता हूं कि 17 तारीख को सारा प्रदेश बिक्री कर के विरोध में बन्द हो रहा है। बरेली में 5 से 15 प्रतिशत तक चुंगी कर बढ़ा दिया गया है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इसमें से 75 प्रतिशत चुंगी कर अधिकारी लोग अन्यों का साठ-गांठ से खा रहे हैं। 17 तारीख को चुंगी कर के विरोध में बरेली बन्द हो रहा है, जिसे कि बरेली महापालिका लगा रही है। आज भी मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि नगरपालिकाओं और कि महापालिकाओं का चुनाव होने जा रहे हैं और नई नगरपालिकायें गठित हो जायेंगी। मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि 17 तारीख को बरेली बन्द हो रहा है। प्रशासन ने भी चेतावनी दी है कि आपने बन्द किया तो हम भी गोली चलायेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप 5 से 15 प्रतिशत तक क्यों चुंगीकर बढ़ा रहे हैं जब कि दो तीन महीने में नगरपालिकायें गठित करने का इरादा है। तब इसका क्या औचित्य है। इन शब्दों के साथ मैं इस जनविरोधी बजट को धन्यवाद दे रहा हूं।

श्री अजीत सिंह सेठी--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समाजवादी बजट पर बोलने का अवसर दिया। अभी जो माननीय सदस्य बजट पर बोले मैं उनकी बातों को सुनकर हैरान हुआ। उनको यह सोचना चाहिये कि आज कि आज किन परिस्थितियों में यह बजट पेश हुआ है। आज हमारा देश और प्रदेश अनेकों जटिल समस्याओं से घिरा है। ऐसी परिस्थिति में इस विकासोन्मुखी व सुन्दर बजट को पेश करने वालों को मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने कर मुक्त बजट पेश किया है। यह बजट सर्वहितकारी बजट है, जिसके लिए माननीय मुख्य मन्त्री जी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने इन समस्याओं का साहस के साथ, सफलता-पूर्वक सामना करके यह बजट पेश किया है। घाटे का बजट होने के बावजूद भी इससे महंगाई नहीं बढ़ी है। आज जबकि जहां महंगाई से सारा विश्व अछूत नहीं है, वहां इस बजट से महंगाई नहीं बढ़ रही है तो उसकी आपको प्रसंशा करनी चाहिये।

मान्यवर, प्रारम्भ में इस बजट में 274.40 करोड़ का घाटा दिखाया गया है, लेकिन वर्ष के समस्त लेन देनों को लगाकर 295.40 करोड़ की बचत होगी और हमारा यह घाटा वर्ष के अन्त में 178.60 करोड़ का रह जायगा तथा इस घाटे को भी सरकारी खर्चों में कमी करके पूरा करने की बात है।

मान्यवर, माननीय सदस्य ओझा जी ने तथा माननीय कल्यान सिंह जी ने सार्वजनिक उपक्रम और नियमों में घाटे की जो बात कही, तो मैं कहना चाहता हूं कि उक्त निगम जिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं उस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। हमारी समाजवादी संरचना में ये निगम फलदायी हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि हमारे वित्त निगम कानपुर ने मुनाफा दिखाया है यह सारे देश में सबसे ज्यादा है। अतः उक्त निगम को भी उसको भी मैं इस काम के लिये बधाई देना चाहता हूं।

इसी प्रकार जो हमारे प्रधान मंत्री जी द्वारा जो बीस सूत्रीय कार्यक्रम संचालित है उसको दृष्टि में रख कर भी यह बजट पेश किया गया है जिससे वह कार्यक्रम निश्चित ही पूरा होगा।

खाद्यान्न उत्पादन 1984-85 में 305 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है जो पिछले वर्ष की तुलना में 4.5 प्रतिशत अधिक होगा और प्रस्तुत बजट से प्रभावित होकर यह उत्पादन और यह आगे चल कर और भी बढ़ेगा अतः इस सन्दर्भ में भी मैं इसके लिये मंत्रिमंडल को बधाई देता हूं।

इसके बाद में मान्यवर, आपके माध्यम से मेरठ के सम्बन्ध में दो बातें कहना चाहता हूं। हमारे मेरठ की आर्थिक स्थिति शिथिल है, जिसे सुधारने की तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। मान्यवर, मैं समझता हूं कि बजट में जो औद्योगिक मुद्दे दर्शाये गये हैं उसमें मेरठ का कहीं भी नाम नहीं है। हमारे मेरठ जनपद का क्षेत्रफल सहारनपुर, बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर से कम है, लेकिन आबादी अधिक है। इसलिये इस क्षेत्र में औद्योगीकरण का होना बहुत आवश्यक है। गाजियाबाद बन जाने के कारण मेरठ दो हिस्सों में बंट गया, इसलिये इंडस्ट्रीज गाजियाबाद में चली गयीं। अतः मैं चाहता हूं कि मेरठ में एक औद्योगिक काम्प्लेक्स बनाया जाये। इन शब्दों के साथ मैं मुख्य मंत्री जी को पुनः बधाई देता हूं कि उन्होंने वित्त मन्त्री के रूप में एक क्रान्तिकारी बजट पेश किया है।

डाक्टर बंगाली सिंह—

मान्यवर, मुख्य मन्त्री जी ने जो बजट पेश किया है वह गरीब हरिजनों के हित में नहीं है। मैं तो कहूंगा मुख्य मन्त्री जी से शिक्षा और सुरक्षा की तरफ की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है।

श्री अधिष्ठाता—

कृपया आप बैठ जायं। कल आपका भाषण जारी रहेगा।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता—

आज दिनांक 15-7-85 के उपवेशन में नियम 51 के अन्तर्गत 14 सूचनाएं प्राप्त हुई जिसमें पहली सूचना श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री दिवाकर विक्रम सिंह, श्री माता प्रसाद पान्डेय, श्री सुखपाल पान्डेय, श्री सूर्य प्रताप शाही, श्री राम सरन, श्री मोहम्मद मसूद खां, श्री शतरुद्र प्रकाश, श्री बलराम यादव, श्री बालेश्वर, श्री राम जनम की हैं, जो आजमगढ़ के छात्र श्री उदय प्रताप मल्ल की पुलिस द्वारा हत्या के सम्बन्ध में है। यह सूचना स्वीकार है शेष सभी सूचनाएं अस्वीकार हैं।

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे (पूर्वाह्न) पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजे अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
15 जुलाई, 1985।

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्र0 सं0 9 का उत्तर पीछे पृष्ठ 18 पर ।)

समझौते के मुख्य-मुख्य मुद्दे--

(1) सेवा काल के दौरान शिक्षक के आकस्मिक निधन पर उसकी पत्नी, पुत्र अथवा पुत्री को महाविद्यालय में उपयुक्त शिक्षणेत्तर पद पर नियुक्ति हेतु परिनियमों में व्यवस्था किया जाना ।

(2) बी0 एड0, एम0 एड0 में प्रवेश हेतु शिक्षक की पत्नी, पुत्र अथवा पुत्री को 10 वरीयता अंक प्रदान करने के लिये नियमावली में व्यवस्था करना ।

(3) वर्ष 1975 के बाद नियुक्त ऐसे शिक्षकों के लिये, जो शोध उपाधि प्राप्त नहीं कर सके हैं, यह उपाधि प्राप्त करने का समय 5 वर्ष और बढ़ाया जाना ।

(4) परीक्षा पारिश्रमिक दरों का संशोधन किया जाना ।

(5) तदर्थ आधार नियुक्त शिक्षकों को नियमित किया जाना ।

(6) समयबद्ध, प्रोन्नति, पेंशन, डिमांस्ट्रेटर तथा काटोग्राफर्स के सम्बन्ध में निर्गत राजाज्ञाओं का संशोधन किया जाना ।

(7) अन्तरिम सहायता दिया जाना ।

(8) पुस्तकालयाध्यक्षों को प्रवक्ता वेतनमान दिया जाना ।

(9) लखनऊ तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय में स्नातकोत्तर कक्षायें आरम्भ किया जाना ।

नत्थी

[देखिये अता0 प्र0 सं0 8 का

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1984–85 से विधान सभा क्षेत्र,

क्रमांक	परियोजना का नाम	विकास खण्ड का नाम	कार्य, जिसके लिए धन दिया गया है
1	2	3	4
1	बसखारी हरसम्भार सम्पर्क मार्ग	बसखारी	मिट्टी पुलिया
2	हरैया वाया बसहिया	,,	,,
3	रामनगर चहोडा सम्पर्क मार्ग पर खड़ंजा	रामनगर	खड़ंजा
4	मकरही चहोडा सम्पर्क मार्ग	,,	मिट्टी पुलिया
5	चहोडा मंसूरगंज सम्पर्क मार्ग	,,	,,
6	इखरवारा सम्पर्क मार्ग पर खड़ंजा	,,	,,
7	जहांगीरगंज रामबाग सम्पर्क मार्ग	जहांगीरगंज	मिट्टी पुलिया
8	पदुमपुर–खम्हरिया मार्ग पर खड़ंजा	,,	खड़ंजा
9	परसम्पुर कोडरा सम्पर्क मार्ग	,,	मिट्टी पुलिया
10	मंसूरगंज रामबाग	रामनगर	,,
11	निकसपुर से लालपुर सम्पर्क मार्ग	जहांगीरगंज	,,
12	ककरापार से तेवारीपुर	,,	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

'ख'

उत्तर पीछे पृष्ठ 26 पर ।]

जहांगीरगंज, जनपद फैजाबाद के लिए परियोजनावार अवमुक्त धनराशि का विवरण :—

कार्यदायी विभाग का नाम, जिसे धन दिया गया है	अवमुक्त धनराशि		
	नकद	खाद्यान्न	योग
5	6	7	8
ख० वि० अधिकारी, बसखारी	0·79750	0·08250	0·88000
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा	0·99689	0·10311	1·10000
तदेव	1·37000	0·03000	1·40000
तदेव	0·86875	0·13125	1·00000
तदेव	1·10471	0·14529	1·25000
खं० वि० अधिकारी, रामनगर	0·58875	0·01125	0·60000
सा० निर्माण विभाग	3·04064	0·45936	3·50000
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा	1·60071	0·02929	1·63000
खं० वि० अधिकारी, जहांगीरगंज	0·85875	0·13125	0·99000
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा	0·86876	0·13124	1·00000
जिला परिषद्	1·48000	0·12000	1·60000
तदेव	1·30300	0·19700	1·50000
योग ..	14·87846	1·57154	16·45000

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 102 का उत्तर पीछे पृष्ठ 53 पर)

क्रमांक	लेखक का नाम	पता	विषय
1	डा0 रमा शंकर सिंह	भौतिकी विज्ञान काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी	विद्युत् एवं चुम्बकत्व ।
		तथा	
	डा0 आर0 एस0 श्रीवास्तव	प्रिंसिपल, एम0 जी0 डिग्री कालेज, गोरखपुर	
2	डा0 ब्रजेन्द्र प्रताप गौतम	डी0 ए0 वी0, स्नातकोत्तर कालेज, फतेहगढ़	भारत का संवैधानिक विकास एवं भारतीय संविधान
3	डा0 जगदीश सिंह चौहान	रसायन विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय	पेट्रोरसायन ।
4	डा0 वी0 के0 श्रीवास्तव	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	काल श्रेणी विश्लेषण ।
5	डा0 के0 श्रीवास्तव	सांख्यिकी विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	जीवाविकी विधियां भाग–2
6	प्रो0 के0 सी0 श्रीवास्तव	अध्यक्ष, पाश्चात्य इतिहास विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	विश्व सभ्यता का इतिहास ।
7	डा0 राम केवल पाण्डेय	समाज शास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	नगरीय समाज शास्त्र ।
8	डा0 पी0 डी0 मिश्र	समाज विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय	सामाजिक वैयक्तिक सेवा कार्य ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

9	प्रो0 लक्ष्मी सक्सेना	गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर	सौन्दर्य का तात्पर्य ।
10	प्रो0 सियाराम श्रीवास्तव	काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस	अनप्रयुक्त सांख्यिकी ।
11	डा0 बालेश्वर पाण्डेय	काशी विद्यापीठ, वाराणसी	भारत में श्रम संघवाद ।
12	डा0 सी0 पी0 गोयल	काशी विद्यापीठ, वाराणसी	संगठनात्मक व्यवहार ।
13	डा0 चन्द्रशेखर	अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, डी0 ए0 वी0 कालेज, लखनऊ	तुलसी की दार्शनिक शब्दावलि का इतिहास ।
14	डा0 सभाजीत मिश्र	दर्शन विभाग, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर	काण्ट का दर्शन ।
15	डा0 जे0 सी0 भारती	महानगर, लखनऊ	हिन्दी साहित्य में ऋतु वर्णन ।
16	डा0 एल0 सी0 मिश्र	डी0 ए0 वी0 कालेज, कानपुर	पादप कार्यिकी के मूल तत्व ।
17	डा0 अखिला नन्द पाठक आदि	च0 शे0 आजाद कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर	मृदा का जल परीक्षण एवं अन्य उर्वरक उपयोग ।
18	डा0 प्रताप नारायण टण्डन	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	समीक्षा शास्त्र एवं सिद्धान्त ।
19	डा0 एम0 डी0 उपाध्याय	गणित विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	वैश्लेषिक एवं प्रक्षेणीय ज्यामिति ।
20	श्री आनन्द स्वरूप मिश्र	15–दुर्गापुरी, लखनऊ	कन्नौज का इतिहास ।
21	डा0 प्रभाकर माचवे	शेक्सपियर शरण, कलकत्ता	मराठी साहित्य का इतिहास ।
22	डा0 हरिद्वारी लाल शर्मा	35–जेल रोड, मेरठ	लोकवार्ता विज्ञान ।
23	श्री यमुना दत्त वैष्णव "अशोक"	नैनीताल	असूर्या स्नामातिलोका ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 123 का उत्तर पीछे पृष्ठ 50 पर ।)

दिनांक 17-5-84 को बस संख्या यू0 टी0 एफ0 9749 की दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को दी गयी धनराशि का विवरण :—

मृतक का नाम	बस यात्री बीमा योजना के अन्तर्गत दी गयी धनराशि एवं वितरण तिथि	मोटर वेहिकल्स ऐक्ट की धारा 92-ए के अन्तर्गत वितरित धनराशि एवं वितरण तिथि
1—श्रीमती कोकिला देवी पत्नी श्री प्रहलाद सिंह	रु0 20,000, दिनांक 8 जनवरी, 1985	रु0 15,000, दिनांक 30 जून, 1984 ।
2—श्रीमती कोकिला देवी पत्नी श्री खुशहाल सिंह	रु0 20,000, दिनांक 8 जनवरी, 1985	रु0 15,000, दिनांक 30 जून, 1984 ।
3—श्री मोहन सिंह पुत्र श्री नन्दन सिंह	रु0 20,000, दिनांक 5 दिसम्बर, 1984	रु0 15,000, दिनांक 30 जून, 1984 ।
4—श्रीमती गोविन्दी देवी पत्नी श्री त्रिलोक सिंह	रु0 20,000, दिनांक 16 जनवरी, 1985	रु0 15,000, दिनांक 8 जुलाई, 1984 ।
5—श्रीमती नीरू तिवारी पत्नी श्री हरीश चन्द्र	रु0 20,000, दिनांक 16 जनवरी, 1985	रु0 1,000, दिनांक 22 मई, 1984 तथा रु0 14,000, दिनांक 18 अगस्त, 1984 ।
6—श्री भरत सिंह पुत्र श्री रसाल सिंह	रु0 20,000, दिनांक 14 जनवरी, 1985	रु0 15,000, दिनांक 30 मई, 1984 ।
7—श्री मोहन सिंह पुत्र श्री सुल्तान सिंह	रु0 20,000, दिनांक 14 जनवरी, 1985	रु0 15,000, दिनांक 30 मई, 1984 ।

पी0 एस0 यू0 पी0—19 वि0 सभा—15-7-85—30 813 प्रतियां (पी0 डी0) ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा